अष्टम माला, खण्ड 19, अंक 13

सोमवार, 4 अगस्त, 1986
13 श्रावण, 1908 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

छठा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 19 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में स
मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं मान

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 19, छठा सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 13, सोमवार, 4 अगस्त, 1986/13 श्रावण, 1908 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—23
*तारांकित प्रश्न संख्या : 244, 245, 247, 251, 249 से 250, 253 और 254	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	23—199
तारांकित प्रश्न संख्या : 246, 248, 252 और 255 से 264	23—34
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2334-2347, 2349-56, 2358-2377, 2379-2429, 2431-2454, 2456-2465, 2467-2477, 2479-2490, 2492-2497, 2499-2522, 2524-2543 और 2545-2565	34—193
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	199—201
लोक लेखा समिति	201
49वां प्रतिवेदन	
प्रशासित मूल्य नीति के बारे में वक्तव्य	201—202
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	
विधेयक—पुरःस्थापित	
(1) संविधान (53वां संशोधन) विधेयक	202
(2) मिजोरम राज्य विधेयक	202—203

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ

नियम 377 के अधीन मामले 203—206

(एक) मथुरा-अलवर बड़ी रेल लाइन के निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि का मांग

श्री राम सिंह यादव 203

(दो) स्वतन्त्र भारत मिल्स, दिल्ली, को अपने कर्मचारियों के क्वार्टर गिराने से पूर्व उन्हें वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने का निदेश देने की आवश्यकता

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर 203

(तीन) एक बच्चे के बाद आपरेशन करवाने वाले व्यक्तियों को भी परिवार नियोजन प्रोत्साहन देने की आवश्यकता

श्री पी॰ एम॰ सईद 204

(चार) दिल्ली के अस्पतालों में बेकार पड़े हुए आयातित निदान एवं उपचार उपकरणों का तथाकथित प्रयोग न किये जाने की जांच कराने की आवश्यकता

श्रीमती किशोरी सिंह 204

(पांच) आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 9 पर मुनियेरु नदी पर एक और पुल बनाने की आवश्यकता

श्री बी॰ शोभनाद्रीश्वर राव 205

(छः) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में इलैक्ट्रानिकी उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत 205

(सात) प्रत्येक सांसद और विधायक को उनके सम्बन्धित क्षेत्रों के विकास के लिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम निधि में से या तो खंडवार या निर्वाचन क्षेत्रवार बराबर धनराशि आवंटित करने की आवश्यकता

श्री मोहम्मद महफूज खां 206

विषय	पृष्ठ
भारतीय विद्युत (संशोधन) विधेयक	206—220
विचार करने के लिए प्रस्ताव—(जारी)	
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	207
श्री गिरधारी लाल डोगरा	208
श्री सी० जंगा रेड्डी	209
श्रीमती सुशीला रोहतगी	212
खंड 2 से 6 तथा 1	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्रीमती सुशीला रोहतगी	220
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1986-87	221—263
डा० टी० कल्पना देवी	223
श्री के० पी० सिंह देव	225
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	230
श्री अजय विश्वास	233
श्री उमाकांत मिश्र	236
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	239
श्री तम्पन थामस	241
डा० फूलरेणु गुहा	244
श्री बनवारी लाल पुरोहित	246
श्री दिनेश गोस्वामी	249
प्रो० एन० जी० रंगा	252
श्री शरद दिघे	254
श्री अजीज कुरेशी	257
कुमारी ममता बनर्जी	258
श्री दिग्विजय सिंह	262
देश की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा	263—306
श्री सी० माधव रेड्डी	263
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	270

विषय	पृष्ठ

श्री हरीश रावत	275
श्रीमती गीता मुखर्जी	279
श्री सोमनाथ रथ	282
श्री अमल दत्त	285
श्री बृजमोहन महन्ती	289
श्रीमती जयन्ती पटनायक	293
श्री पीयूष तिरकी	295
श्री डाल चन्द जैन	298
श्री राम प्यारे पनिका	300
श्री एम० रघुमा रेड्डी	303

लोक सभा

सोमवार, 4 अगस्त, 1986/13 श्रावण, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

श्री बी० तुलसीराम : अध्यक्ष जी, हम लोग कालिंग अटेन्शन वगैरह के जो नोटिस भेजते हैं वे दस बजे के पहले डाले जाने चाहिए लेकिन गेट वाला आदमी हमारे आदमी को अन्दर आने नहीं देता। इस प्रकार हमारा कार्य ठप्प हो जाता है। मैं चाहता हूं कि डिब्बा बाहर रखा होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप आकर मेरे से बात कर लेना।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप चाहे जब आ सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। यह बात यहां सभा में करने की नहीं है।

[हिन्दी]

प्रो० मधु दंडवते : हमारे घर में एक-एक डिब्बा रखवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : वहां रखवा देते हैं, माल आपका है जो मरजी करो।

श्री माणिक रेड्डी।

श्री रघुमा रेड्डी।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अलौह धातु उद्योगों का आधुनिकीकरण

*224. श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री माणिक रेड्डी† :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में अलौह धातु उद्योगों का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत किन-किन उद्योगों का आधुनिकीकरण किए जाने की संभावना है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की संभावना है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) एवं (ख) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की अपने उत्पादन में स्थायित्व लाने के लिए खेतड़ी कापर कम्पलेक्स (राजस्थान) तथा इंडियन कापर कम्पलेक्स, घाटसिला (बिहार) के प्रद्रावकों एवं शोधनशालाओं की गत्यावरोध निवारण/आधुनिकीकरण की दो योजनाएं हैं। हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की टुंडू और विजाग स्थित सीमा शोधनशालाओं तथा विजाग स्थित जस्ता प्रद्रावक के आधुनिकीकरण की दो योजनाएं हैं। प्राइवेट सेक्टर में कोमिन्को बिनानी जिन्क लिमिटेड का भी बिनानीपुरम स्थित अपने जस्ता संयंत्र के आधुनिकीकरण का प्रस्ताव है।

(ग) उपर्युक्त आधुनिकीकरण योजनाओं का कार्यान्वयन होने से तांबे के वर्तमान उत्पादन स्तर में लगभग 9300 टन वार्षिक की वृद्धि हो जायेगी, जिसका अन्यथा विदेशों से टोल प्रद्रावण कराना पड़ता। जस्ता और सीसे के उत्पादन में क्रमशः 2,300 टन और 4,400 टन की वार्षिक वृद्धि होने का अनुमान है।

उपर्युक्त प्रत्याशित उत्पादन-बढ़त का मूल्य, प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर, 20.58 करोड़ रुपये होगा।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : महोदय, क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि मेरे प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में बताये गए आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र में कुल कितना व्यय हुआ ? आधुनिकीकरण कार्य कब तक पूरा होने की आशा है। क्या इसके लिए कोई समय-सीमा निश्चित की गयी है ? क्या बजट तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कोई प्रावधान किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : महोदय, इनमें से कुछ परियोजनायें अभी तैयार की जा रही हैं और कुछ का कार्यान्वयन किया जा रहा है। मैं आपको परामर्श शुल्क के आंकड़े दे सकता हूं। एच० सी० एल० के के० सी० सी० स्मैल्टर के लिए यह राशि 25 लाख, के० सी० सी० शोधनशाला के लिए 21 लाख, आई० सी० सी० स्मैल्टर के लिए 25 लाख तथा आई० सी० सी० शोधनशाला के लिए 45 लाख है।

ये मेरे पास आंकड़े हैं। परियोजनाओं के लिए कुल राशि के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र के भी आंकड़े नहीं हैं।

जहां तक काम पूरा करने के लिए निर्धारित तिथियों का प्रश्न है, यह के० सी० सी० स्मैल्टर के लिए जून, 1988; के० सी० सी० शोधनशाला के लिए जून, 1988; आई० सी० सी० स्मैल्टर के लिए सितम्बर, 1988 तथा आई० सी० सी० शोधनशाला के लिए सितम्बर, 1988;

आई० सी० सी० कानसेंट्रेटर एंड टेलिंग डिस्पोजल के लिए अगस्त, 1988 तथा आई० सी० सी० के प्रेशियस मैटल रिकवरी संयंत्र के लिए अगस्त, 1988 है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : उपभोग एवं उत्पादन के बीच अंतर बहुत अधिक है।

1984-85 में तांबे की मांग 1,09,000 टन थी; उत्पादन 52,000 टन तथा आयात 56,000 टन है।

जस्ते की मांग 1,31,000 टन, उत्पादन 70,000 टन तथा आयात 51,000 टन था।

सीसे की मांग 61,000 टन, उत्पादन 40,000 टन तथा आयात 35,000 टन था।

सरकार आलौह धातुओं के उत्पादन के संबंध में आत्मनिर्भर कब होगी, उन्हें कितना समय चाहिए, आयात कुल कितनी राशि का हुआ और राज-कोष से कितना भुगतान करना पड़ा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जहां तक मैं समझता हूं कि हम तांबे, जस्ते तथा सीसे के संबंध में निकट भविष्य में पूरी तरह से आत्म-निर्भर नहीं हो सकते। इसका एक कारण यह है कि हमारे पास तांबे का अयस्क बहुत कम मात्रा में है और यह बात विचारणीय है कि हम अधिक लागत पर उस अयस्क से तांबा प्राप्त करें या उससे कम लागत पर अन्य देशों से आयात करें जिनके पास अधिक मात्रा में अयस्क है। हम किस लागत पर अपने देश में उपलब्ध अयस्क से तांबा प्राप्त करें तथा किस अवस्था में, इस संबंध में विचार करना होगा।

जहां तक जस्ते का प्रश्न है, हमें जस्ते तथा सीसे के बड़े भंडार मिले हैं। हम 5 प्रतिशत जस्ता अयस्क से जस्ता प्राप्त कर रहे हैं जो 14-15 प्रतिशत के लगभग है। यह काफी अच्छा अयस्क है, इसलिए हम लागत के अनुरूप जस्ते का उत्पादन कर सकेंगे। यह इसके वर्तमान मूल्य से सस्ता पड़ेगा। यह एक ऐसी परियोजना है जिसके लिए सरकार ने पूरा परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराने का निर्णय किया है जिसके आधार पर इसका कार्यान्वयन होगा। यह ऐसा निर्णय है जो हाल ही में लिया गया है और जिसके बाद जस्ते के मामले में हम आत्मनिर्भरता के काफी समीप होंगे। मैं अभी भी यह नहीं कह सकता कि हम शत-प्रतिशत आत्म-निर्भर हो सकेंगे।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : सीसा तथा अल्यूमीनियम का क्या होगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जहां तक सीसे का प्रश्न है, यह जस्ते के साथ ही आता है और इसलिए जब हमें जिंक स्मैल्टर प्राप्त होगा तब हम देखेंगे कि हमें कितना सीसा मिल सकता है। यह अयस्क पर निर्भर करता है। इसलिए सीसे के संबंध में निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि हम कब आत्मनिर्भर हो सकेंगे। किंतु मुझे संदेह है कि हम सीसे के मामले में आत्म-निर्भर नहीं हो सकेंगे।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : और अल्युमीनियम के बारे में ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : वर्तमान स्थिति यह है कि जब 'नेलको' में उत्पादन शुरू हो जायेगा तब देश में आवश्यकता से अधिक अल्युमीनियम होना चाहिए। अर्थात् वर्ष 1988-89 तक हमारे पास अल्युमिना तथा अल्युमीनियम दोनों ही आवश्यकता से अधिक होंगे तथा हमें इनके लिए विदेशी बाजार की तलाश करनी होगी।

[हिन्दी]

दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उपाय

*245. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में मवेशियों की संख्या की तुलना में दुग्ध उत्पादन कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का देश में दुग्ध-उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

कृषि मंत्री (श्री जी० एस० ढिल्लों) : (क) जी हां। भारत में प्रति गाय दूध का उत्पादन विश्व औसत से कम है।

(ख) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार ने देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने तथा वैज्ञानिक आधार पर गोपशु/भैंस के विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं ताकि स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार किया जा सके। स्वीकार की गई मुख्य नीतियां और दृष्टिकोण निम्न प्रकार हैं :

(1) राष्ट्रीय महत्व के गोपशु नस्लों का उनके आवास खण्डों में और अन्य चुनिंदा क्षेत्रों में सुधार करके चुनिंदा प्रजनन द्वारा सन्तति में सुधार करना;

(2) कम उत्पादन देने वाले अवर्गीकृत गोपशुओं का डेरी की विदेशी नस्लों के साथ संकर-प्रजनन;

(3) दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए चुनिंदा प्रजनन द्वारा भैंस की महत्वपूर्ण नस्लों की सन्तति में सुधार करना और अवर्गीकृत भैंसों की नस्लों में सुधार करना;

(4) आहार और चारा संबंधी संसाधनों का विकास करना ताकि पशुधन के लिए पर्याप्त पोषाहार उपलब्ध कराया जा सके;

(5) उत्पादन कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए पशु स्वास्थ्य की प्रभावी सेवाओं का आयोजन करना;

(6) आपरेशन फ्लड 2 के अन्तर्गत बढ़े हुए दुग्ध उत्पादन और विपणन के लिए आदानों को उपलब्ध करने हेतु अवसंरचना का दुग्ध उत्पादन सरकारी समितियों के जरिए विस्तार किया जा रहा है। समूचे वर्ष में लाभकारी मूल्यों की नियमित अदायगी करके, गांवों में उत्पादित दूध के लिए बाजार की व्यवस्था करके और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए किफायती मूल्य के आदानों को मुहैया करके डेरी की सहकारी समितियों में गरीब ग्रामीणों के आर्थिक स्तर में सुधार किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र गोपालन् पशुपालकों ने एक पत्र भेजा था कि गत वर्ष ज्यादा दूध देने वाली गाय जो डेनमार्क और पश्चिम जर्मनी से आयात की गई थी, मैं जानना चाहता हूं उन गायों की तादाद क्या थी और कितना दूध देने की उनकी क्षमता थी साथ ही कहां-कहां भारत में उनकी आपूर्ति की गई है और सम्पूर्ण दूध, में उनके दूध का कितना प्रभाव पड़ा···

[अनुवाद]

डा० जी० एस० ढिल्लों : मेरे पास महाराष्ट्र के आंकड़े नहीं हैं। यदि उन्होंने पहले कह दिया होता तो मैं इसका प्रबंध कर लेता। किंतु मेरे पास राष्ट्रीय औसत आंकड़े हैं जो मैं विवरण में बता चुका हूं। ये आंकड़े 538 किलो प्रति पशु प्रति वर्ष हैं।

[हिन्दी]

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि मेरे प्रश्न का ठीक तरह से उत्तर तो नहीं मिला, परन्तु दूसरा प्रश्न मैं यह करना चाहता हूं कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने "ऑपरेशन फ्लड" योजना के तहत नस्ल सुधारने के कार्य पर काफी खर्चा किया है और योजना को काफी एक्सपैंड कराया गया है लेकिन देखा यह गया है कि हिन्दुस्तान में गर्म टैम्परेचर में क्रौस-ब्रीड या नस्ल सुधारने के दूसरे तरीकों से पशुओं का उतना दूध नहीं बढ़ पाता जितना दूसरे देशों में बढ़ता है। हमारे देश के गर्म जलवायु में वे सरवाइव ही नहीं कर पाते। उसको दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार परीक्षण करवा कर कमियों को दूर करने का उपाय कर रही है। यदि हां, तो किस तरीके से।

डा० जी० एस० ढिल्लों : वैसे तो हम बहुत काम कर रहे हैं, औसत को बढ़ाने के लिए लेकिन जब हम दूसरे देशों से उसकी तुलना करते हैं तो हम उतनी बेहतर स्थिति में नहीं हो पाते, हम उसका उतना फायदा नहीं उठा पाते। आजकल हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई रिसर्च ऐसी शुरू की जाए, जैनेटिक इन्ट्रा वैक्सीन, डिजीज आदि की, और हमारे वैज्ञानिक इस कार्य में लगे हुए हैं। दूसरे, हमारे देश में कुछ ऐसी परम्पराएं हैं, जो दूसरे देशों में नहीं हैं, उदाहरण के लिए अन-इकानामिकल काऊज को वे रखते ही नहीं, बेच देते हैं या स्लोटर कर देते हैं जबकि हमारे यहां उसकी इजाजत नहीं है और इस तरह के आवारा मवेशी, अनइकानामिक होने के कारण हमारी एवरेज को घटा देते हैं। मैं यह नहीं कहता कि दूसरे देशों की तरह हम भी अपने देश में वैसी कोई पद्धति अपनायें, परन्तु हमारे पास एक ही उपाय है कि हम रिसर्च करके, अच्छी नस्ल को, ब्रीड को इन्ट्रा वैक्सीन करके बढ़ायें।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदैवेलु : दूध के उत्पादन के संबंध में जैसाकि माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है हमारे देश में विदेशों की अपेक्षा प्रति पशु उत्पादन काफी कम है। आप पशुओं के सुधार और परिणामस्वरूप दूध के उत्पादन में सुधार के लिए नीतियां अपना रहे हैं।

ऑपरेशन फ्लड-2 के अंतर्गत आपने कुछ कदम उठाये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आपने प्रति पशु दुग्ध-उत्पादन में सुधार किया है और लक्ष्य प्राप्त किए हैं। यह पहला प्रश्न है।

दूसरा प्रश्न—हमारे पास पशु बहुत अधिक संख्या में हैं किंतु दुग्ध उत्पादन अत्यंत कम है। कम दुग्ध-उत्पादन के कारण आजकल गौ-वध किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सभी राज्यों में गौ-वध पर प्रतिबंध लगायेगी क्योंकि हम गाय को पवित्र मानते हैं।

इसके अतिरिक्त, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे आस्ट्रेलिया से गायों का आयात करेंगे क्योंकि वे अधिक दूध देती हैं। आप आई० आर० डी० पी० कार्यक्रम में भी छोटे किसानों, सीमांत किसानों तथा कृषि श्रमिकों को गाय-भैंसें देते हैं किंतु कम दुग्ध-उत्पादन के कारण वे ऋणों की अदायगी नहीं कर पाते। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार आस्ट्रेलिया तथा डेनमार्क से गायों का आयात करेगी।

डा० जी० एस० ढिल्लों : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है।

जैसा कि मैंने आपको बताया है, अन्य देशों के मुकाबले हमारे देश में दुग्ध उत्पादन बहुत कम है। हम विभिन्न केंद्रों में यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। जहां तक गायों के आयात का प्रश्न है, हमने पहले भी ऐसा किया था किंतु उसका लाभ आशातीत नहीं रहा। किंतु अब हम अच्छी किस्म की कुछ गायों में अनुवांशिकी सुधार कर रहे हैं। यह कार्य विभिन्न केंद्रों में चल रहा है। किंतु जहां तक गायों के आयात का प्रश्न है, मेरे विचार में, यदि मैं आपको ठीक ढंग से बता रहा हूं तो विदेशी गायों का आयात करके उन्हें अपने देश की जलवायु में रखने की अपेक्षा हम कुछ अन्य प्रकार का प्रबंध कर रहे हैं अर्थात् हम कृत्रिम गर्भाधान के लिए अच्छी किस्म के शुक्राणुओं का आयात कर रहे हैं ताकि हम संकरण करा सकें······

श्री पी० कुलनदईवेलु : क्या आप बता सकते है किस देश से आयात कर रहे हैं ?

डा० जी० एस० ढिल्लों : इसके परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं। मैं दो केंद्रों में गया था। मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई। इसके परिणाम शीघ्र और अच्छे होते हैं।

श्री पी० कुलनदईवेलु : मैं गौ-वध के बारे में जानना चाहता हूं।

डा० जी० एस० ढिल्लों : आपको यह प्रश्न मुझसे नहीं पूछना चाहिए। हम इसे कभी अपने कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाते। हम इसकी अनुमति नहीं देते। मैंने शुरू में ही एक प्रश्न के उत्तर में कहा······

श्री पी० कुलनदईवेलु : दुग्ध उत्पादन कम होने के कारण गौ-वध हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, कृपया आप मेरी सहायता के लिए आगे आयें।

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास काफी प्रश्न हैं।

श्री पी० कुलनदईवेलु : अध्यक्ष महोदय, आपको मेरी सहायता करनी होगी।

प्रो० मधु दंडवते : आपको देखना होगा कि हमारी तथा गायों की हत्या न हो।

[हिन्दी]

श्री तुलसीराम : अध्यक्ष जी, यहां गायों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और हमारे यहां की हरियाणा नस्ल और नागौर नस्ल की अच्छी गायें जो होती थीं वे घटती जा रही हैं और ऐसी नस्लें अब देखने को नहीं मिल रही हैं। जो अच्छी गाएं हैं उनको कसाई काटते जा रहे

हैं। वे गाएं न काटी जाएं इसके लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है तथा दूसरी बात यह है कि पश्चिम जर्मनी की जो अच्छी गाएं होती हैं तथा वे सबसिडी भी देते हैं और कीमतें भी कम होती हैं, उनको यहां मंगवाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया है क्योंकि यहां पर दूध की कमी होने से लोगों को दूध नहीं मिल रहा है और लोग पतले दुबले होते आ रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : तुलसीराम जी तो हृष्ट-पुष्ट हैं।

[अनुवाद]

मेरे विचार में आपने पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

डा० जी० एस० ढिल्लों : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने हरियाणा की गायों और सांडों का जिक्र किया है। मैं भी किसान हूं। मैंने हरियाणा की गाएं और सांड दोनों पालकर देखी हैं। वहां की गाएं कम दूध देती हैं। नागौर के बैल तो दुनिया में मशहूर हैं। मसला यह है कि गाएं दूध कितना देती हैं। हरियाणा की गाएं ज्यादा दूध नहीं देती हैं। जर्मनी के बारे में जो आपने कहा अभी तक हमने इम्पोर्ट नहीं किया है। अगर आप चाहेंगे, तो जर्मनी से सीमन इम्पोर्ट करवा कर हरियाणा की गायों पर ट्राई करवा लेंगे।

श्रीमती प्रमलाबाई चव्हाण : क्या मंत्री महाशय जानते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट जहां दूध एक्सेस हो रहा है और

[अनुवाद]

हमें इस बात पर गर्व है कि हमारी सरकार दूध का उत्पादन बढ़ाने में इतनी रुचि ले रही है। यदि आप देखें तो पायेंगे कि कुछ जिलों में विशेषकर सतारा जिले में दूध बह रहा है।

[हिन्दी]

अपने देश में जब दूध की गंगा बहती थी और जमाने था, तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि दूध काफी बढ़ गया है, लेकिन उसके प्रासेसिंग की कोई फैक्टरी महाराष्ट्र में नहीं है। हमने प्रपोजल भी दिया था।

अध्यक्ष महोदय : यह तो इस प्रश्न में नहीं आता।

श्रीमती प्रमलाबाई चव्हाण : दूध बढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन उसके लिए कारखाना लगाने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री कमल नाथ।

श्री कमल नाथ : प्रश्न संख्या 247.

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) खड़े हुए—

[हिन्दी]

श्री के० एन० प्रधान : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं० 251 भी इसी के साथ ले लें तो ठीक है।

श्री बलबीर सिंह : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : ले लीजिये, मिनिस्टर भी राजी हैं तो ठीक है। श्री नारायण चौबे हैं क्या ?…श्री के० एन० प्रधान।

श्री के० एन० प्रधान : प्रश्न सं० 251.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 251 का भी जवाब दे दीजिये।

[अनुवाद]

दिल्ली में जनसंख्या के दबाव को कम करने हेतु उपाय

*247. श्री कमल नाथ† :
श्री जी० एम० बनातवाला :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड ने दिल्ली में जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव को कम करने हेतु, हाल ही में हुई अपनी बैठक में कुछ निर्णय लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैठक में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने हेतु कोई तरीके और निश्चित समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) क्या इनमें से कोई निर्णय सरकार द्वारा काफी पहले लिया गया था और यदि हां, तो इन निर्णयों को कार्यान्वित न किए जाने के कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की आयोजना समिति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार किए गए अन्तरिम योजना प्रारूप पर बोर्ड की 3 जुलाई, 1986 को हुई पिछली बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। यह विचार-विमर्श अनिर्णायक रहा और अन्तरिम योजना में दिए गए प्रस्तावों तथा उनके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड की बैठक

*251. श्री के० एन० प्रधान† :
श्री नारायण चौबे :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 जुलाई, 1986 को विज्ञान भवन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड की एक बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा की गई और क्या निर्णय लिए गए ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कतिपय प्रक्रियात्मक मामलों के अलावा, इस बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए अन्तरिम योजना प्रारूप पर विचार किया। विचार-विमर्श अनिर्णायक रहा और इस पर बोर्ड की आगामी बैठक में आगे और विचार-विमर्श जारी रखने का निर्णय लिया गया।

श्री कमल नाथ : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने कई बैठकें कीं और एक अंतरिम विकास योजना बनाई गई किन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसका कोई परिणाम नहीं निकला। बोर्ड की कई बैठकें होने के बाद भी कोई परिणाम न निकलना बुरी बात है। अंतरिम विकास योजना में कुछ सरकारी कार्यालयों तथा उद्यमों का दिल्ली से बाहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थान परिवर्तन करने का प्रस्ताव था और यदि ऐसा है और यदि तथ्य उपलब्ध नहीं हैं तो मंत्री जी कह सकते हैं कि तथ्य उपलब्ध नहीं हैं। यदि ऐसा कोई प्रस्ताव है तो इससे दिल्ली पर क्या प्रभाव पड़ेगा अर्थात् अधिक आवासीय तथा कार्यालय के लिए स्थान, आवासीय स्थान कितना बढ़ाया जाएगा। कार्यालयों के लिए स्थान कितना बढ़ाया। इन कार्यालयों को दिल्ली से बाहर ले जाने पर दिल्ली को क्या राहत मिलेगी।

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : वर्ष 1971 में 47895 व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे थे। मेरे पास 1981 तक के आंकड़े हैं। 1981 में यह संख्या 1,16,444 तक पहुंच गई। यदि हम ये भी मानकर चलें कि प्रत्येक कर्मचारी की एक पत्नी, बच्चे और एक नौकरानी होगी तो भी यह संख्या कई लाख तक पहुंच जाएगी। दिल्ली में जनसंख्या वृद्धि के कारणों में यह भी एक है। जहां तक औद्योगिक.........

श्री कमल नाथ : इसका मेरे प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री अब्दुल गफूर : इसका सम्बन्ध इस प्रकार है कि मैंने सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में आंकड़े दिए हैं। वर्ष 1971 में सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या केवल 47000 थी। 1981 में यह संख्या 1,16,444 तक पहुंच गई है......

श्री कमल नाथ : यह उपलब्ध है।

श्री अब्दुल गफूर : यह उपलब्ध है। आप आश्वस्त रहें। इस विषय पर भी चर्चा की गई थी कि दिल्ली की जनसंख्या किस प्रकार कम की जाये। मेरे विचार में प्रश्न पूछने का यह आपका मुख्य उद्देश्य था।

श्री कमल नाथ : महोदय, संभवतः आप मुझे मेरा प्रश्न दोहराने की अनुमति दे देंगे। सदन के लाभ के लिए मैं इसे दोहरा दूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : उस स्थिति के असंगत उत्तर को भी दोहरा दिया जाएगा।

श्री कमल नाथ : महोदय, मैं सहमत हूं।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, ज्वायंट सैक्टर के आंकड़े तो बताये नहीं हैं। पब्लिक और प्राइवेट सैक्टर के आंकड़े बता दिए।

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ : बात यह है कि हम सरकारी क्षेत्र के उद्यमों तथा कार्यालयों को स्थानांतरित करने वाले हैं। इस उद्देश्य से कुछ क्षेत्रों का पता लगाया गया है और वे क्षेत्र मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, खुर्जा (उत्तर प्रदेश) पलवल, रिवाड़ी, रोहतक और पानीपत (हरियाणा) में तथा अलवर (राजस्थान) में है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में केवल यही नहीं आता।

मैं मध्य प्रदेश की बात पर आता हूं। मध्य प्रदेश में भी एक ऐसा क्षेत्र है जो नेशनल केपिटल क्षेत्र योजना बोर्ड को या तो पता नहीं है या वे उन्हें भूल गये हैं। क्या यही वे क्षेत्र हैं जहां पर स्थान परिवर्तन का विचार है ? क्या यह अंतिम सूची है अथवा उन स्थानों की कोई अन्य सूची तैयार की जानी है जहां सरकारी क्षेत्र के उद्यम अथवा कार्यालय स्थानांतरित किए जाने की संभावना है ?

श्री अब्दुल गफूर : जहां तक सरकारी क्षेत्र अथवा संयुक्त क्षेत्र के उद्यमों के स्थान परिवर्तन का प्रश्न है, इसका यह मतलब नहीं कि वे उन्हें केवल इन्हीं स्थानों पर ले आया जायेगा। यदि वे जाना चाहें तो उन्हें वहां भेज दिया जायेगा। किंतु काफी बड़ी संख्या में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के ऐसे कार्यालय हैं जो यहां नहीं होने चाहिये। कुछ ऐसे कार्यालय हैं जिनका यहां होना आवश्यक है। किन्तु कुछ ऐसे भी हैं जो कहीं भी जा सकते हैं। जहां तक इन शहरों का संबंध है, हम इन शहरों को काउंटर मेगनेट सेटेलाइट टाउन के रूप में बनाना चाहते हैं। (व्यवधान)......मेरठ, हापुड़, पलवल आदि कहीं भी जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि वे कहीं भी जा सकते हैं तो उन्हें श्री कमल नाथ के निर्वाचन क्षेत्र में जाने दो।

श्री अब्दुल गफूर : हमने यह पता लगाने के लिए एक समिति गठित की है कि ऐसे कौन से सरकारी क्षेत्र के उद्यम हैं जिनका दिल्ली से बाहर स्थान परिवर्तन किया जा सकता है।

श्री ओ० एम० बनातवाला : मैं समझता हूं कि दिल्ली में नए सरकारी कार्यालय खोलने पर प्रतिबंध है। किंतु सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। क्या सरकार उन कार्यालयों पर भी ऐसा कोई प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगी जो दिल्ली में नए कार्यालय खोलना चाहते हैं ? आपने अभी कहा कि सरकार ने सरकारी क्षेत्र के ऐसे उद्यमों का पता लगाने के लिए एक समिति गठित की है जिनके कार्यालय दिल्ली से बाहर ले जाए जा सकते हैं। उस समिति ने कितना कार्य किया है और वे कब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे ?

श्री अब्दुल गफूर : ये बातें सरकार के विचाराधीन हैं। कुछ सप्ताह पूर्व एक बैठक की गई थी और हम एक और बैठक भी करने वाले हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या अंतर पड़ता है ? क्या सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को दिल्ली में कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

श्री अब्दुल गफूर : पहले मुझे अपनी बात समाप्त करने दें। (व्यवधान) योजना बोर्ड ने पिछली बैठक में यह पता लगाने के लिए एक समिति बनाई गई थी और इस माह अगली बैठक भी होगी। हम इस संबंध में शीघ्र ही कार्यवाही करेंगे।

[हिन्दी]

श्री के० एम० प्रधान : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत स्पष्ट है कि आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस कारण उसको शिफ्ट करना भी बहुत जरूरी है। यह भी सही है कि जब शिफ्ट करेंगे तो उसमें खर्चा भी बहुत आयेगा। इसमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस जगह पर इन आफिसिज को या सरकारी क्षेत्र के जो प्रतिष्ठान हैं, उनको अगर ले जाना चाहते हैं तो वह क्षेत्र सड़क से, रेल यातायात से और हवाई जहाज से जुड़े हुए हों, जमीन की कीमत भी अधिक न हो और पानी भी आसानी से उपलब्ध हो जाये।

जहां तक मेरी जानकारी है, आपके मंत्रालय ने इस योजना के लिए 868 करोड़ रुपये मांगे थे, जिसमें से केवल 33 करोड़ रुपये ही मंजूर हुये। इसका मतलब यह है कि आपके पास पैसों की कमी है और शिफ्ट करना भी जरूरी है। क्या मंत्री जी इस पर संजीदगी से विचार करेंगे कि जो सबसे करीब इस राजधानी का क्षेत्र ग्वालियर है, जो सड़क से, रेल से और हवाई जहाज से जुड़ा है और वहां पर सबसे सस्ती जमीन भी मिलने वाली है, वहां पानी इतना है कि जिसमें जितनी आज आबादी है उससे दुगुनी आबादी के लिए वह काफी हो सकता है। पिछली मीटिंग में ग्वालियर का सुझाव दिया गया था। तो क्या ग्वालियर को उसमें सम्मिलित करने के ऊपर आपने गौर किया है ?

श्री अब्दुल गफूर : ग्वालियर के लिए को आपके सिंधिया साहब बहुत जोर दे रहे हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग बहुत संजीदगी से उस पर गौर कर रहे हैं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : बढ़ती हुई आबादी को कम करने के लिए भोपाल, ग्वालियर इत्यादि को आपने इन्क्लूड किया है, तो क्या दक्षिण के भी कुछ शहरों को उसमें इन्क्लूड किया जा सकता है या नहीं ?

श्री अब्दुल गफूर : अभी तो जो इन्क्लूड किया है उसी पर पूरा काम नहीं हो पाया। इतना हो जाने दीजिए फिर आगे विचार किया जाएगा।

श्री राम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा निर्वाचन क्षेत्र अलवर भी शामिल है जो राजधानी से केवल सौ मील की दूरी पर है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 1974-75 में स्वर्गीया श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस योजना को लागू किया था और जनता पार्टी ने सन् 1977-80 के बीच में इस योजना को समाप्त कर दिया। उस दौरान में इस क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। तो आज विकास के संसाधन देने के लिए और इसके समीप के गांवों को आगे बढ़ाने के लिए क्या यह जरूरी नहीं है कि आप इंडस्ट्रियल सैक्टर के लिए इस क्षेत्र के लिए एक अलग औद्योगिक नीति बनाएं और उस उद्योग नीति के अनुसार अधिक से अधिक लोगों को वहां पर काम-काज और रोजगार दे सकें जिससे कि दिल्ली की आबादी जो बढ़ रही है उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़े और आस-पास के नगरों के आदमी यहां पर आकर आबादी अधिक नहीं बढ़ाएं। इसके लिए क्या अलग से कोई इंडस्ट्रियल पालिसी बनाई है ? बनाई है तो क्या बनाई है और उस पालिसी का क्या रूप है ? इसके बारे में क्या आपने सोचा है ?

श्री अब्दुल गफूर : इसके बारे में तो इतना सोचा है कि जो आपने फर्माया, नेशनल कैपिटल रीजन के बारे में, पहले उसके मेम्बर्स सीमित थे, बाद में दिमाग में आया कि इंडस्ट्री भी है, रेलवे भी है तो हम लोगों ने इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर को भी लिया है, रेलवे के मिनिस्टर को भी लिया है, सरफेस ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर को भी लिया है और और सारे लोगों को लिया है ताकि जो काउन्टर मैग्नेट टाउन्स बनाएंगे उसमें सर्विसेज कैसे रहेंगी, कम्यूनिकेशन कैसे रहेगा, टेली कम्यूनिकेशन कैसे रहेगा, इन सारी बातों के ऊपर विचार किया जा सके। इसलिए इन सारे मिनिस्टर साहबान को उसमें लिया गया है। आपके सुझाव से ज्यादा लोगों को हमने उसमें लिया है।

डा० प्रभात कुमार मिश्र : मैं शहरी विकास मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचलों की जो आबादी शहरों की ओर बढ़ रही है क्या इस राष्ट्रीय क्षेत्र आयोजना बोर्ड द्वारा उस बढ़ती हुई आबादी को रोका जा सके क्योंकि एक लिखित उत्तर में मुझे बताया गया है कि 40 प्रतिशत आबादी सन् 71 से 81 के बीच में बढ़ी है, तो गांवों के लोग जो खेतिहर मजदूर हैं उनकी जो टेंडेंसी शहर की ओर बढ़ने की है क्या इसके ऊपर भी शहरी विकास मंत्री का ध्यान है और इसके लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पी० के० बोल रहे हैं, जरा ध्यान से उत्तर दीजिएगा।

श्री अब्दुल गफूर : यह इतना महान सवाल है कि...(**व्यवधान**)...यह सवाल मैं समझता हूं कि इस हाउस के अन्दर सभी के दिमाग में है कि क्यों शहरों की आबादी इतनी बढ़ती जा रही है। इसके लिए सारे वर्ल्ड के लोगों की कई एक मीटिंग्स भी हुई जिसमें सारे मुल्कों के लोग आए और उन्होंने इस पर सोचा, विचार किया, लेकिन वे भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचे कि इसको कैसे रोका जाय ? इसीलिए इन सब चीजों को सोचते हुए और खास तौर से दिल्ली के मसले को जहां कि दो-तीन लाख लोग हर साल बढ़ जाते हैं, इसलिए इस पर हम लोग अपने दिमाग में यह सोचे हैं कि कैसे इसको रोका जाय ? उसको रोकने के लिए यह जरूरी है कि कुछ काउन्टर मैगनेट टाउन्स रहें, वहां पर भी काम हो और लोग वहां पर रहें, इसके अलावा आप जानते हैं स्माल, मीडियम टाउन्स जो हैं, सारे देश में इन्टेगरेटेड डेवलपमेन्ट सारे शहरों का नहीं हो रहा है, इसलिए उन शहरों को भी खूबसूरत शहर बनाने के लिए गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने 88 करोड़ रुपया दिया है कि मजमुई तौर पर चुने शहरों पर उसको खर्च किया जाये। इसलिए हम कोई खास चीज कह दें कि यह एक रोक लगा दी जाये जैसे बाहर से जो आयेगा वह राशन-कार्ड लेकर आयेगा तभी खाना मिलेगा तो इसका तजुर्बा भी कुछ मुल्कों ने किया है और वे फेल हो गये हैं। इसलिये मैं समझता हूं जब तक हमारा डेवलपमेन्ट विलेजेज की तरफ नहीं होगा हम इस टाउन-माइगरेशन को रोक पायेंगे, यह इम्पासिबल मालूम होता है।

दूरदर्शन का कार्यकरण

*249. **डा० जी० विजय रामा राव**† :
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दूरदर्शन के कार्य-संचालन के संबंध में हाल ही में प्रधान मंत्री द्वारा की गई टिप्पणियों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार दूरदर्शन में वरिष्ठ पदों पर सार्वजनिक जीवन से व्यक्तियों को नियुक्त करके प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन लाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा निम्नलिखित शोधक कदम उठाए गए हैं :

(1) प्रशासनिक तथा कार्यक्रम अवस्थापना को सशक्त बनाया जा रहा है।

(2) समाचारों में सामयिक मामलों के कार्यक्रमों के स्तर को सुधारने के लिए एक केन्द्रीय समाचार यूनिट की स्थापना की जा रही है।

(3) दूरदर्शन से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि इसके कार्यक्रम सही मूल्य प्रतिबिम्बित करें तथा देश के सांस्कृतिक लोकाचारों में गहरी पहुंच बनाए रखें। युवकों के लिए विशेष रूप से आकल्पित कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है। रूढ़िवादिता, अंध विश्वास, पूर्वाग्रह तथा वैमनस्य से संघर्ष करने वाले कार्यक्रमों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश तथा जनता की बुनियादी एकता को प्रतिबिम्बित करने वाले कार्यक्रम तैयार करने पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

(4) कार्यक्रमाधीन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दूरदर्शन एक केन्द्रीय निर्माण यूनिट स्थापित करेगा, जो उच्च स्तर के महत्वपूर्ण तथा विशेष कार्यक्रम तैयार करने का कार्य हाथ में लेगा।

(5) एक विशेष साफ्टवेयर स्कीम से दूरदर्शन युवकों, महिलाओं से सम्बन्धित मामलों, ग्रामीण विकास और सांस्कृतिक विरासत से सम्बन्धित विशेष टेलीफिल्मों और कार्यक्रमों को बना सकेगा।

(6) आवश्यकतानेसार कर्मचारियों के प्रशिक्षण और विशिष्टता के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं।

(7) वाणिज्यिक विज्ञापनों और प्रायोजित स्कीमों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों में हाल ही में संशोधन किया गया है और वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता की समीक्षा की जा रही है।

(8) प्रचालन स्टाफ को विशेष कौशल प्राप्त करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए थाम्पसन फाउंडेशन के दो विशेषज्ञ (श्री जिम मैकिन्टायर और श्री ब्राउन) इस समय दिल्ली में हैं।

(ख) दूरदर्शन ने पिछले कुछ महीनों के दौरान विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श किया है। नामेडियो ने, भारत में दूरदर्शन की भूमिका पर सेमिनारों की शृंखला आयोजित करने का अनुरोध किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

डा० जी० विजय रामा राव : महोदय, मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न का अस्पष्ट उत्तर दिया है। हाल ही में प्रधान मंत्री महोदय ने कलकत्ता में महिला अध्ययन दल द्वारा आयोजित एक पेनल चर्चा में भाग लेते समय दूरदर्शन के सम्बन्ध में बहुत चिंता तथा मजबूरी प्रकट की थी। प्रधान मंत्री महोदय ने कहा था :

"हम दूरदर्शन में सुधार की आशा कर रहे हैं, समूची प्रणाली अव्यवस्थित प्रतीत होती है जिसे ठीक करना होगा। यह केवल मेरे द्वारा यह कह कर ही नहीं किया जा सकता कि इसके लिए क्या किया जाये। इसके लिए हमें प्रशासकीय ढांचे का अध्ययन करना होगा।"

यह हमारे प्रधान मंत्री महोदय की टिप्पणी है। केवल अब ही नहीं, यहां तक कि पहले भी हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने दूरदर्शन पर लगातार उन्हें दिखाये जाने के बारे में अपनी गहरी चिंता प्रकट की थी। इस टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय दूरदर्शन के लिए एक स्वायत्त-शासी और स्वतंत्र निकाय बनायेंगे? और क्या वे आई० ए० एस० अधिकारियों के बजाय तकनीकी और विशेषज्ञ लोगों को नियुक्त करने पर विचार करेंगे?

श्री वी० एन० गाडगिल : मैंने जो वक्तव्य सभा पटल पर रखा है यदि कोई उसे पढ़े तो मैंने उसमें कई उपायों, 11-12 उपायों का उल्लेख किया है, जिन पर कार्यवाही की गई है, जो दूरदर्शन की कार्यप्रणाली सुधारने के लिए आधारभूत उपाय हैं, जो विशेष तौर पर प्रधान मंत्री महोदय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुये दिये गये हैं।

एक सप्ताह पूर्व, सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई थी और समस्त कार्य-प्रणाली पर चर्चा की गई थी एवं विभिन्न उपाय किये गये थे और मैं विनम्रतापूर्वक यह दावा करता हूं कि कुछ सुधार हुआ है। पहले मैं यह कहूंगा कि मैं इस बारे में अस्पष्ट नहीं हूं। जो विशेष उपाय किये गये हैं उनका उल्लेख वक्तव्य में किया गया है। मैंने स्वयं कई बार उनका अध्ययन किया है और सभा के सामने मैं अपने विचार रख सकता हूं, यद्यपि मैं एक विशेषज्ञ नहीं हूं, परन्तु मनोरंजन के क्षेत्र में दूरदर्शन का काम बहुत संतोषजनक है। परन्तु सूचना एवं शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार करना है, मैं पहले भी कह चुका हूं और मैं अब भी कहता हूं, तकनीकी दृष्टि से हमने दूरदर्शन से, बाहर से, प्रचार माध्यमों से एवं अन्य स्थानों से, यहां तक कि विदेशों से भी विशेषज्ञों को बुलाया है। ये कुछ उपाय हैं जो हमने दूरदर्शन के कार्य में सुधार करने के लिए किये हैं। प्रसंगवश मैं यह बताना चाहता हूं कि पड़ोसी देश पर दूरदर्शन का जो प्रभाव पड़ा है, वह बहुत अर्थपूर्ण है। दो मत हैं। एक मत यह है कि संस्था का अध्यक्ष एक बहुत अच्छा प्रशासक होना चाहिये और दूरदर्शन के कार्यक्रम बनाने का काम केवल एक विशेषज्ञ अथवा व्यावसायिक व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिये। दूसरा मत यह है कि इसका अध्यक्ष बाहर से कोई व्यावसायिक व्यक्ति

होना चाहिए और प्रशासकीय कार्यों की देखभाल किसी वरिष्ठ प्रशासक द्वारा की जानी चाहिए। हमने एक मत विशेष को लिया है और हमारे विचार में दूरदर्शन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह सही मत है।

डा० जी० विजय रामा राव : हम यह महसूस करते हैं कि तेलुगू कार्यक्रमों के लिए निर्धारित समय बहुत सीमित और अपर्याप्त है। विभिन्न राज्यों जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनसंख्या का एक बड़ा भाग तेलुगू भाषा जानता है। परन्तु तेलुगू कार्यक्रम बहुत कम हैं। अत: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जनसंख्या का अधिकतम भाग तेलुगू जानता है, क्या आप दूरदर्शन में तेलुगू कार्यक्रमों के लिए समय सीमा बढ़ाने पर विचार करेंगे।

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय, जहां तक स्थानीय केन्द्र यानि हैदराबाद का सम्बन्ध है, हां, मैं निश्चित रूप से विचार करूंगा। जहां तक दिल्ली से प्रसारित राष्ट्रीय कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, मैं अपनी कठिनाईयों का जिक्र सभा में कर चुका हूं और आपने मेरे उस दिन दिये गये उत्तर की सराहना की थी। हमारे देश में 23 राज्य और 9 संघ राज्य क्षेत्र, 16 भाषाएं, 280 क्षेत्रीय भाषाएं हैं और 75 प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तथा हमारी 54 प्रतिशत जनसंख्या अनपढ़ है। कई तरह के मत हैं—खण्डनात्मक, निरीश्वरवादात्मक, रूढ़िवादी इत्यादि। कई तरह की मांगें हैं और केवल 1 चैनल है तथा 155 मिनट का समय है जिसमें से 40 मिनट समाचारों के लिए है। अत: मेरे पास 105 मिनट शेष रहते हैं। एक दिन में 105 मिनट के समय में प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक भाषा को सन्तुष्ट करना आसान कार्य नहीं है। इसलिए, जहां तक क्षेत्रीय भाषाई फिल्मों का सम्बन्ध है, आपने इस बात पर अवश्य ध्यान दिया होगा कि मैंने हर रविवार एक क्षेत्रीय फिल्म शुरू करवा दी है ताकि तेलुगू फिल्म की बारी 14 महीने में आने की अपेक्षा बहुत पहले आयेगी।

श्रीमती डी० के० भण्डारी : मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूरदर्शन के एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा 30 जुलाई, 1986 को 'आप और हम' कार्यक्रम में उत्तर दिया गया था जिसमें कहा गया है कि नेपाली एक विदेशी भाषा है। इस जबाब से देश में 60 लाख से भी अधिक लोगों की भावनाओं को चोट पहुंची है। नेपाली भाषा बंगाल व सिक्किम की राज्य भाषाओं में से एक है और यह हमारे देश की साहित्य अकादमी द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। उन क्षेत्रों में, जहां लोगों द्वारा यह भाषा बोली जाती है, स्थिति पहले ही खराब है, इसलिए ऐसे वक्तव्य देना हानिकारक है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या वे इस मामले की जांच करेंगे कि अधिकारी ने किन परिस्थितियों में ऐसा गैर-जिम्मेदाराना और दुर्भावनापूर्ण वक्तव्य दिया था। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय क्या कार्यवाही करेंगे।

श्री वी० एन० गाडगिल : प्रश्नकाल शुरू होने के लगभग सात मिनट पहले माननीय सदस्या मुझे केन्द्रीय कक्ष में मिली थीं और उन्होने इस बात की ओर इशारा किया था। मैं उन्हें बता चुका हूं कि मैं इस मामले की छानबीन करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : महिलाओं के साथ सभा के बाहर की गई व्यक्तिगत बातचीत का यहां उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

श्री वी० एन० गाडगिल : वहां मैंने आश्वासन नहीं दिया था। मैं यहां उन्हें आश्वासन दे रहा हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : जब पहले ही एक समस्या है, दूरदर्शन द्वारा यह गलती कैसे की जा सकती है ? वहां जिम्मेदार लोग होने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : पहले हमें छानबीन करनी होगी और फिर हमें कुछ करना होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान् चौधरी मामले की छानबीन करने के लिए हमारे पास समय होना चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इस तरह की बात कैसे हो सकती है ?

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : ऐसा क्यों है कि सब लोगों के सो जाने के बाद संसद समाचार प्रसारित किये जाते है ?

श्री वी० एन० गाडगिल : यह प्रश्न बार-बार आया है। महोदय, मुझे इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए और मैं कुछ समय लूंगा। भारत में 181 ट्रांसमीटर हैं और लगभग 156 ट्रांसमीटर दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं। अत: हिन्दी में संसद समाचार सायं 7.30 बजे 156 ट्रांसमीटरों द्वारा समस्त भारत में प्रसारित कर दिए जाते हैं। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे स्थानों पर जहां कार्यक्रम तैयार करने सम्बन्धी सुविधाएं हैं, वहां क्षेत्रीय समाचार प्रसारित किए जाते हैं।

जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया है, 8 बजकर 40 मिनट पर जब राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू होता है हम चालीस मिनट के समाचार देते हैं। इसके बाद केवल 105 मिनट शेष रहते है यदि उसमें भी हम 10 या 20 मिनट संसद के आज के समाचार हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में दें तो 20 मिनट और कम हो जाते हैं। इसलिए, हमने ऐसा किया है कि हम रात 11 बजे के लगभग 'संसद में आज की कार्यवाही' कार्यक्रम देते हैं। ऐसा करने के लिए केवल यही उपाय है। परन्तु इसका हिन्दी भाग सायं 7 बजकर 30 मिनट पर सारे भारत के लिए प्रसारित किया जाता है।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : महोदय, माननीय मन्त्री ने अभी कहा है कि भारत की 75 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण है। जब कभी ये नए ट्रांसमीटर लगाये गये तो दूरदर्शन ने सूचना दी कि ग्रामीण जनसंख्या का यह भाग दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देख रहा है। क्या माननीय मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न विकास खण्ड और कतिपय जिले जिन्हें टेलीविजन सैट लगाने जाने के लिए चुना गया था, वहां क्या वास्तव में टेलीविजन सैट कार्य कर रहे हैं या नहीं ? यदि उन्हें जानकारी नहीं है तो क्या वे यह सुनिश्चित करने के लिए कि दूरदर्शन द्वारा चुनी गयी यह ग्रामीण जनसंख्या वास्तव में इन कार्यक्रमों को देख रही है या नहीं एक समिति नियुक्त करेंगे, ताकि इन विभिन्न जिलों की जांच की जा सके।

श्री वी० एन० गाडगिल : एक गलतफहमी है जिसे मुझे ठीक करना चाहिए। टेलीविजन सैटों की व्यवस्था करना सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्य नहीं है। राज्य सरकार टेलीविजन सैटों का प्रबन्ध करती हैं। कुछ राज्य सरकारें इसके लिए आधी कीमत देती हैं और आधी कीमत

स्थानीय लोगों द्वारा दी जाती है। हमने, यानि कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केवल उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 5000 सैटों की जिम्मेदारी ली है।

अन्य राज्यों के सम्बन्ध में मैं अपने माननीय मित्र से आग्रह करूंगा कि वह इस बारे में तथ्य जानने के लिए राज्य सरकारों से बात करें।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : पूर्वोत्तर राज्यों के सम्बन्ध में क्या वह यह जांच करने की कोशिश करेंगे कि वे सैट कार्य कर रहे हैं या नहीं ?

श्री वी० एन० गाडगिल : पूर्वोत्तर राज्यों के सम्बन्ध में मैं निश्चय ही जांच करूंगा परन्तु जहां तक अन्य राज्यों का सम्बन्ध है मैं यह नहीं कर सकता हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा : यहां तक कि मेरे राज्य में भी कोई सैट कार्य नहीं कर रहा है।

बीड़ी मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी

*250. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों ने बीड़ी मजदूरों के लिए अलग-अलग न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) मजूरी की नवीनतम दरें संशोधित कर कब निर्धारित की गई थीं और कौन-कौन से राज्य बीड़ी मंजदूरों को संशोधित समान मंजूरी का भुगतान नहीं कर रहे हैं;

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिन्होंने बीड़ी मजदूरों के लिए मनमाने ढंग से मजूरी की भिन्न-भिन्न दरें निर्धारित की हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का बीड़ी मजदूरों की मजूरी में एकरूपता लाने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत, विभिन्न राज्य सरकारें न्यूनतम दरों को निर्धारित करने और उनमें संशोधन करने के लिए समुचित सरकारें हैं। प्रत्येक राज्य न्यूनतम मजदूरी दरों का निर्णय करते समय स्थानीय दशाओं का मूल्यांकन करती है और अपने स्वयं के मानदण्डों का पालन करती हैं। इससे राज्यों द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरों में विषमता पैदा होती है।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कौन से राज्य बीड़ी श्रमिकों को संशोधित मजदूरी का भुगतान नहीं कर रहे हैं।

(घ) इस मंत्रालय को ऐसे किसी राज्य की जानकारी नहीं है जिसने मनमाने ढंग से बीड़ी श्रमिकों की मजदूरी निर्धारित की हों।

(ङ) राज्य सरकारों को कई अवसरों पर परामर्श दिया गया है कि वे न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करते समय विषमता को दूर करने के लिए प्रयास करें।

विवरण

उपलब्ध सूचना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों ने बीड़ी में नियोजन के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों को प्रत्येक राज्य के सामने लिखी गई तारीख से संशोधित किया है।

क्रमांक	राज्य का नाम	संशोधन करने की तारीख
1.	आन्ध्र प्रदेश	26-8-85
2.	असम	12-3-84
3.	बिहार	29-4-85
4.	दादर और नागर हवेली	3-9-83
5.	गुजरात	29-9-84
6.	कर्नाटक	2-12-81
7.	केरल	4-9-84
8.	मध्य प्रदेश	10-10-84
9.	महाराष्ट्र	5-3-84
10	उड़ीसा	15-7-85
11.	राजस्थान	16-1-85
12.	तमिलनाडु	1-4-85
13.	त्रिपुरा	18-5-82
14.	उत्तर प्रदेश	21-7-84

[हिन्दी]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : स्पीकर साहब, मैं प्रश्न की आखरी बात के बारे में पहले पूछूंगा। समय-समय पर भारत सरकार ने राज्यों को सूचित किया है कि पैरिटी ऑफ रेट्स होना चाहिए। 1985 में जो श्रम मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था, उसने एक कमेटी नियुक्त की थी। उस कमेटी ने क्या-क्या सुझाव दिये हैं और उन पर अमल करने के लिए सरकार ने कौन से कदम

उठाए हैं। अभी तक उन पर कुछ अमल नहीं हो रहा है। अगस्त, 1985 में भी इस बारे में एक प्रश्न उठा था और उसके जवाब में यह कहा गया था कि कोई खास प्रगति नहीं है।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि बीड़ी मजदूरों को सरकार स्किल्ड मजदूर मानती है या नहीं और अगर मानती है, तो जो उनको मजदूरी मिल रही है, उससे सरकार संतुष्ट है या नहीं और अगर संतुष्ट नहीं है, तो क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, 1985 के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन ने क्षेत्रीय आधार पर एक प्रणाली विकसित करने की कोशिश की तथा इसके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया। चूंकि, सारे देश में एक समान दर पर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं की जा सकती है इसलिए सम्मेलन ने फैसला किया कि कम-से-कम हम इसे क्षेत्रीय आधार पर करने की कोशिश करें। केन्द्र सरकार को कहा गया था कि वह कुछ मार्गदर्शी विनियम तैयार करें। हमने यह तैयार किए और राज्य सरकारों को भेजे हैं और हम छः क्षेत्रीय न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड जैसे पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, केन्द्रीय क्षेत्र बनाने का विचार रखते हैं, मैं राज्यों के नाम पढ़ सकता हूं। सारा देश छः खण्डों में विभाजित है। हम एक प्रयोग के बतौर यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम क्षेत्र वार रूप में किसी प्रकार की एक समान न्यूनतम मजदूरी को प्राप्त कर पायेंगे या नहीं।

[हिन्दी]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : दूसरा सवाल मैं यह पूछना चाहूंगा कि इन्होंने कहा है कि हमारे पास कोई दरख्वास्त नहीं आयी है कि मजदूरों को तनख्वाह ठीक से मिल रही है या नहीं मिल रही है। मेरा यह अनुभव है कि इनके पास ट्रेड यूनियनों से शिकायत पहुंचती है और उनको ये कन्सर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट्स को भेज देते हैं। सरकार जो इस बारे में कह रही है कि इनके पास शिकायत नहीं आई है, इसको मैं सही नहीं मानता हूं। क्या सरकार इस बारे में दुबारा सोचेगी कि जो शिकायतें आपके पास आई हैं उनके ऊपर गौर करके राज्य सरकारों को सूचित करे ?

दूसरी बात मैं यह पूछना चाहूंगा कि कुछ राज्यों में मजदूरी को महंगाई भत्ता दिया जाता है, कुछ में नहीं दिया जाता है। क्या सरकार यह प्रयास करेगी कि सभी राज्यों में मजदूरी को महंगाई भत्ता मिले ?

श्री पी० ए० संगमा : जब हम समता के बारे में बात करते हैं और जब मैं क्षेत्रीय विचार के बारे में बात करता हूं तो उन्हें इन सभी बातों पर विचार करना चाहिए। यह सारी बात है। असमानता अभी तक है यह प्रयोग जो हम करने जा रहे हैं शुरू नहीं किया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि मालिकों द्वारा अनुबद्ध न्यूनतम मजदूरी का ज्यादातर भुगतान नहीं किया जाता है ? मैं जानता हूं वह कहेंगे कि इसको कार्यान्वित करना उनका कार्य नहीं है; यह राज्य सरकारों का कार्य है। चूंकि बीड़ी श्रमिकों के लिए भी न्यूनतम मजदूरी और अन्य कतिपय लाभों और सुविधाओं को निर्धारित करने के

लिए केन्द्रीय कानून हैं, क्या उन्हें यह पता है कि जब तक बीड़ी श्रमिकों को कानूनी रूप से मान्यता नहीं मिलती है तब तक वह अनुबद्ध-मजदूरी से धोखे में रहेगा ? आजकल मालिक केन्द्रीय कानून के अन्तर्गत न तो निर्धारित पहचान पत्र उन्हें दे रहे हैं न ही उन्हें किन्हीं अभिज्ञेय प्रतिष्ठानों में कार्य करने की अनुमति दे रहे हैं। अधिकांशत:, उन्हें कार्य दे दिया जाता है और उन्हें यह घर पर करना पड़ता है ताकि मालिक हमेशा यह कह सकें कि फलां-फलां बीड़ी श्रमिक उनके यहां काम नहीं करता है। इस तरह बहुत बड़े स्तर पर अपवंचन किया जाता है। क्या माननीय मंत्री राज्य सरकारों के साथ, राज्य श्रम मंत्रियों से विचार-विमर्श करके इन अपवंचन की विधियों के बारे में अधिक व्यापक रिपोर्ट इकट्ठी करेंगे और इसे रोकने के कुछ उपाय खोजेंगे ?

श्री पी० ए० संगमा : माननीय सदस्य ने बहुत ही सम्बन्धित प्रश्न पूछा है। बीड़ी श्रमिकों के कल्याण के अन्य उपाय करने से पहले उनकी पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस वर्ष पहली जनवरी से हमने इसके बारे में एक तेज अभियान शुरू किया है, और मुझे सभा को यह सूचित करते हुए प्रसन्नता होती है कि देश भर के अनुमानित 30 लाख बीड़ी श्रमिकों में से 20 लाख बीड़ी श्रमिकों की पहचान की जा चुकी है और पश्चिम बंगाल के लोगों सहित उनमें से 20 लाख को पहचान पत्र दिये जा चुके हैं। मैं स्वयं उनमें से कुछ को बांटने गया था।

श्री भद्रेश्वर तांती : मैं माननीय मन्त्री को सुनकर हैरान हूं कि स्वतन्त्रता के 38 वर्षों के बाद सरकार अब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के सम्बन्ध में एक प्रयोग करने जा रही है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम नामक एक विशेष कानून है और सरकार का कर्तव्य है कि वह इसे लागू करे।

जहां तक मेरी जानकारी है असम में 775 चाय बागान हैं। इन चाय बागानों में से 100 चाय बागानों के मालिक इस अधिनियम का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। वे अपने मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दे रहे हैं। वे 3 रुपये से 5 रुपयों तक हरेक मजदूर को प्रतिदिन के हिसाब से देते हैं।

जहां तक असम में चाय बागान मजदूरों का सम्बन्ध है, क्या श्रम मंत्री यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह अधिनियमन तत्काल लागू हो तुरन्त कदम उठायेंगे।

श्री पी० ए० संगमा : यह मसला बीड़ी श्रमिकों से सम्बन्धित है न कि चाय बागान के श्रमिकों से।

श्री थम्पन थामस : बीड़ी श्रमिकों में स्वरोजगार प्राप्त श्रामिकों की एक अन्य श्रेणी है। मैं मन्त्री महोदय के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि ये स्वरोजगार प्राप्त श्रमिक सहकारिता के आधार पर केरल सरकार द्वारा केरल बीनस बीड़ी के नाम पर संगठित किये गये हैं। यदि यह राष्ट्रीय स्तर पर किया जाये और एक राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम चलाया जाये तो बहुत सहायता मिलेगी क्योंकि 30 लाख से अधिक लोग इस धन्धों में लगे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार इन स्वरोजगार प्राप्त श्रमिकों को एक राष्ट्रीय स्तर की सहकारी योजना या इसी तरह की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत लाने के लिए एक निगरानी योजना को चलायेगी ?

श्री पी० ए० संगमा : केन्द्र सरकार का आधीन हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है। मैं केरल सरकार को इस योजना को शुद्ध करने के लिए बधाई देता हूं। और मैं अन्य राज्यों को सूचित करूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि इस सम्बन्ध में वे केरल सरकार का अनुसरण करें।

नेल्लौर में एक उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर केन्द्र की स्थापना

*253. **श्री पी० पेंचालैया :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के नेल्लौर में एक उच्च शक्ति वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) नेल्लौर में अल्प शक्ति (100 वाट वाला) एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर पहले ही काम कर रहा है। सातवीं योजना के लिए उपलब्ध संसाधनों के अन्दर वहां पर उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर स्थापित करना संभव नहीं है ।

श्री पी० पेंचालैया : महोदय, उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों का विस्तार करते समय आंध्र प्रदेश की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है । अन्य राज्यों में उच्च शक्ति वाले अनेक ट्रांसमीटर हैं जबकि आन्ध्र प्रदेश में केवल दो हैं जिनमें से एक विशाखापटनम में है और दूसरा विजयवाड़ा में । उन दो उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों से पूरे राज्य का काम नहीं चलता । तटवर्ती जिलों में भी इनकी सुविधा प्राप्त नहीं है, नेल्लौर एक व्यापारिक, सांस्कृतिक एवं औद्योगिक केन्द्र है । इसके बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए यदि नेल्लौरमें एक उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगा दिया जाता है तो इससे इस पूरे क्षेत्र का काम चल जायेगा । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह नेल्लौर में कम से कम इस वर्ष एक उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाने पर विचार करेंगे ।

श्री वी० एन० गाडगिल : महोदय, मैं आंध्र प्रदेश से शुरू करता हूं । सातवीं पंचवर्षीय योजना में आन्ध्र प्रदेश के लिए आबंटन इस प्रकार किया गया है कि जब दूरदर्शन की सातवीं योजना की परियोजनायें पूरी हो जायें तो आंध्र प्रदेश में जनसंख्यावार दूरदर्शन सुविधा 83% हो जबकि 1990 तक 80% राष्ट्रीय औसत का लक्ष्य है । इसलिए आंध्र प्रदेश को राष्ट्रीय औसत से अधिक सुविधा प्राप्त है और जहां तक नेल्लौर जिले का प्रश्न है, 37 प्रतिशत क्षेत्र तथा 4.94 लाख जनसंख्या को यह सुविधा प्राप्त है । जब तिरुपति में 10 किलोवाट वाला ट्रांसमीटर लगा दिया जायेगा तो इस जिले को कुछ और क्षेत्र यह सुविधा प्राप्त कर सकेगा ।

श्री पी० पेंचालैया : महोदय, 100 किलोवाट शक्ति वाला ट्रांसमीटर इस पूरे क्षेत्र की आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त है । तिरुपति एक पवित्र एवं महत्वपूर्ण स्थान है । देश के सभी भागों से लोग तिरुपति में भगवान वेंकटेश्वर की पूजा के लिए आते हैं । रायलसीमा अत्यन्त पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । यदि नेल्लौर में एक उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगाया जाता है तो रायलसीमा के तटवर्ती जिलों सहित पूरा क्षेत्र इसके अन्तर्गत आ जाएगा । इसलिए मैं माननीय मंत्री

जी से अनुरोध करता हूं कि वह कम-से-कम सातवीं पंचवर्षीय योजना में नेल्लौर में एक उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर लगायें।

श्री वी० एन० गाडगिल : मैंने सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में स्थिति पहले ही बता दी है।

आस्ट्रेलिया से प्रौद्योगिकी का अन्तरण

*254. **श्री पी० एम० सईद** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया कोयला खनन इस्पात और कई अन्य धातुओं के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का अन्तरण करने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) क्या सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए भारत और आस्ट्रेलिया के दलों के संयुक्त रूप से कार्य करने हेतु विशिष्ट योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संयुक्त रूप से काम करना कब से आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

भारत और आस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में हुई द्विपक्षीय बातचीत और परस्पर उच्च-स्तरीय निरीक्षणों के दौरान कोयला, इस्पात और अलोह धातुओं के खनन में आस्ट्रेलियाई प्रौद्योगिकी अपनाने पर चर्चा हुई थी। दोनों देशों में एक संयुक्त कार्य परिषद (जे० बी० सी०) की स्थापना के बारे में सहमति हुई है; परिषद के उद्देश्य भारत और आस्ट्रेलिया के उद्यमियों के बीच सूचनाओं का सीधा आदान-प्रदान संभव बनाना तथा खनन और खनिज प्रसाधन सहित आर्थिक, औद्योगिक तथा प्रौद्योगिक सहयोग के क्षेत्र में भारतीय और आस्ट्रेलियाई फर्मों के बीच करारों की संभावना को बढ़ावा देना है। जे० बी० सी० में भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ (फिक्की) और आस्ट्रेलियाई उद्योग परिसंघ अपने-अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोनों देशों के बीच कोयला खनन के बारे में सहयोग बढ़ाने के लिए सरकारी स्तर पर कोयला संबंधी एक कार्य-दल के गठन की भी सहमति हुई है।

श्री पी० एम० सईद : मैं कोई भूमिका बताए बिना सीधे ही प्रश्न पूछना चाहूंगा कि इस प्रौद्योगिकी के आयात के लिए क्या शर्तें हैं और भारतीग शर्तों के साथ इनकी तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : महोदय, जैसा कि उत्तर में बताया गया है एक संयुक्त व्यापार परिषद बनाई जायेगी। चर्चा के बाद प्रौद्योगिकी के अंतरण के मामलों पर एक-एक करके विचार किया जायेगा। इन सबको मिलाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह प्रौद्योगिकी, औद्योगिक सहयोग या प्रौद्योगिकी सहयोग पर निर्भर करता है।

श्री पी० एम० सईद : इस प्रौद्योगिकी के आयात से हमारे देशी अनुसंधान एवं विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? क्या मैं मंत्री जी से यह भी जान सकता हूं कि क्या हम इस प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए सदा आस्ट्रेलिया पर निर्भर करेंगे ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : आस्ट्रेलिया पर सदा निर्भर करने का कोई प्रश्न नहीं है । अनुसंधान एवं विकास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समझौतों के अंतर्गत आता है । हाल ही में एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिष्टमंडल उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए आस्ट्रेलिया गया था जिनमें हम लाभकारी सहयोग कर सकते हैं । किन्तु सभी सहयोग आस्ट्रेलिया के साथ स्थापित करगे का कोई प्रश्न नहीं है । हम किसी भी देश के साथ ऐसा सहयोग कर सकते हैं जो लाभकारी हो ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

गुजरात में खनिजों का सर्वेक्षण

*246. श्री छीतूभाई गामित : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां वर्ष 1980 से 1984 तक की अवधि के दौरान खनिज निक्षेपों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किया गया था और उसमें किस प्रकार के खनिजों का पता लगाया गया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वहां किस किस्म के और कितने खनिज भंडार पाये गये हैं; और

(ग) इन खनिजों का खनन कार्य कब तक आरम्भ करने का विचार है, उस पर अनुमानित व्यय कितना होगा और उनसे कितनी आय होने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) देश के अन्य भागों की तरह गुजरात में भी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और राज्य सरकार द्वारा 1980 से 1984 के दौरान खनिजों का सर्वेक्षण किया गया । सर्वेक्षणों से प्राप्त खनिजों में बेन्टोनाइट (कच्छ और अमरेली), आधार धातुएं (बनासकांठा), बोलेस्टोनाइट और शीलाइट (गोधरा), बाक्साइट (साबरकांठा और कच्छ), डोलोमाइट (छोटा उदयपुर और बड़ोदरा), फ्लोराइट (बड़ोदरा), कोयला व लिग्नाइट (कच्छ और भड़ौच), चूना पत्थर (बनासकांठा, जूनागढ़ और राजकोट), निकिल (साबरकांठा) तथा सिलिका सैंड (भड़ौच) है । इन खनिनों में से आधार धातुओं और बेन्टोनाइट की भंडार क्षमता क्रमशः 3.55 मिलियन टन और 28 मिलियन टन के लगभग है ।

(ग) राज्य में उपलब्ध विभिन्न खनिजों का गुजरात खनिज विकास निगम तथा प्राइवेट पार्टियों द्वारा पहले से विदोहन किया जा रहा है । इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा अपनी चालू परियोजनाओं तथा डोलोमाइट, ग्रेनाइट, बेन्टोनाइट, खनिज-मिट्टी आदि खनिजों पर आधारित परियोजनाओं को 7वी योजना अवधि में चलाए रखने के प्रस्ताव हैं । इस राज्य में वर्ष 1984

और 1985 के दौरान उत्पादित खनिजों (ईंधन खनिज सहित) का मूल्य क्रमशः 565 करोड़ रुपए और 636 करोड़ रुपए था।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय खनिज नीति

*248. प्रो० वाई० एस० महाजन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खनिज संसाधनों के पूर्वेक्षण, समन्वेषण, संरक्षण तथा परिष्करण को बढ़ावा देने हेतु एक व्यापक राष्ट्रीय खनिज नीति दस्तावेज तैयार करने का है; यदि हां, तो कब;

(ख) प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत किन विशिष्ट क्षेत्रों/पहलुओं को लिया जायेगा;

(ग) इस प्रकार की नीति दस्तावेज तैयार करने से केन्द्र एवं राज्य सरकारों को और प्रयोक्ता उद्योगों एवं पूर्णरूपेण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होगा; और

(घ) प्रस्तावित नई खनिज नीति खनिज नीति से निर्यात को किस सीमा तक बढ़ावा मिलेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, हां ? राष्ट्रीय खनिज नीति पर तैयार प्रारूप दस्तावेज को अन्तिम रूप देने से पहले, उसका राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों से प्राप्त टिप्पणियों के आयोग में परीक्षण किया जाएगा।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय खनिज नीति दस्तावेज विस्तृत नीतिगत ताना-बाना है, जिसके अन्तर्गत देश के खनिज स्रोतों का राष्ट्रीय आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में विकास किया जाएगा। इसमें विशेष बल निम्नलिखित पर होगा; उन खनिजों का सर्वेक्षण और गवेषण, जिनकी स्रोत स्थिति पर्याप्त भर या अत्यल्प है; प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों की सूचना का प्रसरण; निम्न ग्रेड अयस्कों का संरक्षण व परिष्करण; छीलन और कतरन सामग्री का पुनः प्रगालन; श्रम-शक्ति का परिवर्द्धन; पर्यावरण संरक्षण; अनुसंधान तथा विकास आदि। इस नीति का उद्देश्य खनिज विकास के प्रसंग में एक ओर तो राज्यों के बीच तथा दूसरी ओर राज्यों के बीच व्यापक समन्वय लाना है। नीति-प्रारूप दस्तावेज में बुनियादी जोर प्रयोक्ता उद्योगों को खनिज आधारित कच्चे माल की सुनिश्चित आपूर्ति, खनिज स्रोतों की बर्बादी की रोकथाम तथा उनके इष्टतम उपयोग पर दिया गया है।

(घ) इस नीति दस्तावेज में यह परिकल्पना की गई है कि देशी खनिज उद्योग "उत्तरोत्तर बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति के अनुरूप अग्रसर होता रहे, ताकि वह विदेश व्यापार मे अधिकतम तुलनात्मक लाभ प्राप्त कर सके, जो निर्यात विस्तार तथा आयात-प्रतिस्थापन के रूप में पल्लवित हो।

मध्य प्रदेश में छोटे और मध्य वर्ग के कस्बों का विकास

*252. कुमारी पुष्पा देवी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के उन कस्बों के नाम क्या हैं, जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान छोटे और

मध्यम दर्जे के कस्बों के समेकित विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया गया है;

(ख) उन कस्बों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि की व्यवस्था की है;

(ग) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपर्युक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ और कस्बों को उनके विकास हेतु शामिल किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (घ) गत तीन वर्षों के दौरान छोटे और मध्यम दर्जे के कस्बों की एकीकृत विकास योजना के अधीन सात कस्बों को शामिल किया गया था। ये हैं, छिन्दवाड़ा, गुना और सिद्धी, जिनको वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान इस योजना में शामिल किया गया है, और होशंगाबाद, गदरवाडा, पंचगढ़ी और अमरकंटक कस्बों को वर्ष 1985-86 में शामिल किया गया है।

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक और वर्ष 1985-86 के दौरान मध्य प्रदेश में विभिन्न कस्बों को दी गई सहायता का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1979-85 के दौरान रिलीज की गई राशि

क्रम सं०	कस्बे का नाम	लाख रुपयों में
1.	बिलासपुर	27.25
2.	खजुराहो	5.00
3.	देवास	32.00
4.	ईटारसी	36.30
5.	रीवा	12.40
6.	कटनी	7.40
7.	बुरहानपुर	44.30
8.	मुरैना	3.00
9.	डुंगरगढ़	4.00
10.	राजनन्द गांव	33.00
11.	बालघाट	20.10
12.	छिन्दवाड़ा	17.50
13.	हरदा	15.00
14.	वैधन	10.00
15.	गुना	14.00
16.	सिद्धी	16.00
	योग :	297.34

1985-86 के दौरान रिलीज की गई राशि

क्रम सं०	कस्बे का नाम	लाख रुपयों में
1.	बैधन	20.00
2.	ईटारसी	9.00
3.	रीवा	20.00
4.	डुंगरगढ़	20.00
5.	बिलासपुर	15.00
6.	बालघाट	15.00
7.	होशंगाबाद	26.16
8.	गढरवाडा	23.87
9.	पंचमारी	23.76
10.	मुरैना	20.00
11.	कटमी	20.00
12.	अमरकंटक	10.00
13.	खजुराहो	18.00
	योग :	240.79

कृषि आदानों की लागत और कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्य

*255. श्री उत्तमराव पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मंत्री आदानों की बढ़ती हुई लागत को ध्यान में रखते हुए सरकार यह समझती है कि किसानों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य मिल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इस समस्या का समाधान करने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान विभिन्न कृषि आदानों की बढ़ती हुई लागत और विभिन्न कृषि उत्पादों के मूल्यों में तुलनात्मक वृद्धि के बारे में बतायेगी ?

कृषि मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) और (ख) सरकार मुख्य कृषि जिन्सों के लिए लाभकारी स्तर पर न्यूनतम समर्थन अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित करती है। ये मूल्य, कृषि लागत तथा मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और विभिन्न राज्य सरकारों तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारों को ध्यान में रखकर निर्धारित किये जाते हैं। इनके मूल्य की सिफारिश करते समय, कृषि लागत तथा मूल्य आयोग अन्य बातों के साथ-साथ फसलों के उत्पादन की लागत

को भी ध्यान में रखता है। सरकार जब कभी जरूरी हो, सार्वजनिक क्षेत्र और सहकारी एजेन्सियों के माध्यम से समर्थन मूल्य संबंधी कार्य भी करती है।

(ग) 1983-84 और 1985-86 के वित्तीय वर्षों के बीच, खाद्य पदार्थों, अखाद्य पदार्थों और सभी जिन्सों के थोक मूल्यों के अखिल भारत सूचकांक में क्रमशः 12.22, 1.85 और 13.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी अवधि के दौरान, हाईस्पीड डीजल तेल, ट्रैक्टर और कीटनाशी दवाईयों के थोक मूल्यों के सूचकांक में क्रमशः 6.10, 14.00 और 3.73 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि उर्वरकों के थोक मूल्यों के सूचकांक में 0.22 प्रतिशत की गिरावट हुई है।

दिल्ली में मकानों की कमी

*256. श्री सी० जंगा रेड्डी :
डा० ए० के० पटेल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की जनसंख्या में प्रति वर्ष औसतन कितनी वृद्धि होती है;

(ख) इस समय मकानों की कितनी कमी है और प्रत्येक वर्ष इसमें कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इसके लिए बजट में कितना प्रावधान किया गया है और मकानों की कितनी कमी पूरी हो जाने की आशा है;

(घ) मकानों की पूरी कमी के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या निर्धन व्यक्तियों के लिए सस्ते मकानों के लिए कोई व्यवस्था की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) दिल्ली की जनसंख्या में अनुमानित वृद्धि लगभग 3 लाख व्यक्ति प्रति वर्ष है।

(ख) सातवीं योजना के प्रारम्भ में आवास की कमी का अनुमान लगभग 3.8 लाख रिहायशी एकक लगाया गया था। अतिरिक्त आवास आवश्यकता का अनुमान लगभग 60000 रिहायशी एकक प्रति वर्ष है।

(ग) मकानों के निर्माण के लिए वर्ष 1986-87 के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के बजट अनुमानों में 438.13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास 1,61,679 पंजीकृत व्यक्ति शेष रह गए हैं। इसके प्रति, विभिन्न योजनाओं के अधीन इस वर्ष 51,354 रिहायशी एकक आबंटित करने की इसकी योजना है।

(घ) इस अवस्था में पिछले बकायों को निपटाने के बारे में कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं दिया जा सकता है।

(ङ) जी, हां। समाज के कमजोर वर्गों सहित इस कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों के लिए

रिहायशी एककों का निर्माण शामिल है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पूर्व-निर्मित (प्रिफेन) मकानों का निर्माण करने की योजना भी बनाई है।

तिलहन सम्बन्धी प्रौद्योगिकी मिशन

*257. डा० के० जी० अदियोडी :

श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तिलहनों की समस्याओं से निबटने के लिए एक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया है;

(ख) प्रत्येक राज्य में इस मिशन के अन्तर्गत कितने जिले लाने का प्रस्ताव है;

(ग) जैव-प्रौद्योगिकी के प्रयोग से तिलहनों को किन-किन विभिन्न किस्मों की व्यापक खेती करने का प्रस्ताव है;

(घ) प्रत्येक राज्य में इस प्रयोजन के लिए कितने केन्द्र चुने गये हैं; और

(ङ) क्या इस मिशन ने इस संबंध में कोई सिफारिशें की हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) राष्ट्रीय तिलहन विकास प्रायोजना के अन्तर्गत 17 राज्यों में 180 जिलों का पता लगाया गया है, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है :

राज्य	जिलों की संख्या
1. आन्ध्र प्रदेश	14
2. असम	12
3. बिहार	14
4. गुजरात	14
5. हरियाणा	6
6. हिमाचल प्रदेश	1द
7. जम्मू व कश्मीर	3
8. कर्नाटक	9
9. मध्य प्रदेश	22
10. महाराष्ट्र	14
11. उड़ीसा	7

(सम्पूर्ण जिला एक जिले के रूप में)

राज्य	जिलों की संख्या
12. पंजाब	9
13. राजस्थान	16
14. सिक्किम	1*
15. तमिलनाडु	89
16. उत्तर प्रदेश	20
17. पश्चिम बंगाल	10
	180

*सम्पूर्ण जिला एक जिले के एकक के रूप में।

(ग) से (ङ) नारियल तथा ताड़ के बड़े पैमाने पर संवर्धन के लिए ऊतक पालन की तकनीकी का पूर्ण विकास किया जा रहा है। केन्द्रीय बागवानी फसल अनुसंधान संस्थान, कासरगोड (भा० कृ० अ० प०), राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पुणे (सी० एस० आई० आर०), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई, (बी० ए० आर० सी०) तथा तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर में अनुसंधान कार्य प्रगति पर है। तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए की गई कुछ सिफारिशें ये हैं :

(i) महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और गुजरात में रबी/गर्मी की मूंगफली के अधीन तथा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर और उत्तरी मध्य प्रदेश में तोरिया सरसों के अन्तर्गत क्षेत्रफल का विस्तार करना। सोयाबीन के बड़े पैमाने पर कृषि के लिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्रों, राजस्थान के कोटा तथा उदयपुर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के उत्तरी भाग की संभावित क्षेत्रों के रूप में पहचान कर ली गयी है।

(ii) कृषि योग्य भूमि पर क्रमिक फसल के माध्यम से तिलहन के क्षेत्र को बढ़ाना।

(iii) कम उपज देने वाली और कम आमदनी वाली फसलों के क्षेत्र में तिलहनी फसलें उगाना।

(iv) विभिन्न बारानी कृषि पद्धतियों के अन्तर्गत तिलहन फसलों को उगाना।

तिलहनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये उपाय सुझाये गये हैं : सुधरी किस्म के बीज बोना, उम्दा किस्म के बीजों का इस्तेमाल करना, सिफारिश की गई मात्राओं में उर्वरक देना, आवश्यकता पर आधारित ठीक समय पर पौध रक्षा के उपाय अपनाना, सिंचाई और जहां कहीं संभव हो बारानी फसलों में रक्षात्मक सिंचाई की व्यवस्था करना।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण की आय

*258. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री सरफराज अहमद :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत चार वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में, दिल्ली विकास प्राधिकरण को कितनी हानि अथवा लाभ हुआ है;

(ख) इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्य में प्रयुक्त की गई सामग्री अच्छी किस्म की नहीं है;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्य गैर-सरकारी ठेकेदारों से कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों में निर्माण कार्य गैर-सरकारी ठेकेदारों से कराया गया है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) से (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण की मुख्य गतिविधि में भूमि का विकास, आवासों का निर्माण तथा उनकी बिक्री शामिल है। विकसित तथा बेची गई भूमि के बड़े पैमाने पर अर्जन, विकास तथा बिक्री की योजना से सम्बद्ध है। इससे प्राप्त बचत राशि को दिल्ली प्रशासन द्वारा रखी गई आवर्ती निधि में जमा कर दिया जाता है। समग्र आवास कार्यक्रम को "लाभ-हानि रहित" आधार पर अमल में लाया जाता है।

(ग) जी, नहीं। निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप ही निर्माण सामग्रियां उपयोग में लाई जाती हैं।

(घ) और (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण के निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, मिलिट्री इंजीनियरी सेवा, डाक व तार तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकृत उचित श्रेणी के ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित कराए जाते हैं। विशिष्ट निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित अर्हताएं पूरी करने वाले दक्ष ठेकेदारों को लगाया जाता है।

[अनुवाद]

दिल्ली में दूषित पेय जल की सप्लाई

*259. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण की अनेक कालोनियों और दिल्ली के अन्य स्थानों पर दूषित पेयजल सप्लाई किए जाने सम्बन्धी समाचारों की जानकारी है, जिसके

परिणामस्वरूप जिगर की अनेक बीमारियां फैली हैं और यहां तक कि, विशेषकर बच्चों की मृत्यु भी हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है;

शहरी विकास मन्त्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) और (ख) दिल्ली के किसी भी भाग में दूषित पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। तथापि, गन्दे पानी की सप्लाई के संबंध में व्यक्तिगत रूप से स्थानीय शिकायतें कभी-कभी प्राप्त होती हैं। इन पर शीघ्र कारंवाई की जाती है।

[हिन्दी]

अच्छी और शिक्षाप्रद फिल्मों का निर्माण

*260. श्री राजकुमार राय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि इस समय फिल्म निर्माताओं द्वारा बनाई फिल्मों में जीवन की वास्तविकताओं को प्रतिबिम्बित नहीं किया जाता है तथा वे तड़क-भड़क को प्रमुखता देते हैं और इस प्रकार ये फिल्में बच्चों पर अच्छा प्रभाव डालने में असफल रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुंक्त कदम उठाने का प्रस्ताव है कि फिल्म-निर्माता देश के इतिहास, कला और संस्कृति को प्रतिबिम्बित करने वाली अच्छी और शिक्षाप्रद फिल्मों का निर्माण करें ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) फीचर फिल्मों का निर्माण मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में होता है। निजी प्रोड्यूसरों को फिल्म निर्माण के लिए सरकार से अनुमति नहीं लेनी पड़ती। इसलिए निजी प्रोड्यूसरों द्वारा बनाई जाने वाली फिल्मों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। तथापि, किसी फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले उसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा, सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, प्रमाणित किया जाना अपेक्षित है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

देश के इतिहास, कला और संस्कृति को प्रतिबिम्बित करने वाली अच्छी और शिक्षाप्रद फिल्में बनाने के लिए फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

(1) अच्छी और शिक्षाप्रद फिल्में बनाने के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम रियायती ब्याज पर ऋण देता है। निगम प्रोड्यूसरों को देश के इतिहास, कला और संस्कृति को प्रतिबिम्बित करने वाली अच्छी तथा शिक्षाप्रद फिल्में बनाने के लिए भी ऋण देने पर विचार करता है, यदि उपयुक्त स्क्रिप्टें प्राप्त हों और वे निगम को स्वीकार्य हों।

(2) फिल्म समारोह निदेशालय भारत सरकार की ओर से हर वर्ष राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन करता है जिसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, सौन्दर्यात्मक उत्कृष्टता और सामाजिक प्रासंगिकता की फिल्में बनाने के लिए प्रोत्साहन देना है। इस प्रकार के समारोह में पुरस्कार, जिनमें नकद पुरस्कार भी शामिल हैं, दिए जाते हैं।

(3) सरकार हर वर्ष भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों/फिल्मोत्सवों के भारतीय पैनोरमा वर्ग में शामिल किए जाने के लिए अधिकतम 21 फीचर फिल्मों और 21 लघु फिल्मों का चयन करती है। इन फिल्मों को, जो भारतीय सिनेमा की सर्वोत्तम फिल्में होती हैं, अन्य देशों में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों और भारतीय फिल्म सप्ताहों में इनको प्रविष्ट करके तथा राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को यह सिफारिश करके प्रोत्साहित किया जाता है कि भारतीय पैनोरमा में शामिल करने हेतु चुनी गई फिल्मों को मनोरंजन कर से छूट दी जानी चाहिए।

[अनुवाद]

फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के दावे

*261. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 में फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के कितने दावे प्रस्तुत किए गए हैं; और

(ख) क्या वर्ष 1985-86 में सूखा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़ी संख्या में दावे प्रस्तुत किए गए हैं ?

कृषि मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) भारतीय साधारण बीमा को खरीफ 1985 के लिए 101 करोड़ रुपए के दावे प्राप्त हुए थे। इन दावों में से 20 करोड़ रुपए के दावे अमान्य पाए गए थे। रबी 1985-86 मौसम के दौरान साधारण बीमा निगम को अब तक 1.34 करोड़ रुपए के दावे प्राप्त हुए हैं।

(ख) व्यापक सूखे की परिस्थितियों से गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में मूंगफली की फसल को गम्भीर रूप से हानि पहुंची जिसके फलस्वरूप खरीफ 1985 के दौरान बड़ी संख्या में दावे प्रस्तुत किए गये।

मार्किट इन्टरवेंशन स्कीम के अन्तर्गत कोपरा (नारियल) की खरीद

*262. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नाफेड) द्वारा मार्किट इन्टरवेंशन स्कीम के अन्तर्गत कितनी मात्रा में कोपरा (नारियल) की खरीद की गई है;

(ख) क्या इस योजना का बाजार पर कोई प्रभाव पड़ा है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह योजना अभी भी जारी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) केरल, लक्षद्वीप और अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में बाजार में दखल देने की योजना के तहत 25 जुलाई, 1986 तक नेफेड द्वारा कोपरा (नारियल) की कुल 13,296 मीटरी टन की खरीद की गई है।

(ख) से (घ) केरल और लक्षद्वीप, जहां वर्तमान मूल्य प्रति क्विंटल लगभग 1300 रुपया तक बढ़ गया है, में अच्छी औसत किस्म के कोपरे का मूल्य उसके 1200 रु० प्रति क्विंटल के निर्देशात्मक मूल्य से अधिक स्थिर करने में इस योजना ने योगदान दिया है।

बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास

*263. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20-सूत्री कार्यक्रम में एक कार्यक्रम देश में बंधुआ श्रमिकों की रिहाई और उसका पुनर्वास करना है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम को पूरी तरह से कार्यान्वित किया जा रहा है; और

(ग) उस कार्यक्रम के तत्काल कार्यन्वयन हेतु और बंधुआ श्रमिकों की रिहाई कराने तथा उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बंधुआ मजदूरों का पता लगाना और उनकी रिहाई करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। केन्द्रीय सरकार पुनर्वास के लिए 50:50 के आधार पर बराबर का अनुदान देती है। 1-2-1986 से प्रति बंधुआ श्रमिक को पुनर्वास-सहायता की राशि 4,000 रु० से बढ़ाकर 6,250 रुपए कर दी गई है।

खाद्य और कृषि संगठन के साथ जैव-उर्वरकों के संबंध में समझौता

*264. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य और कृषि संगठन के साथ जैव-उर्वरकों के सम्बन्ध में कोई समझौता किया गया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस समझौते से विशेष रूप से किन क्षेत्रों में मदद मिलेगी;

(ग) देश में जैव-उर्वरकों संबंधी अनुसंधान कब से चल रहा है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/कृषि विश्वविद्यालयों में कितने वैज्ञानिक जैव-उर्वरक अनुसंधान कार्य में जुटे हुए हैं; और

(घ) इस क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए विकास और आविष्कारों के दावों को ध्यान में रखते हुए इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। यह प्रायोजना, जिस पर 772,000 अमेरिकी डालर का अनुमानित व्यय होगा, बड़े पैमाने पर जैव-उर्वरकों के उत्पादन, गुण नियंत्रण के लिए संरचना के विकास और संसाधन कार्मिकों के प्रशिक्षण में सहायक होगी।

(ग) देश में जैव-उर्वरकों पर सुव्यवस्थित अनुसंधान कार्य 1961 में शुरू हुआ था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य कृषि विश्वविद्यालय के करीब 60 वैज्ञानिक जैव-उर्वरकों के अनुसंधान कार्य में लगे हैं।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सूक्ष्म-जीवाणुओं की स्थान और फसल-विशिष्ट सक्षम प्रजातियों का विकास किया है। यह प्रायोजना देश में कृषकों के उपयोग के लिए सक्षम प्रजातियों के "कल्चर बैंकों" की स्थापना तथा उनके बड़े पैमाने पर संवर्धन में मदद करेगी।

[अनुवाद]

"अमोनियम सल्फेट केप्रोलेक्टम" परियोजना, कोचीन की लागत में संशोधन

2334. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर मिमिटेड" द्वारा कोचीन में अमोनियम सल्फेट केप्रोलेक्टम परियोजना स्थापित करने की अनुमानित लागत में संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो पूर्व और संशोधित लागतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना का कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं, और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने संशोधित अनुमानित लागत को मंजूरी दे दी है?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) उद्योग मंडल के फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० (फैक्ट) द्वारा स्थापित की जा रही अमोनियम सल्फेट कैप्रोलेक्टम परियोजना पर मूल रूप से अनुमोदित 147.94 करोड़ रु० की तुलना में संशोधित लागत अनुमानों के अनुसार 260.22 करोड़ रुपये की लागत होने की संभावना है।

(ग) मूल रूप से जुलाई, 1988 में पूर्ण होने के लिए परिकल्पित परियोजना के अप्रैल, 1988 में पूर्ण हो जाने की संभावना है।

(घ) भारत सरकार के सार्वजनिक निवेश निकाय ने संशोधित लागत को अनुमोदित कर दिया है।

दिल्ली में नए भवनों के लिए निर्माण प्रमाण-पत्र

2335. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों में निर्मित नए भवनों के संबंध में निर्माण प्रमाण पत्र जारी करने हेतु कोई नए आदेश जारी किए हैं;

(ख) क्या सरकार ने पिछले एक वर्ष के दौरान किसी समय यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के इंजीनियरी कर्मचारियों द्वारा उपयुक्त नियमों का पालन किया जाए, कोई जांच अथवा स्थिति की पुनरीक्षा की थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) नव-निर्मित भवनों के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने का मामला दिल्ली संघ राज्य के लिए बने एक समान भवन उप नियम, 1983 के उपबन्धों द्वारा प्रशासित किया जाता है। दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों में नव निर्मित भवनों के बारे में पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अलग आदेश जारी नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण भवन उप नियमों के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्रों के मामलों पर कार्रवाई करता है और स्थिति का जायजा लेने के लिए नियमित रूप से उनकी समीक्षा तथा प्रबोधन भी करता है। जून, 1985 से जून, 1986 की अवधि के दौरान, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भवनों के सम्बन्ध में 305 पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए। 49 मामले समाधेय शुल्क पत्र में बताई गई आवश्यकताओं को पूरा न करने के कारण लम्बित पड़े हुए हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों में दूरदर्शन के शैक्षिक कार्यक्रम

2336. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में सभी पर्वतीय राज्यों/क्षेत्रों को दूरदर्शन के शैक्षिक कार्यक्रमों का लाभ उठाने की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या इन राज्यों/क्षेत्रों में आवश्यक चैनलों और ट्रांसमीटरों, रिले केन्द्र आदि जैसी अन्य आधारभूत सुविधाओं की स्थापना के लिए आधारभूत ढांचा तैयार कर लिया गया है ताकि समूचे सर्वतीय क्षेत्र को दूरदर्शन के शैक्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) दूरदर्शन की सातवीं योजना में देश के पहाड़ी राज्यों/क्षेत्रों में विभिन्न शक्ति के अनेक ट्रांसमीटर चरणबद्ध ढंग से स्थापित करने का समुचित प्रावधान रखा गया है। "इनसैट" स्कीम के अतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा गुजरात के छः राज्यों के सभी ट्रांसमीटरों द्वारा प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रम अपनी-अपनी भाषा में टेलीकास्ट किए जाते हैं। हिन्दी के शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रमों को अन्य चार हिन्दी भाषी राज्यों—हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के भी ट्रांसमीटरों द्वारा रिले किए जाते हैं। दूरदर्शन शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार करने का दायित्व शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

के अधीन राज्यों तथा केन्द्रीय एजेंसियों का है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई कार्यक्रम तैयार करने में व्यस्त है। पहाड़ी राज्यों/क्षेत्रों को शैक्षणिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के अंतर्गत लाने के प्रश्न पर उपर्युक्त कार्रवाई कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार में अभ्रक अनुसंधान और विकास केन्द्र

2337. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष बिहार में अभ्रक अनुसंधान और विकास केन्द्र स्थापित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) भारतीय अभ्रक व्यापार निगम (मिटको) ने बिहार में अभ्रक अनुसंधान और विकास केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल है। केन्द्र नए अभ्रक उत्पादकों के विनिर्माण के लिए नई प्रक्रिया का विकास करेगा; अभ्रक उत्पादों का नियमित परीक्षण करेगा; नई परीक्षण विधियों और उत्पाद विशेषज्ञता का विकास करेगा; अभ्रक के गुणों तथा विभिन्न ग्रेडों से संबंधित आंकड़ा बैंक विकसित करेगा। तथापि, इसके इस वर्ष स्थापित होने के बारे में बताना मुश्किल है।

बड़े औद्योगिक गृहों को इस्पात के निर्माण के लिए लाइसेंस

2338. **श्री राम भगत पासवान :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बड़े औद्योगिक गृहों को इस्पात के निर्माण का औद्योगिक लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में इस्पात के निर्माण का भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० जैसे सरकारी उपक्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) क्या सरकार इस मामले में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के विशेषज्ञों के दृष्टिकोण को स्वीकार करेगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस्पात की मदों से सम्बन्धित उद्योगों के लिए मार्गदर्शी-सिद्धान्त बनाते समय तथा अनुमोदन के लिए तैयार किए गए अलग-अलग प्रस्तावों पर सिफारिश करते समय "सेल" सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के हितों को सदैव ध्यान में रखा जाता है।

गीत और नाटक प्रभाग का क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय में विलय करना

2339. श्री सोडे रमैया
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया स्टाफ आर्टिस्टों और गीत और नाटक प्रभाग के स्टाफ आर्टिस्टों तथा सूचना और प्रसारण कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ ने क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय और नाटक प्रभाग के विलय का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग का आधार क्या है; और

(ग) विलय के प्रस्ताव पर उनके साथ चर्चा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) जी, हां। आल इंडिया स्टाफ आर्टिस्ट्स एंड स्टाफ आफ सांग एंड ड्रामा डिवीजन तथा नेशनल फैडरेशन आफ इनफार्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग एम्पलाईज ने क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय तथा गीत और नाटक प्रभाग के विलय के प्रस्ताव का विरोध किया है, क्योंकि इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, स्टाफ को कम करना अंतर्निहित है। मामला अभी विचाराधीन है और अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

"नाफेड" द्वारा निकोबार द्वीप-समूह से कोपरा की खरीद

2340. श्री मनोरंजन भक्त : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नाफेड" निकोबार द्वीप समूह से खोपरा खरीद रही है और वह उसे निकोबार जिले के मुख्यालय कार-निकोबार से भी खरीद रही है, यदि हां, तो अब तक कुल कितनी खरीद की गई है; और

(ख) क्या "नाफेड" नान्कोरी द्वीप-समूह से खोपरा खरीद रहा है यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) नेफेड, केन्द्रीय नोडल एजेंसी के रूप में विपणन हस्तक्षेप योजना, जो समूचे अंदमान और निकोबार द्वीप-समूह पर लागू होती है, के अन्तर्गत पदनामित राज्य एजेंसी के जरिए कोपरा का खरीद कार्य करता है, इस योजना के अन्तर्गत स्थानीय सहकारी संगठन अर्थात् दो इलोन हिनेंगो लि०, कार-निकोबार एंड दी मानूला मथाई लि०, निकोवरी, नेफेड के एजेंटों के रूप में कार्य कर रहे हैं। 25 जुलाई, 1986 तक द्वीप-समूह में कोपरा को कुल 284 मीटरी टन मात्रा की खरीद की गई है।

बोकारो में सहायक उद्योग

2341. श्री साइमन तिग्गा : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र के आसपास कितने सहायक उद्योग हैं;

(ख) आदिवासियों तथा विस्थापित व्यक्तियों को कितनी सहायक इकाइयां आवंटित की गई हैं;

(ग) क्या बोकारो इस्पात नगर में नई सहायक इकाइयां खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) इस समय बोकारो इस्पात कारखाने में 145 लघु इस्पात इकाइयां पंजीकृत हैं जिनमें से 47 इकाइयों को अनुषंगी इकाई का दर्जा दिया गया है।

(ख) एक अनुषंगी इकाई एक विस्थापित व्यक्ति को आवंटित की गई है। इसके अलावा बोकारो औद्योगिक क्षेत्र में स्थित 8 लघु इकाइयां आदिवासियों तथा विस्थापित व्यक्तियों को आवंटित की गई हैं।

(ग) से (ङ) बोकारो औद्योगिक क्षेत्र में लघु औद्योगिक इकाइयां इनमें वे इकाइयां भी शामिल हैं जिन्हें अनुषंगी इकाइयों का दर्जा दिया गया है, स्थापित करने की जिम्मेदारी बिहार सरकार के अधीन बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बी० आई० ए० डी० ए०) की है। तथापि बोकारो औद्योगिक क्षेत्र में कोई नई इकाई स्थापित करने से पहले बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण प्रशासन बोकारो इस्पात कारखाने में मद की मांग के संबंध में इकाई की व्यवहार्यता की बाबत उसकी परियोजना रिपोर्ट पर टिप्पणियां प्राप्त करता है। इस समय इस सम्बन्ध में बोकारो इस्पात कारखाने में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारियों के लिए फ्लैटों के आवंटन हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण की किराया खरीद योजना

2342. श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारियों के फ्लैटों के आवंटन हेतु अभी हाल में एक किराया खरीद योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारियों के पास ऋण प्राप्त करने के लिए कोई साधन नहीं हैं; और

(घ) क्या सरकार का इस संबंध में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) हाल ही में इस प्रकार की कोई योजना घोषित नहीं की गई थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकारी कर्मचारियों को लागू गृह निर्माण अग्रिम नियमों के अन्तर्गत यद्यपि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी ऋणों के लिए पात्र नहीं हैं। फिर भी यह कहना ठीक नहीं होगा कि उनके पास ऋण प्राप्त करने के कोई साधन नहीं हैं।

एशियाई विकास बैंक की कीट नियंत्रण परियोजना

2343. डा० बी० एल० शैलेश : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने धान की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु नीम की खली और तेल के प्रयोग का परीक्षण करने के लिए कीट नियंत्रण परियोजना के लिए 36 लाख रुपए मंजूर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो किस स्थान पर परीक्षण किए जायेंगे; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश में भी किसी स्थान को चुना गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) भारत सरकार ने एशियन विकास बैंक की वित्तीय सहायता से कोई कृमि नियंत्रण परियोजना शुरू नहीं की है तथापि, यह पता चला है कि एशियन विकास बैंक ने वानस्पतिक कृमि नियंत्रण संबंधी अनुसंधान, जिसमें नीम उत्पादों का उपयोग भी शामिल है, कार्य करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, फिलिपाइन्स को तकनीकी सहायता स्वीकृत की है। बैंक की परियोजना का ब्योरा और अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और भारत के बीच सम्भावित सहयोग की सीमा के बारे में पता नहीं है।

कर्नाटक में खेतिहर मजदूरों के लिए कल्याण योजनाएं

2344. डॉ० वी० वेंकटेश : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य में खेतिहर मजदूरों के कल्याण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक कौन-कौन-सी प्रमुख कल्याण योजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(ख) उनकी मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) इन योजनाओं के लिए राज्य की कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(घ) योजनाओं के कार्यान्वयन का योजनावार ब्योरा क्या है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) श्रम मंत्रालय ने विशेष रूप से कर्नाटक के कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए कोई प्रमुख कल्याण योजना अनुमोदित नहीं की है तथापि केन्द्र द्वारा प्रायोजित दो प्लान स्कीमें विद्यमान हैं। इन स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित प्लान स्कीम

बारह राज्यों ने बंधुआ श्रम पद्धति को विद्यमानता के बारे में बताया है। बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के प्रयोजनार्थ, 4000 रु० (1-2-86 से इसे बढ़ाकर 6,250 रु० कर दिया गया है) को पुनर्वास सहायता दी जाती है, जिसका बराबर-बराबर (50 : 50) का भाग केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय हिस्से के रूप में राज्य सरकारों को दी गई राशियां निम्न प्रकार से हैं—

1983-84	114.14 लाख रु०
1984-85	45.05 लाख रु०
1985-86	80.92 लाख रु०

कर्नाटक सरकार के लिए वर्ष 1986-87 में 6,400 बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने की प्लान स्कीम

ब्लाक स्तर पर अवैतनिक आयोजकों को नियुक्त कर ग्रामीण श्रमिकों को संगठित और शिक्षित करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक प्लान स्कीम तैयार की गई है। इस स्कीम को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लागू किया जा रहा है और प्रत्येक आयोजक को प्रतिमाह 200 रु० का मानदेय और प्रतिमाह 50 रु० का निर्धारित यात्रा भत्ता दिया जाता है। संक्षेप में अवैतनिक आयोजकों का काम श्रमिकों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना और संगठन की महत्ता पर जोर देना है ताकि वे अपने को सहकारी संघों, ट्रेड यूनियनों और आवश्यकता के अनुसार किसी अन्य प्रकार के संगठनों में संगठित कर सकें। वर्ष 1985-86 तक कर्नाटक राज्य को आयोजकों के 115 पद आवंटित किए गए थे। वर्ष 1985-86 के दौरान कर्नाटक सरकार को 1,07,235 रु० की सहायता दी गई।

कर्नाटक की भेड़ विकास योजना के लिए विश्व बैंक द्वारा सहायता

2345. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी :** क्या कृषि मंत्री कर्नाटक को भेड़ परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता के बारे में 2-12-1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2026 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में भेड़ विकास के संबंध में विश्व बैंक से मांगी गई सहायता के बारे में जांच की गई है तथा उसे अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए कर्नाटक में भेड़ विकास परियोजना प्रस्ताव के बारे में कुछ टिप्पणियां कर्नाटक सरकार के विचारार्थ भेजी गई हैं।

(ख) और (ग) कर्नाटक सरकार को भेजी गई टिप्पणियों पर विचार करने के बाद परियोजना प्रस्ताव का अन्तिम रूप उनके यहां से प्रतीक्षित है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ओखला में कारखानों के लिए पूर्ति प्रमाण-पत्र जारी करना

2346. श्री चिन्तामणि जेना :
श्री अमर सिंह राठवा :
श्री मोहन भाई पटेल :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान ओखला औद्योगिक क्षेत्र (चरण-1 तथा 2) में कारखानों के लिए पूर्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु कुल कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए;

(ख) कितने मामलों में पूर्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए, अस्वीकृत किए गए तथा लम्बित पड़े हैं और वे कितने समय से लम्बित हैं तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) कितने मामलों में पूर्ति प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं और उक्त प्रमाण-पत्र जारी किए जाने में कितना समय लगा;

(घ) क्या सरकार को दिल्ली विकास प्राधिकरण के इंजीनियरी स्टाफ द्वारा पूर्ति प्रमाण-पत्र विलम्ब से जारी किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 97.

(ख) और (ग) जबकि 83 मामलों में पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी कर दिए गए हैं, केवल एक आवेदन-पत्र को अस्वीकार किया गया है। दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने, असमाधेय मदों को ठीक न करने और समाधेय फीस के भुगतान न करने के कारण 13 मामले लम्बित पड़े हुए हैं।

पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने का समय प्रत्येक मामले में अलग-अलग होता है जो कि पार्टी द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने, असमाधेय घटकों को ठीक करने तथा समाधेय फीस के भुगतान करने पर निर्भर करता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्णिया जिले के लिए आकाशवाणी तथा दूरदर्शन सुविधाएं

2347. सैयद शाहबुद्दीन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्णियां जिले के लिए आकाशवाणी तथा दूरदर्शन सुविधाओं के विस्तार का कार्यक्रम स्वीकार किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : आकाशवाणी और दूरदर्शन के बारे में स्थिति इस प्रकार है—

आकाशवाणी :

सातवीं पंचवर्षीय योजना में, आकाशवाणी ने पूर्णियां (बिहार) में 2×3 कि० वा० एफ० एम० ट्रांसमीटर के साथ नया रेडियो स्टेशन बहुउद्देशीय स्टूडियो और संग्रहण सुविधाओं की स्थापना और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण की स्कीमें शामिल की हैं।

दूरदर्शन :

कुर्सियांग के मौजूदा 1 किलोवाट वाले ट्रांसमीटर की शक्ति अगले 2 महीनों के दौरान बढ़ाकर 10 किलोवाट कर दिए जाने की उम्मीद है और यह पूर्णियां जिले के कुछ भागों में सेवा उपलब्ध करेगा। दूरदर्शन की स्थापना योजना में फोरबेस गंज में अल्प शक्ति वाला ट्रांसमीटर और कटिहार में उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रावधान है जो चालू हो जाने पर पूर्णिया जिले के बड़े भाग में सेवा उपलब्ध करेंगे।

रत्नगिरि में एल्यूमिनियम परियोजना

2349. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सदन में सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा गया था कि यदि महाराष्ट्र के पिछड़े कोंकण क्षेत्र के रत्नगिरि जिले में पर्याप्त बिजली के उपलब्ध न होने के कारण सरकारी क्षेत्र में एल्यूमिनियम परियोजना के लिए योजनाएं तैयार करने में कोई कठिनाई है तो सरकार को वहां एल्यूमिना संयंत्र लगाना चाहिए जिसके लिए बिजली की कम आवश्यकता होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो नए प्रस्ताव के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) इस प्रश्न का संबंध कदाचित "महाराष्ट्र में खनिज निक्षेपों के सर्वेक्षण" के बारे में श्री हुसैन दलवाई द्वारा 19-4-85 को पूछे गये लोक सभा तारांकित प्रश्न सं० 510 पर सदन में हुई चर्चा से है। प्रो० मधु दण्डवते द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह स्पष्ट किया गया था कि यदि रत्नगिरि जिले में एल्यूमिया संयंत्र की स्थापना हेतु राज्य सरकार अथवा कोई प्राइवेट पार्टी प्रस्ताव करती है, तो सरकार उस पर खुले मन से विचार करेगी। लेकिन, राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। किसी प्राइवेट पार्टी से भी अपेक्षित ब्यौरों सहित कोई प्रस्ताव नहीं आया है। रत्नगिरि परियोजना का कार्यान्वयन उत्पादन पैमाने की दृष्टि से अलाभप्रद समझा गया क्योंकि एल्यूमिना प्रद्रावकों और एल्यूमिना संयंत्रों में प्रौद्योगिकी के विकास से उत्पादन पैमाने में अंतर आ गया था। यह भी सच्चाई है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एल्यूमिनियम धातु की स्थिति तथा प्रचलित मूल्यों के निम्नस्तर को देखते हुए एल्यूमिनियम/एल्यूमिना उत्पादन हेतु नये उद्यम लगाना लाभप्रद नहीं है।

नारियल की खपत बढ़ाने के उपाय

2350. श्री के० मोहन दास : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के गैर परम्परागत क्षेत्रों में नारियल तथा इसके उत्पादों की खपत बढ़ाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) गैर परम्परागत क्षेत्रों में नारियल की खपत बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं, जिनमें कच्चे नारियलों का विपणन और इन्सटेंट स्प्रे ड्राइड नारियल दुग्ध पाउडर का उत्पादन शामिल है।

कर्नाटक राज्य सहकारी विपणन संघ ने मई, 1986 में दिल्ली में कच्चे नारियल बेचने की अपनी योजना शुरू की। नेफेड ने भी कर्नाटक तथा गुजरात से आये नारियल के दो ट्रक माल की बिक्री की। नेफेड केरल से नारियल की बिक्री के प्रस्ताव की संभावनाओं की जांच कर रहा है।

कर्नाटक राज्य नारियल जटा विकास निगम लिमिटेड, बंगलौर द्वारा कर्नाटक के टुंक्कार जिले में तिपटुर पर 2400 मीटरी टन प्रति वर्ष इन्सटेंट स्प्रे ड्राइड नारियल दुग्ध पाउडर के निर्माण के लिए स्थापित किए गये एक औद्योगिक उपक्रम को अप्रैल, 1986 में पंजीकृत किया गया। इन यूनिट की नारियल की वार्षिक आवश्यकता लगभग 3.6 करोड़ फल होगी।

केरल राज्य नारियल विकास निगम द्वारा गैर परम्परागत क्षेत्रों में कच्चे नारियल का तेल बेचने की व्यवस्था भी की जा रही है।

महाराष्ट्र में एक प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना चल रही है। इस योजना में कारीगरों के प्रशिक्षण, नारियल के खोलों से शिल्पकारी की वस्तुओं के उत्पादन, प्रदर्शनियों के आयोजन आदि शामिल हैं। यह योजना 1979-80 में मंजूर की गई थी और 1984-85 तक कुल 2.07 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं और 70 कारीगर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

पश्चिम बंगाल में मात्स्यकी का विकास

2351. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल को राज्य में मात्स्यकी के विकास के लिए दी जाने वाली प्रस्तावित तकनीकी तथा/अथवा वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में मात्स्यकी विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा 61.75 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त अन्तर्देशीय मात्स्यकी परियोजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में 15 मछुआ विकास एजेंसियों को मंजूरी दी गई है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 1985-86 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्रीय अंश के रूप में 82.60 लाख रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई थी। इस कार्यक्रम के

अन्तर्गत मछुआ विकास एजेंसियों के विस्तार कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है। जलयानों के अवतरण और ठहराने की सुविधाएं उपलब्ध कराने सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 1985-86 के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को 38.12 लाख रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई है। कार्य की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के अनुसार खारे जल में मछली पकड़ने वाले फार्म का विकास करने के लिए 7.60 लाख रुपये की धनराशि निर्मुक्त की जायेगी। भारत सरकार खारे जल में मछली पकड़ने वाले फार्म का विकास करने हेतु उपयुक्त क्षेत्रों का पता लगाने के लिए विस्तृत इंजीनियरी सर्वेक्षण और आर्थिक पहलुओं की जांच करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को तकनीकी सहायता उपलब्ध करायेगी। 1985-86 के दौरान सक्रिय मछुआरों का सामूहिक दुर्घटना बीमा करने के लिए केन्द्रीय सरकार के अंश के रूप में 2.25 लाख रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई और इस सहायता को सातवीं योजना के दौरान जारी रखा जायेगा। सातवीं योजना के दौरान मछुओं की राष्ट्रीय कल्याण निधि के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में कल्याणकारी योजनाओं के लिए सहायता भी उपलब्ध करायी जायेगी।

[हिन्दी]

शहरी क्षेत्रों में इन्दिरा गांधी आवास योजना

2352. **श्री जैनुल बशर** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुरू की जाने वाली प्रस्तावित इन्दिरा गांधी आवास योजना के नमूने पर शहरी क्षेत्रों के लिए भी कोई आवास योजना शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इन्दिरा गांधी आवास योजना पहले से ही चल रही है। शहरी क्षेत्रों के लिए, विभिन्न आय वर्गों नामतः आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के लिए तीन आवास योजनाएं पहले से ही चल रही हैं जिनमें आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की आवश्यकता को पूरा करने पर विशेष बल दिया जा रहा है और फिलहाल किसी नई योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सफेद मक्खियों (व्हाइट फ्लाई) को नियंत्रित करने के लिए कृषि अनुसंधान विभाग द्वारा परीक्षण

2353. **श्री सी० सम्बु** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि अनुसंधान विभागों ने रसायनों के उपयोग से सफेद मक्खियों (व्हाइट फ्लाई) पर नियन्त्रण पाने के लिए कोई परीक्षण किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश के कपास उत्पादक किसानों को इस प्रकार के रसायन सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कपास उगाने वाले राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों ने व्हाइट फ्लाई के विरुद्ध व्यापक कीटनाशी परीक्षण किए हैं।

(ख) कारगार रसायनों में मोनोक्रोटोफोस, फोसालीन, इथिओन और इन्डोसल्फान आन्ध्र प्रदेश सहित देश में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। एसेफेट को हाल ही में पंजीकृत किया गया है। दूसरे कारगर कीटनाशक अर्थात् ट्रिओजोफोस का रजिस्ट्रेशन केन्द्रीय कीटनाशी पंजीयन समिति के विचाराधीन है।

शहरी विकास के लिए कर्नाटक को वित्तीय सहायता

2354. श्री एच० बी० पाटिल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने शहरीकरण कार्यक्रम के लिए कुछ अधिक वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक सरकार को सूचित किया गया था कि बंगलौर के विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता मुहैया करना सम्भव नहीं होगा। तथापि, कावेरी जलपूर्ति योजना (चरण-III) को विश्व बैंक सहायता प्राप्त करने की संभाव्यता पर यह मंत्रालय अलग से जांच कर रहा है। आवास योजना के लिए हुडको की सहायता भी उपलब्ध थी जिसे बंगलौर के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

केरल से केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को स्थानांतरित करना

2355. श्री सुरेश कुरूप : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों को केरल से बाहर स्थानांतरित किया गया उनका विवरण क्या है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार के मन्त्रालयों/विभागों/कार्यालयों को केरल से अपने कार्यालयों को स्थानान्तरित करते समय उनके कार्यालयों के विवरण की सूचना शहरी विकास मन्त्रालय को देना अपेक्षित नहीं है। अपेक्षित ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं तथा सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

आनर्स पादरी के बारे में वृत-चित्र का निर्माण

2356. श्री पी० ए० एन्टनी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को आनर्स पादरी (फादर आनर्स) के बारे में एक वृत-चित्र का

निर्माण करने के लिए केरल सरकार का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) फिल्म प्रभाग को केरल सरकार से आदरणीय आनर्स के जीवन और कार्य पर एक वृत्त चित्र बनाने की संभावना पर विचार करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है, मामले पर केरल सरकार से पत्र व्यवहार चल रहा है ।

नई पैटर्न योजना, 1979 के अन्तर्गत मध्यम आय समूह श्रेणी में फ्लैटों का आबंटन

2358. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई पैटर्न योजना, 1979 के अन्तर्गत मध्यम आय समूह श्रेणी में फ्लैटों के आबंटन हेतु कितने लोगों का पंजीकरण किया गया;

(ख) उनमें से कितने लोगों को अभी तक फ्लैटों का वास्तविक कब्जा दे दिया गया है और कितने लोगों को अभी फ्लैट आबंटित किये जाने हैं; और

(ग) इस श्रेणी के सभी पंजीकृत लोगों को कब तक वास्तव में फ्लैट दे दिए जाएंगे;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 47,521.

(ख) 9,801 व्यक्तियों को मध्यम आय वर्ग फ्लैट आबंटित किए जा चुके हैं जबकि शेष 37,720 व्यक्तियों को अभी आबंटन किया जाना है ।

(ग) इस स्तर पर शेष पंजीकृतों को आबंटन के लिए कोई निश्चित समय अनुसूची नहीं दी जा सकती है ।

नारियल की कीमतें स्थिर रखने के लिए कदम उठाना

2359. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल की कीमतें स्थिर रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) खोपरे की खरीद के लिए राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा कितनी धन-राशि खर्च की जाती है; और

(ग) खोपरे और नारियल के तेल के निर्यात के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) नारियल के मूल्य को परम्परागत रूप से कोपरा के मूल्य के साथ जोड़ा जाता है । नारियल उत्पादकों के फायदे के लिए कोपरा के मूल्यों को स्थिर करने की दिशा में कोपरा के बाजार मूल्य हस्तक्षेप की योजना मूल्य स्थिर रखने की दिशा में एक प्रमुख कदम है ।

(ख) नाबार्ड पुनर्वित्त व्यवस्था कराने वाली एक संस्था है । यह प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय

व्यवस्था नहीं करता है। तथापि यह सहकारी विपणन समितियों द्वारा कोपरा का विपणन किए जाने, इसमें कोपरा की खरीद भी शामिल है, के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए राज्य सहकारी बैंकों के लिए ऋण की सीमा की मंजूरी देता है।

(ग) इस समय कोपरा/नारियल के तेल के निर्यात की अनुमति नहीं है।

कर्नाटक में दालों का उत्पादन

2360. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में दालों का वर्षवार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार ने कर्नाटक में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में दालों का उत्पादन नीचे दिया गया है :

वर्ष	उत्पादन
	(लाख मीटरी टन)
1983-84	6 2
1984-85	4.6
1985-86	4.3 (प्रत्याशित)

(ख) और (ग) भारत सरकार ने देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 1986-87 से कर्नाटक सहित प्रमुख राज्यों में राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना प्रवर्तित की है। इस कार्यक्रम के विभिन्न घटकों, जिसमें मिनिकिट वितरण, खण्ड प्रदर्शन, अनुकूली परीक्षण, प्रशिक्षण आदि शामिल है, पर कर्नाटक को 65.23 लाख रुपये की रकम मंजूर की गई है। इस कार्यक्रम में केन्द्र का शेयर 35.68 लाख रुपए है।

दूरदर्शन समाचार बुलेटिनों में धार्मिक समारोहों सम्बन्धी समाचारों को शामिल करना

2361. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान दूरदर्शन पर धार्मिक समारोहों सम्बन्धी समाचारों को कितना समय दिया गया; और

(ख) समाचारों के लिए आबंटित कुल समय में से कितना प्रतिशत समय इस प्रयोजन के लिए दिया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और इसको यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

चीनी के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग

2362. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीनी बनाने के लिए गन्ने के अलावा चीनी के चुकन्दर जैसे वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करने पर विचार किया है;

(ख) क्या इस समय चीनी केवल गन्ने से तैयार की जाती है;

(ग) क्या आर्थिक लाभहानि की दृष्टि से चुकन्दर और गन्ने से चीनी बनाने के संबंध में कोई तुलनात्मक परीक्षण किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। देश में गन्ने तथा चुकन्दर से चीनी बनायी जाती है।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) चुकन्दर तथा गन्ने के अर्थशास्त्र पर श्रीगंगानगर में किये गये अध्ययनों से यह पता चला कि चुकन्दर पर एक रुपये के निवेश पर 1.5 रु० वापस मिलता है जबकि गन्ने की पौध फसल पर 1.39 रु० तथा गन्ने की पेड़ी फसल के 1.95 रु० मिलते हैं। श्रीगंगानगर क्षेत्र से परे चुकन्दर की व्यापारी खेती को नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि जहां कहीं चुकन्दर उगाने की गुंजाइश है वहां चीनी फैक्टरी क्षेत्रों में चुकन्दर की प्रक्रिया सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।

केरल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के यूनिटों को वित्तीय आबंटन

2363. **श्री टी० बशीर :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के कितने यूनिट हैं; और

(ख) उन यूनिटों के लिए कितना वित्तीय आबंटन किया गया है और इनके द्वारा किस प्रकार के कार्य किये जा रहे हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् केरल राज्य में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के चार संस्थानों का तथा भा० कृ० अ० प० के संस्थानों के 6 क्षेत्रीय/उप-केन्द्रों का सीधे ही प्रशासन संभालता है। इनके अलावा, इस राज्य में यह 41 अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना केन्द्रों, 29 तदर्थ अनुसंधान

योजनाओं, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना की 7 उप-प्रायोजनाओं, 4 कृषि विज्ञान केन्द्रों, 4 परिचालन अनुसंधान प्रायोजनाओं, 1 राष्ट्रीय प्रदर्शन केन्द्र और 6 "प्रयोगशाला से खेत तक" केन्द्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, अपनी शैक्षिक और अनुसंधान क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए केरल कृषि विश्वविद्यालय को विकास सहायता प्रदान की गई थी।

(ख) इन इकाइयों के लिए सातवीं योजना के दौरान प्रस्तावित वित्तीय आबंटन संलग्न विवरण-I पर और गतिविधियों के प्रकार संलग्न विवरण-II पर दिये गये हैं।

विवरण-I

केरल में भा० कृ० अ० प० द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता और उसके प्रशासनिक नियंत्रण में चलने वाली इकाइयों को सातवीं योजना के दौरान प्रस्तावित वित्तीय आबंटन

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वित्तीय सहायता से चलने वाली इकाइयों/प्रायोजनाओं के नाम	प्रस्तावित आबंटन सातवीं योजना (1985-90) के दौरान, (रु० लाखों में)
*केन्द्रीय सामुद्रिक मत्स्य अनुसंधान संस्थान, कोचिन	2477.58
*केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, कोचिन	1060.00
*केन्द्रीय कंदवर्गीय फसल अनुसंधान, त्रिवेन्द्रम	451.00
*केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान, कसेरगाड (राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र सहित)	1850.00
गन्ना प्रजनन संस्थान और राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के क्षेत्रीय/उप-केन्द्र,	6.60
अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजन केन्द्र	307.30
राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना	442.48**
परिचालन अनुसंधान प्रायोजना	39.27
कृषि विज्ञान केन्द्र	104.82
राष्ट्रीय प्रदर्शन केन्द्र	7.33
"प्रयोगशाला से खेत तक" कार्यक्रम केन्द्र	24.78
जारी तदर्थ योजनाएं	58.58

*क्षेत्रीय तथा उप-केन्द्रों हेतु प्रावधानों सहित।
**छठी योजना हेतु आबंटन पर आधारित।

विवरण-II

संस्थान का नाम	की जाने वाली गतिविधियों की प्रकार
1	2
1. केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, कोचिन	यह संस्थान और इसके क्षेत्रीय/उप-केन्द्र देसी दस्तकारी और साज-सामान में सुधार के लिए अनुसंधान करते हैं, दस्तकारी और साज-सामान के उपयुक्त नमूने विकसित करते हैं, संसाधन, संरक्षण, उत्पाद विकास, गुणवत्ता नियंत्रण तथा मछली और मछली के उत्पादों के परिवहन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करते हैं और मत्स्य प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं।
2. केन्द्रीय सामुद्रिक मत्स्य अनुसंधान संस्थान, कोचिन	यह संस्थान और इसके क्षेत्रीय/उप-केन्द्र समुद्र की मछलियों को संसाधित करने के लिए मूल्यांकन प्रबंधन और अछूते क्षेत्रों से मत्स्य उत्पादन करने पर्यावरण के अनुपालन में मछली संसाधन में आने वाले उतार-चढ़ाव का अध्ययन करने, फाइन फिश और शैल फिश के लिए उपयुक्त सामुद्रिक प्रौद्योगिकी विकसित करने तथा प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण और स्नातकोत्तर विशिष्ट न्यूयावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का कार्य करते हैं।
3. केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान, कसारगाड	यह संस्थान और इसके क्षेत्रीय/उप-केन्द्र नारियल, सुपारी, ताड़, और कोकोआ जैसी बागानी फसलों से संबंधित राष्ट्रीय आधार पर मौलिक और व्यवहारिक अनुसंधान चलाते हैं और इन फसलों की फसल प्रणाली पर भी अनुसंधान करते हैं। यह उपरोक्त सभी फसलों के संबंध में तकनीकी सूचनाओं के सूचना केन्द्र के रूप में भी कार्य करता है और उनका जनमद्रव्य एकत्रित करता है।
4. केन्द्रीय कंदवर्गीय फसल अनुसंधान, संस्थान, त्रिवेन्द्रम	यह संस्थान और इसके क्षेत्रीय/उप-केन्द्र शकरकन्दी, कोलोकासिया आदि पर राष्ट्रीय आधार पर मौलिक और व्यावहारिक अनुसंधान चलाता है। यह इन फसलों का जननद्रव्य भी एकत्रित करता है और इन फसलों पर तकनीकी सूचनाओं के लिए सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करने के अलावा इन फसलों पर कार्य का समन्वय भी करता है।

1	2
5. गन्ना प्रजनन संस्थान (कनन्नौर) और राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक ब्यूरो (त्रिचूर) के क्षेत्रीय/उप-केन्द्र	केरल में स्थित भा० कृ० अ० प० के संस्थानों के क्षेत्रीय और उप-केन्द्र मुख्य संस्थानों के समर्थन में क्षेत्रीय आधार पर अनुसंधान करते हैं अर्थात् गन्ना से संबंधित गन्ना प्रजनन संस्थान में और पादप परिचय और जननद्रव्य एकत्रिकरण से संबंधित अनुसंधान ब्यूरो में की जाती है।
6. अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना केन्द्र (अ० भा० सं० अ० प्रा० के०)	अ० भा० सं० अ० प्रा० के० अनुकूलन अनुसंधान चलाते हैं और अनेक स्थानों पर किये गये परीक्षणों के आधार पर अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन करते हैं।
7. राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना	इस प्रायोजना का उद्देश्य कृषि विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय अनुसंधान क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। इस मामले में यह केरल कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव करता है।
8. परिचालन अनुसंधान प्रायोजना	परिचालन अनुसंधान प्रायोजना, वे प्रायोजनाएं हैं, जिनके द्वारा वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नयी प्रौद्योगिकी का परीक्षण, सत्यापन और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया जाता है। उद्देश्य यह है कि कृषक समुदाय के लिए उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित की जाये। परिचालन अनुसंधान प्रायोजनाओं में प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण में आने वाली विभिन्न प्रकार की बाधाओं का अध्ययन किया जाता है और अनुसंधान प्रणाली के लिए उपयुक्त सामग्री प्रदान करायी जाती है।
9. कृषि विज्ञान केन्द्र	ये ऐसी प्रशिक्षण संस्थायें हैं जो सीमान्त किसानों, ग्रामीण युवाओं, ग्रामीण महिलाओं और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करती हैं। प्रशिक्षण क्षेत्रों में फसल पालन, पशुपालन बागबानी और मछली-पालन आदि सम्मिलित हैं। भावना यह है कि "करते हुए सिखाया जाये" और करके सीखा जाये।
10. राष्ट्रीय प्रदर्शन केन्द्र	इन प्रायोजनाओं का उद्देश्य मुख्य फसलों की नयी किस्मों की आनुवंशिक उत्पादन क्षमता को सिद्ध किया जाये और इससे संबंधित पैकेज प्रैक्टिस भी सिखाई जाये। एस० एम० एस० का एक दल प्रतिवर्ष एक

1	2
	जिले में 100 प्रदर्शनों का आयोजन करता है और किसानों को नयी प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रेरित करता है। इन प्रदर्शनों में क्षारीय और अम्लीय मिट्टी को सुधार कर बहु-फसली प्रणाली का प्रदर्शन और बारानी भूमियों पर तिलहनों और दालों सहित बेहतर फसलों का प्रदर्शन शामिल है।
11. प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम	इनको वर्ष 1979 में भा० कृ० अ० प० की स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रमों के भाग के रूप में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य छोटे और सीमान्त किसानों तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए कम लागत वाली प्रासंगिक प्रौद्योगिकी का स्थानान्तरण करना है। एस० ए० यू०, आई० सी० ए० आर० तथा चुने हुए स्वैच्छिक संस्थानों के वैज्ञानिक ऐसे परिवारों को अपना लेते हैं और उत्पादन, रोजगार और आमदनी बढ़ाने की उपयुक्त प्रौद्योगिकियों की सिफारिश/प्रदर्शन करते हैं।
12. तदर्थ अनुसंधान योजना	इन योजनाओं के अन्तर्गत न्यूनावधि के आधार पर तात्कालिक प्रकृति की स्थान विशिष्ट की समस्याओं पर अनुसंधान चलाने के लिए मदद प्रदान की जाती है।

प्रोद्दातुर में दूरदर्शन रिले केन्द्र चालू करना

2364. डा० डी० एन० रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुडप्पा जिले में प्रोद्दातुर स्थान में दूरदर्शन रिले केन्द्र चालू किये जाने हेतु पिछले दो महीनों से तैयार है; और

(ख) यदि हां, तो इसे चालू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) प्रोद्दातुर में दूरदर्शन ट्रांसमीटर कुछ समय के लिए परीक्षाधीन था। यह 1 अगस्त, 1986 को चालू हो गया था।

पशु चारे के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

2365. श्री हरिहर सोरेन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुत से राज्यों में चारे की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन राज्यों में पशु-चारे की खेती के लिए केन्द्र प्रायोजित किसी योजना को क्रियान्वित कर रही है; और

(ग) पशु-चारे की कमी दूर करने के लिए उन राज्यों को पर्याप्त मात्रा में पशु-चारा सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) कुछेक राज्यों ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों में चारे की कमी की सूचना दी है ?

(ख) चारे की खेती के लिए कोई केन्द्रीय प्रायोजित योजना नहीं है। लेकिन, तेजी से नई प्रौद्योगिकी अपनाने में, खासकर अधिक उपज देने वाली चारे की नई फसलों के लिए, राज्यों के प्रयासों में उनकी मदद करने के लिए भारत सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न कृषि जलवायु स्थितियों में सात क्षेत्रीय चारा उत्पादन व प्रदर्शन केन्द्र खोले। ये केन्द्र हिसार (हरियाणा), कल्याणी (पश्चिम बंगाल), सूरतगढ़ (राजस्थान), धामरोड़ अब यं गांधीनगर (गुजरात) ले जाया गया है, अवाड़ी (तमिलनाडु), मामिडिपल्ली (आन्ध्र प्रदेश), और शेहामा (जम्मू व कश्मीर) में स्थित हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बंगलौर के निकट (कर्नाटक) हेस्सरघट्टा में एक चारा बीज उत्पादन फार्म भी स्थापित किया गया था। ये दोनों योजनाएं केन्द्र द्वारा चलाई जाती हैं। क्षेत्रीय केन्द्र और चारा बीज फार्म अधिक उपज देने वाली किस्मों के लगभग 3800 क्विंटल चारा बीजों का वार्षिक उत्पादन करते हैं। क्षेत्रीय केन्द्र चारा मिनिकिट और चारा फसलों की नई विकसित किस्मों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा परिष्कृत उत्पादन तकनीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए किसानों के खेतों पर नियमित प्रदर्शन भी आयोजित करते हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने फालतू चारे राज्यों की सरकारों से चारे की कमी महसूस कर रहे राज्यों को चारा सुलभ कराने का अनुरोध किया है। सूखाग्रस्त राज्यों को भी सलाह दी गई है कि वे फालतू चारे वाले क्षेत्रों से उसकी ढुलाई की व्यवस्था करें। भारत सरकार चारे की कमी वाले क्षेत्रों को चारे की ढुलाई की पूरी लागत वहन करने के लिए केन्द्रीय सहायता देती है।

खाड़ी देशों में नियोजित भारतीय श्रमिकों का बेरोजगार होना

2366. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि खाड़ी के देशों में दो वर्ष से अधिक समय से विभिन्न पदों पर कार्य पर रहे भारतीय श्रमिक बड़ी संख्या में बेरोजगार हो जाने के कारण बेसहारा हो गए हैं;

(ख) क्या इनमें से कुछ श्रमिकों को उनके नियोजकों द्वारा उनके वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है;

(ग) क्या खाड़ी के देशों में विशेष रूप से कुवैत आदि में इन निराश और बेरोजगार भारतीय श्रमिकों द्वारा आत्महत्या किये जाने की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(घ) क्या ये भारतीय श्रमिक निराश होकर गैर कानूनी गतिविधियों में भाग लेने लगे हैं और उनमें से बड़ी संख्या में श्रमिक विभिन्न अपराधों के लिए जेलों में सजा काट रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ङ) से (ड) प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा में खान मालिकों द्वारा श्रमिक कल्याण निधि में अंशदान

2367. श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में खान मालिकों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान श्रमिक कल्याण निधि में वर्षवार कितना अंशदान किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों की अवधि में प्रतिवर्ष उड़ीसा में किए गए खर्च तथा श्रमिक कल्याण कार्यों का ब्यौरा क्या है तथा इन कार्यकलापों से लाभान्वित हुए कामगारों की संख्या कितनी है;

(ग) खान कर्मचारी किस प्रकार के रोगों से ग्रस्त होते हैं और उनके उपचार के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(घ) उन्हें किस प्रकार की उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं और गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष खान कर्मचारियों की मृत्यु दर क्या थी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) खान मालिकों द्वारा ऐसा कोई अंशदान नहीं किया गया। लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि और चूना पत्थर, डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि की बाबत लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट अयस्क पर से उपकर एकत्र किया जाता है। भुवनेश्वर क्षेत्र के लिए एकत्र की गई उपकर राशि निम्नानुसार है—

(रुपए लाखों में)

	1983-84	1984-85	1985-86*
लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि	65.83	35.81	28.55
चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि	9.10	9.25	7.98

*फरवरी, 1986 तक

(ख) से (घ) भुवनेश्वर क्षेत्र में खनिकों के लिए कल्याण निधियों के अंतर्गत आयोजित

कार्यकलापों पर हुआ व्यय निम्नानुसार है—

(रुपए लाखों में)

	1983-84	1984-85	1985-86
स्वास्थ्य	12.80	59.53	3041.
शिक्षा	4.06	6.95	7.26
मनोरंजन	1.38	2.39	2.85
आवास	5.05	10.39	12.30
जल आपूर्ति	—	43.49	26.44

उड़ीसा में व्यापक कार्यकलापों में जोदा में मैडीकल/शल्य सुविधाओं सहित 5C पलंगों वाला अस्पताल और बीरमित्रापुर, बारबिल, बदामपहा, गुरूवा, आरूरी, नुआगांव, निशाखाल टोका और सिलजोरा में 9 औषधालय शामिल हैं। इनके अतिरिक्त, टी० बी० अस्पतालों में पलंगों के आरक्षण आदि की योजनाएं हैं।

श्रमिकों के आश्रितों को छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं। भुवनेश्वर क्षेत्र में लाभानुभोगियों की संख्या 1983-84 में 619, वर्ष 1984-85 में 636 और वर्ष 1985-86 में 484 थी।

खान श्रमिकों के रोगों के फलस्वरूप और मृत्यु दर के बारे में सूचना इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती है।

महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा के रिकार्ड

2368. **श्री जुल्फिकार अली खां** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के पास अथवा इसके अभिलेखागार में 29 अक्तूबर, 1947 को दिल्ली में आयोजित महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा की रिकार्डिंग है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह विशेष रिकार्ड आम जनता को उपलब्ध है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अभिलेखागार में उपलब्ध रिकार्डिंगें मुख्य रूप से प्रसारण प्रयोजनों के लिए अभिप्रेत होती हैं। तथापि, इनको इच्छुक विद्वानों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपलब्ध किया जा सकता है।

आन्ध्र प्रदेश की चिगारगुन्टा स्वर्ण खानों से सोने की खुदाई

2369. श्री एन० पी० झांसी लक्ष्मी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश के चितूर जिले में कुप्पन में चिगारगुन्टा स्वर्ण खानों से सोने के खनन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उन खानों में लिपिकीय और उच्चतर पदों पर भर्ती में स्थानीय लोगों को वरीयता दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) खनिज गवेषण निगम द्वारा आन्ध्र प्रदेश के चिगारगुन्टा, जिला चित्तूर में गवेषणी खनन किया जा रहा है, जो मुख्यतः उस क्षेत्र में स्वर्ण निक्षेपों की पुष्टि करने के बारे में है। खोजी खनन के दौरान प्राप्त स्वर्ण अयस्क का भारत गोल्ड माइन्स द्वारा कोलार गोल्ड फील्ड में संशोधन किया गया है। 1985-86 के दौरान ऐसे प्रशोधन से 24.34 कि० ग्राम स्वर्ण प्राप्त हुआ है।

(ख) लिपिकवर्गीय तथा उच्च पदों की भर्ती खनिज गवेषण निगम लि० द्वारा गवेषण-स्थल की बजाए केन्द्रीय आधार पर की जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रविवार को दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम

2370. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रविवार को बच्चों के लिए कितने कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाते हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) दूरदर्शन बच्चों की रुचि के 3 धारावाहिक कार्यक्रम टेलीकास्ट कर रहा है। इनका ब्यौरा नीचे दिया गया है—

(1) फेमस फाइव : एनिड ब्लाइटन की इसी शीर्षक की कृतियों पर आधारित धारावाहिक।

(2) विक्रम और बैताल/दादा दादी की कहानी : हिन्दी में धारावाहिक।

(3) कच्ची धूप : हिन्दी में धारावाहिक।

तमिलनाडु में सूखा

2371. श्री एस० सिंगरावडीवेल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मालूम है कि तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु के 12 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया है;

(ख) क्या कुछ अन्य जिलों से भी ऐसी मांग की जा रही है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने सूखे की स्थिति के संबंध में केन्द्रीय सरकार को ज्ञापन भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति पर काबू पाने के लिए सरकार का विचार राज्य की सहायता के लिए क्या उपाय करने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सूखा राहत उपायों के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन में राज्य सरकार ने सूचना दी है कि सूखा से 18 जिले प्रभावित हुए हैं।

(ख) किसी जिले को सूखा द्वारा प्रभावित घोषित करना राज्य सरकार का काम है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने सूखा राहत के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग करने के लिए 25 जुलाई, 1986 को एक ज्ञापन प्रस्तुत कर दिया है, जो विचाराधीन है।

सोयाबीन की खेती का क्षेत्र

2372. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में विभिन्न राज्यों में कुल कितने क्षेत्र में सोयाबीन की खेती की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार है कि देश में स्थापित सोया परिसंस्करण संयंत्रों की संख्या पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो सोया परिसंस्करण संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) फसल वर्ष 1985-86 के दौरान विभिन्न राज्यों में सोयाबीन की खेती के तहत कुल क्षेत्र के अनन्तिम अनुमान निम्न प्रकार हैं—

राज्य	क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में) अनन्तिम
मध्य प्रदेश	10.47
उत्तर प्रदेश	2.07
राजस्थान	0.43
अन्य	0.18
कुल अखिल भारत	13.15

(ख) और (ग) कच्ची सामग्री की सुनिश्चित उपलब्धता और स्थापित करने के लिए मांगी गई सुविधाओं के प्रकार पर विचार करने के पश्चात् सोयाबीन के परिसंस्करण की सुविधाओं को स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं। सरकार यह समझती है कि देश में सोयाबीन परिसंस्करण एककों की लाइसेंसशुदा मौजूदा क्षमता पर्याप्त है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को फ्लैटों का आवंटन

2373. श्री सोमजी भाई डामर : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा निवृत/निवृत होने वाले व्यक्ति योजना, 1985 के अन्तर्गत फ्लैटों के आवंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास पंजीकृत श्रेणी-वार व्यक्तियों की संख्या कितनी हैं;

(ख) उन व्यक्तियो की संख्या कितनी है, उन्हें सम्पदा निदेशालय द्वारा आवंटित किए गए सरकारी आवासों को सेवानिवृत होने पर खाली करना था और जिन्हें योजना, 1985 के अन्तर्गत फ्लैट आवंटित किए गए हैं;

(ग) कितने व्यक्तियों को फ्लैट आवंटित नहीं किए गए हैं और इसके क्या कारण हैं और इन व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर फ्लैट आवंटित करने संबधी यदि कोई नीति निर्णय है, तो वह क्या है; और

(घ) क्या उन सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों से, जो फ्लैटों के आवंटन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकृत हैं किन्तु उन्हें अभी तक फ्लैट आवंटित नहीं किए गए हैं, सरकारी रिहायशी आवासों को खाली न कराने के संबंध में सम्पदा निदेशालय को कोई अनुदेश जारी किए गए हैं अथवा जारी किए जाने की सम्भावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इस योजना के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास पंजीकृत व्यक्तियों की श्रेणीवार संख्या नीचे दी गई है—

मध्यम आय वर्ग	2695
निम्न आय वर्ग	1396
जनता	279
योग	4370

(ख) और (ग) इस योजना में किसी भी पंजीकृत किसी व्यक्ति को अब तक कोई फ्लैट आवंटित नहीं किया गया है क्योंकि यह योजना हाल ही में घोषित हुई थी और उन्हें तब तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक फ्लैट उपलब्ध नहीं हो जाते हैं।

(घ) जी, नहीं।

दिल्ली में सहकारी ग्रुप हाउसिंग समितियों का कार्यकरण

2374. श्री कमल चौधरी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के सहकारी समितियों के पंजीयक के कार्यालय में कितनी सहकारी ग्रुप हाउसिंग समितियां पंजीकृत हैं;

(ख) क्या उन ग्रुप हाउसिंग समितियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन्होंने 30 जून, 1986 तक तीन वर्ष से अधिक समय से दिल्ली सहकारी समिति नियम, 1973 के संशोधित नियम 62 के अनुसार चुनाव नहीं कराये हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसी समितियों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या कुछ ऐसी समितियां हैं, जिन्होंने गत तीन वर्षों अर्थात 1984, 1985 और 1986 के दौरान वार्षिक आम बैठक नहीं बुलाई; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कदाचार

2375. श्री काली प्रसाद पाण्डेय : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के विभिन्न जिलों में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कदाचारों/भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सरकार ने उनकी जांच आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और जांच करने वाली एजेंसी का क्या नाम है और जांच कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) क्या सरकार को अन्य राज्यों से भी इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) और (ख) दरभंगा, मुंगेर, गिरीडीह, नालन्दा और बेगुसराय आदि जिलों में घटिया किस्म की परिसम्पत्तियों की सप्लाई, चीजों के अधिक मूल्य रखने, रिश्वत की मांग आदि जैसे विभिन्न प्रकार के कदाचारों के सम्बन्ध में कार्यक्रम और बैंक अधिकारियों को कुछेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ये सभी शिकायतें जांच और आवश्यक कारंवाई हेतु बिहार राज्य सरकार को भेजी गई थीं, हालांकि कुछ शिकायतें सत्य साबित नहीं की जा सकी थीं, किन्तु कुछ मामलों में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कारंवाई की गई थी।

एक प्रमुख लम्बित शिकायत बिहार राज्य में, खासतौर से दरभंगा जिले में बोरिंग उपकरणों और पम्पों की सप्लाई में बैंकों, व्यापारियों और अधिकारियों द्वारा किए गए गोलमाल से सम्बन्धित है। जहां तक बैंकों का सम्बन्ध था, बिहार सरकार से प्राप्त उनकी जांच रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को कार्रवाई हेतु भेजी गई थी। वित्त मंत्रालय द्वारा इस मामले की जांच की गई है। सैन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने उन छह अधिकारियों पर अभियोग चलाने की स्वीकृति दे दी है जिनके नाम केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट में हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट में नौ बाह्य व्यक्तियों पर अभियोग चलाने की भी सिफारिश की गई है। जहां तक राज्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का सम्बन्ध है, बिहार राज्य सरकार अपने सतर्कता विभाग द्वारा आगे जांच करवा रही है, ताकि उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके तथा सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सके।

(ग) कुछ शिकायतें यदा-कदा मिलती रहती हैं। जब कभी विशेष शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो इन्हें जांच एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु सम्बन्धित राज्य सरकार को भेज दिया जाता है।

[अनुवाद]

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड का विस्तार

2376. श्री के० कुन्जम्बु : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (ट्रावनकोर) लिमिटेड के विस्तार का कोई विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके विस्तार के सम्बन्ध में यदि कोई समय सीमा निर्धारित की है, तो वह क्या है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी नहीं।
(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित की गई धनराशि

2377. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान राजस्थान में कुल कितनी धनराशि के ऋण वितरित किए गए;

(ख) उन लाभार्थियों की प्रतिशतता क्या है जिन्हें इसका लाभ हुआ है; और

(ग) वर्ष 1986-87 के लिए लक्ष्य क्या हैं और कितनी धनराशि वितरित की जाएगी ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम चन्द्र बिकास) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक मुख्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है जिसे आर्थिक सहायता और संस्थागत ऋण द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में

1984-85 तथा 1985-86 के दौरान क्रमश: 2905.50 लाख रुपये तथा 2943.63 लाख रुपए की धनराशि ऋण के रूप में वितरित की गई थी।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या के रूप में उपलब्धियां 1984-85 के लक्ष्य की 112.28 प्रतिशत तथा 1985-86 के लक्ष्य की 169.28 प्रतिशत थी।

(ग) राजस्थान में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1986-87 के दौरान 1,48,500 परिवारों को सहायता पहुंचाने का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष के दौरान कुल वितरित की जाने वाली ऋण की राशि का 4037.66 लाख रुपए होने का अनुमान है।

राजस्थान की पेय जल पूर्ति योजनायें

2379. श्री राम सिंह यादव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्वरित पेय जल पूर्ति योजना से सम्बन्धित राजस्थान सरकार की कितनी योजनायें केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं ;

(ख) क्या अलवर और भरतपुर जिलों के क्षेत्रों के बारे में जो क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं, त्वरित पेय जल पूर्ति योजना के अन्तर्गत योजनायें राजस्थान सरकार ने पूरी तरह विचार किए जाने के पश्चात् भेजी थीं; और

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं के शीघ्र तथा समय पर क्रियान्वयन हेतु केन्द्रीय सरकार ने क्या उपाय किए हैं अथवा करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) राजस्थान सरकार द्वारा 17-7-1986 को 32 करोड़ रुपए की योजनायें प्रस्तुत की गई थीं। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इनकी जांच की जा रही है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं में अलवर और भरतपुर जिलों से सम्बन्धित योजनायें नहीं हैं। भरतपुर जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है। अलवर जिले की छह तहसीलें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं। अलवर जिले की इन छह तहसीलों से सम्बन्धित पेय जल आपूर्ति हेतु राज्य सरकार का कोई प्रस्ताव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के विचाराधीन नहीं है।

(ग) ग्रामीण जल आपूर्ति की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने का दायित्व राज्य सरकारों का है। केन्द्र सरकार केवल त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता देकर उनके प्रयासों में मदद करती है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत योजनाओं की जांच की जा रही है और शीघ्र ही तकनीकी अनुमोदन किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल को गरीबी निवारण कार्यक्रमों के अन्तर्गत मंजूर की गई धनराशि

2380. श्री अतीश चन्द्र सिन्हा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सरकार ने पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम,

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसे भिन्न-भिन्न गरीबी निवारण कार्यक्रमों के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के लिए कितनी धनराशि मंजूर की;

(ख) वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान मंजूर की गई राशि की तुलना में यह राशि कितनी है; और

(ग) उपर्युक्त योजनाओं के फलस्वरूप पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में कितने लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान पश्चिम बंगाल के लिए मंजूर की गई धनराशि तथा 1982-83 और 1983-84 के दौरान मंजूर की गई तुलनात्मक धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम है, जिसका मुख्य उद्देश्य लक्षित वर्ग के परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाना है। सातवीं योजना के दौरान मई, 1986 तक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में 301449 परिवारों को सहायता प्राप्त हुई है। तथापि परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाना एक धीमी और निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है तथा लाभान्वित परिवारों पर कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करने से पहले इसमें समय लगेगा।

विवरण

केन्द्रीय सरकार द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल को आवंटित धनराशि को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाखों में)

	1985-86	1986-87	1982-83	1983-84
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	7701.64	2000.51	1340.00	1340.00
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम	3533.53	3737.00	—	770.00
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	1774.00	1732.00	1414.00	1555.00

टिप्पणी :

1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर के आधार पर निधियां दी जाती हैं। इन कार्यक्रमों के बारे में उपर्युक्त आंकड़े आबंटन के केन्द्रीय अंश से सम्बन्धित हैं।
2. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम 1983-84 से आरम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम के लिए समग्र आबंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा सुलभ किया जाता है।

कृषि उत्पादन में सुधार लाने हेतु मशीनीकृत औजारों का लागू किया जाना

2381. श्री पी० कुलनदईवेलू : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि उत्पादन में सुधार लाने हेतु मशीनीकृत औजार लागू करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कृषि आदानों की कीमत अधिक है और कृषि उत्पादों का बिक्री मूल्य बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का कृषकों से सीधे खरीद करके कृषि उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य निर्धारित करने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) आदानों के उत्पादन की लागतें, कच्ची सामग्रियों की लागतों, विनिर्माण लागतों, आदि में वृद्धि होने के कारण बढ़ गई हैं। कृषि जिंसों के लिए समर्थन मूल्य, आदानों के उत्पादन की लागतों की वृद्धियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अधिप्राप्ति सार्वजनिक क्षेत्र अथवा सहकारी एजेंसियों द्वारा सीधे ही की जाती हैं।

उर्वरकों के आयात में वृद्धि

2382. श्री विजय एन० पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान उर्वरकों के आयात में अचानक वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) यह सत्य है कि पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान उर्वरकों के आयात के स्तर से वृद्धि हुई है (क्रमशः 3.6 और 3.4 मिलियन टन न्यूट्रीएन्टस) उर्वरक की स्वदेशी उपलब्धता तथा किसानों की मांग के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए इन दो वर्षों के दौरान बड़ी मात्रा में आयात करना आवश्यक हो गया था तथापि संभावित उच्चतर स्वदेशी उत्पादन तथा उपलब्ध भण्डारों को ध्यान में रखते हुए, चालू वर्ष में आयात का स्तर पिछले दो वर्षों की तुलना में कम होगा।

[हिन्दी]

श्रम कानूनों में संशोधन

2383. श्री मदन पांडे : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार श्रम कानूनों को जिसमें से अधिकांश स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरन्त पश्चात अधिनियमित किए गए थे, वर्तमान परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के लिए उनमें संशोधन करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) समय-समय पर आवश्यकतानुसार श्रम कानूनों में संशोधन किया जाता है। कई श्रम कानूनों को पहले ही संशोधित कर दिया गया है। कुछ और श्रम अधिनियमों में संशोधन करने के लिए भी विचार किया जा रहा है ताकि उनसे वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। यह कार्य निरन्तर रूप से चलता रहता है तथा सभी अधिनियमों में संशोधन के लिए कोई अन्तिम तारीख निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

श्रमिकों की शोषण के विरुद्ध सुरक्षा

2384. **चौ० रहीम खां** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को यह सूचना मिली है कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के लागू किये जाने के समय से नियोक्ताओं ने कार्य के स्थायी, बारहमासी तथा आवश्यक स्वरूप होने पर भी ठेके पर श्रमिकों को लगाने को वरीयता दी है तथा श्रमिकों को औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 तथा सिविल सेवा नियम और राज्य सेवा नियम तथा संविधान की धारा 14 के अधीन विधियों के समान संरक्षण के लाभों से वंचित रखा है;

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए तथा संविधान की धारा 14 में अभिहित विधि के समान संरक्षण की व्यवस्था करने के लिए क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार प्रत्येक राज्य से विस्तृत रिपोर्ट एकत्रित करने की योजना बना रही है और इसमें कितना समय लगेगा ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में ठेका श्रम पद्धति को पूरी तरह से समाप्त करने की परिकल्पना नहीं की गई है। उक्त अधिनियम में कुछ परिस्थितियों में ठेका श्रम के नियोजन को समाप्त करने और अन्य मामलों में ठेका श्रमिकों के नियोजन को विनियमित करने की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, समुचित सरकार, यथास्थिति, केन्द्रीय बोर्ड से या राज्य बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना जारी कर किसी प्रतिष्ठान में बारहमासी प्रकृति की किसी प्रक्रिया, संक्रिया या अन्य कार्य में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध कर सकती है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद, इस उपबंध के अधीन, केन्द्रीय सरकार ने तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने विभिन्न संक्रियाओं कार्यों प्रक्रियाओं में ठेका श्रम पद्धति को समाप्त किया है। केन्द्रीय सरकार ने कुछ उद्योगों में कतिपय कार्यों/संक्रियाओं में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध कर दिया है जैसा कि संलग्न विवरण में बताया गया है।

ठेका श्रम का नियोजन तब तक गैर कानूनी नहीं माना जा सकता जब तक कि समुचित सरकार द्वारा ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अधीन ऐसा नियोजन प्रतिषिद्ध न कर दिया गया हो। सरकार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार ठेका श्रम पद्धति को समाप्त करने और विनियमित करने के लिए वचनबद्ध है।

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 और औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1976 समेत सभी श्रम कानूनों को उचित ढंग से लागू करने के लिए समय-समय पर निरीक्षण किए जाते हैं। श्रमिकों के शोषण के बारे में की गई शिकायतों की समुचित प्राधिकरणों द्वारा जांच की जाती है।

विवरण

क्र० सं०	उद्योग का नाम	कार्य/संक्रिया का स्वरूप	प्रतिषिद्ध करने की तारीख
1	2	3	4
1.	कोयला खानें	(i) कोयला निकालना या कोयला निकालना व बेचना, (ii) कोयला लादना और उतारना (iii) साफ्ट कोक का विनिर्माण (iv) अधिभार हटाना और भूमि काटना; और (v) भूमि के नीचे स्टोन ड्रिफ्टों की ड्राइविंग और विधिक प्रकार के पत्थरों की कटाई	1-2-75
2.	भवन	उन प्रतिष्ठानों जिनके लिए समुचित सरकार केन्द्रीय सरकार है, के स्वामित्वाधीन या उनके द्वारा लिए गए भवनों में झाड़ू देना, सफाई, डस्टिंग और चौकीदारी करना।	1-3-77
3.	लोह अयस्क खानें	(i) अधिभार हटाना, (ii) ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग (iii) फ्लोट अयस्क संक्रियाएं,	10-5-80

1	2	3	4
		(iv) क्रशिंग प्लाटों, स्क्रीनिंग प्लाटों और/या कन्वेयर बेल्टों में कूड़ा करकट हटाने की संक्रियाएं और (v) वैगन लेवलिंग संक्रियाएं	28-5-82
4.	चूना पत्थर डोलोमाइट तथा मैंगनीज खानें	(i) अधिभार हटाना और (ii) ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग	22-6-80
5.	कोल वाशरीज	(i) कच्चे माल की उतराई (ii) मैंगनेटाइट की चार्जिंग और (iii) स्लिपेज छीजन हटाने, कूड़ा करकट साफ करने, मैंगानेटाइट हटाने आदि सहित प्लांट की सफाई ।	25-7-83
6.	क्रोमाइट खानें	(i) अधिभार उत्खन्नन और उसे हटाना (ii) ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग (iii) अयस्क निकालना और (iv) अधिभार को डम्पस तक और अयस्क को संग्रहण स्थलों तक ले जाना	8-12-84
7.	मैंगनेसाइट खानें	(i) अधिभार हटाना, (ii) ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग और (iii) खनिज पदार्थ निकालना	8-12-84
8.	जिप्सम खानें	(i) अधिभार हटाना, और (ii) खनन/खनिज पदार्थ निकालना	8-12-84
9.	अभ्रक खानें	(i) अभ्रक निकालना, (ii) ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग (iii) खानों से पानी निकालना (iv) कूड़ा करकट हटाना, और (v) अभ्रक का संसाधन करना	8-12-84

दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिक मिशन

2385. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश में दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए "प्रौद्योगिकी मिशन" सम्बन्धी एक परियोजना योजना आयोग को मंजूरी के लिए भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

"आई० एल० ओ० सजेस्ट्स ए फंड टू इम्प्रूव लेबर कन्डीशन्स" शीर्षक के समाचार

2386. डा० गौरी शंकर राजहंस :
श्रीमती प्रभावती गुप्त :
डा० बी० एल० शैलेश :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने केन्द्रीय सरकार को श्रमिकों की स्थितियों में सुधार लाने में लगी हुई सरकारी एवं गैर-सरकारी एजेंसियों के क्रियाकलापों को समर्थन देने के लिए एक निधि स्थापित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है और उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रस्तावों से कितना संरक्षण मिल पायेगा तथा कामगारों के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा की जायेगी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कार्य स्थल पर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी सामान्य तथा व्यापक विधान के बारे में रिपोर्ट जुलाई, 1986 में सरकार को प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की गई है कि सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के कार्यकलापों का समन्वय करने तक बढ़ावा देने के लिए एक निधि और एक राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किया जाए। उक्त सिफारिश के अनुसार, यह संस्थान दुर्घटना निवारक और औद्योगिक स्वास्थ्य के कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय या राज्य स्तर की मौजूदा एजेन्सियों के कार्यकलापों में सहायता करेगा। सरकार ने इस रिपोर्ट पर अभी कोई कार्यवाही नहीं की है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में कर्मचारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही

2387. श्री मूल चन्द डागा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण में ऐसे कितने मामले हैं जिनमें गत तीन वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार तथा घोटाले में शामिल कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है, सेवायें समाप्त की गई हैं और उनका स्थानान्तरण किया गया है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने ठेकेदारों को काली-सूची में रखा गया और उन पर जुर्माना लगाया गया तथा उन्होंने किस प्रकार की गलती की थी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 1-7-1983 से 30-6-86 तक की अवधि के श्रेणीवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

	(संख्या)
(i) निलम्बित	40
(ii) सेवा समाप्ति	शून्य
(iii) (असंवेदनशील सीटों पर) स्थानान्तरण	12

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1-1-83 से ठेकेदारों के विरुद्ध की गई कारंवाई निम्नलिखित है :

(i) निर्माण कार्य की घटिया कोटि हेतु कार्य से वंचित किए गए ठेकेदार (एक ठेकेदार ने विवर्जन के विरुद्ध रोकादेश ले लिया है)	33
(ii) सीमेंट तथा तारकोल की चोरी के लिए कार्य से वंचित किये गये ठेकेदार	8
(iii) घटिया कार्य के लिए जिनको चेतावनी जारी की गई	2
(iv) निर्माण कार्य आरम्भ न करने के लिए वंचित किया गया	1
(v) ठेके के अनुबन्धों को उल्लंघन करने के लिए वंचित किया गया।	3

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए विदेशी सह-उद्यम

2388. श्री० एन० डेनिस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारतीय जल सीमा में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए सह उद्यम स्थापित स्थापित करने हेतु विदेशी सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो मछली उद्योग में सहयोग प्रदान करने वाले देशों के क्या नाम हैं; और

(ग) सम्पूर्ण समुद्री मत्स्य क्षेत्र के विकास के एक भाग के रूप में मछली पकड़ने के विदेशी जहाजों को किराए पर लेने के लिए नये तरीके से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मछली पकड़ने वाले विदेशी जलयानों को भाड़े पर लेने सम्बन्धी नई नीति को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

बिहार में गैर-सरकारी अभ्रक खानें

2389. **श्री विजय कुमार यादव :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी गैर-सरकारी अभ्रक खानें हैं तथा बिहार में उनकी संख्या कितनी है;

(ख) बिहार में गैर-सरकारी अभ्रक खानों में कुल कितने व्यक्ति नियोजित हैं और गत तीन वर्षों के दौरान उनका वर्ष-वार उत्पादन कितना था; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खानों के बन्द होने के कारण बिहार में उत्पादन कम हो गया है तथा इसका रोजगार पर भी प्रभाव पड़ रहा है ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) वर्ष 1985 में भारत में गैर-सरकारी अभ्रक खानों की संख्या क्रमशः 153 तथा 78 थी। ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) बिहार में वर्ष 1983, 1984 व 1985 के दौरान गैर-सरकारी अभ्रक खानों में दैनिक रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की औसत संख्या तथा उनका उत्पादन नीचे दिया गया है :

वर्ष	रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की औसत संख्या	उत्पादन (टनों में)	
		अभ्रक (कच्चा)	अभ्रक (वेस्ट तथा स्क्रेप)
1983	3241	4223	1959
1984	2821	3292	1568
1985	1800 (पी)	2615 (पी)	1490

पी: अनंतिम

(ग) जी हां।

[हिन्दी]

बिहार में किसानों को उर्वरकों का वितरण

2390. प्रो० चन्द्र भानु देवी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू खरीफ के मौसम के दौरान किसानों को वितरित करने के लिए बिहार राज्य को कितना उर्वरक उपलब्ध कराया गया है; और

(ख) पिछले वर्ष के दौरान बिहार राज्य को कितना उर्वरक सप्लाई किया गया ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) खरीफ, 1986 मौसम के दौरान किसानों में वितरण के लिए बिहार को उर्वरकों के निम्नलिखित आवंटन किये गये हैं :

(000 मीटरी टन पोषक तत्व)

	एन०	पी०	के०	योग
	210.00	45.00	20.00	275.00

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान बिहार को किया गया उर्वरकों का कुल आवंटन और इसकी तुलना में अनुमानित खपत निम्नलिखित तालिका में दी गई है :

(000 मीटरी टन पोषक तत्व)

	एन०	पी०	के०	योग (एन०+पी०+के०)
किया गया आवंटन	415.00	115.00	50.00	580.00
अनुमानित खपत	351.41	104.91	45.14	501.46

[अनुवाद]

गैर-हिन्दी भाषी लोगों के लिए दूरदर्शन के कार्यक्रम

2391. डा० सुधीर राय : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गैर-हिन्दी भाषी नाटकों और फिल्मों को नियमित रूप से न दिखाये जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : सभी क्षेत्रीय दूरदर्शन केन्द्र सम्बन्धित क्षेत्र की भाषा में नाटकों को नियमित रूप से टेलीकास्ट करते हैं। इसके अलावा, पुरस्कार प्राप्त क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्में भी उपशीर्षकों के साथ, रविवार दोपहर बाद राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट की जाती हैं। इसके अलावा, क्षेत्रीय भाषाओं की पुरानी क्लासिक फिल्में भी दूरदर्शन के राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट की जाती हैं। क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों

सहित दूरदर्शन के कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करने का निर्धारित कार्यक्रम विरले ही रद्द किया जाता है और वह भी अप्रत्याशित और अपरिहार्य परिस्थितियों तथा दूरदर्शन की कार्यक्रम आवश्यकताओं के कारण।

नई दिल्ली में पानी की अपर्याप्त सप्लाई

2392. श्री तारीक अनवर : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई दिल्ली के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों जैसे विलिंगडन क्रीसेंट, नार्थ एवेन्यू और अन्य क्षेत्रों में पानी की भारी कमी है;

(ख) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र के निवासियों द्वारा बार-बार अनुरोध किये जाने पर भी नई दिल्ली नगरपालिका ने इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) मई, 1985 में अति विशिष्ट व्यक्तियों के क्षेत्र में चार पानी के बूस्टिंग केन्द्रों को चालू करने के बाद निवासियों को पर्याप्त राहत मिली है। तथापि, पानी के एक समान वितरण के उद्देश्य से नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्र में सम्पूर्ण वितरण प्रणाली का अध्ययन मैसर्स टाटा कनसल्टिंग इंजीनियर्स, बम्बई द्वारा किया जा रहा है और आशा है कि उनकी अन्तिम रिपोर्ट लगभग तीन माह की अवधि में प्राप्त हो जायेगी।

देश में स्टीम बायलर

2393. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने पंजीकृत स्टीम बायलर हैं;

(ख) उनमें से कितने पचास वर्ष से अधिक पुराने हैं;

(ग) राज्य सरकारों अथवा केन्द्रीय बायलर बोर्ड द्वारा कितने पंजीकृत बायलरों की जांच कराई गई थी तथा कितनों को बेकार घोषित किया गया; और

(घ) क्या बेकार घोषित किये गये सभी बायलरों को अभी तक काम में लाया जा रहा है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम को युक्तियुक्त बनाना

2394. श्री कृष्ण सिंह : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न महानगरों के संबंध में भाटक नियंत्रण कानूनों को युक्तियुक्त बनाने के लिए अब तक क्या प्रयास किये गये हैं; और

(ख) दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम को युक्तियुक्त बनाने के उद्देश्य से प्रस्तावित विधान किस स्तर पर हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली के सिवाय महानगरीय शहरों के भाटक नियंत्रण कानून पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यवाही की जाती है। दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम का संशोधन करने के प्रस्ताव सरकार के पास सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं।

उर्वरक उद्योग को राज सहायता

2395. प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 से (वर्षवार) अब तक देश में उर्वरक उद्योग को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई;

(ख) उत्पादन लागत का मूल्यांकन करने की क्या व्यवस्था है जिसके आधार पर राज सहायता निर्धारित की जाती है; और

(ग) केन्द्रीय राज सहायता से प्रतिष्ठापित अपनी क्षमता के अनुसार उर्वरक उद्योग किस सीमा तक कार्य कर रहा है और इससे उर्वरकों के आयात को कम करने में किस सीमा तक सहायता मिली है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) प्रतिधारण मूल्य योजना के अन्तर्गत उर्वरक एककों को 1981-82 से 1985-86 तक वर्षवार दी गई आर्थिक सहायता की राशि निम्न प्रकार है :

वर्ष	आर्थिक सहायता की राशि (रु० करोड़ों में)
1981-82	275
1982-83	550
1983-84	900
1984-85	1200
1985-86	1600

(ख) आर्थिक सहायता प्रति टन उत्पाद पर दी जाती है जो सरकार द्वारा निर्धारित उचित प्रतिधारण मूल्य तथा सरकार द्वारा नियंत्रित मूल्यों पर उर्वरकों की बिक्री से निर्माता को मूल प्राप्ति के मध्य अंतर को दर्शाती है। प्रतिधारण मूल्य में उत्पादन की लागत ऋण पर ब्याज तथा शुद्ध मूल्य पर वसूली सम्मिलित है। उत्पादन की लागत तैयार करने में अमोनिया संयंत्र के मामले में 80 प्रतिशत तथा फास्फोरिक एसिड संयंत्रों की 70 प्रतिशत क्षमता उपयोगिता तथा कच्चे मालों तथा उपयोगताओं के संबंध में निर्धारित खपत मानदण्डों को अपनाया जाता है। पैकिंग की

लागत, परिवर्तन लागतों, बिक्री व्ययों, न्यूनतम सांविधानिक बोनस तथा मूल्य ह्रास की तरह की अन्य मदों को उत्पादन की लागत में शामिल किया जाता है, इस प्रकार निर्धारित की गई उत्पादन लागत में ऋणों पर ब्याज और कुल मूल्य पर कर पश्चात 12 प्रतिशत प्राप्ति से जोड़ा जाता है। ताकि किसी विशेष उत्पाद का प्रतिधारण मूल्य निर्धारित किया जा सके।

(ग) चूंकि उत्पादन लागत मानक क्षमता उपयोग के आधार पर तैयार की जाती है, यह उत्पादकों के हित में है कि वे अपने संयंत्र को यथासंभव, उच्च स्तर पर प्रचालित करें। यदि उर्वरक संयंत्र की क्षमता उपयोगिता मानक स्तर से अधिक है और फीडस्टाक/उपयोगिताओं की खपत निर्धारित स्तर पर है तो एकक का लाभ कर पश्चात् 12 प्रतिशत की प्रतिवसूली से अधिक होगा। दूसरी ओर, यदि क्षमता उपयोग निर्धारित स्तर से कम है या कच्चे माल आदि की खपत सरकार द्वारा निर्धारित मानक स्तर से अधिक है तो एकक को कम लाभ होगा या हानि भी हो सकती है। अतः प्रतिधारण मूल्य योजना में अच्छे निष्पादन के लिए प्रोत्साहन निहित है और घटिया निष्पादन के लिए हतोत्साहन।

गत वर्ष में उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन में काफी वृद्धि हुई तथापि उर्वरकों का आयात आवश्यक बना हुआ है, क्योंकि स्वदेशी उत्पादन उर्वरकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है तथापि, जिस सीमा तक उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि हुई है, आयातों में भी तदनुरूपी कमी हुई है।

[हिन्दी]

विज्ञापनों से आकाशवाणी को आय

2396. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आकाशवाणी को पिछले वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान विज्ञापनों से कितनी आय हुई ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : आकाशवाणी द्वारा वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान विज्ञापनों से अर्जित शुद्ध राजस्व अनुमानित 16.93 करोड़ रुपये था।

[अनुवाद]

समुद्री उत्पादों का निर्यात

2397. **श्री आई० रामा राय** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज आयात करने का प्रस्ताव है ताकि गहरे समुद्र में उपलब्ध समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाया जा सके;

(ख) समुद्री उत्पादों के निर्यात में राष्ट्रीय स्तर पर केरल का कितना हिस्सा है; और

(ग) केरल के भीतर मछली पकड़ने में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सरकार का विचार आयात करके और स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से गहरे समुद्र में मत्स्यन जलयानों का एक

बड़ा बेड़ा तैयार करने का है, ताकि भारतीय एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में उपलब्ध मात्स्यकी स्रोतों का इष्टतम उपयोग किये जा सकने के साथ-साथ सामुद्रिक उत्पादों के निर्यात में वृद्धि की जा सके।

(ख) 1984-85 के दौरान, सामुद्रिक उत्पादों के 86187 मीटरी टन के कुल निर्यात में से केरल राज्य का हिस्सा 31570 मीटरी टन था।

(घ) केरल में अन्तर्देशीय मात्स्यकी में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये कुछ मुख्य उपाय निम्न प्रकार हैं :

(1) राष्ट्रीय डिम्पोना कार्यक्रम—हेचरियों और डिम्पोना फार्मों का विनिर्माण।

(2) जिला स्तर पर मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मछुआ विकास एजेंसियों की स्थापना।

(3) खारे पानी में मछली/झींगा पालन के लिए तटवर्ती इलाकों का विकास।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए अन्तरिम विकास योजना

2398. श्री आनन्द सिंह :
श्री सोमनाथ रथ :
श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए अन्तरिम विकास योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और मद-वार परिव्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आयोजना बोर्ड ने इस योजना पर विचार किया है और इसे मंजूर कर दिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा तैयार किए गए अन्तरिम विकास योजना प्रारूप, जो कि फिलहाल बोर्ड के विचाराधीन है, में इसकी आयोजना समिति ने दिल्ली द्वारा उत्प्रेरित आकर्षक तथ्यों की प्रतिक्रिया तथा दिल्ली एवं दिल्ली महानगर क्षेत्र से जनसंख्या के परिवर्तित प्रवाह को खपाने की दृष्टि से इस क्षेत्र में विकसित किए जाने वाले 8 शहरों का चयन किया था। इस समिति ने इस क्षेत्र की तुलना में केन्द्रीय सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों के लिए एक अवस्थिति नीति का भी प्रस्ताव किया है। जिसमें इस बात पर विचार किया गया है कि विद्यमान सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों, जिनकी दिल्ली में अवस्थिति कतिपय मापदण्डों के आधार पर उचित नहीं है, को दिल्ली से बाहर उपर्युक्त 8 चयनित शहरों में, अधिमानतः भेज दिए जाने चाहिए। परन्तु अनिवार्य रूप से नहीं।

(ग) जी, नहीं।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा विशाखापत्तनम बंदरगाह की सामान्य माल-गोदी को अपने नियंत्रण में लेना

2399. श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० के अधिकारी आयातित कोकिंग कोयले की ढुलाई के लिए विशाखापत्तनम बंदरगाह की सामान्य माल-गोदी को नियन्त्रण में लेना चाहते हैं;

(ख) क्या कोयला प्राप्त करने उसकी ढुलाई और भण्डार करने से कोई पर्यावरण संबंधी समस्या पैदा होगी क्योंकि यह नगर के निकट है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नौभार माल-मोदी से भण्डार क्षेत्र तक ले जाने के लिए माल गोदियों यांत्रिक गोदियों में परिवर्तित करनी पड़ेंगी और अन्य सुविधाओं में भी परिवर्तन करना पड़ेगा;

(घ) क्या कन्वेयर (वाहक) को कोयला भण्डारण क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए सामान्य माल-गोदी के ऊपर से गुजरना पड़ता है;

(ङ) क्या कोकिंग कोयले की उपरिवाहक पट्टी के रास्ते से सामान्य माल-गोदी से पूर्वी यार्ड स्थ्म तक ढुलाई करने से कोयले की राख उड़कर नगर के क्षेत्र में फैल जायेगी; और

(च) क्या पर्यावरणीय दृष्टि से इस मामले की जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (च) स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों तथा विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के लिए कोककर कोयले का आयात करने हेतु विशाखापत्तनम बन्दरगाह की सामान्य माल-गोदी को काम में लेने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। हाल ही में मैसर्स होवे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, परामर्शी अभियन्ताओं को, जिन्होंने इससे पहले विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट के माध्यम से कोयले के आयात के संबंध में विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट (वी० पी० टी०) के लिए वितृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की थी और स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए व्यवहार्यता अध्ययन किया था, आयात के लिए अधिकतम उपयुक्त पत्तन-सुविधाओं का पता लगाने का काम सौंपा गया है। परियोजना प्रस्ताव तैयार करते समय, परामर्शी अभियन्ता आयातित कोयला प्राप्त करने, भण्डारण तथा उसकी ढुलाई के दौरान उत्पन्न प्रदूषण के खतरों से बचने के लिए उपयुक्त उपायों पर भी विचार करेंगे। उनकी सिफारिशों के प्राप्त होने की प्रतीक्षा है।

कृषि के क्षेत्र में भारत-पाक सहयोग

2400. श्री रामभजन :

श्री बी० नामग्याल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार कृषि के क्षेत्र में सहयोग के लिए पाकिस्तान के साथ

समझौता करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय गणराज्य की सरकार तथा पाकिस्तानी इस्लामिक गणराज्य की सरकार के बीच पहले ही कृषि में सहयोग हेतु एक समझौता जुलाई, 1985 में हो चुका है।

(ख) इस समझौते में दोनों देशों के बीच कार्यकारी एजेंसियों अर्थात् भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई० सी० ए० आर०) और पाकिस्तान कृषि अनुसंधान परिषद (पी० ए० आर० सी०) के माध्यम से सहयोग करने का विचार किया गया है जो जनन-द्रव्य और प्रजनन सामग्री के विनियम, वैज्ञानिक साहित्य सूचना और प्रविधि के विनियम, वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकों के विनिमय तथा उनके संगोष्ठियों/विचार गोष्ठियों में सम्मिलित होने; दोनों देशों की अपनी-अपनी संस्थाओं में अध्ययन और अनुसंधान हेतु वैज्ञानिकों और छात्रों को अध्येतावृत्ति स्वीकृत करने, सामान्य रुचियों के कार्यक्रम में जो वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध हों और जिनकी आवश्यकता हो उनके आयात और निर्यात करने के क्षेत्रों में होगा।

जैसा समझौते में प्रावधान है, प्रथम कार्ययोजना सम्मिलित रूप से विकसित की जा रही है जिसमें अगले दो वर्षों में इन सहकारिता कार्यक्रम में विशेष रूप से की जाने वाली गतिविधियों को शामिल किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

2401. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**
श्री सुभाष यादव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान इनके कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) मध्य प्रदेश में कार्यान्वित किए जा रहे मुख्य केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये हैं : समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित किया जाता है, किन्तु अन्य कार्यक्रमों को केन्द्र तथा राज्य द्वारा बराबर के अंशदान के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम को राज्य के सभी खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जबकि सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम को 6 जिलों अर्थात् बेतुल, शहडोल, खारगोन, धार, झाबुआ तथा सिधी के 49 खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) इन कार्यक्रमों के लिए 1986-87 के दौरान निधियों का आवंटन निम्न प्रकार से है—

कार्यक्रम	केन्द्रीय आवंटन (लाख रुपए में)
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2536.50
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	1907.00*
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम	4114.00
सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम	735.00

*इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष की पहली दो तिमाहियों के लिए 1168.12 लाख रुपए के मूल्य के 61480 मीटरी टन खाद्यान्नों की मात्रा निर्मुक्त की गई है।

सरकारी आवासों का आगे किराये पर दिया जाना

2402. श्री एम० एम० पटेल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवंटित आवासों को बिना आज्ञा आगे किराए पर देने के संबंध में प्राधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार की कार्यवाही से सरकारी आवासों के दुरुपयोग पर कोई नियंत्रण हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इसके परिणामस्वरूप कितने अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जनवरी, 1985 से जून, 1986 तक उप किराएदारी साबित होने के आधार पर 1013 क्वार्टरों का आवंटन निरस्त किया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी किए गए दिनांक 6-3-86 के कार्यालय ज्ञापन सं० 11013/14/85-स्थापना के अनुसार उचित कार्यवाही करने के लिए संबंधित दोषी कर्मचारियों के विभागों को भी स्थिति से अवगत किया जाता है।

कालीन और पटाखा उद्योगों में बाल श्रमिक

2403. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीन और पटाखे माचिस बनाने के उद्योग में लगे बाल श्रमिकों के पुनर्वास करने का कार्यक्रम बंद कर दिया गया है;

(ख) भारत तथा विदेशों के व्यापार संघों ने इस आधार पर इस कार्यक्रम का विरोध किया है कि यह बाल श्रम को कानूनी मान्यता प्रदान करता है; और

(ग) क्या विदेश व्यापार संघों ने धमकी दी है, यदि इन कालीनों को बनाने में, जिनका अधिकांशत: निर्यात किया जाता है, बाल श्रमिकों से काम लिया जाता रहा तो वे भारतीय कालीनों का बहिष्कार करेंगे ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं। तमिलनाडु में शिवकासी में माचिस उद्योग में कार्य कर रहे बच्चों के लाभ के लिए प्रायोगिक परियोजना पहले ही आरम्भ की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में कालीन बुनने वाले उद्योग में कार्य कर रहे बच्चों के लिए ऐसी ही योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ख) और (ग) ऐसा कोई विरोध केन्द्रीय सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

[हिन्दी]

मलव्ययन जल का खेती पर हानिकारक प्रभाव

2404. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :
श्री शान्ति धारीवाल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "सैंट्रल सोइल सेलिनिटी 'रिसर्च इन्सटिट्यूट", करनाल के वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा व्यक्त इस विचार की ओर दिलाया गया है कि मल व्ययन जल (जिसमें मल भी शामिल होता है) सब्जियों की खेती के लिए हानिकारक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में और अधिक अनुसंधान करने का प्रयास किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे इस जल का सब्जियां बोने के प्रयोजन के लिए उपयोग न करें; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी-नहीं, श्रीमान्। केन्द्रीय लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में सब्जी उत्पादन पर मल व्ययन जल के प्रभाव पर अनुसंधान नहीं किया जा रहा है। वानिकी प्रणाली में मल व्ययन जल के उपयोग पर कार्य किया जा रहा है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

सेबों का उत्पादन

2405. श्री हरीश रावत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न राज्यों में सेबों का प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन होता है;

(ख) क्या अन्य देशों की तुलना में भारत में सेबों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है; और

(ग) यदि हां, तो सेबों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सेब एक पूर्वानुमान न लगाई जा सकने वाली फसल होने के कारण विभिन्न राज्यों में सेब के प्रति हेक्टेयर उत्पादन संबंधी सरकारी अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, मुख्य राज्यों में सेब का प्रति हेक्टेयर उत्पादन मोटे अनुमान के अनुसार निम्न प्रकार है—

राज्य	सेब का हेक्टार उत्पादन (मीटरी टन में) (1984-85)
1. जम्मू व कश्मीर	9.8
2. उत्तर प्रदेश	3.5
3. हिमाचल प्रदेश	8.8

(ख) कुछ अन्य देशों में सेब का प्रति हैक्टार उत्पादन अधिक होने की सूचना मिली है।

(ग) भारत सरकार, जम्मू व कश्मीर, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में अच्छी किस्म के सेब के उत्पादन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी पर एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना का क्रियान्वयन कर रही हैं। इण्डो-आस्ट्रेलियन सेब प्रौद्योगिकी विस्तार परियोजना के अन्तर्गत, जम्मू व कश्मीर में उत्पादकों को सेब उत्पादन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण दिया जाता है। सेब की रोएंदार (स्पर) किस्में, जिनकी उत्पादकता काफी अधिक है, हमारे देश में शुरू की जा रही है। इसके अलावा, राज्य सरकारें सेब का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर में कृषि विश्वविद्यालय विद्यमान कृषि प्रणालियों में सुधार कर रहे हैं।

जगदलपुर में कम क्षमता वाला ट्रांसमीटर

2406. श्री मनकू राम सोढी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बस्तर जिले (मध्य प्रदेश) में जगदलपुर में स्थापित किए जाने वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर कितने किलोवाट क्षमता का होगा और उससे कितने क्षेत्र में दूरदर्शन कार्यक्रम देखे जा सकेंगे;

(ख) बस्तर के ग्रामीण क्षेत्रों की आदिवासी जनता को दूरदर्शन सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बस्तर का क्षेत्र केरल राज्य से भी बड़ा है, भविष्य के लिए इस संबंध में सरकार की क्या योजना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जगदलपुर का ट्रांसमीटर 0.10 किलोवाट (100 वाट) शक्ति का है तथा इसकी सेवा परिधि लगभग 25 किलोमीटर है।

(ख) दूरदर्शन की सातवीं योजना में निम्नलिखित शामिल हैं—

(1) जगदलपुर के अल्प शक्ति (100 वाट) वाले ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति (1 किलोवाट) वाले ट्रांसमीटर से बदलना, जिससे उपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र कवर होना;

(2) बेलाडिल्ला में अल्प शक्ति (100 वाट) वाला एक ट्रांसमीटर स्थापित करना; और

(3) रायपुर के 1 किलोवाट वाले ट्रांसमीटर को 10 किलोवाट वाले ट्रांसमीटर से बदलना, जिससे बस्तर जिले के भागों में सेवा उपलब्ध होने की संभावना है।

(ग) बस्तर जिले में दूरदर्शन सेवा का और विस्तार करना देश में दूरदर्शन विस्तार की भावी योजनाओं के दौरान संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

दूरदर्शन/रेडियो पर गलत समाचारों का प्रसारण

2407. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेडियो/दूरदर्शन पर समाचार बुलेटिन में गलत समाचारों के प्रसारण के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके क्या कारण थे;

(ग) इन मामलों में क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) क्या भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई संस्थागत तन्त्र तैयार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (घ) यदि यह संदर्भ बाबू जगजीवन राम के निधन की 4 जुलाई, 1986 को की गई गलत घोषणा जैसे उदाहरणों के बारे में है तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार का कोई उदाहरण नहीं है। जहां तक आकाशवाणी से उक्त प्रसारण का संबंध है, लोक सभा में 21 जुलाई, 1986 को अतारांकित प्रश्न संख्या 352 के उत्तर में स्पष्ट की गई स्थिति लागू होती है। जो भी शोधक कारंवाई आवश्यक होगी, वह जांच के निष्कर्षों पर विचार करने के बाद की जाएगी।

तथापि, यह उल्लेखनीय है कि आकाशवाणी देश में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं तथा बोलियों में 200 से अधिक बुलेटिन प्रतिदिन प्रसारित करता है। इसी प्रकार, सभी मुख्य दूरदर्शन केन्द्र संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में बुलेटिन प्रतिदिन टेलीकास्ट करते हैं। प्रचार माध्यमों द्वारा अद्यतन तथा प्रामाणिक सूचना देने में यथार्थता और व्यावसायिक दक्षता के उच्चतम मानक

बनाए रखने के लिए पूरे प्रयास किए जाते हैं। उन सम्भावित विरले मामलों को छोड़कर, जहां अधिकृत अधिकारियों/समाचार स्रोतों ने स्वयं भिन्न सूचनाएं दी हैं, गलत समाचार प्रसारित तथा टेलीकास्ट होने का कोई भी मामला ध्यान में नही आया है, सिवाए उसके जिसका उपयुक्त पैरा 1 में उल्लेख किया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों को अनुदान

2408. **श्री निर्मल खत्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 के दौरान उत्तर प्रदेश के तीन कृषि विश्वविद्यालयों को कितना अनुदान दिया गया है;

(ख) नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद को कम राशि का अनुदान दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रकार के अनुदान देने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए थे ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) वर्ष 1983-84, 1984-85 और 1985-86 में छटी योजना के दौरान "कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना और विकास" के अन्तर्गत तीन राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, जैसे—गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, (जी० बी० पी० यू० ए० टी) पंतनगर, चन्द्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, (सी० एस० ए० यू० ए० टी०) कानपुर और नरेन्द्र देव कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, (एन० डी० यू० ए० टी०), फैजाबाद को दिया गया अनुदान निम्न प्रकार है—

विश्वविद्यालय	दिया गया अनुदान रु० लाख में छठी योजना 1980-85	1983-84	1984-85	1985-86
जी० बी० पी० यू० ए० टी०, पंतनगर	130.00	66.10	51.23	37.00
एन० डी० यू० ए० टी०, फैजाबाद	129.57	10.00	72.00	40.00
सी० एस० ए० यू० ए० टी०, कानपुर	129.34	41.50	59.50	35.00

सभी तीनों राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को दिया गया अनुदान करीब-करीब बराबर है।

(घ) संबंधित राज्य में वैज्ञानिकों/तकनीकी मानव शक्ति विकास की आवश्यकताओं और परिषद के पास उपलब्ध वित्तीय संशोधनों को ध्यान में रखते हुए राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को अनुदान दिया जाता है।

[अनुवाद]

पूर्वी क्षेत्र में सेन समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन

2409. **श्री अमल दत्ता :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी क्षेत्र में कृषि के विकास के बारे में एस० आर० सेन समिति की सिफारिशें सरकार द्वारा किस सीमा तक स्वीकार की गई हैं;

(ख) सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में कृषि संबंधी विकास को प्रोत्साहन तथा बढ़ावा देने के लिए क्या ठोस उपाय किये हैं; और

(ग) सातवीं योजना अवधि के वर्ष 1985-86 और 1986-87 में इससे सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के संवर्द्धनात्मक क्रियाकलापों के लिए कितनी राशि/आवंटित निर्धारित की गई है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) पूर्वी भारत में कृषि उत्पादकता समिति ने बिहार, उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के संबंध में प्रत्येक कृषि-जलवायु मंडल (जोन) को ध्यान में रखते हुये कृषि उत्पादन में सुधार करने हेतु अनेक सिफारिशें की हैं। समिति की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह विचार किया गया है कि विकास कार्यों को मुख्य रूप से नलकूपों, पम्पों, जल निकास और सूक्ष्म जलाशय विकास को भारी मात्रा में उपलब्ध कराने के संदर्भ में होना चाहिए। इस रिपोर्ट पर जनवरी, 1986 में पटना में चार राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में विचार किया गया है और वे राज्य इन सिफारिशों का क्रियान्वयन करने पर सहमत हो गये हैं।

विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की और केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा राज्यों के प्लान स्कीमों के अन्तर्गत इन राज्यों में कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इन चार राज्यों ने अपनी सातवीं योजना में बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण जल निकासी आदि के लिए प्रावधानों को शामिल किया है।

सातवीं योजना में केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किये गये विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत और छठी योजना से जारी लघु और सीमान्त कृषक योजना के अन्तर्गत इस संबंध में ठोस उपाय किये जा रहे हैं। इन राज्यों की परियोजनाओं के चुनिंदा खंडों में कृषि उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के लिए विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत बीज, उर्वरक, सूक्ष्म पोषक-तत्व, कृमि-नाशी दवाओं, फार्म उपकरणों और पौध संरक्षण जैसे आदानों की रिआयती दरों पर सप्लाई करने का कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1986-87 के लिए केन्द्रीय अंश के रूप में भारत सरकार द्वारा इन चार राज्यों को करीब 1576 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की गई है। लघु और सीमान्त कृषक योजना, जिसे देश के प्रत्येक खण्ड में

क्रियान्वित किया जाता है, के अन्तर्गत इन चार राज्यों को भूमिगत जल का पता लगाने, भूमि विकास सहित लघु सिंचाई कार्यों और तिलहनों, दालों और मोटे अनाज के लिये मिनिकिटों का वितरण करने के लिए भी राज्य सरकारों और भारत सरकार द्वारा बराबर-बराबर के आधार पर प्रतिवर्ष प्रति ब्लाक 5 लाख रुपए की दर से धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।

प्रेस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की जांच करने के लिए विशेषज्ञ समिति

2410. श्री के० वी० शंकर गौड़ा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विज्ञापनों की तुलना में अनुपात मूल्य पृष्ठ अनुसूची और समाचार-व्यवस्था आरंभ करने सम्बन्धी मामले का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों का एक पेनल गठित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो पेनल कब तक गठित किया जायेगा और सरकार को कब तक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी;

(ग) प्रेस आयोग की कितनी सिफारिशों को अब तक स्वीकार किया गया है और कार्यान्वित किया गया है;

(घ) क्या प्रेस आयोग द्वारा की गई 26 सिफारिशों की जांच करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो कुल कितनी सिफारिशें की गई हैं और उन्हें कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, हां। जबकि इस प्रयोजन के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन करने के लिए कारंवाई शुरू कर दी गई है, इस अवस्था पर निश्चित् रूप से यह कहना कठिन है कि यह समिति, गठित होने के बाद, सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक देने की स्थिति में होगी।

(ग) द्वितीय प्रेस आयोग द्वारा की गई 91 सिफारिशों को सरकार ने पूर्ण रूप में या आंशिक रूप में या सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है।

(घ) 26 सिफारिशों में, जिनके बारे में और जांच करके रिपोर्ट देने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है, पृष्ठानुसार मूल्य-सूची तथा समाचारों और विज्ञापनों के अनुपात से सम्बन्धित सिफारिशें शामिल हैं और इस प्रकार की समिति का गठन करने के लिए कारंवाई शुरू कर दी गई है।

(ङ) द्वितीय प्रेस आयोग ने कुल मिलाकर 278 सिफारिशें की और इन सिफारिशों के बारे में की गई कारंवाई की रिपोर्ट 18.7.1986 को सभा की मेज पर रख दी गई थी।

फसल क्रम में असंतुलन समाप्त करना

2411. श्री के० राममूर्ति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फसल क्रम में असंतुलन समाप्त करने हेतु उपाय किये गये हैं;

(ख) पैदावार और उत्पादन लागत में क्षेत्रीय विषमता दूर करने हेतु क्या उपाय किये गये हैं ताकि क्षेत्रीय स्तर पर इष्टतम फसल क्रम प्राप्त किया जा सकता है; और

(ग) राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए फसल क्रम के अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं और क्या उक्त अध्ययन में दिये गये सुझावों पर कोई कार्यवाही आरम्भ की गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) ; (क) और (ख) सातवीं योजना के अन्तर्गत, फसल उत्पादन में मुख्य जोर, विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक रूप से अनुकूलतम फसल प्रतिमानों को अभिज्ञात करने और किसानों को ऐसे फसल प्रतिमान अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए उपायों का पता लगाने और प्रोत्साहन देने पर होगा। योजना में सिंचाई, जल निकासी, कम विकसित क्षेत्रों में सड़कों, मण्डियों और ऋण संस्थाओं, जैसी बुनियादी ढांचे की सुविधाओं के विकास, नई प्रौद्योगिकी के विस्तार, विशेषकर बारानी खेती के विकास और विभिन्न फसलों के लिए समुचित मूल्य और खरीद सम्बन्धी नीतियों के जरिए कृषि उत्पादन के आधार को व्यापक बनाने का उद्देश्य है। इन उपायों से फसल-प्रतिमान के असन्तुलन को दूर करने में मदद मिलेगी। इन उपायों से उत्पादकता बढ़ने के फलस्वरूप, फसलों के उत्पादन की इकाई लागत को कम करने में भी मदद मिलेगी।

भारत सरकार ने एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ दल भी नियुक्त किया है ताकि सभी संबंधित आर्थिक और सस्य-वैज्ञानिक घटकों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न एक समान कृषि-जलवायु क्षेत्रों के लिए समुचित फसल-प्रतिमानों का निर्धारण करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए जा सकें।

(ग) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद के अध्ययन "फसल प्रतिमान में परिवर्तन : नीति के लिए निहितार्थ" (दिसम्बर-1985) में उत्पादन के रुखों, मुख्य फसलों का क्षेत्र और पैदावार की समीक्षा की गई है तथा फसल उत्पादन के क्षेत्रीय वितरण को पुनर्गठित करके उत्पादकता को बढ़ाने की गुंजाइश की जांच की गई है। रिपोर्ट में यह पाया गया है कि राज्यों में पैदावार के स्तरों का अन्तर अधिक होने से फसल प्रतिमान में परिवर्तन की संभावना का संकेत मिलता है। उक्त रिपोर्ट में यह निष्कर्ष दिया गया है कि इस प्रयोजन के लिए मृदा-जलवायु संबंधी घटकों का एक विस्तृत मूल्यांकन करना जरूरी है। लेकिन, उक्त अध्ययन में इसके लिए प्रयास नहीं किया गया है।

श्रम कल्याण क्षेत्र के अन्तर्गत उड़ीसा को आबंटित धनराशि

2412. श्री अनादि चरण दास : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में श्रम कल्याण क्षेत्र के अन्तर्गत कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) वार्षिक योजना 1986-87 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) श्रम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रमवार ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) उड़ीसा के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में श्रम तथा कल्याण क्षेत्र के लिए 6.50 करोड़ रुपए तथा वार्षिक योजना 1986-87 के लिए 2.90 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, श्रम मंत्रालय की विभिन्न प्लान योजनाओं, जिनके लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 95.44 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1986-87 के लिए 18.50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, के माध्यम से भी उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों को धनराशि दी जाएगी।

(ग) श्रम तथा श्रम कल्याण क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यक्रम शिल्पकार प्रशिक्षण, शिक्षुता प्रशिक्षण, नियोजन सेवाएं और श्रम कल्याण से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास कृषि में न्यूनतम मजदूरी के कार्यान्वयन के लिए प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करना, प्रशिक्षण स्तर में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का दर्जा बढ़ाने, जोखिमपूर्ण रासायनिक उद्योगों, व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों के प्रतिष्ठान में कार्य पर्यावरण को मानिटर करने के लिए सुविधाओं तथा सेवाओं को बढ़ाने, स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रोजगार कार्यालयों, विश्वविद्यालय रोजगार सूचना तथा मार्गदर्शन ब्यूरो को सुदृढ़ करने की स्कीम आदि जैसी विभिन्न केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित श्रम मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों से भी उड़ीसा को लाभ होगा।

आलू की कमी

2413. **श्री शांताराम नायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष आलू की फसल खराब हो जाने के कारण बाजार में आलू की अत्यधिक कमी होगी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है जिससे जन साधारण को आलू के मूल्य में वृद्धि होने के कारण कठिनाई न हो ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 1984-85 में आलू के 12.64 मिलियन टन उत्पादन के मुकाबले, 1985-86 में उत्पादन 10.8 मिलियन टन होने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में जहां कुल राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 50 प्रतिशत होता है, 1985-86 की आलू की फसल लिट ब्लाईट रोग से बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इस कारण से, इस वर्ष आलू की कीमतें बढ़ रही हैं। इसलिए राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे कीमतों को बढ़ने से रोकने का भरसक प्रयत्न करें और लोगों को इसकी सप्लाई उचित कीमतों पर उपलब्ध करायें। उनसे उपभोक्ता सहकारी समितियों, सुपर बाजार, राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और ऐसे ही अन्य संगठनों के जरिए उचित कीमतों पर आलू बेचने की संभावना की जांच करने का अनुरोध भी किया गया है।

केरल में फसल बीमा योजना

2414. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुट्टनाड़, जो केरल का सर्वाधिक धान पैदा करने वाला क्षेत्र है, में नई फसल बीमा योजना लागू है;

(ख) क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि उस क्षेत्र में पूरी फसल के नष्ट हो जाने पर भी बीमा कम्पनी से किसानों को नुकसान का केवल 10 प्रतिशत से कम दिया; और

(ग) यदि हां, तो सरकार उनकी शिकायतों की जांच करने और उनकी शिकायतें दूर करने के लिए कदम उठाएगी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) जी नहीं । यदि फसल प्रारम्भिक स्तर पर नष्ट हो जाती है और पुनः पौधे लगाना सम्भव है, तो किसानों से ऐसा करने की आशा की जाती है । इस प्रयोजन के लिए लिया गया कोई भी अतिरिक्त ऋण इस मौसम के लिए बीमाकृत है । अतः कुट्टानाड में पैदावार में सिर्फ सीमान्त गिरावट दिखाई दी है और इसीलिए किसानों को क्षति के लिए आनुपातिक अदायगी की गई ।

धारवाड़ के लिए कृषि विश्वविद्यालय

2415. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में धारवाड़ में वर्ष 1986 के दौरान एक अन्य कृषि विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस विश्वविद्यालय को कब तक मान्यता प्रदान कर देगा जिससे कि वह सरकार से धन प्राप्त करने का पात्र हो जाये ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) वर्ष 1986 के दौरान कर्नाटक राज्य के धारवाड़ नामक स्थान में दूसरा कृषि विश्वविद्यालय खोलने से सम्बन्धित एक प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् को प्राप्त हुआ है ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने प्रस्ताव की जांच की है और प्रस्तावित विश्वविद्यालय के अधिनियम में कुछ संशोधन करने के लिए कर्नाटक सरकार से अनुरोध किया है । कर्नाटक सरकार संशोधित अधिनियम प्राप्त हो जाने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने अधिनियम 12 बी के अधीन इस विश्वविद्यालय को स्वीकृति प्रदान करने पर विचार करेगा ।

आदिवासी युवकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

2416. श्री अमरसिंह राठवा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार "आदिवासी युवकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम" नामक कोई योजना

शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आदिवासी युवकों का चयन किस प्रकार किया जाएगा; और

(घ) दिए जाने वाले प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने "युवाओं का प्रशिक्षण" नामक एक योजना तैयार की है। वैसे, कृषि मंत्रालय "आदिवासी युवाओं के लिए प्रशिक्षण कोर्स" नामक किसी योजना पर विचार नहीं कर रहा है।

(ख) "युवाओं को प्रशिक्षण" नामक योजना का उद्देश्य है युवा लोगों को प्रेरित करके तेज प्रवर्तक असर पैदा करना। यह काम ग्रामीण समाज में ज्ञान के प्रसार के जरिये तथा स्थानीय आवश्यकताओं और युवा व्यक्तियों की योग्यताओं पर आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में युवा लोगों की सहभागिता के जरिये किया जाता है।

(ग) 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के सभी युवा व्यक्ति इसमें भाग लेने के पात्र होंगे। निम्नलिखित तरजीह दी जायेगी :

(1) ऐसे युवा व्यक्ति जिनके पास आय के लिये विशेष कुशलता नहीं है लेकिन वे ऐसी कुशलता हासिल करना चाहते हैं।

(2) ऐसे युवा व्यक्ति जो पुरानी परम्परागत कुशलता के कारण आय के न्यून स्तर पर रहने के लिए बाध्य हैं और अपनी कुशलता और आय स्तर को बढ़ाना चाहते हैं।

(3) पिछड़े समुदायों के युवा व्यक्ति, जो शहरी सुविधाओं से दूर वाले इलाकों में रहते हैं।

(4) ऐसे युवा व्यक्ति जिन्हें सरकार के अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिला है।

(घ) निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जायेगा :

(1) पशुपालन, डेयरी, मुर्गीपालन, आदि।

(2) कृषि की विभिन्न विधियों में प्रशिक्षण।

(3) सहकारी समितियों की स्थापना और कृषि सेवा केन्द्र खोलने का प्रशिक्षण।

(4) स्वास्थ्य शिक्षा और पोषण में प्रशिक्षण।

(5) धुआं-रहित चूल्हों, बायो-गैस संयंत्रों तथा अन्य गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के इस्तेमाल के वैज्ञानिक तरीकों का प्रचार।

प्रशिक्षण की अवधि एक माह से छह मास तक है।

दिल्ली स्थित मावलंकर आडिटोरियल की किराये की ऊंची दर

2417. **श्री हुसैन दलवई :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल के महीनों में मावलंकर अडिटोरियम दिल्ली के लिए निर्धारित 1800 रुपये प्रति दिन के अत्यधिक किराये के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) मावलंकर आडिटोरियम को अप्रैल से जून, 1986 के तीन महीने की अवधि में गैर-सरकारी सांस्कृतिक दलों से कितनी औसत दैनिक आय हुई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) मावलंकर आडीटोरियम के लिए निर्धारित 1800 रुपये प्रति दिन की दैनिक दर एक कम दर है क्योंकि संबंधित लागत घटकों पर किराया 1800 रुपये प्रतिदिन से कुछ अधिक निर्धारित किया गया है। आडीटोरियम के लिए निर्धारित 1800 रुपये प्रतिदिन के वर्तमान किराये के विरुद्ध हाल ही में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। चूंकि अब वर्तमान दरें संशोधित की जा रही हैं, इसलिए संशोधित दरों पर अन्तिम निर्णय लेते समय अभ्यावेदन को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(ग) सरकारी, अर्ध सरकारी तथा निजी संगठनों के वाणिज्यिक विभागों को आवंटित करने से अप्रैल से जून, 1986 के तीन महीने की अवधि के दौरान मावलंकर आडीटोरियम की आय केवल 580 रुपये (लगभग) है।

निम्न आय वर्ग के लिए रिहायशी मकानों के निर्माण के लिए राज-सहायता

2418. **श्री अजय मुशरान :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि निम्न आय वर्ग के लिए बनाए जा रहे मकानों की लागत प्रस्तावित निर्धारित लागत से बहुत अधिक है: और

(ख) यदि हां, तो क्या निम्न आय वर्ग के लिए रिहायशी मकानों के निर्माण के लिए राज-सहायता देने का कोई प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) आवास राज्य का विषय है तथा आवासों की लागत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के आवास बोर्डों तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा तय की जाती है। निम्न आय वर्ग (एल० आई० जी०) के लिए उद्दिष्ट आवासों के निर्माण की लागत को साहाय्यित करने का केन्द्रीय स्तर पर कोई प्रस्ताव नहीं है।

पुदीने की खेती और निर्यात

2419. **श्री वीरेन्द्र सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पुदीना की खेती कुल कितने क्षेत्र में होती है;

(ख) क्या नई अधिक पैदावार देने वाली किस्मों को विकसित करके उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई अनुसंधान किया गया है; और

(ग) पुदीने से निकाले गए निर्यात करने योग्य तेल की मात्रा कितनी है और उससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कृषि संबंधी आंकड़ों को एकत्र करने की मोजूदा प्रणाली में पुदीने तथा अन्य लघु फसलों के क्षेत्र का अलग-अलग रिकार्ड रखने की कोई व्यवस्था नहीं है।

(ख) जी हां। विकसित की गई अधिक फसल देने वाली पुदीने की नई किस्मों में सी० एस० आई० आर० (सी० आई० एम० ए० पी०) लखनऊ द्वारा विकसित "एम० एस०-1" किस्म तथा आई० सी० ए० आर० (एन० बी० पी० जी० आर०, दिल्ली और एच० पी० के० वी० वी०, सोलन) द्वारा विकसित "ई-सी-41911" किस्में भी शामिल हैं। इन दोनों किस्मों से तेल अधिक मात्रा में प्राप्त होता है तथा इसमें मेंथाल की मात्रा अधिक होती है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में लगभग 600 मीटरी टन जापानी पुदीने के तेल तथा पिपरमिंट और बरगामॉट पुदीने के तेल में से प्रत्येक का करीब 20 मीटरी टन उत्पादन होता है। विदेश व्यापार संबंधी आंकड़ों को दर्ज करने के लिए अपनाई गई मोजूदा व्यापार वर्गीकरण श्रेणी में "पुदीने के तेल" के आंकड़े अलग से विनिर्दिष्ट नहीं किए जाते हैं।

विशाखापत्तनम के मछुआरों के मछली पकड़ने के हितों की रक्षा

2420. **श्री आनन्द गजपति राजू :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि विशाखापत्तनम में मशीन से चलने वाली नौकाओं के चलाये जाने से कैटामारेनों तथा छोटे मछुआरों के हितों को काफी नुकसान पहुंच रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कैटामारने तथा छोटे मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए क्या उपाय किये हैं; और

(ग) क्या विशाखापत्तनम में तट रक्षकों की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) छोटे मछुआरों के हितों की रक्षा करने के लिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के मार्गदर्शनों पर आधारित एक कार्यकारी आदेश पारित किया है, जिसके अनुसार समुद्र तट से 10 कि० मी० तक के क्षेत्र गैर-यंत्रीकृत नौकाओं के लिए आरक्षित हैं और 10 कि० मी० की सीमा के परे ही यंत्रीकृत जलयानों को चलाने की अनुमति दी गई है।

(ग) सरकार ने सिद्धान्ततः विशाखापत्तनम में में कोस्ट गार्ड जिला की स्थापना करने की मंजूरी दे दी है।

[हिन्दी]

झुनझुनू को पिछड़ा जिला घोषित करना

2421. **श्री मोहम्मद अयूब खां :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उद्योगों के मामले में झुनझुनू को पिछड़ा जिला घोषित करने

का है क्योंकि वहां हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, खेतड़ी नामक केवल एक ही उद्योग है; और

(ख) क्या हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, खेतड़ी को चोराहा से पानी सप्लाई किया जाता है, जबकि वहां पानी की पहले ही कमी है जिसके कारण यह क्षेत्र बरबाद हो रहा है और यदि हां, तो इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या योजना है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) राजस्थान का झुनझुनू जिला पहले ही औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए उन क्षेत्रों की "ग" श्रेणी में है, जो केन्द्रीय निवेश इमदाद, रियायती वित्त, ब्याज इमदाद, कर-रियायतों आदि के रूप में पिछड़ापन संबंधी प्रोत्साहनों के पाने के हकदार हैं।

(ख) हिन्दुस्तान कापर लि० के खेतड़ी कापर कम्पलैक्स की पानी की आंशिक आवश्यकता चौनरा-जोधपुरा क्षेत्र के नलकूपों से पूरी की जाती है। इस क्षेत्र में पानी की कमी के बारे में हिन्दुस्तान कापर लि० को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार

2422. **श्री सोमनाथ रथ :**
श्री नित्यानन्द मिश्र :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कालाहांडी में प्रधान मंत्री के दौरे के बाद समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में कोई प्रभावकारी सुधार हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) और (ख) वर्ष 1985-86 के दौरान उड़ीसा में कालीहांडी जिले के लिए कुल 144 लाख रुपए (राज्य अंश सहित) का आबंटन था। 1986-87 में कालाहांडी जिले के लिए कुल 170.37 लाख रुपए का आबंटन है। यह सभी राज्यों को निधियों के आबंटन के लिए अपनाए गए 50 प्रतिशत एकरूपता तथा 50 प्रतिशत चयनात्मकता के फार्मूला के अनुसार है।

सातवीं योजना अवधि में स्पंज लोहा संयंत्र

2423. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधीन स्पंज लोहे की और इकाइयों के खोले जाने तथा वित्तीय मंजूरी प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आकाशवाणी के सिलचर केन्द्र से बंगला में प्रातःकालीन स्थानीय समाचार बुलेटिन

2424. श्री सुदर्शन दास : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आकाशवाणी के सिलचर केन्द्र के बंगला में प्रातःकालीन स्थानीय समाचार बुलेटिन शुरू करने की मांग की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, हां। इस समय आकाशवाणी, सिलचर सायं 7.15 बजे 10 मिनट की अवधि का बंगला में एक स्थानीय समाचार बुलेटिन प्रसारित करता है। इसके अतिरिक्त, आकाशवाणी, सिलचर प्रथम वीरवार और सभी शनिवारों को छोड़ कर बाकी सभी दिन दिल्ली से प्रसारित होने वाले बंगला के तीन केन्द्रीय समाचार बुलेटिनों, हिन्दी के 10 बुलेटिनों और कलकत्ता से प्रसारित होने वाला बंगला का एक बुलेटिन रिले करता है। इस समय सिलचर में जो समाचार बनते हैं, उनसे सिलचर में बंगला में अतिरिक्त बुलेटिनों का कोई औचित्य नहीं बनता।

वजीरपुर काम्पलेक्स में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की नीलामी

2425. श्री रामपूजन पटेल : क्या शहरी विकास मंत्री वजीरपुर काम्पलेक्स में दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की नीलामी के बारे में 22 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3860 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स लार्ड वर्ल्डस प्राइवेट लिमिटेड ने, जिसने वजीरपुर काम्पलेक्स में दो तहखानों का निर्माण किया था, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उसे जारी किये गये नोटिस के अनुसार निचले तहखाने को मिट्टी से भर दिया है, यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार ने उसके विरुद्ध क्यों कार्यवाही की है;

(ख) पार्टी द्वारा दायर किये गये शपथ-पत्र का पाठ क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को, एक अन्य फर्म द्वारा, जिसे खरीददार ने अधिकारी का कानूनी रूप में अन्तरण नहीं किया है, इस वाणिज्यिक भवन (राजेन्द्र टावर) में आवास की बुकिंग के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) फर्म ने तहखाने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को नींव खोदते समय होने वाली किसी हानि, किसी क्षति के कारण हुए नुकसान तथा इस मामले में बचाव में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए एक क्षतिपूर्ति बाण्ड प्रस्तुत किया है। दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 29(1) के साथ पठित धारा 12(1) के अन्तर्गत भी उन्होंने एक वचन-पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें वृहत योजना

प्रावधानों के साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन नक्शे की शर्तों का अनुपालन करना और इनका उल्लंघन करके किसी प्रकार के विकास को हटाना स्वीकार किया है।

(ग) बुकिंग/कसर/प्राप्ति के बारे में दस्तावेजी प्रमाण के बिना कुछ संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दूरदर्शन रिले केन्द्र, काकीनाडा के लिए भवन का निर्माण

2426. श्री टी० गोपाल कृष्ण थोटा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या काकीनाडा, आन्ध्र प्रदेश में दूरदर्शन रिले केन्द्र के लिए आगामी वर्ष के दौरान एक पृथक् परिसर का निर्माण करने का कोई विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : जी, नहीं।

ससून गोदी, बम्बई में मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए बंदरगाह

2427. श्री डी० बी० पाटिल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ससून गोदी, बम्बई स्थित मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए बन्दरगाह के निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ख) परियोजना के मूल अनुमान क्या थे और इसे कब तक पूरा किया जाना था; और

(ग) परियोजना के संशोधित अनुमान क्या है और इसके कब तक पूरा होने की संभावनाएं हैं?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) विनिर्माण कार्य की समग्र प्रगति लगभग 22 प्रतिशत है।

(ख) परियोजना की मूल अनुमानित लागत 405 लाख रुपये है और इसे जनवरी, 1982 तक पूरा किया जाना था।

(ग) परियोजना के संशोधित अनुमान को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। ठेके में एक विवाद उत्पन्न होने से मामला विचाराधीन था और बढ़ी हुई कीमत की अदायगी के सम्बन्ध में विवाचन निर्णय तथा कार्य को पूरा करने की अवधि पर विचार किया जा रहा है।

एक किलोवाट के ट्रान्समीटरों के स्थान पर 100 किलोवाट बूस्टर ट्रांसमीटरों की स्थापना

2428. श्री दिग्विजय सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल योजना में प्रस्तावित एक किलोवाट के रिले, ट्रांसमीटरों के स्थान पर 100 वाट के बूस्टर ट्रांसमीटर स्थापित करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) 100 वाट के ऐसे कितने बूस्टर स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) एक किलोवाट के ट्रान्समीटर उन सभी केन्द्रों पर कब तक लगा दिये जायेंगे जहां कि उन्हें मूल रूप से लगाये जाने की योजना थी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) सातवीं योजना में 90 अतिरिक्त अल्प शक्ति (100 वाट) वाले दूरदर्शन ट्रान्समीटरों की स्थापना की व्यवस्था है।

(ग) उत्तर-पूर्व में 1 किलोवाट वाले पांच दूरदर्शन ट्रान्समीटरों के (छठी योजना की जारी स्कीमों के अंग के रूप में) 1987-88 के अन्त तक चालू हो जाने की उम्मीद है। एक किलोवाट के चार और दूरदर्शन ट्रान्समीटरों के (सातवीं योजना की नई स्कीमों के अंग के रूप में) 1989-90 के अन्त तक चालू हो जाने की उम्मीद है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों की व्यवस्था

2429. डा० टी० कल्पना देवी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली में लोगों को समय पर मकान उपलब्ध कराने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस देरी के कारण संभावित खरीददारों को मूल्य वृद्धि के कारण कितनी धनराशि का नुकसान हुआ है; और

(घ) उक्त कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कृषि विश्वविद्यालय और कालेज खोलने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा अनुदान

2431. श्री महेन्द्र सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विभिन्न राज्यों को कृषि विश्वविद्यालय और कालेज खोलने के लिए उन्हें अनुदान दिये जाने सम्बन्धी नीति क्या है;

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान विभिन्न राज्यों में प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय और कालेज को कितना अनुदान और अन्य सहायता दी गई; और

(ग) क्या यह सच है कि देश में कृषि वैज्ञानिकों की संख्या उनकी आवश्यकता की तुलना में अपर्याप्त है और यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सम्बन्धित राज्य के विधान-मण्डल द्वारा पारित अधिनियम के माध्यम से निजी राज्य सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किये जाते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12-ख के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदन किए जाने पर ऐसे विश्वविद्यालय विशिष्ट मदों के लिए केन्द्रीय सहायता के पात्र हो जाते हैं। प्रत्येक कृषि विश्वविद्यालय को दी जाने वाली सहायता की राशि सम्बद्ध राज्य में वैज्ञानिक/तकनीकी मानवशक्ति की मांग तथा "कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा विकास" योजना के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के पास उपलब्ध निधि पर निर्भर है।

(ख) VIIवीं योजना में कुल विकास सहायता के एक भाग के रूप में वर्ष 1985-86 के दौरान विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों को दी गई केन्द्रीय सहायता को अनुबंध में दिया गया है।

(ग) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से एकत्रित सूचना से यह पता चलता है कि करीब 25 प्रतिशत वैज्ञानिक पद खाली पड़े हैं। पशु विज्ञान, गृह विज्ञान, वानिकी विज्ञान तथा कृषि अभियांत्रिकी के क्षेत्र में अक्सर कमियां पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों में मानव शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्थाओं की स्थापना तथा उन्हें सुदृढ़ करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है।

विवरण

वर्ष 1985-86 के दौरान विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों को दी गयी केन्द्रीय सहायता की सूची :

विश्वविद्यालय का नाम	रु० लाख में
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, हैदराबाद	67.00
2. असम कृषि विश्वविद्यालय, जोर हाट	47.50
3. राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पटना	30.00
4. गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, जिला बनासकांठा	15.00
5. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार	51.03
6. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर	54.80
7. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर	48.00
8. जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर	20.00
9. केरल कृषि विश्वविद्यालय, त्रिचूर	42.73
10. कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली	33.50
11. महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यालय, राहुरी	14.00

1	2
12. मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभणी	30.00
13. पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, अकोला	36.00
14. उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	44.00
15. पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना	62.80
16. तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर	44.50
17. गोविन्द बल्लभपन्त कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर	40.00
18. नरेन्द्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद	37.00
19. चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर	35.00
20. बिधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, नाडिया	37.00
21. जम्मू व कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	45.00

"नेशनल हेराल्ड" और "कौमी आवाज" का प्रकाशन बन्द करना

2432. **श्री केशवराव पारधी** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 अप्रैल, 1986 से "नेशनल हेराल्ड" और "कौमी आवाज" का प्रकाशन बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं; और

(ग) उनका प्रकाशन बंद करने के क्या कारण हैं और इस तरह बेरोजगार हुए कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, प्रबन्धतन्त्र ने बताया है कि "नेशनल हेराल्ड" और "कौमी आवाज" के प्रकाशक मैसर्स एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, नई दिल्ली में नियोजित 400 कर्मकारों में से 150 कर्मकार 16-4-1986 से अचानक हड़ताल पर चले गए और उसी दिन अन्य प्रबंधकीय कार्मिकों का तीन घन्टे तक घेराव करने के अलावा इन्होंने प्रबन्ध निदेशक के आवास पर प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज इम्पलाईज यूनियन ने आरोप लगाया है कि प्रबन्धतन्त्र ने अवैध तालाबंदी कर दी और 19-4-1986 से नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज का रोजाना प्रकाशन अचानक बन्द कर दिया। उक्त यूनियन के अनुसार, प्रबन्धतन्त्र ने 11 कर्मकारों को निलम्बित किया और वह दिनांक 21-1-1986 के औद्योगिक अधिकरण के पंचाट की शर्तों के अनुसार 56 दिनों की हड़ताल के लिए मजदूरी की अदायगी करने में भी असफल रहा।

दिल्ली प्रशासन के संराधन तंत्र ने 30-4-1986 की मध्यस्थता की और इस विवाद को निपटाने एवं आपस में स्वीकार्य समझौता कराने के लिए कई बैठकें की। इस मामले पर दिल्ली के उपराज्यपाल के स्तर पर भी चर्चा की गई। दिल्ली प्रशासन के अनुसार, यह विवाद मुख्यतः

(i) औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली की सम्मतिपूर्ण पंचाट की शर्तों के अनुसार 56 दिनों की मजदूरी की अदायगी न करने, (ii) 11 कर्मकारों को निलम्बित करने, और (iii) अप्रैल, 1986 के माह की मजदूरी की अदायगी न करने के बारे में है।

चूंकि इन मांगों को निपटाने के बारे में प्रबन्धतन्त्र और यूनियनों के बीच मतभेद जारी हैं, इसलिए संराधन तंत्र इन्हें आपस में स्वीकार्य समझौता कराने के लिए संभाव्यताओं को ढूंढने के प्रयास जारी रखे हुए है। इस बीच दिल्ली प्रशासन ने 56 दिनों की हड़ताल अवधि के लिए मजदूरी की अदायगी करने के बारे में अधिकरण के पंचाट के सम्बन्ध में 2.77 लाख रुपये की राशि की वसूली प्रमाण पत्र जारी किया है।

[अनुवाद]

केरल में नारियल की अधिक उपज देने वाले पौधों में वृद्धि

2433. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अधिक उपज देने वाले नारियल के पौधों की मांग बढ़ती आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या नारियल बोर्ड की जरूरत किसानों को मंद सस्ते मूल्यों पर पर्याप्त पौधों की सप्लाई करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नारियल विकास बोर्ड केरल में नारियल की अच्छे गुणस्तर की पौध की सप्लाई बढ़ाने के लिए निम्नलिखित योजनाओं के लिए धन मुहैया कर रहा है—

1. अच्छे गुणस्तर की नारियल पौद का उत्पादन।

2. टी×डी संकर पौद का उत्पादन और वितरण।

(3) डी×टी संकर किस्म के उत्पादन के लिए संकर बीज उद्यान लगाना।

ऊपर (1) पर उल्लिखित योजना अर्थात् अच्छे गुण स्तर की नारियल पौद का उत्पादन के अन्तर्गत विभागीय और सहकारी नर्सरियों को सुदृढ़ बनाने तथा अच्छे गुणस्तर की नारियल पौद की सप्लाई बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था की गई है।

उपर्युक्त (2) तथा (3) पर उल्लिखित योजनाओं के अन्तर्गत संकर नारियल पौद के उत्पादन के लिए सहायता मुहैया कराई जा रही है।

नारियल विकास बोर्ड के अन्तर्गत एक बीज अधिप्राप्ति एकक भी है, जो पौधा प्राप्त करके मांग करने पर राज्यों को न लाभ न हानि के आधार पर वितरित करता है।

विज्ञापन एकत्र करने हेतु एजेन्सी प्रणाली अपनाना

2434. श्री० अनूप चन्द शाह : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के लिए विज्ञापन और प्रायोजित कार्यक्रम एकत्र करने हेतु कोई एजेंसी प्रणाली है;

(ख) यदि हां, तो बम्बई में आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए कौन-कौन सी एजेंसियां हैं और उन्हें कितना कमीशन दिया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का किसी तरह की एजेंसी प्रणाली अपनाने अथवा सम्पूर्ण देश में एजेन्ट नियुक्त करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और लघु-उद्योगों से सीधे प्राप्त विज्ञापनों के अतिरिक्त, आकाशवाणी और दूरदर्शन पूरे भारत में कार्यरत अनुमोदित विज्ञापन एजेंसियों के माध्यम से विज्ञापन और प्रायोजित कार्यक्रम प्राप्त करते हैं।

(ख) बम्बई में मुख्यालय के साथ 200 से अधिक प्रात्यायित, मान्यता प्राप्त और पंजीकृत विज्ञापन एजेंसियां हैं। प्रत्यायित और मान्यताप्राप्त एजेंसियों को देय कमीशन की दर उनके द्वारा बुक किये गये कुल व्यापार का 15 प्रतिशत और पंजीकृत एजेंसियों के लिए यह 10 प्रतिशत है। वर्तमान स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय विज्ञापनदाताओं के हितों की देखरेख करती है और यह संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

ओखला औद्योगिक क्षेत्र में "सी" और "डी" फार्म जारी करने के नियम

2435. श्री मोहनभाई पटेल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक क्षेत्रों में "सी" और "डी" फार्म जारी करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कोई नियम/अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उसकी एक प्रति सभा पटल पर रखने का है;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियमों/अनुदेशों का कर्मचारियों द्वारा अनुपालन किया जाता है, पिछले एक वर्ष के दौरान किसी समय स्थिति की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को मालूम है कि ओखला औद्योगिक क्षेत्र (चरण एक और दो) में ऐसे प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं और पकड़े भी गए हैं, जो नियमों का उल्लंघन करते हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में जांच किए जाने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हिमालय क्षेत्र के लोगों के जीवन और संस्कृति पर पुस्तकों का प्रकाशन

2436. श्री० नारायण चन्द पराशर : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकाशन प्रभाग ने हिमालय क्षेत्र के विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के जीवन और संस्कृति या स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में कोई पुस्तक प्रकाशित की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रकाशित पुस्तकों के नाम क्या हैं और ये किस वर्ष में प्रकाशित हुई हैं तथा किन-किन भाषाओं में प्रकाशित हुई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में इस प्रकार की कोई शृंखला निकाली जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी हां। एक विवरण, जिसमें सूचना दी हुई है, संलग्न है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्र० सं०	शीर्षक	भाषा	प्रकाशन वर्ष
1	2	3	4
1.	जम्मू व काश्मीर	अंग्रेजी और हिन्दी	1973
2.	हिमाचल प्रदेश	—तथैव—	1970
3.	उत्तर प्रदेश	—तथैव—	1970
4.	असम	—तथैव—	1971
5.	मिजोरम	—तथैव—	1972
6.	अरुणाचल	अंग्रेजी	1980
7.	मणिपुर	अंग्रेजी और हिन्दी	1976
8.	नागालैंड	अंग्रेजी	1961

1	2	3	4
9.	मेघालय	अंग्रेजी	1980
10.	त्रिपुरा	—तथैव—	1979
11.	सिक्किम	—तथैव—	1980
12.	जनरल जोरावर सिंह	—तथैव—	1983
13.	लछित बारफूकन	—तथैव	1983
14.	यू० तीरोत सिंह	—तथैव—	1985
15.	बाबा कांशी राम	—तथैव—	1985
16.	फोक टेल्से आफ काश्मीर	—तथैव—	1984
17.	वाल पेंटिंग्स आफ वैस्टर्न	—तथैव—	1976
18.	ल्योर आफ माउन्टेंस	—तथैव—	1967
19.	काश्मीर की लोक कथाएं	—हिन्दी—	1971
20.	पंजाब और कुल्लू की कहानियां	—तथैव—	1964
21.	गढ़वाल पेंटिंग्स	—अंग्रेजी—	1969
22.	कांगड़ावेली पेंटिंग्स	—तथैव—	1959
23.	नीलकांत	—हिन्दी—	1965
24.	हिमालयन पिल्ग्रिमेज	—अंग्रेजी—	1961
25.	लाहौल एण्ड स्पीति	—तथैव—	1975
26.	कुमाऊ एण्ड गढ़वाल हिल डिस्ट्रिक्स	—तथैव—	1975
27.	दिस हैप्पंड इन काश्मीर	—अंग्रेजी—	1966
28.	डलहौजी	—अंग्रेजी—	1955
29.	कुल्लू एण्ड कांगड़ा	—अंग्रेजी—	1958
30.	ल्यौर आफ एवरेस्ट	—अंग्रेजी—	1961
31.	बासोहले पेंटिंग	—अंग्रेजी—	1981
32.	गुलेर पेंटिंग	—अंग्रेजी—	1982
33.	गढ़वाल चित्रकला	—हिन्दी—	1983
34.	रामगंगा का शेर	—हिन्दी—	1978
35.	स्वर्ण भूमि की लोक कथाएं	—हिन्दी—	1982

आकाशवाणी केन्द्रों का दर्जा बढ़ाया जाना

2437. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आकाशवाणी के कुछ केन्द्रों का दर्जा बढ़ाए जाने का विचार है ताकि श्रोताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करायी जा सकें;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्य वार ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आकाशवाणी को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, हां। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आकाशवाणी का 34 मीडियम वेव तथा 14 शार्ट वेव ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

सातवीं योजना (1985-90) में विभिन्न राज्यों में स्थित मौजूदा ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाने की स्कीमें

(क) मीडियम वेव

क्र० सं०	राज्य	स्थान	मौजूदा शक्ति	प्रस्तावित शक्ति
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	1 किवा० मी० वेव	3 किवा० एफ० एम०
2.	तदैव	विजयवाड़ा	20 किवा० मी० वेव	100 किवा० मी० वेव
3.	बिहार	पटना (विविध भारती)	1 किवा० मी० वेव	3 किवा० एफ० एम०
4.	गुजरात	अहमदाबाद	50 किवा० मी० वेव	200 किवा० मी० वेव
5.	जम्मू व काश्मीर	श्रीनगर (युववाणी)	1 किवा० मी० वेव	10 किवा० मी० वेव

1	2	3	4	5
6.	जम्मू काश्मीर	जम्मू	1 किवा० मी० वेव	10 किवा० मी० वेव
7.	तथैव	"	50 किवा० मी० वेव	300 किवा० मी० वेव
8.	कर्नाटक	बंगलौर	50 किवा० मी० वेव	200 किवा० मी० वेव
9.	केरल	त्रिचूर	20 किवा० मी० वेव	100 किवा० मी० वेव
10.	मध्य प्रदेश	भोपाल (विविध भारतीय)	1 किवा० मी० वेव	3 किवा० एफ० एम०
11.	तथैव	"	1 किवा० मी० वेव	10 किवा० मी० वेव
12.	तथैव	इंदौर	1 किवा० मी वेव	3 किवा० एफ० एम०
13.	तथैव	जबलपुर	20 किवा० मी० वेव	2 × 100 किवा० मी० वेव
14.	महाराष्ट्र	बम्बई	50 किवा० मी० वेव	100 किवा० मी० वेव
15.	तथैव	"	20 किवा० मी० वेव	100 किवा० मी० वेव
16.	तथैव	पुणे (विविध भारती)	1 किवा० मी० वेव	3 किवा० एफ० एम०
17.	तथैव	नागपुर	1 किवा० मी० वेव	2 × 3 किवा० एफ० एम०
18.	उड़ीसा	जैपोर	20 किवा० मी० वेव	100 किवा० मी० वेव
19.	पंजाब	जलंधर	50 किवा० मी० वेव	300 किवा० मी० वेव
20.	राजस्थान	सूरतगढ़	20 किवा० मी० वेव	300 किवा० मी० वेव
21.	तथैव	बीकानेर	10 किवा० मी० वेव	20 किवा० मी० वेव

1	2	3	4	5
22.	तमिलनाडु	मद्रास (युवावाणी)	2.5 किवा० मी० वेव	20 किवा० मी० वेव
23.	तथैव	तिरुचिरापल्ली	50 किवा० मी० वेव	100 किवा० मी० वेव
24.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ (विविध भारती)	1 किवा० मी० वेव	10 किवा० मी० वेव
25.	तथैव	इलाहाबाद	1 किवा० मी० वेव	2×10 किवा० मी० वेव
26.	तथैव	वाराणसी	10 किवा० मी० वेव	100 किवा० मी० वेव
27.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	2.5 किवा० मी० वेव	100 किवा० मी० वेव
28.	तथैव	"	50 किवा० मी० वेव	100 किवा० मी० वेव
29.	अरूणाचल प्रदेश संघ शास्ति क्षेत्र	पासीघाट	लघु शक्ति वाला ट्रांसमीटर	10 किवा० मी० वेव
30.	"	तेजू	तथैव	तथैव
31.	"	स्वांग	तथैव	तथैव
32.	चंडीगढ़ (संघ शास्ति क्षेत्र)	चंडीगढ़	1 किवा० मी० वेव	3 किवा० एफ० एम०
33.	दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	दिल्ली	100 किवा० मी० वेव	2×100 किवा० मी० वेव
34.	गोवा, दमन और द्वीव	पणजी	10 किवा० मी० वेव	100 किवा० मी० वेव

(ख) शार्ट वेव ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाना

1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	10 किवा० शा० वेव	50 किवा० शा० वेव
2.	असम	गुवाहाटी	10 किवा० शा० वेव	50 किवा० शा० वेव
3.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	2.5 किवा० शा० वेव	50 किवा० शा० वेव
4.	जम्मू और काश्मीर	श्रीनगर	7.5 किवा० शा० वेव	50 किवा० शा० वेव

1	2	3	4	5
5.	मध्य प्रदेश	भोपाल	10 किवा० शा० वेव	50 किवा० शा० वेव
6.	महाराष्ट्र	बम्बई	10 किवा शा० वेव	50 किवा० शा० वेव
7.	नागालैंड	कोहिमा	2 किवा० शा० वेव	50 किवा० शा० वेव
8.	तमिलनाडु	मद्रास	10 किवा० शा० वेव	50 किवा० शा० वेव
9.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	10 किवा० शा० वेव	50 किवा० शा० वेव
10.	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	10 किवा० शा० वेव	50 किवा० शा० वेव
11.	"	कुर्सियांग	20 किवा० शा० वेव	50 किवा० शा० वेव
12.	दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	दिल्ली	10 किवा० शा० वेव	50 किवा० शा० वेव
13.	"	"	2×50 किवा० शा० वेव	2×100 किवा० शा० वेव
14.	"	"	2×20 किवा० शा० वेव	2×50 किवा० शा० वेव

भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड यूनियन की सदस्यता का सत्यापन

2438. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या श्रम मंत्री भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड-यूनियन की सदस्यता के सत्यापन के बारे में 7 अप्रैल, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5501 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड में चल रही यूनियन की सदस्यता का सत्यापन करने के लिए मुख्य श्रम आयुक्त से किस तारीख को पूछा गया है;

(ख) आयुक्त से किस समय तक सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करने तथा सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है; और

(ग) उन यूनियनों के नाम क्या हैं जिनके बारे में सत्यापन किया गया है और सत्यापन के फलस्वरूप निष्कर्षों का स्वरूप क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) को 4-4-1986 को कहा गया था कि वे भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड में यूनियनों की सदस्यता का सत्यापन शुरू करें और इस काम को मई, 1986 के अन्त तक पूरा करें। जब सत्यापन प्रक्रिया शुरू की गई, तब यह ध्यान में आया कि नांगल भाखड़ा मजदूर संघ और भाखड़ा प्रबंध बोर्ड कर्मचारी संघ के अतिरिक्त जो भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड में कार्यरत हैं, सात और यूनियनें काम कर रही हैं और यदि अनुशासन संहिता के अधीन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इन्हें उपयुक्त पाया जाता है तो इन सभी के सत्यापन पर विचार करना होगा। इन यूनियनों के संबंध में प्रारंभिक ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

जालंधर दूरदर्शन केन्द्र से समाचार बुलेटिनों का प्रसारण

2439. **श्री सरफराज अहमद :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जालन्धर दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारित समाचारों, बुलेटिनों का स्तर गिर रहा है और ये समाचार तथ्यों पर आधारित भी नहीं होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। दूरदर्शन केन्द्र, जालन्धर द्वारा टेलीकास्ट किए जाने वाले समाचार बुलेटिनों की विषय-वस्तु की दर्शकों द्वारा सराहना और प्रशंसा की गई है। इसके अलावा, समाचारों को प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया, यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया, जो सुस्थापित समाचार एजेंसियां हैं, तथा पंजाब सरकार के जनसंपर्क विभाग से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर तैयार किया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर्नाटक को नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का आवंटन

2440. **डा० वी० वेंकटेश :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक को नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में; और

(ग) क्या यह आवंटन राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त था ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) 1983-84, 1984-85 तथा 1985-86 के वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य को उर्वरकों के आवंटन के ब्यौरे नीचे दिए गए है—

(000 मीटरी टन)

वर्ष	एन०	पी०	के०	योग (एन+पी+के)
1983-84	251	120	99	470
1984-85	307	139	108	554
1985-86	390	200	130	720

(ग) जी हां।

झींगा मछली का उत्पादन बढ़ाने का कार्यक्रम

2441. श्री चिंतामणि जेना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में झींगा मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं और इस कार्यक्रम के अंतर्गत किन राज्यों को शामिल किया गया है;

(ग) प्रत्येक राज्य में विशेषकर उड़ीसा में इस योजना के अन्तर्गत लाए जाने वाले क्षेत्र का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में झींगा मछली के साधनों का विवेकपूर्ण लाभ उठाने के अतिरिक्त सरकार ने 1982 से सभी समुद्रतटीय राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों तथा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में खारे पानी में झींगा मछली पालने की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है।

वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के भी झींगा मछली के उत्पादन में वृद्धि करने के कार्यक्रम हैं।

(ग) स्वीकृत परियोजनाओं का राज्यवार क्षेत्र, उड़ीसा सहित इस प्रकार है—

पश्चिम बंगाल	100.0 हेक्टार
उड़ीसा	480.5 हेक्टार
आन्ध्र प्रदेश	75.2 हेक्टार
तमिलनाडु	50.0 हेक्टार
केरल	149.0 हेक्टार
महाराष्ट्र	92.0 हेक्टार
गुजरात	52.0 हेक्टार
पाण्डिचेरी	29.0 हेक्टार
गोवा	27.0 हेक्टार
हरियाणा	10.0 हेक्टार

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के लिए केन्द्र से हिस्से के रूप में 500 लाख रुपये का परिव्यय मौजूद है।

हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड में कथित अनियमितताएं

2442. प्रो० मधु दण्डवते : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड को विगत वर्षों में लाभ हुआ था, लेकिन अब से भारी घाटा हो रहा है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या अखिल भारतीय व्यापार संघ के अध्यक्ष ने कंपनी में कई अनियमितताओं और कदाचारों के आरोप लगाए हैं और यदि हां, तो उन पर क्या कार्रवाई की गई ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पिछले 10 वर्षों के दौरान, हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड ने केवल 3 वर्षों में आंशिक लाभ कमाया। बाद में इसकी कार्यकुशलता में सुधार हुआ। घाटा होने के मुख्य कारण सप्लाई आर्डरों की कमी, ग्राहक विभागों से अलाभकर दरें तथा श्रम और अतिरिक्त खर्चों में अधिकता का होना।

(ख) कम्पनी में अनियमितताओं तथा कदाचारों से संबंधित शिकायत पर की गई जांच-पड़ताल प्रक्रियाधीन है। यदि कुछ परिणाम निकलेगा, तो नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी।

चीनी उद्योग सम्बन्धी तीसरे मजूरी बोर्ड की अंतरिम राहत के सम्बन्ध में सिफारिशें

2443. प्रो० मधु दण्डवते : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग संबंधी तीसरे मजूरी बोर्ड ने अंतरिम राहत का भुगतान करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इसका भुगतान किस तारीख से किया जाएगा; और

(ग) क्या निहित स्वार्थ इस मामले में निर्णय लेने में विलम्ब कर रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्णय किया है, जो पहली जनवरी, 1986 से या कर्मकारों तथा प्रबंधतंत्र के बीच हुए पिछले करार की समाप्ति की तारीख से, जो भी पहले हो, 45 रु० प्रतिमाह की दर से अंतरिम राहत की अदायगी करने के बारे में हैं।

कीटनाशक दवाओं का पता लगाना

2444. श्री सी० जंगा रेड्डी :
डा० ए० के० पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कीट नाशक दवाओं का पता लगाने के लिए कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब गठित की गई थी और इसने किन कीटनाशक दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है;

(ग) समिति की रिपोर्ट पर निर्णय किए जाने तक सावधानी के तौर पर क्या सुरक्षोपाय किए गए हैं; और

(घ) अहानिकर पाई गई कीटनाशक दवाओं के नाम क्या हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कीटनाशी दवाइयों का पता लगाने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा कोई समिति गठित नहीं की गई है। लेकिन, दूसरे देशों में प्रतिबन्धित कीटनाशी दवाइयों की समीक्षा के लिए 14-8-1984 को एक समिति गठित की गई थी। उस समिति ने दो महत्वपूर्ण कीटनाशी दवाइयों नामत: डी॰ डी॰ टी॰ और बी॰ एच॰ सी॰ पर रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं। सभी सम्बन्धित पहलुओं को ध्यान में रखकर उन सिफारिशों की जांच करने के बाद ही उन पर कोई निर्णय लिया जायेगा।

जहां तक सुरक्षा उपायों का संबंध है, ये भली प्रकार परिभाषित हैं तथा कीटनाशी दवा अधिनियम और अन्य संबंधित अधिनियमों/नियमों में निर्धारित हैं। राज्य सरकारें और अन्य, निर्धारित मात्रा के अनुसार कीटनाशी दवाइयों के विवेकपूर्ण उपयोग निर्धारित प्रतिरक्षा अवधियों आदि के अनुपालन के बारे में किसानों को प्रशिक्षण देते हैं। दवा के डब्बों आदि के साथ मिलने वाले साहित्य में भी सुरक्षापूर्ण और प्रभावी उपयोग के लिए प्रक्रिया और मात्रा का ब्यौरा दिया हुआ होता है।

विज्ञान विहार कालोनी दिल्ली के आवंटियों द्वारा भूखण्डों पर मकानों का निर्माण

2445. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने राजधानी में यमुना-पार क्षेत्र में विभिन्न सहकारी आवास निर्माण समितियों को आवंटित भूखण्डों पर मकानों के निर्माण के लिए छूट की अवधि सहित कोई समय सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विज्ञान विहार कालोनी में आवंटित काफी संख्या में भूखण्ड तीन वर्षों से अधिक समय से खाली पड़ी हैं, यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(घ) मकानों का निर्माण न करने पर उन आवंटियों के विरुद्ध क्या दंडात्मक कार्रवाई करने का विचार है; और

(ङ) इस प्रकार का उल्लंघन करने वाले मामलों में आवंटन रद्द न करने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी हां। आवंटी सदस्य के साथ निष्पादित उप पट्टाविलेख की शर्तों में, इसके निष्पादन की तारीख से दो वर्षों की अवधि में प्लाट पर भवन निर्माण के लिए निर्धारित की गई है। इस नीति में निर्माण के लिए एक वर्ष की छूट की अवधि का भी प्रावधान है।

(ग) विज्ञान विहार कालोनी में 185 प्लाटों में से 90 प्लाटों पर निर्माण हो गया है तथा 95 प्लाट अभी खाली पड़े हैं।

(घ) नीति के अनुसार, यदि उप पट्टाधारी निर्धारित अवधि के भीतर भवन का निर्माण नहीं करता है तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। उसके बाद निर्माण न करने के लिए चूक की अवधि को कम्पोजिशन फीस की अदायगी पर विनियमित किया जाता है बशर्ते कि प्लाट पर मकान का निर्माण न करने के बताये गये कारण सन्तोषजनक हों।

(ङ) चूंकि जनवरी, 1982 में भवन निर्माण गतिविधियां रिलीज कर दी गई हैं, इसलिए चूक की अवधि अधिक नहीं है और पट्टे को रद्द करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तथापि, निर्माण कार्य शीघ्र आरम्भ करने के लिए उप पट्टाधारियों को प्रेरित करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का खेती का यंत्रीकृत करने संबंधी कार्यक्रम

2446. श्री सनत कुमार मण्डल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने अधिसूचित किया है कि चालू वर्ष के दौरान कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम के लिए धनराशि देने हेतु 100 करोड़ रुपए की अस्थाई व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन स्रोतों से बैंकों के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकों को पुनर्वित्त सहायता देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने चालू वर्ष के दौरान कृषि यंत्रीकरण के लिए बैंकों को पुनर्वित्त की व्यवस्था करने के लिए 100 करोड़ रुपए का अस्थायी आवंटन किया है।

(ख) नाबार्ड के 100 करोड़ रुपए के पुनर्वित्त का राज्यवार-आवंटन निम्न प्रकार है—

(लाख रुपए)

राज्य	आवंटित धनराशि
1	2
1. आंध्र प्रदेश	850
2. असम और पूर्वोत्तर राज्य	35

1	2
3. बिहार	400
4. गुजरात	800
5. हरियाणा	975
6. हिमाचल प्रदेश	55
7. जम्मू व कश्मीर	20
8. कर्नाटक	825
9. केरल	75
10. मध्य प्रदेश	1000
11. महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव	310
12. उड़ीसा	100
13. पंजाब	1775
14. राजस्थान	625
15. तमिलनाडु, पांडिचेरी	440
16. उत्तर प्रदेश	1450
17. पश्चिम बंगाल, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	250
18. दिल्ली	15
योग	10000

प्रत्येक राज्य के लिए नाबार्ड का पुनर्वित्त आबंटन, बैंकों द्वारा लघु सिंचाई, भूमि विकास तथा अन्य विविध प्रयोजनों जैसी दूसरी विकासात्मक योजनाओं के लिए उपयोग किए गए पुनर्वित्त पर आधारित है।

भारतीय समुद्र में मछली पकड़ने वाले विदेशी जहाज

2447. सैयद शाहबुद्दीन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985-86 के दौरान मछली पकड़ने वाले कितने विदेशी जहाज भारतीय जल सीमा में अवैध रूप से मछली पकड़ते पकड़े गए तथा उनका देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) मछली पकड़ने वाले कितने विदेशी जहाजों को भारतीय फर्मों के किए गए समझौतों के अनुसार जल सीमा में मछली पकड़ने के लिए फर्म-वार लाइसेंस दिए गए हैं;

(ग) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य में कुल कितने भारतीय जहाज लगे हैं; और

(घ) क्या भारतीय जहाजों को अवैध अतिक्रमण से बचाने के लिए भारतीय जल सीमा में पर्याप्त संख्या में तट रक्षक मौजूद हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1985-86 के दौरान भारतीय जल क्षेत्रों में अवैध रूप से मछली पकड़ते हुए पकड़े गए विदेशी ट्रालरों की देश-वार संख्या नीचे दी गई है—

	1985	1986 (31-7-86 तक)
श्रीलंका	18	13
पाकिस्तान	4	—
थाइलैंड	10	8
ताइवान	—	1
दक्षिणी कोरिया	—	1

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के कार्य में लगे हुए भारतीय ट्रालरों की कुल संख्या 87 है ।

(घ) तट रक्षों के पास सीमित संख्या में उपलब्ध पोतों को भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट अंदमान और निकोबार द्वीप समूह के आस-पास के अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में चुनिंदा तौर पर लगाया जाता है ताकि समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सके और भारतीय ट्रालरों और मछुओं का बचाव भी किया जा सके ।

विवरण

भारतीय फर्मों के साथ सहयोग की व्यवस्था के अन्तर्गत भारतीय जल-क्षेत्र में मछली पकड़ने की अनुमति प्राप्त विदेशी ट्रालरों की संख्या (जिनके पास 31-7-86 तक मछली पकड़ने की वैध अनुमति है) अर्थात् चार्टर के अन्तर्गत

क्रम सं०	भारतीत फर्म का नाम	जलयानों की संख्या
1	2	3
1.	उड़ीसा समुद्री एवं चिलका क्षेत्र विकास निगम, भुवनेश्वर	4
2.	नव भारत फेरो एलायस लि०, हैदराबाद	4
3.	श्रीनिवासा समुद्री खाद्य पदार्थ लि०, विशाखापटनम	2
4.	गुजरात मात्स्यकी विकास निगम, अहमदाबाद	8

1	2	3
5.	फोर सीजन फिसरीज लि०, विशाखापटनम	2
6.	अकामा मेरीन लि०, विशाखापटनम	4
7.	बी० बी० सी० एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०, मद्रास	4
8.	कोस्टल ट्रालर लि०, काकीनाडा	4
9.	जी० पी० मेरीन प्रोडक्ट्स (इंडिया) लि०, गुन्टूर	4
10.	हाई सी फूड्स लि०, नई दिल्ली	4
11.	बाली कोल्ड स्टोरेज प्रा० लि०, मद्रास	3
12.	कंचनगंगा सी फूड्स लि०, विजयवाडा	2
13.	सीयो सी फूड प्रा० लि०, नई दिल्ली	4
14.	बी० आर० एस० मेरीन लि०, नई दिल्ली	4
15.	यंग फिसरीज प्रा० लि०, नई दिल्ली	4
16.	गंगा कावेरी सी फूड्स (पी) लि०, नई दिल्ली	2
17.	मात्स्यकी एक्सपोर्ट्स लि०, नई दिल्ली	4
18.	ब्लयू क्रीम प्रा० लि०, नई दिल्ली	4
19.	स्टार मेरीन फूड्स (पी०) लि०, विशाखापटनम	2
20.	ओशन प्रोडक्ट्स एण्ड शिपिंग लि०, विशाखापटनम	4
		73

फसल बीमा योजना के अंतर्गत दावे

2448. सैयद शाहबुद्दीन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान विभिन्न राज्यों में किन-किन फसलों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाया गया है;

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान सामान्य बीमा निगम को फसलवार और राज्यवार कुल कितनी धनराशि के प्रीमियम प्राप्त हुए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उपयुक्त प्रीमियमों में शामिल पालसियों के संबंध में सामान्य बीमा निगम के पास फसलवार और राज्यवार कितने दावे प्रस्तुत किए गए;

(घ) अब तक कितने मूल्य के दावे स्वीकृत किए गए और उनका भुगतान किया गया है;

(ङ) कितने मूल्य के दावे स्वीकार किए गए परन्तु उनका भुगतान नहीं किया गया है ; और

(च) कितने मूल्य के दावे अस्वीकृत कर दिए गए ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3054/86]

इस्पात उद्योग के विकास के लिए दक्षिण कोरिया और जापान से सहयोग

2449. **श्री यशवंतराव गडाख पाटिल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने जून, 1986 में जापान और दक्षिण कोरिया का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो इस दौरे का उद्देश्य क्या था और वहां की गई वार्ताओं के क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस्पात उद्योग के विकास के संबंध में नीति पत्र तैयार किया है; और;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, हां।

(ख) ऊर्जा अर्थशास्त्रियों की अन्तर्राष्ट्रीय सोसायटी के 8वें वार्षिक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन को सम्बोधित करने के अलावा इस दौरे से जापानी इस्पात उद्योग की कार्यप्रणाली का प्रत्यक्षतः अध्ययन करने तथा जापानी सरकार के लोहा तथा इस्पात महासंघ के साथ विचार-विमर्श करने का अवसर मिला था। इन विचार-विमर्शों के दौरान, 'इस्को' के आधुनिकीकरण में जापानी इस्पात उद्योग की दिलचस्पी को दोहराया गया।

कोरिया गणराज्य के दौरे का उद्देश्य समय तथा लागत अनुमानों के भीतर नए इस्पात कारखाने स्थापित करने में अपनाए जा रहे तरीकों का अध्ययन करना था। इन तरीकों में से ऐसे तरीकों को, जो लागू हैं, इस देश में इस्पात उद्योग द्वारा परियोजना कार्यान्वयन में अपनाए जाने के लिए विचार किया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

शासकीय गुप्त बात अधिनियम को संशोधित करना

2450. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम को संशोधित करने की आवश्यकता और समाचारपत्र विकास आयोग स्थापित करने के बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : जैसाकि द्वितीय प्रेस आयोग ने सिफारिश की है, शासकीय गुप्त बात अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक नहीं समझा जाता है, क्योंकि कानून में मौजूदा प्रावधान प्रर्याप्त प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार, समाचार-पत्र विकास आयोग की स्थापना करने संबंधी सिफारिश को भी सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि यह सुविचारित मत है कि प्रेस के विकास को उसी पर छोड़ दिया जाना चाहिए और इसमें किसी शहरी प्राधिकारी या संस्थान का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए या वह इससे सम्बद्ध नहीं होना चाहिए। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक उपबन्धों और प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थन में सरकार की नीति के अनुरूप है।

कृषि वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट रोकने के लिए केरल सरकार की योजना

2451. श्री पी० ए० एंटनी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कृषि वस्तुओं और नारियल जैसी नकदी फसलों के मूल्यों में गिरावट रोकने हेतु स्थायी व्यवस्था करने के लिए केरल सरकार द्वारा बनाई गई कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केरल सरकार ने कृषि मंत्रालय को एक योजना प्रस्ताव भेजा है, जिसका उद्देश्य नारियल के बाजार मूल्य में स्थिरता लाना है।

(ख) राज्य सरकार के प्रस्ताव ने कोपरा के लिए मूल्य समर्थन संबंधी योजना के तैयार किए जाने पर जोर दिया गया है, जिससे नारियल के मूल्यों पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा। योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने तथा मूल्य समर्थन संबंधी खरीद कार्यों के लिए उपयुक्त प्रबंध करने की अपेक्षा की गई है। यह प्रस्ताव किया गया है कि कृषि लागत और मूल्य आयोग अन्य कृषि जिंसों की तरह भारत सरकार को कोपरा के उपयुक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करे। चूंकि राज्य सरकार ने राज्य स्तर के सार्वजनिक क्षेत्र के दो अभिकरणों के जरिये कोपरा के संबंध में बाजार हस्तक्षेप की योजना पहले ही आरंभ कर दी है, अत: यह प्रस्ताव किया गया कि भारत सरकार द्वारा योजना को स्वीकृति दिए जाने पर प्रस्तावित केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत उपरोक्त योजना के अधीन शुरू किए गए कार्यों को जारी रखा जाएगा। प्रस्तावित बाजार समर्थन संबंधी कार्यों पर होने वाली किसी हानि को केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाएगा।

(ग) केरल सरकार के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्रालय ने जनवरी, 1986 से केरल में कोपरा के संबंध में बाजार हस्तक्षेप संबंधी कार्यों के लिए एक योजना आरंभ की है। योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड) द्वारा राज्य सहकारी विपणन संगठनों

के जरिए 1200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उचित औसत किस्म के कोपरे की खरीद की जाती है। अप्रैल-मई, 1986 तक उस समय जब कोपरा के मूल्य 1200 रुपए प्रति क्विंटल के बाजार हस्तक्षेप मूल्य से आगे बढ़ना शुरू हो गए थे, योजना के अन्तर्गत राज्य में कुल 11,533 मीटरी टन कोपरे की खरीद की गई। बाजार हस्तक्षेप संबंधी कार्यों में हुई किसी हानि को केन्द्र और केरल सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाएगा।

ग्रामोत्थान योजनाओं के अंतर्गत राजसहायता और ऋण देने की प्रक्रियाओं में सुधार करना

2452. श्री मुरली देवरा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामोत्थान योजनाओं के अंतर्गत राजसहायता और ऋण देने की प्रक्रियाओं में कमियों को दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस योजना के लाभ केवल उन्हीं को मिलें जिनके लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं; कोई कदम उठाए हैं। उठाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) और (ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पूंजी उपदान को ब्याज उपदान द्वारा बदलने के एक प्रस्ताव की जांच दो अध्ययनों के आधार पर की गई थी—एक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा तथा दूसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद द्वारा। इस पर नवम्बर, 1985 में हुए ग्रामीण विकास मंत्रियों के सम्मेलन में भी चर्चा की गई थी। निष्कर्ष यह निकला था कि इससे अत्यन्त निर्धन लाभार्थियों खासतौर से सीमान्त किसानों, खेतिहर मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों और आदिवासी लाभार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जहां राजसहायता की दरें ऊंची हैं। इसके अलावा, केवल पूंजी उपदान से ब्याज उपदान में अंतरण से भ्रष्टाचार के उन्मूलन में मदद मिलने की संभावना नहीं है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि जब तक कोई और अच्छा विकल्प नहीं मिलता है, तब तक वर्तमान पद्धति को ही जारी रखा जाए।

तथापि, कमियों को दूर करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ वास्तव में ही लाभार्थियों को मिले, निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे हर जिला ग्रामीण विकास एजेंसी स्तर पर "शिकायत कक्ष" स्थापित करें, जो इस बात की सूचना दें कि शिकायतें किस प्रकार की हैं और ऊपर क्या कारवाई की गई है तथा राज्य-मुख्यालयों में "सतर्कता कक्ष" स्थापित करें जो अपने आप और किसी शिकायत आदि के प्राप्त होने पर जांच करें।

(2) राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे खंड-स्तरीय लाभार्थी सलाहकार समितियां स्थापित करें ताकि कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए लाभार्थियों को नियमित मंच सुलभ किया जा सके तथा पंचायत स्तरों पर उप-समितियां स्थापित करें।

(3) लाभार्थियों की सूची को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कराने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

(4) समवर्ती मूल्यांकन की एक प्रणाली अक्तूबर, 1985 से शुरू की गई है जिसमें 29 ख्याति प्राप्त अनुसंधान/शैक्षणिक संगठनों के जरिये इस कार्यक्रम के गुणात्मक और प्रक्रिया संबंधी विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। प्रति मास 36 जिलों, हर जिले के 2 खंडों और खंड के 10 पुराने लाभार्थियों और 10 नए लाभार्थियों के एक ग्रुप का अध्ययन किया जाता है।

राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान द्वारा ग्रामीण जलपूर्ति का मूल्यांकन

2453. **श्री० एम० सईद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान ने ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं का मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या ये योजनाएं जल पूर्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) जी हां।

(ख) मूल्यांकन रिपोर्ट सितम्बर, 1982 में भारत सरकार को प्रस्तुत की गई थी। चल रहे कार्यक्रमों की क्वालिटी को सुधारने के लिए सुझाव दिए गए हैं और ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र के लिए अतिरिक्त संसाधनों का आबंटन करने के लिए सिफारिश की गई। सातवीं योजना के दौरान लक्ष्य यह होगा कि समस्त ग्रामीण जनता के लिए पर्याप्त पेयजल की सुविधायें मुहैया की जाएं।

गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ना

2454. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में 1000 से अधिक जनसंख्या वाले ऐसे गांवों की संख्या क्या है जिन्हें अभी तक बारहमासी सड़कों से नहीं जोड़ा गया है;

(ख) उड़ीसा में ऐसे कितने गांव हैं; और

(ग) इन गांवों को कब तक जोड़ा जायेगा ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 5738.

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में यह परिकल्पना की गई है कि 1990 तक समाप्त होने वाली 10 वर्षों की समयावधि के अंदर 1500 से ऊपर की आबादी वाले सभी गांवों और 1000 से 1500 के बीच की आबादी वाले 50% गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ दिया जायेगा।

विवरण

1000 से ऊपर की आबादी वाले उन गांवों की संख्या जिन्हें 1-4-85 तक बारहमासी सड़कों से जोड़ा जाना था

राज्य	1000 से ऊपर की आबादी वाले उन गांवों की संख्या जिन्हें 1-4-85 तक सड़कों से जोड़ा जाना था
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	6278
2. असम	426
3. बिहार	5742
4. गुजरात	523
5. हरियाणा	—
6. हिमाचल प्रदेश	86
7. जम्मू और कश्मीर	99
8. कर्नाटक	2431
9. केरल	—
10. मध्य प्रदेश	2819
11. महाराष्ट्र	3074
12. मणिपुर	192
13. मेघालय	25
14. नागालैण्ड	8
15. उड़ीसा	5738
16. पंजाब	—
17. राजस्थान	2323
18. सिक्किम	144
19. तमिलनाडु	2942
20. त्रिपुरा	41
21. उत्तर प्रदेश	10206
22. पश्चिम बंगाल	4917
	48015

1	2
(ख) संघ शासित क्षेत्र	
1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	—
2. अरुणाचल प्रदेश	49
3. चण्डीगढ़	—
4. दादरा और नगर हवेली	7
5. दिल्ली	—
6. गोवा, दमन और दीव	—
7. लक्षद्वीप	—
8. मिजोरम	49
9. पांडिचेरी	9
योग (ख)	114
कुल योग (क+ख)	48129

राष्ट्रीय उर्वरक निगम का कार्यकरण

2456. श्री मानिक रेड्डी :
श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :
श्री सुभाष यादव :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय उर्वरक निगम को पिछले तीन वर्षों में भारी घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस निगम को कितना घाटा हुआ है;

(घ) क्या सरकार ने इस बीच निगम के कार्यकरण की जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो इसमें किस किस्म की कमियां पाई गई हैं; और

(च) निगम के विभिन्न यूनिटों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) नेशनल फर्टिलाइजर लि० को पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई हानि नहीं हुई है।

(ख) से (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा योजनाएं पूरी करने में विलम्ब

2457. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण को कई योजनाएं पूरी करने में अनावश्यक रूप से अधिक समय लग रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके पूरा होने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दूरदर्शन के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में दर्शकों के विचार

2458. डा० जी० विजय रामाराव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन कार्यक्रमों के सम्बन्ध में पत्रों के जरिये प्राप्त हुए दर्शकों के विचारों का विश्लेषण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) दर्शकों की राय के आधार पर दूरदर्शन कार्यक्रमों में यदि कोई परिवर्तन किये गये हैं, तो वे क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। दूरदर्शन केन्द्र पर सप्ताह के दौरान प्राप्त दर्शकों के पत्रों का नियमित रूप से विश्लेषण किया जाता है।

(ख) केन्द्रों से प्राप्त साप्ताहिक फीडबैक के आधार पर निदेशक, दर्शक अनुसंधान द्वारा एक अखिल भारतीय तस्वीर तैयार की जाती है तथा कार्यक्रम समीक्षा और नियोजन बैठक में महानिदेशक, दूरदर्शन को प्रस्तुत की जाती है। यह बैठक सप्ताह में एक बार होती है और इसमें महानिदेशालय, उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली तथा दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली के सभी वरिष्ठ अधिकारी भाग लेते हैं।

(ग) दूरदर्शन के कार्यक्रमों के स्तर और विषय वस्तु में सुधार करने के लिए समीक्षाएं की जाती हैं और दर्शकों से प्राप्त फीडबैक सहित नीति संबंधी तथा अन्य सभी बातों को ध्यान में रखते हुये उनमें परिवर्तन किये जाते हैं।

जस्ता और सीसे के मूल्य में वृद्धि

2459. डा० जी० विजय रामाराव : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम ने जस्ता और सीसे के मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या कच्चे माल के मूल्यों में इस वृद्धि से तैयार वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि और उनका निर्यात कम होगा ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

मानव बलि रोकने के लिए कदम

2460. श्री बालासाहेब विखे पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में दिल्ली तथा अन्य स्थानों में धर्म के नाम पर अथवा देवी-देवताओं के समक्ष मानव बलि दिये जाने की घटनाओं की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दूरदर्शन नेटवर्क द्वारा दूरदर्शन पर वृत्त चित्रों के माध्यम से जनसाधारण को विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि देने जैसे अन्धविश्वासों के विरुद्ध शिक्षित करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। कुछ घटनाएं समाचार पत्रों में छपी हैं।

(ख) लोगों को शिक्षित करने, जानकारी प्रदान करने तथा उनका मनोरंजन करने के दूरदर्शन के प्राथमिक उद्देश्य के अनुकरण में दूरदर्शन का यह सतत् प्रयत्न रहा है कि हमारे समाज में व्याप्त विभिन्न सामाजिक बुराइयों को प्रकाश में लाए। इस सम्बन्ध में उसके कुछ उल्लेखनीय कार्यक्रम दूरदर्शन धारावाहिक हैं "छोटी बड़ी बातें" तथा कृषि दर्शन कार्यक्रमों में शामिल "बात इतनी सी है" दूरदर्शन धारावाहिक "रिश्ते नाते" की कुछ कड़ियों ने भी इसी प्रकार की विषय वस्तु को विभिन्न ढंग से छूआ था।

धनाभाव के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यों का रुक जाना

2461. श्री नारायण चौबे :
श्री ब्रज मोहन महन्ती :
श्री विजय कुमार यादव :
श्री टी० बशीर :
श्री काली प्रसाद पाण्डेय :
प्रो० रामकृष्ण मोरे :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनाभाव के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण की सभी मुख्य आवासीय और विकास परियोजनाओं का काम रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और किन कारणों से दिल्ली विकास प्राधिकरण को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) इस समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आरम्भ की गई आवास तथा विकास परियोजनाओं की प्रगति में गतिरोध, इसके द्वारा आरम्भ किये गये अत्यधिक आवास निर्माण कार्यक्रम के कारण वित्तीय कठिनाइयों, एशियाड सम्पत्तियों और पुनर्वास कालोनियों के अनुरक्षण पर व्यय की गई इसकी निधियों की रुकावट के कारण हुआ है। इसने इस कमी ऋण-पत्र जारी करके पूरा करने का प्रस्ताव किया था। पुनर्वास कालोनियों तथा एशियाड सम्पत्तियों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए सरकार कार्रवाई कर रही है।

कोरबा, मध्य प्रदेश में भारत एल्यूमिनियम कम्पनी की ऊर्जा बचत योजना

2462. कुमारी पुष्पा देवी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्यूमिनियम कंपनी का मध्य प्रदेश में अपने कोरबा कम्पलैक्स में ऊर्जा बचत योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) भारत एल्यूमिनियम कम्पनी ने उक्त योजना को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) जी, हां। भारत एल्यूनिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) ने (i) एल्यूमिना संयंत्र में कैल्सिनर भट्टी में सुधार; तथा (ii) प्रद्रावक में प्रायोगिक स्तर पर बिजली खपत में कटौती करके ऊर्जा बचत कार्यक्रम चलाया

है। एल्यूमिना संयंत्र की कैल्सिनर भट्ठी में किये जा रहे आशोधन से इंधन तेल की खपत में काफी कमी होने की आशा की जाती है। प्रद्रावक में "सेल" अनुसंधान व विकास दल की सहायता से अनुसंधान और विकास परियोजना के रूप में आटोमैटिक पोट रेगूलेशन सिस्टम शुरू किया गया है। बिजली खपत में कमी की संभावनाओं का पता लगाने के लिए इलैक्ट्रोलाइटिक पोट्स में लिथीयम कार्बोनेट मिलाकर प्रयोग किये गये हैं।

जन शिकायतों को उजागर करने के लिए नये कार्यक्रम

2463. श्री पी० एम० सईद : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाज की बुराइयों को प्रदर्शित करने वाले "न्यूज लाइन" और "सच की परछाइयां" जैसे दूरदर्शन कार्यक्रम समाप्त कर दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या जनता की शिकायतों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने वाले कुछ जनवाणी जैसे नए कार्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस समय नया कार्यक्रम शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय मत्स्य उद्योग संघ की बैठक

2464. श्री पी० एम० सईद : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मत्स्य उद्योग संघ की वार्षिक आम सभा जून, 1986 के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या निर्णय किए गए; और

(ग) क्या सरकार ने किसी समेकित मत्स्य नीति को अन्तिम रूप दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय मात्स्यकी उद्योग संघ से यह पताया लगाया गया है कि उपरोक्त बैठक के दौरान कोई विशेष निर्णय नहीं लिये गये थे।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मात्स्यकी की विभिन्न प्लान स्कीमों के क्रियान्वयन के लक्ष्य देश में मात्स्यकी के विकास के समेकित दृष्णिकोण को रेखांकित करते हैं।

विभिन्न प्लान स्कीमों में निम्न को सुनिश्चित बनाया जाता है : अवसंरक्षण सम्बन्धी सुविधाओं का विकास, मत्स्य उत्पादन के लिए जलीय-संसाधनों की विभिन्न किस्मों का उपयोग

और संरक्षण, उपयुक्त प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करके जल निकायों की उत्पादकता में वृद्धि करना, रोजगार उपलब्ध कराना और निर्धन ग्रामीणों के विशेष संदर्भ में लोगों के लिए आय के स्रोत का सृजन करना, लोगों को अत्यन्त आवश्यक प्रोटीनयुक्त पोषाहार उपलब्ध कराना, कल्याणकारी उपाय करना और देश के लिये विदेशी मुद्रा अर्जित करना।

गेहूं का उत्पादन और खरीद

2465. **श्री पी० एम० सईद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गेहूं का कितना उत्पादन हुआ और हाल ही की फसल के बाद सरकार द्वारा कितना गेहूं खरीदा गया तथा यह पिछले वर्ष की तुलना में कितना है;

(ख) सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिये गेहूं की मात्रा कितनी निर्धारित की गई है; और

(ग) कितना गेहूं निर्यात के लिए रखा गया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1985-86 के दौरान गेहूं का उत्पादन 460-470 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान लगाया गया है जबकि 1984-85 के दौरान गेहूं का उत्पादन 442 लाख मीट्रिक टन हुआ था। 1986-87 विपणन मौसम में अभी तक (25-7-1986 तक) 104.9 लाख मीट्रिक टन गेहूं की वसूली की गई है जबकि 1985-86 के विपणन मौसम में 103.4 लाख मीट्रिक टन गेहूं की वसूली की गई थी।

(ख) सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए गेहूं की कोई मात्रा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, रोजगार सृजन के कार्यों में लगे व्यक्तियों को रियायती दरों पर वितरण के लिए सूखे से प्रभावित राज्यों को गेहूं दिया गया है।

(ग) 1986-87 के दौरान गेहूं का निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के रुख और देश में निर्यात हेतु उपलब्ध गेहूं की अधिशेष मात्रा पर निर्भर करता है।

दूध की कीमतें निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देश

2467. **श्री० सी० जंगा रेड्डी** :
डा० ए० के० पटेल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग को दूध की कीमतें निर्धारित करने के लिए दिशा निर्देशों के बारे में सुझाव देने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुझाव प्राप्त हुए और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन सुझावों पर "मदर डेयरी" और अन्य डेयरियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) आयोग ने सूचित किया कि इस मामले पर वे ध्यान दे रहे हैं और इस सम्बन्ध में उनकी सिफारिशें यथा-समय प्रस्तुत की जाएंगी ।

(ग) उपरोक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

गैर-कानूनी तत्वों (माफिया) द्वारा जैतपुर बालू-स्थल पर कब्जा किया जाना

2468. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण दिल्ली में यमुना नदी के किनारे से कुछ किलोमीटर दूर तथा दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की त्रिसीमा पर स्थित जैतपुर गांव दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र में है और यह बदरपुर पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत आता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वह बालू-स्थल भी, जिससे दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम द्वारा बालू निकाली जा रही है, दिल्ली में ही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(घ) क्या उनका ध्यान इस सम्बन्ध में 7 जून, 1986 के "पेट्रियट" में "माफिया कैप्चर्स जैतपुर सैंड-साइट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(च) यह स्पष्ट करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि उक्त बालू-स्थल और जैतपुर गांव किसके राज्य क्षेत्र में आते हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) : जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) बालू निकालने का परमिट दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम को खसरा नंबर 947 से 961 तक के लिये दिया गया था ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) जेतेन्द्र कुमार नामक व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश के असगरपुर ग्राम में खसरा नम्बर 483/2 से बालू खोदने के लिए उत्तर प्रदेश प्राधिकारियों से परमिट प्राप्त करने के बाद यमुना नदी के गहरे तल के दिल्ली की ओर पड़ने वाले बालू प्वाइंट से बालू निकाली थी । क्योंकि यह क्षेत्र दिल्ली में पड़ता है, बालू का खोदा जाना बन्द करवा दिया गया था । परमिटधारी न्यायालय में चला गया तथा मामला न्यायालय में अनिर्णीत पड़ा है ।

(च) उत्तर प्रदेश सरकार तथा दिल्ली प्रशासन के राजस्व प्रशासनों द्वारा क्षेत्र के नक्शों के विनिमय तथा इस क्षेत्र के क्षेत्राधिकार के बारे में अपनी-अपनी सरकारों के अनुमोदन से इस मामले पर निर्णय लिया जा रहा है ।

निर्माण और भवन मजदूरों की मजूरी

2469. श्री विजय एन० पाटिल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत भवनों के निर्माण कार्य और सड़कों के रख-रखाव के कार्य में लगे मजदूरों को दी जाने वाली मजूरी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उनकी मजूरी में वृद्धि करना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन भारत सरकार द्वारा सड़कों के निर्माण या रखरखाव या भवन निर्माण कार्यों में नियोजित कर्मकारो के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की वर्तमान दरें निम्न प्रकार से हैं :

अकुशल श्रमिक	8.50 रुपए से 12.75 रु० प्रतिदिन क्षेत्रों के अनुसार
अर्द्ध कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी कर्मकार	10.75 रु० से 15.75 रु० प्रतिदिन क्षेत्रों के अनुसार
कुशल/लिपिकीय कर्मकार	13.50 रु० से 20.00 रु० प्रतिदिन क्षेत्रों के अनुसार
अतिकुशल कर्मकार	17.25 रु० से 25.00 रु० प्रतिदिन क्षेत्रों के अनुसार

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

किसानों को प्रबंधकीय और तकनीकी सहायता

2470. श्री विजय एन० पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रबंधकीय और तकनीकी सहायता देने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ख) सरकार का किसानों को उनके उत्पादित माल के लिए विपणन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए तथा बीज, उर्वरक और अन्य आदास उपलब्ध करा/कर दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने पुनर्गठित कृषि विस्तार प्रणाली (प्रशिक्षण और दौरा प्रणाली) के जरिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रबन्धकीय और तकनीकी सहायता देना जारी रखा । इस प्रणाली के अनुसार वैज्ञानिकों द्वारा अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों आदि में तैयार की गई फसल उत्पादन की सिफारिशों के बारे में मासिक कार्यशालाओं में विषय-वस्तु

विशेषज्ञों को बताया जाता है और जो बाद में पाक्षिक अनुसंधान सत्रों में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को इन सिफारिशों के संबंध में जानकारी देते हैं। तत्पश्चात् क्षेत्रीय कार्यकर्ता जो मुख्य रूप से ग्रामीण विस्तार कार्मिक होते हैं, अपने निर्धारित दौरों के दौरान किसानों को इन सिफारिशों की जानकारी देते हैं। फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों की-प्रबंधकीय और तकनीकी क्षमता को और उन्नत बनाने में सामूहिक प्रदर्शनों और वैयक्तिक तौर पर किसानों को शिक्षित करने का भी उपयोग किया जाता है।

(ख) केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर किसानों को आठ महत्वपूर्ण कृषि आदान अर्थात् प्रौद्योगिकी, बीज, उर्वरक, वनस्पति रक्षण सेवाएं, उपस्कर तथा मशीनरी, सिंचाई ऋण तथा विपणन संबंधी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए इन आदानों की आवश्यकता होती है।

कृषि विस्तार सेवाओं, जिनमें विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विस्तार अधिकारी तथा ग्रामीण विस्तार अधिकारी शामिल है, के जरिए किसानों में प्रौद्योगिकी संबंधी जानकारी दी जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भी कृषि विज्ञान केन्द्रों के तंत्र के जरिए प्रौद्योगिकी की जानकारी देने का कार्य कर रही है। सहकारी संस्थानों के जरिए किसानों को उचित मूल्यों पर बीज, उर्वरक वनस्पति रक्षण रसायन तथा उपकरण और कृषि मशीनरी तथा साथ ही साथ ऋण प्रदान किए जाते हैं। बहुत से कृषि उद्योग निगम तथा निजी क्षेत्र के संस्थान भी बीज, उर्वरक तथा अन्य आदानों की आपूर्ति के जरिए किसानों की सेवा कर रहे हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में विपणन तथा परिसंस्करण संबंधी सुविधाएं जुटाने के लिए सहकारी संस्थानों की सहायता कर रहा है ताकि किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके।

राज्य सरकारें कृषि उत्पादन अधिक-से-अधिक बढ़ाने के लिए किसानों को इन आठ महत्व-पूर्ण आदानों की आपूर्ति का प्रबोधन करती हैं। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ कई बैठकें भी करती है ताकि किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जा सके।

पारादीप पत्तन पर मत्स्य जहाजों के लिए घाट की सुविधा संबंधी परियोजना रिपोर्ट

2471. **श्रीमती जयंती पटनायक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन में गहरे समुद्र में चलने वाले मत्स्य जहाजों को घाट की सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को भेज दी गई है;

(ख) क्या सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना पर अनुमानित कितनी लागत आएगी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पारादीप पत्तन न्यास ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले बड़े जलयानों तथा छोटे यांत्रिकृत जलयानों के लिए

पारादीप में मछली पकड़ने वाले पत्तन का विकास करने की परियोजना रिपोर्ट का प्रारूप भेजा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

हरियाणा में विकलांगों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र

2472. **चौ० रहीम खां** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार हरियाणा राज्य में, विशेषकर फरीदाबाद में विकलांगों के लिए अपना एक व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण

2473. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** :
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :
श्री प्रियरंजन दास मुंशी :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन ओवरसीज लिमिटेड से बातचीत कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या सरकार समझती है कि ब्रिटेन की इस्पात प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से इस्पात के लिए उपयुक्त है; और

(घ) क्या सरकार ने किसी अन्य दूसरे स्रोत से भी बातचीत की थी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) "सेल" दुर्गापुर इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण के लिए ब्रिटिश स्टील कारपोरेशन (ओवरसीज सर्विस) की सहायता प्राप्त करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए ब्रिटीश स्टील कारपोरेशन (ओवरसीज सर्विस) के साथ बातचीत कर रही है।

(ग) और (घ) ब्रिटिश स्रोतों को उपकरणों और प्रौद्योगिकी की सप्लाई सीमित नहीं होगी। सभी अपेक्षित कारकों को ध्यान में रखने के पश्चात् प्रौद्योगिकी तथा उपकरणों का इष्टतम चयन किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में भूकम्प पीड़ितों की सहायता

2474. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने भूकम्प सहायता कार्य के लिए जुलाई, 1986 में केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है,

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि की मांग की गई है और उस केन्द्रीय दल द्वारा किया गया मूल्यांकन और सिफारिशें क्या हैं जिसने वहां हुई क्षति और दी जाने वाली सहायता का पता लगाने हेतु राज्य का दौरा किया था;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा जुलाई, 1986 के अन्त तक सहायता के रूप में कुछ धनराशि उपलब्ध कराई गई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) हिमाचल में भूकम्प आने के पश्चात् हिमाचल प्रदेश सरकार से मई, 1986 में राहत कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता मांगते हुए एक ज्ञापन प्राप्त हुआ।

(ख) से (ङ) राज्य सरकार ने ज्ञापन में 45.57 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता की मांग की थी जिसे जुलाई, 1986 में केन्द्रीय दल के दौरे के दौरान बढ़ाकर 95.68 करोड़ रुपए कर दिया गया।

भूकम्प की सूचना मिलते ही प्रभावित क्षेत्रों में पर्यवेक्षण दल भेजा गया। पर्यवेक्षण दल की सिफारिशों के आधार पर 15-5-86 को तत्काल राहत संबंधी कार्यों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को साधनोपाय अग्रिम के रूप में 5.00 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए। तत्पश्चात् स्थिति का मौके पर जायजा लेने और केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए एक केन्द्रीय दल ने 4 से 8 जुलाई, 1986 तक राज्य का दौरा किया। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

2475. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का प्रयास करने के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशकों से हाल ही में अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को आवश्यक मार्ग निर्देश जारी करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लक्ष्य को कब तक और किस सीमा तक प्राप्त किया जायेगा ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) और (ख) जी हां। जारी की गई मार्गदर्शिकाओं के अलावा, देश के अधिकांश राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को शामिल करते हुए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों के परियोजना निदेशकों तथा स्तरीय अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तीन कार्यशालायें आयोजित की गई थीं, ताकि उन्हें विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत सातवीं योजना में नीतियों तथा प्रक्रियाओं में हुए विभिन्न परिवर्तनों की पूरी तरह से जानकारी हो सके।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए सातवीं योजना में लक्ष्य निम्न प्रकार हैं—

I. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	20 मिलियन परिवार (इनमें पूरक सहायता के लिए पुराने परिवार भी शामिल हैं)
II. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	रोजगार के 1445 मिलियन श्रम-दिनों का सृजन।
III. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार ग्रामीण कार्यक्रम	रोजगार के 1013 मिलियन श्रम-दिनों का सृजन।

सातवीं योजनावधि के दौरान इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेने की आशा है।

भूमि सुधारों को लागू करना

2476. **डा० गौरी शंकर राजहंस** :
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :
श्री शरद दिघे :
श्री अमर राय प्रधान :
श्री अमर सिंह राठवा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि भूमि सुधार उपायों को अधिक तेजी से लागू किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में भूमि सुधारों को तेजी से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) से (ग) जी हां। भारत सरकार भूमि सुधार उपायों को अधिक तेजी से लागू करने के लिए राज्य सरकारों से आग्रह कर रही है। अन्य बातों के साथ-साथ भूमि सुधार उपायों को और अधिक तेजी से लागू करने के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए मई, 1985 में राज्यों के राजस्व मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन में जिन मुद्दों पर सर्वसम्मति हुई, वे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इस सम्मेलन में की गई सिफारिशें राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेज दी गई हैं।

विवरण

मई, 1985 में हुए राज्यों के राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन की मुख्य सिफारिशें

बिचोलिया काश्तकारियों का उन्मूलन :

(क) लम्बित कार्य को जल्दी से पूरा करने के लिए इसकी 31-3-86 तक पुनरीक्षा की जाए और अभी भी मौजूद कुछ बिचोलिया काश्तकारियों को समाप्त करने के लिए 2 वर्षों की अवधि के अन्दर विधायी कार्रवाई की जाए और सातवीं योजना के अन्तर्गत इस कार्रवाई को पूरा किया जाए।

काश्तकारी की सुरक्षा और स्वामित्व के अधिकार दिलाना :

(ख) (1) पंचायतों, स्वैच्छिक संगठनों और स्थानीय लोगों की सहायता से मौखिक और असुरक्षित अनौपचारिक काश्तकारों और बटाईदारों का पता लगाने के लिए सरकारी तंत्र द्वारा 30-6-86 तक इस कार्य को पूरा करने हेतु एक अभियान चलाया जाना चाहिए और उन्हें रिकार्ड में लाया जाए। इस बात को ध्यान में रखे बिना कि चाहे काश्तकारी को राज्य में मान्यता प्राप्त है अथवा समाप्त कर दी गई है। इसे 31-12-86 तक पूरा कर लिया जाए। काश्तकारी की सुरक्षा को सभी श्रेणियों के काश्तकारों और बटाईदारों के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(2) उन राज्यों में जहां देय लगान कुल उपज के 1/4 से 1/5 भाग से अधिक है, वहां उसे कम किया जाना चाहिए।

(3) काश्तकारों और बटाईदारों को रिकार्ड में लाए जाने के बाद उन्हें स्वामित्व के अधिकार दिए जाने चाहिए। इसके लिए विधायी प्रावधान, जहां ये मौजूद नहीं हैं, दो वर्षों के अन्दर किए जाने चाहिए।

(4) राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध काश्तकारी को अनुमति देने वाली अनावश्यक छूटों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए और उन्हें दूर करने तथा राष्ट्रीय नीति के अनुसार विशिष्ट छूट प्राप्त श्रेणियों को छोड़कर भूमि को पट्टे पर देने पर रोक लगाने और कृषि भूमि को गैर-कृषकों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाने के लिए 31-3-1986 तक विधायी और प्रशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए।

(5) गुप्त काश्तकारियों को रोकने के लिए व्यक्तिगत खेती की और अधिक कड़ी परिभाषा बनाने के लिए राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रशासनों को विचार करना चाहिए।

आदिवासियों के हितों की सुरक्षा :

जमीन में आदिवासियों के हितों की सुरक्षा करने के उद्देश्य में, आदिवासियों से सम्बन्धित भूमि को गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाने के बारे में विद्यमान प्रावधानों और इनके कार्यान्वयन की पुनरीक्षा की जाए और कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कमियों तथा खामियों को दूर करने के लिए 31-12-1986 तक विधायी कार्रवाई की जाए।

भूमि की अधिकतम सीमा का कार्यान्वयन :

(ग) (1) लम्बित पड़ी विवरणियों के निपटान के लिए समयबद्ध उपचारी कार्रवाई की जानी चाहिए ।

(2) मुकदमेबाजी में ऐसे मामलों को तेजी से निपटाया जाए । अधिकतम सीमा के मामलों के तेजी से निपटान के लिए संविधान के अनुच्छेद 323(ख) के अंतर्गत न्यायाधिकरणों के सृजन और/अथवा उच्च न्यायालयों में विशेष न्यायालयों/न्यायपीठों के सृजन पर विचार किया जाए ।

(3) कानून के अपवंचन और अवहेलना के मामलों की जांच-पड़ताल करने के लिए तेजी से कार्रवाई की जाए और 2 वर्षों के भीतर विधायी तथा अन्य प्रकार के ठोस उपचारी उपाए किए जायें ।

(4) राजकोष से वित्त पोषित परियोजनाओं और योजनाओं द्वारा सिंचित क्षेत्रों में अधिकतम भूमि सीमा कानूनों को लागू करने के बारे में पुनरीक्षा की जानी चाहिए और उपयुक्त सीमा निर्धारित की जाए ।

(5) केवल स्वयं अर्जित सम्पत्ति के बारे में वालिग पुत्रों के लिए एक अलग परिवार हेतु अधिकतम सीमा यूनिट के प्रावधान को प्रतिबद्ध करते हुए राज्य सरकार परिवार के लिए अधिकतम सीमा यूनिटों की गणना करने हेतु 24 जनवरी, 1971 से परिवार के सदस्यों के रूप में बालिग पुत्रों को शामिल करने पर विचार करे ।

(6) वितरण के लिए अधिक भूमि प्राप्त करने हेतु भूमि की अधिकतम सीमाओं को कम करने और धार्मिक तथा धर्मार्थ संस्थाओं को भूमि की सामान्य अधिकतम सीमाओं के अधिकार क्षेत्र में लाने के बारे में भी राज्यों द्वारा विचार किया जाए ।

भूमि अभिलेख :

(घ) (1) 1985-86 को भूमि अभिलेख वर्ष मनाने के लिए एक अभियान चला कर भूमि अभिलेखों को अद्यतन बनाया जाना चाहिए ।

(2) भूमि अभिलेखों को नियमित रूप से अद्यतन बनाने के लिए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए ।

(3) जिन राज्यों में भूमि अभिलेख नही हैं, वहां भूमि अभिलेख तेजो से शुरू किए जायें ।

(4) जहां कहीं सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य लम्बित पड़े हुए हैं, वे शीघ्रता से किए जायें ।

(5) भू-स्वामियों और काश्तकारों को कानूनी तौर पर पट्टा पासबुकें जारी की जानी चाहिए ।

चकबन्दी :

(ङ) सातवीं योजना के दौरान 25 प्रतिशत चकबन्दी करने योग्य क्षेत्रों की चकबन्दी करने के प्रयास किए जायें और सिंचित क्षेत्रों तथा चयनात्मक आधार पर उन क्षेत्रों, जहां छोटे और

सीमान्त किसानों की भूमि जोतें हैं तथा फालतू भूमि के प्राप्तकर्ता अधिक संख्या में हैं, में अधिक कारगार ढंग से सेवाएं मुहैया करने के लिए प्राथमिकता दी जाए।

अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के प्राप्तकर्ता :

(च) अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के प्राप्तकर्ताओं को वित्तीय सहायता देने की योजना को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ सम्बद्ध किया जाए।

केरल में सहकारी समितियों को राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा सहायता

2477. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा केरल को सहकारिता क्षेत्र के अन्तर्गत आर्थिक कार्यक्रमों के संवर्द्धन हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) ऋणों तथा राज सहायता के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ग) ऋणों के पुनर्भुगतान की क्या शर्तें हैं; और

(घ) किन विशिष्ट प्रयोजनों के लिए दी गई राशि का उपयोग किया गया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान केरल में सहकारी विकास के लिए कुल 836.441 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मुहय्या की, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है—

	(लाख रुपए)
1983-84	183.349
1984-85	140.310
1985-86	512.782

(ख) सहायता की रकम में 753.478 लाख रुपए ऋण के रूप में और 82.963 लाख रुपए राजसहायता के रूप में शामिल किए गये हैं।

(ग) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा दिये गये अग्रिम ऋण सामान्य रूप से 14 वर्ष की अवधि में मूलधन और ब्याज के वार्षिक समान किस्तों में चुकाए जाते हैं। मूलधन की चुकौती में संसाधन एककों की स्थापना के लिए 3 वर्ष और गोदामों का निर्माण करने के लिए 2 वर्ष के विलम्बनकाल की अनुमति दी जाती है।

(घ) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1983-84 से 1985-86 तक की अवधि के दौरान सहकारी विकास के लिए केरल सरकार को निर्मुक्त की गई सहायता

(लाख रुपए)

क्रम सं०	सहायता का प्रयोजन	निर्मुक्त की गई धनराशि					
		1983-84		1984-85		1985-86	
		ऋण	राजसहायता	ऋण	राजसहायता	ऋण	राजसहायता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ग्रामीण इलाकों में उपयोग करने की वस्तुओं का वितरण करने के लिए ग्राम समितियों को सहायता	25.291	2.239	50.521	4.596	25.775	1.375
2.	मछुआरों के लिए समुद्र तट अवतरण जलयानों का प्रचलन	—	—	—	—	—	10.370
3.	विपणन संघों के लिए सीमान्त धन की सहायता	60.000	—	10.000	—	119.850	—
4.	कमजोर प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों का जीर्णोद्धार	1.500	—	—	—		
5.	प्राथमिक विपणन समितियों के शेयर पूंजी का आधार मजबूत करना	3.000	—	2.000	—		
6.	कृषि संबंधी सहकारी संसाधन	2.538	—	6.143	—	39.821	—

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	सहकारी भण्डार	37.642	—	45.344	—	43.693	—
8.	कृषि-सेवा केन्द्र/उपस्कर एकक	10.860	—	8.580	—	20.920	—
9.	आदिवासी सहकारी समितियां	1.500	—	—	—	—	—
10.	कुक्कुट सहकारी समितियां	—	—	0.610	—	1.630	—
11.	मात्स्यकी सहकारी समितियां	—	—	—	—	162.940	60.964
12.	अनुसूचित जातियों के लिए सहकारी समितियां	16.500	—	—	—	—	—
13.	हथकरघा सहकारी समितियां	21.537	—	7.061	—	20.632	—
14.	रेशम उत्पादन नारियल, जटा, लाख आदि के लिए सहकारी समितियां	0.450	—	4.020	—	3.120	—
15.	तकनीकी तथा प्रयोजन स्कंध	—	0.292	—	0.385	—	0.432
16.	अध्ययन/परियोजना की रिपोर्टें	—	—	—	1.050	—	1.260
	योग	180.818	2.531	134.279	6.031	438.381	74.401

खोपरा, नारियल की खरीद और बिक्री

2479. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ लिमिटेड (नाफेड) द्वारा 30 जून, 1986 को समाप्त होने वाले गत एक वर्ष के दौरान नारियल और खोपरा की खरीद पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) केरल में नारियल, खोपरा और नारियल के तेल के मूल्य स्थिर रखने हेतु (नाफेड) द्वारा अन्य क्या कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या "नाफेड" के पास उन स्थानों पर, जहां नारियल उपलब्ध नहीं होता है, केरल से कच्चा नारियल, बेचने हेतु कोई विशिष्ट प्रस्ताव है; और

(घ) क्या "नाफेड" ने कर्नाटक राज्य से कच्चे नारियल को बिक्री के बारे में उस राज्य से कोई सौदा किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पिछले सहकारी वर्ष 1985-86 के दौरान नेफेड ने खोपरे की खरीद पर 14.49 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

(ख) नेफेड द्वारा क्रियान्वित मण्डी में हस्तक्षेप की योजना से खोपरे के मूल्य अच्छी औसत क्वालिटी के 1200 रुपये प्रति क्विंटल के निर्देशात्मक मूल्य से ऊपर स्थिर हुए हैं। केरल सरकार के अनुरोध पर नेफेड, योजना के तहत अधिप्राप्त खोपरे की सप्लाई केरल राज्य नारियल विकास निगम को कर रहा है, ताकि इसको नारियल तेल के रूप में बदलकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जा सके।

(ग) नेफेड दिल्ली में नारियल बेचने की संभाव्यता पर विचार कर रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड-भारतीय डेरी निगम द्वारा गुजरात को धनराशि का आबंटन

2480. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के आप्रेशन फ्लड 1 और 2सी के अन्तर्गत उस राज्य में स्थित राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड-भारतीय डेरी निगम द्वारा गुजरात को अधिकतम धन आवंटित किया गया है;

(ख) भारतीय डेरी विकास बोर्ड-भारतीय डेरी निगम द्वारा सूखे से प्रभावित गुजरात में उत्तम किस्म के दुधारू पशुओं को बचाने के लिए क्या कदम उठाये गये; और

(ग) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड-भारतीय डेरी निगम ने भारत में अन्य राज्यों में दो आप्रेशन फ्लड परियोजनाओं के अन्तर्गत सूखे की स्थिति तथा दुधारू पशुओं की स्थिति से निपटने लिए क्या कोई उपचारात्मक कदम भी उठाये गये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) आपरेशन फ्लड परियोजना में सूखा राहत के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

[हिन्दी]

भूमि सुधार कानूनों का कार्यान्वयन

2481. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समूचे देश में बड़े किसान बेनामी सौदों के माध्यम से निर्धारित अधिकतम सीमा से कहीं अधिक भूमि अपने पास रखे हुए हैं और इस प्रकार वे संविधान में उल्लिखित सुधारों के उद्देश्य को ही विफल कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सभी राज्यों को उक्त बेनामी सौदों को रोकने के लिए और इस प्रकार उपलब्ध फालतू भूमि का अनुसूचित जातियों के लोगों तथा खेतिहर मजदूरों में वितरण करने का भी उपबन्ध करने वाले एक आदर्श कानून का मसौदा भेजने का है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) जुलाई, 1972 में कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा के बारे में हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन के आधार पर बनाई गई राष्ट्रीय मार्गदर्शिकाओं में यह व्यवस्था की गई है कि राज्यों को चाहिए कि वे अधिकतम भूमि सीमा कानूनों को पिछली उस तारीख से लागू करें जो 24 जनवरी, 1971 के बाद की न हों। मार्गदर्शिकाओं में यह भी व्यवस्था की गई है कि राज्यों के भूमि सीमा कानूनों में इस बात को स्पष्ट करते हुए एक विशेष प्रावधान होना चाहिए कि उस तारीख के बाद किये गये भूमि के किसी भी अन्तरण की वास्तविकता को सिद्ध करने का दायित्व अंतरितक पर होगा।

पूर्व-संशोधित और संशोधित भूमि-सीमा कानूनों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप, लगभग 73.75 लाख एकड़ भूमि को फालतू घोषित किया गया है। यह अनुमानित फालतू भूमि से काफी कम है और इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं :

(क) 5 से अधिक सदस्यों वाले परिवार के लिए अधिकतम भूमि सीमा के दुगुने तक भूमि जोतों का प्रावधान;

(ख) परिवार के वयस्क पुत्रों के लिए अलग से अधिकतम भूमि सीमा निर्धारित करने का प्रावधान;

(ग) संयुक्त परिवार के हर हिस्सेदार को अधिकतम भूमि सीमाओं के लिए पृथक् इकाई मानने का प्रावधान, जैसा कि अन्तरण कानून के अन्तर्गत लागू है;

(घ) उच्च अधिकतम सीमा स्तर तथा पौधरोपण और धार्मिक एवं धमार्थ संस्थाओं को छूट; और

(ङ) कानूनों का अपवंचन और उल्लंघन।

(ख) चूंकि भूमि राज्य का एक विषय है, अतः इससे सम्बन्धित कानून बनाना राज्य सरकारों का काम है। राज्यों को एक आदर्श कानून के लिए सुझाव देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, भारत सरकार राज्यों पर अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के कार्यान्वयन में पाई जाने वाली कमियों को दूर करने तथा कानूनों के अपवंचन और उनसे बचाव को रोकने के लिए विधायी और प्रशासनिक उपाय करने हेतु जोर दे रही है। मई, 1985 में हुए राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में इस सम्बन्ध में कई सिफारिशें की गई हैं।

[अनुवाद]

काजू की खेती

2482. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अतिरिक्त भूमि काजू की खेती के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए किन-किन नये क्षेत्रों/राज्यों को चुना गया है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न राज्य में काजू की खेती के सम्बन्ध में सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा के राज्यों तथा गोवा और पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्रों ने क्षेत्र का विस्तार करने के प्रस्ताव भेजे हैं।

(ग) और (घ) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत शुरू किए गए कार्यक्रम 94270 हेक्टेयर में पौध संरक्षण, 4250 प्रदर्शन प्लाट तैयार करना, 19.6 हेक्टेयर के क्षेत्र में सांकुरान पौधशाला (साइ ओन बैंक) की स्थापना करना, 4500 हेक्टेयर में वानस्पतिक प्रवर्धन करके सुधार करना, 3900 हेक्टेयर के क्षेत्र में पौध-रोपण तथा बीजपत्रोपरिक कलमों के जरिए क्षेत्र विस्तार और उपरोक्त राज्यों के 250 हेक्टेयर क्षेत्र में क्लोनी उद्यानों की स्थापना करना शामिल है।

सूखा प्रवण क्षेत्रों में चारा उगाना

2483. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार विभिन्न राज्यों में सूखा प्रवण क्षेत्रों में चारा उगाने सम्बन्धी आरम्भ करने के कार्य में राज्य सरकारों की सहायता करना है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोई धनराशि निर्धारित की है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में कदम उठाने के लिए राज्य सरकार को मार्ग-निर्देश जारी किये हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत चलाई जाने वाली महत्वपूर्ण क्षेत्रीय गतिविधियों में चारा उगाना भी एक गतिविधि है, जिन्हें इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत शामिल किए गए कुछ सूखा प्रवण तथा मरू क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, जिसे केन्द्रीय सरकार तथा सम्बन्धित राज्यों द्वारा बराबर के अंशदान के आधार पर चलाया जाता है। मरूभूमि विकास कार्यक्रम केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना है, जिसे भारत सरकार द्वारा पूर्णतया वित्त पोषित किया जाता है। वर्ष 1986-87 के दौरान सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 46.30 करोड़ रुपए तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम के लिए 39 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है, जिसमें इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत आने वाली सभी क्षेत्रीय गतिविधियों जिनमें चारा उगाना भी शामिल है, को शामिल किया जाता है। चारा उगाने के कार्य के लिए अलग से कोई आबंटन नहीं है।

(ग) जी, हां। राज्य सरकारों को समय-समय पर आवश्यक मार्गदर्शिकाएं जारी की गई हैं।

(घ) भारत सरकार की एक केन्द्रीय संचालित योजना भी है, जिसके अन्तर्गत चारा उत्पादन और प्रदर्शन तथा चारा बीज उत्पादन फार्म के लिए सात क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय केन्द्रों तथा चारा बीज फार्म द्वारा प्रतिवर्ष अधिक उपज देने वाली किस्मों के लगभग 3800 क्विटल चारे के बीजों का उत्पादन किया जाता है। क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा चारे की फसल की नई विकसित किस्मों और अनुसंधान संस्थानों द्वारा सही पाई गई उत्पादन की तकनीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए किसानों के खेतों पर चारा मिनिटिक तथा नियमित प्रदर्शन भी आयोजित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार को सप्लाई किये गये खाद्यान्न

2484. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत बिहार को कितना खाद्यान्न सप्लाई किया गया है; और

(ख) उक्त अवधि में इस राज्य में वास्तव में कितने खाद्यान्न की खपत हुई है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) वर्ष 1985-86 के दौरान ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार को 99,650 मीटरी टन खाद्यान्न निर्मुक्त किया गया था।

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान खाद्यान्नों का अनन्तिम उपयोग 36,948 मीटरी टन का हुआ है।

लोहे और अभ्रक की खानें

2485. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लोहे और अभ्रक की कितनी खानें हैं;

(ख) ये खान किन-किन राज्यों में स्थित हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान लोह अयस्क और अभ्रक की कुल कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ और विदेशों को कितनी मात्रा का निर्यात किया गया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) भारत में वर्ष 1985 में उत्पादनरत लौह अयस्क एवं अभ्रक खानों की कुल संख्या क्रमशः 301 और 153 बताई गई है। ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) लोह अयस्क की खानें आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और गोआ में, तथा अभ्रक की खानें आन्ध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान और तमिलनाडु में हैं।

(ग) और (घ) देश में गत तीन वर्षों में लोह अयस्क एवं अभ्रक का उत्पादन इस प्रकार रहा :

वर्ष	लौह अयस्क (हजार टनों में)	अभ्रक (टनों में)	
		कच्चा	छीलन व कतरन
1983	38089	7504	3762
1984	42257	6138	3199
1985	44186	4880	2585

गत तीन वर्षों के दौरान लौह अयस्क एवं परिष्कृत अभ्रक का निर्यात इस प्रकार रहा :

वर्ष	लौह अयस्क (मि० टनों में)	परिष्कृत अभ्रक (हजार टनों में)
1983-84	21.948	10.80
1984-85	25.395	17.98
1985-86	27.955	18.76

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत बिहार को मंजूर की गई राशि

2486. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बिहार राज्य को वर्ष 1986-87 के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है;

(ख) बिहार राज्य को स्वीकृत कुल राशि में केन्द्रीय सहायता का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों तथा जनसंख्या के लिए दी जाने वाली सहायता के अनुदान में बहुत बड़ा अन्तर है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस अन्तर को समाप्त करने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक खण्ड को 50 प्रतिशत निधियां गरीबी के प्रभाव को देखते हुए चयनात्मकता के आधार पर और 50 प्रतिशत निधियां एकरूपता के आधार पर आवंटित की गई हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियां एक मानदंड के आधार पर दी जाती हैं जिसके अन्तर्गत 50 प्रतिशत बाल कृषि मजदूरों/सीमान्त मजदूरों और सीमान्त किसानों की संख्या और 50 प्रतिशत बल प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र में ग्रामीण गरीबी के प्रभाव को दिया जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

1986-87 के दौरान बिहार को राज्य के अंश सहित निधियों
के कुल आवंटन और कुल आवंटन में केन्द्रीय सहायता के
प्रतिशत को दर्शाने वाला विवरण

(रुपए करोड़ में)

कार्यक्रम	1986-87 के दौरन बिहार को निधियों का कुल आवंटन	कुल आवंटन में केन्द्रीय सहायता का प्रतिशत
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	70.98	50 प्रतिशत
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	64.88	50 प्रतिशत
ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम	69.73*	100 प्रतिशत
सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम	8.10	50 प्रतिशत

*इसके अतिरिक्त 1986-87 की पहली और दूसरी तिमाहियों के लिए बिहार सरकार को 17580 मीटरी टन चावल और 52750 मीटर टन गेहूं निर्मुक्त किया गया है। खाद्यान्नों की लागत और खाद्यान्नों पर आर्थिक सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन की जाती है।

बिहार में इस्पात स्टाकयार्ड की स्थापना

2487. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87 के दौरान बिहार में किसी स्थान पर इस्पात स्टाकयार्ड की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह किस जिले में तथा किस स्थान पर स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बिहार राज्य में "सेल" के पटना तथा बोकारो स्थित मौजूदा स्टाकयार्डों द्वारा जिन स्थानों पर सप्लाई की जाती है उनसे भिन्न स्थानों की मांग का स्तर एक नए सक्षम स्टाकयार्ड की स्थापना करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

[अनुवाद]

मिल मालिकों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान बन्द कर देना

2488. श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिल मालिक, एककों को रुग्ण घोषित करने के बाद, कामगारों की भविष्य निधि में अंशदान करना बंद कर देते हैं;

(ख) क्या मिलों में तालाबंदी के मामलों में उद्योगपति भी ऐसी ही प्रक्रिया अपनाते हैं और दोनों मामलों में कामगारों के हितों को नुकसान पहुंचता है;

(ग) ऐसी स्थिति से निपटने के लिए श्रम कानून में किए जाने वाले उपबंधों का ब्योरा क्या है;

(घ) क्या इन उपबंधों को लागू नहीं किया जाता और इससे उद्योगपतियों को प्रोत्साहन मिलता है; और

(ङ) सरकार का इस स्थिति से निपटने के लिए क्या नए कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) कुछ मिल मालिकों ने इस आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि की अदायगी करने में कठिनाई व्यक्त की है कि उनका यूनिट रुग्ण हो गया है। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम में रुग्ण यूनिट द्वारा अंशदान की अदायगी करने के मामले में कोई अपवाद नहीं किया गया है। अतः इन यूनिटों को अधिनियम के अधीन देय अंशदान का भुगतान करना आवश्यक है।

(ख) यदि कोई प्रतिष्ठान तालाबंदी की घोषणा करता है और श्रमिकों को कोई मजदूरी नहीं दी जाती है, तब प्रबंधतंत्र कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान का भुगतान करने के लिए उत्तर-दायी नहीं होगा।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में बकाया राशि की अदायगी न करने के मामलों के बारे में निम्नलिखित कानूनी और दांडिक उपबंधों की व्यवस्था है :

(i) अधिनियम की धारा 8 के अधीन बकाया राशि की भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूल करना;

(ii) अधिनियम की धारा 14 के अधीन दोषी नियोजकों के विरुद्ध अभियोजन;

(iii) भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन उन नियोजकों के विरुद्ध अभियोजन दायर करना जो कर्मचारियों की मजदूरी से काटे गए कर्मचारी के अंशदान के हिस्से की अदायगी नहीं करते हैं;

(iv) अधिनियम की धारा 14-ख के अधीन विलम्ब से किए गए भुगतानों के लिए हर्जाने लगाना।

(घ) जी, नहीं। कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरण दोषी नियोजकों के विरुद्ध सभी संभव कानूनी और दांडिक कार्रवाई कर रहे हैं।

(ङ) सरकार वर्तमान कानूनी और दांडिक उपबंधों को अधिक कठोर बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

भारत और आस्ट्रेलिया के बीच व्यापार

2489. श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने भारत और आस्ट्रेलिया के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए आस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री के साथ हाल ही में सविस्तार बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो दोनों मंत्रियों की बातचीत का ब्यौरा क्या है और उक्त बातचीत के दौरान व्यापार और आर्थिक समझौतों के किन-किन क्षेत्रों के बारे में चर्चा हुई;

(ग) वार्ता के दौरान किए गए निर्णय किस तिथि से कार्यान्वित किये जायेंगे; और

(घ) क्या इस संबंध में किसी करार पर हस्ताक्षर हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) इस्पात और खान मंत्री ने आस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री के आमंत्रण पर आस्ट्रेलिया में खनन एवं इस्पात उद्योगों के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु 3 से 11 जुलाई, 1986 के दौरान आस्ट्रेलिया की यात्रा की थी। आस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री के साथ वार्तालाप के अलावा, इस्पात और खान मंत्री ने न्यू साउथ वेल्स और क्वीन्सलैंड में आस्ट्रेलिया के संसाधन एवं ऊर्जा मंत्री एवं खान और ऊर्जा के प्रभारी मंत्री तथा संघीय सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों से विचार विनिमय किया था। मंत्री जी ने आस्ट्रेलिया में कुछ खानों, अनुसंधान केन्द्रों, एल्यूमिनियम प्रद्रावक तथा कोयला और इस्पात उद्योगों का भी निरीक्षण किया था। यह यात्रा भारत व आस्ट्रेलिया के बीच स्थायी आधार पर आर्थिक संबंधों को बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए की गई थी। कोई करार नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए मत्स्य पालन निगम

2490. श्री मनोरंजन भक्त : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए एक मत्स्यपालन निगम की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) संघ राज्य क्षेत्र अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिए मात्स्यकी निगम की स्थापना करने की सम्भाव्यताओं का पता लगाया जा रहा है।

कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड द्वारा स्पंज लोहे का निर्माण

2492. श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड स्पंज लोहे का निर्माण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 के दौरान इसका कितना उत्पादन हुआ;

(ग) लौह अयस्क निकालने पर ध्यान केन्द्रित करने के बजाय स्पंज लोहे का निर्माण करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या लौह अयस्क की निर्यात बाजार में कोई मांग नहीं है अथवा अयस्क का भण्डार समाप्त हो गया है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी विभिन्न देशों को पहले से ही लौह अयस्क सांद्रण निर्यात कर रही है। कुद्रेमुख में लौह अयस्क के भण्डार अभी समाप्त नहीं हुए हैं।

किसानों को ब्याजमुक्त ऋण

2493. श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को पूंजीगत राज सहायता देने के स्थान पर ब्याजमुक्त ऋण देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने इस प्रस्ताव के प्रति सहमति व्यक्त की है;

(ग) असहमति व्यक्त करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय लेने हेतु सभी राज्य सरकारों की बैठक बुलाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस समय किसानों को पूंजीगत राजसहायता देने के स्थान पर ब्याजमुक्त ऋण देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मंगलौर, कर्नाटक में हाट ब्रिकेटेड आयरन प्लांट की स्थापना

2494. श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर, कर्नाटक में एक हाट ब्रिकेटेड आयरन प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या ऐसा संयन्त्र स्थापित करने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी; और

(ग) यदि हां, तो इसे शीघ्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ग) इस सम्बन्ध में कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड से एक प्रारम्भिक प्रस्ताव मिला है ।

(ख) जी, हां ।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा मंजूर किये गए ऋण

2495. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा वर्ष 1985-86 के दौरान प्रत्येक फीचर फिल्म और वृत्त चित्र के लिए कितना-कितना ऋण मंजूर किया गया; और

(ख) ऐसी फीचर फिल्मों तथा वृत्त चित्रों की संख्या कितनी है जिनके लिए ऋण मंजूर किये गये थे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने वर्ष 1985-86 के दौरान 13 फिल्मों के लिए ऋण मंजूर किए । इन फिल्मों के नाम तथा इनमें से प्रत्येक के लिए मंजूर किया गया ऋण नीचे दर्शाया गया है—

क्र० संख्या	फिल्म का नाम	मंजूर किया गया ऋण
		(रुपयों में)
1.	राधक्का (हिन्दी)	8,00,000
2.	तबराना काथे (कन्नड़)	7,00,000
3.	दूसरा बादशाह उर्फ चौथा सुलेमान (हिन्दी)	7,50,000
4.	अनादि अनन्त (हिन्दी)	8,00,000
5.	हिमघर (बंगला)	4,50,000
6.	अंतहीन (हिन्दी)	3,00,000
7.	तुनी बोऊ (बंगला)	5,62,000
8.	पेरुथरतम (मलयालम)	6,00,000
9.	आश्चर्ज प्रदीप (बंगला)	7,00,000
10.	बिल्डिंग दि मैट्रोरेलवे इन कलकत्ता (अंग्रेजी वृतचित्र)	92,965
11.	पिरवी (मलयालम)	5,50,000
12.	सामान्दरम (मलयालम)	50,000
13.	खामोश (हिन्दी)	1,50,000

सहकारी समितियों द्वारा वितरित ऋण

2496. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985-86 के दौरान सहकारी समितियों द्वारा कितनी धनराशि के ऋण वितरण किये गये; और

(ख) उक्त ऋणों की कितने प्रतिशत धनराशि समाज के कमजोर वर्गों के लोगों तथा सीमान्त किसानों को दी गई ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1985-86 के दौरान सहकारी समितियों द्वारा वितरित किए गए ऋण की राशि का अनुमान 2945 करोड़ रुपए लगाया गया है।

(ख) समाज के कमजीर वर्गों तथा सीमान्त किसानों में बांटा गया अल्पकालीन, मध्यम-कालीन तथा दीर्घकालीन ऋण कुल ऋण का लगभग 47 प्रतिशत है।

पत्रिकाओं तथा समाचारपत्रों के लिए अखबारी कागज का आयात

2497. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985-86 में पत्र-पत्रिकाओं के लिए अखबारी कागज का कितनी मात्रा में आयात किया गया और उनकी आवश्यकता का कितना भाग देश के भीतरी ही उत्पादन से पूरा किया गया; और

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान आयातित एवं स्वदेशी अखबारी कागज के तुलनात्क मूल्य क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) वर्ष 1985-86 के दौरान, 1,94,331.00 मीट्रिक टन अखबारी कागज आयात किया गया था और लगभग 2,51,246.00 मीट्रिक टन अखबारी कागज, जो चार देशीय अखबारी कागज मिलों से प्राप्त हुआ था, का समाचारपत्रों और पत्रिकाओं को आबंटन किया गया था।

(ख) एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी हुई है, संलग्न है।

विवरण

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान स्वदेशी अखबारी कागज का मूल्य (प्रति मीट्रिक टन रुपयों में)

अवधि	नेपा 55 जी० एस० एम०	मैसूर 52 जी० एस० एम०	केरल 52 जी० एस० एम०	तमिलनाडु 52 जी० एस० एम०
30-12-85 तक	6,400	8,000	8,000	8,000
31-12-85 से	7,860	8,960	8,960	8,960

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान आयातित अखबारी कागज का मूल्य (प्रति मीट्रिक टन रुपयों में)

अवधि	मानक अखबारी कागज		ग्लेज्ड अखबारी कागज	
	हाई सी बिक्री	बफर स्टाक बिक्री	हाई सी बिक्री	बफर स्टाक बिक्री
अप्रैल-जून, 1985	6,300*	6,380*	7,185*	7,235*
जुलाई-सितम्बर, 1985	6,595	6,645	7,055	7,105
अक्तूबर-दिसम्बर, 1985	6,745	6,795	7,510	7,560
जनवरी-मार्च, 1986	6,980	7,030	8,275	8,325

*बड़े समाचारों द्वारा देय 90 रु० प्रति मीट्रिक टन शामिल नहीं है।

इन मूल्यों में सीमा शुल्क (बड़े समाचार पत्रों के लिए 550 रु० प्रति मीट्रिक टन, मझोले समाचार पत्रों के लिए 275 रु० प्रति मीट्रिक टन तथा छोटे समाचार पत्रों के लिए शून्य), चुंगी और अन्य स्थानीय कर शामिल नहीं हैं।

[अनुवाद]

ओणम उत्सव का प्रसारण

2499. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन में अपने राष्ट्रीय अन्तःसम्पर्क प्रसारण में केरल के त्योहार ओणम के बारे में कभी कोई कार्यक्रम प्रसारित किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का उसे इस वर्ष प्रसारित करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। "ओणम" पर एक कार्यक्रम दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में हर वर्ष टेलीकास्ट किया जाता है

(ख) इस वर्ष भी 14-9-86 को ओणम पर एक कार्यक्रम टेलीकास्ट करने का कार्यक्रम है।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में यांत्रिक सुविधाएं

2500. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए मूल परियोजना रिपोर्ट में "कनवर्टर्स", "रोलिंग मिल्स", "यूनिवर्सल बीम मिल" जैसी कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और संशोधित प्रस्ताव में कौन-कौन-सी सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है;

(ख) क्या यांत्रिक इकाइयों के रूप में यांत्रिक सुविधाओं में कमी की उत्पादन में हुई कमी से तुलना की जा सकती है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) मूल परियोजना रिपोर्ट, संशोधित प्रस्ताव और भारतीय स्पात उद्योग के वर्तमान मानदण्ड के अनुसार प्रमुख यांत्रिक सुविधाओं (मशीनें) और कर्मचारियों के लिए उत्पादकता के निर्धारित मानदण्ड निर्धारित क्या हैं, और

(घ) क्या उत्पादकता के निर्धारित मानदण्ड अपेक्षाकृत अधिक हैं और यदि हां, तो उन्हें किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) अनुमोदित धारणा में दी गई वास्तविक सुविधाएं तथा युक्तिसंगत धारणा में प्रस्तावित सुविधाएं इस प्रकार हैं—

अनुमोदित धारणा	प्रस्तावित युक्तिसंगत धारणा
1. 3200-3200 घनमीटर की दो धमन भट्टियां	1. 3200-3200 घन मीटर की दो धमन भट्टियां
2. 130-130 टन के 5 कन्वर्टर	2. 150-150 टन के तीन कन्वर्टर
3. 4-4 स्ट्रेन्ड की 10 ब्लूम कांटीनुअस कास्टिंग मशीनें	3. 4-4 स्ट्रेन्ड की 6 ब्लूम कान्टीनुअस कास्टिंग मशीनें
4. एक हल्की तथा मध्यम मर्चेंट मिल	4. एक हल्की तथा मध्यम मर्चेन्ट मिल
5. एक तार छड़ मिल	5. एक तार छड़ मिल
6. एक मध्यम मर्चेन्ट तथा संरचनात्मक मिल	6. एक मध्यम मर्चेंट तथा संरचनात्मक मिल
7. एक यूनिवर्सल बीम मिल	7. निकाल दिया।

(ख) जैसाकि ऊपर बताया गया है हालांकि वास्तविक सुविधाओं को घटा दिया गया है तथापि उत्पादन में मामूली सी कमी की गई है क्योंकि प्रस्तावित युक्तिसंगत धारणा के अनुसार कार्य का बेहतर माहौल पैदा करके, पर्याप्त स्तर पर प्रशिक्षण देकर, अधिक अनुशासित ढंग से कार्य करके तथा बेहतर रख-रखाव आदि से कार्य कुशलता के उच्चतर स्तर पर संयंत्र को चलाया जाना है।

(ग) प्रमुख सुविधाओं (मशीनरी) के लिए तथा उत्पादिता के अनुमानित मानक तथा अनुमोदित धारणा तथा युक्तिसंगत धारणा में प्रस्तावित व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है—

	अनुमोदित धारणा	प्रस्तावित युक्तिसंगत धारणा
1	2	3
1. सिन्टर संयंत्र उत्पादिता-टन प्रति वर्ग मीटर प्रति घंटा (टी/एम^2/प्रति घंटा)	1.2	1.2
2. धमन भट्टी उत्पादिता टन प्रति घन मीटर/प्रति दिन (टी/एम^3/प्रति दिन)	1.52	1.52
3. इस्पात गलनशाला-कन्वर्टर के प्रति परिचालक प्रतिवर्ष ब्लो की संख्या	8718	10,000
4. एल० एम० एम० : (क) बेलन घंटे	4516	4516
(ख) बेलन दर	157.2	157.2
(टन/प्रति घंटा)		
(टन/प्रति घंटा)		

1	2	3
5. तार छड़ मिल		
(क) बेलन घंटे	3153	4467
(ख) बेलन दर (टन/प्रति घंटा)	190.3	190.3
6. एम० एम० एस० एम० : (क) बेलन घंटे	3153	3829
(ख) बेलन दर (टन/प्रति घंटा)	1222	222
7. श्रम उत्पादिता (टन/प्रति व्यक्ति/प्रति वर्ष)	163	230

कुछ कारखानों के लिए वर्ष 1984-85 के दौरान प्राप्त किए गए उत्पादन प्राचल (आंकड़े अस्थायी हैं) नीचे दिए गए हैं—

	बोकारो	भिलाई	राउरकेला	दुर्गापुर
1. सिन्टर संयंत्र उत्पादिता (टी/एम^2/प्रति घंटा)	0.83	1.12	0.77	0.56
2. धमन भट्टी उत्पादिता (टी/एम^3/प्रतिदिन)	0.87 एस बी	0.99 0.84	0.76 0.77	0.60 0.48
3. इस्पात गलनशाला-कन्वर्टर के प्रति परिचालन/प्रतिवर्ष	4086	लागू नहीं	5204	लागू नहीं
4. एम० एम० एम०				
(क) बेलन घन्टे	लागू नहीं	4397	लागू नहीं	2671
(ख) बेलन दर	—तदैव—	87.4	—तदैव—	40.9
5. तार छड़ मिल				
(क) बेलन घन्टे	—तदैव—	4.82	—तदैव—	लागू नहीं
(ख) बेलन दर (टन/प्रतिघंटा)		82.7		
6. एम० एम० एस० एम०				
(क) बेलन घन्टे	लागू नहीं	4446	लागू नहीं	3748
(ख) बेलन दर (टी/प्रति घन्टा)		122.0		24.9 (सैक्शन मिल)
7. कारखाने में श्रम उत्पादिता (टन/प्रति व्यक्ति/प्रतिवर्ष)	69	69	43	31

तालिका में प्रयोग किए गए संक्षिप्त रूप :

लागू नहीं—क्योंकि कारखाने के पास तुलनीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

एस०—छोटी भट्टी

बी०—बड़ी भट्टी

(घ) कार्य का बहतर माहौल पैदा करके, प्रशिक्षण का पर्याप्त स्तर प्राप्त करके, अधिक अनुशासनात्मक ढंग से कार्य करके तथा बेहतर रख-रखाव आदि करके उत्पादिता के उच्च मानक प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

"यूनिवर्सल बीम" का आयात

2501. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम इस्पात संयन्त्र के लिए "यूनिवर्सल बीम" का आयात करने हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है;

(ख) यूनिवर्सल बीम मिल को, जो विशाखापत्तनम इस्पात संयन्त्र का मोनोग्राम है, क्यों छोड़ दिया गया है; और

(ग) क्या इस मामले पर पुनर्विचार किए जाने की संभावना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) वर्ष 1982 से 1984 के दौरान विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना द्वारा यूनिवर्सल बीम की कुल 6760 मीट्रिक टन मात्रा का आयात किया गया। विदेशी मुद्रा मूल्य 1945000 डालर तथा डी० एम० 1293900 था जो लगभग 2.5 करोड़ रुपए के बराबर है।

(ख) और (ग) विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना का मोनोग्राम यूनिवर्सल बीम है न कि यूनिवर्सल बीम मिल।

प्रस्तावित संशोधित युक्तिसंगत धारणा में पूंजी लागत को कम करने के लिए तथा परियोजना की आर्थिक सक्षमता में सुधार लाने के लिए उपाय के रूप में अन्य बातों के साथ-साथ यूनिवर्सल बीम मिल को बाहर निकालने की परिकल्पना की गई है। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

उड़ीसा में खरीफ उत्पादन का लक्ष्य

2502. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में खरीफ फसल के उत्पादन के लिए क्रमशः वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 से आज तक क्या लक्ष्य प्राप्त हुए;

(ग) क्या उक्त अवधि के लिए निर्धारित खरीफ उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया जा सका था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में, विशेषतया उड़ीसा में खरीफ उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) उड़ीसा में वर्ष 1984-85, 1985-86 तथा 1986-87 की महत्वपूर्ण खरीफ फसलों के उत्पादन के लक्ष्यों और उपलब्धियों की स्थिति नीचे बताई गई है :

(लाख मीटरी टन)

खरीफ फसल	1984-85		1985-86		1986-87
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	अनुमानित उपलब्धि	लक्ष्य
खाद्यान्न	58.55	48.2	57.00	58.0	63.30
तिलहन	2.99	4.5	3.89	4.8	5.36

1986-87 की उपलब्धियों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।

(ग) और (घ) उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार 1984-85 में खाद्यान्नों का उत्पादन लक्ष्यों की तुलना में कम हुआ। खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी होने का मुख्य कारण मौसम की स्थितियों का प्रतिकूल होना था।

(ङ) आर्थिक और गैर आर्थिक आदानों के रूप में आधुनिक प्रौद्योगिकी के विस्तार के अलावा, उड़ीसा सहित पूर्वी क्षेत्रों में विशेष रूप से चावल का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने और छोटे तथा सीमान्त किसानों की उत्पादन क्षमता में सुधार लाने के लिए कुछ विशेष कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है।

रिहायशी मकानों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाना

2503. **श्री रामधन :**
श्री बनवारी लाल बेरवा :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में रिहायशी कालोनियों में बड़ी संख्या में मकान उप-नियमों के विरुद्ध वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्रों में अनुरूप उपयोगों की मात्रा का पता लगाने के लिए कोई औपचारिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि कतिपय ऐसे उदाहरण हैं, जहां रिहायशी मकानों को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा रहा है।

(ख) दिल्ली विकास अधिनियम में वृहद योजना/क्षेत्रीय विकास योजनाओं में निर्धारित उपयोगों के उल्लंघन में किए गए अननुरूप उपयोग के लिए धारा 29(2) के साथ पठित धारा 14

के अन्तर्गत मुकदमा करने की व्यवस्था है। तदनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करता है। नई दिल्ली नगर पालिका भी नियमों के अन्तर्गत अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध यथा अनुमेय आवश्यक कार्रवाई करती है। दिल्ली नगर निगम की नवीनतम नीति के अनुसार वह किसी सम्पत्ति के लिए वार्षिक आधार पर दुरुपयोग प्रभार वसूल करता है, बशर्ते कि दुरुपयोग वाले भाग में कोई अनधिकृत निर्माण न हो। जहां कहीं दुरुपयोग के अन्तर्गत आने वाला भाग अनधिकृत या बिना स्वीकृति के हों तो दुरुपयोग को नियमित करने के मामले में होने वाली सम्भावित कानूनी जटिलताओं को देखते हुए दुरुपयोग प्रभार वसूल नहीं किए जाते हैं।

[हिन्दी]

पंजाब में कपास की फसलों को नुकसान

2504. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल की भारी वर्षा के कारण पंजाब के विभिन्न जिलों में कपास की फसलों को काफी नुकसान हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन जिलों को यह नुकसान उठाना पड़ा है; और

(ग) प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जानकारी राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चम्पावत में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

2505. **श्री हरीश रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में चम्पावत में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र की स्थापना हो जाने पर कितने किलोमीटर क्षेत्र तक कार्यक्रम देखे जा सकेंगे?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन

2506. **श्री हरीश रावत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर उत्तर प्रदेश में गेहूं का प्रति एकड़ औसत उत्पादन कितना है;

(ख) यह राष्ट्रीय औसत उत्पादन की तुलना में किस सीमा तक कम है; और

(ग) इन पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) राष्ट्रीय औसत की तुलना में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों और कुछ अन्य राज्यों में गेहूं का प्रति हैक्टार उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) गेहूं के बीजों में रस्ट रोग को फैलने से रोकने के लिए, पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों को गेहूं की रस्ट प्रतिरोधी किस्में मुफ्त सप्लाई की जा रही हैं। अल्मोड़ा में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद का एक अनुसन्धान केन्द्र गेहूं की स्थान विशिष्ट किस्में विकसित करने में लगा हुआ है, ताकि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में गेहूं का प्रति हैक्टार उत्पादन बढ़ाया जा सके।

विवरण

पर्वतीय जिलों में गेहूं का प्रति हैक्टार उत्पादन 1984-85

राज्य/जिला	उपज (कि० ग्रा० प्रति हैक्टार)
1	2
उत्तर प्रदेश	
1. नैनीताल	2307
2. अलमोड़ा	620
3. पिथौरागढ़	1005
4. चमोली	863
5. उत्तर काशी	829
6. टेहरी गढ़वाल	659
7. गढ़वाल	707
8. देहरादून	1098
जम्मू व कश्मीर	840
हिमाचल प्रदेश	695

1	2
पश्चिम बंगाल	
1. दार्जिलिंग	1800
2. कूच बिहार	1834
असम	
1. करबी अंगलोंग	940
2. उत्तरी कछार पर्वतीय क्षेत्र	1049
अखिल भारत	1873

[अनुवाद]

बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदला

2507. **श्री बंगुल बशीर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कृषि सम्बन्धी भूमि में से कितना भाग बंजर भूमि का है जहां खेती करना संभव नहीं है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदलने के लिए बनाए गए कार्यक्रमों के अन्तर्गत बंजर भूमि के कितने हेक्टेयर क्षेत्र को उपजाऊ भूमि में बदला गया है; और

(ग) शेष बंजर भूमि को कब तक उपजाऊ भूमि में बदल दिया जाएगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश के भूमि उपयोग सम्बन्धी आंकड़े 9 पक्षीय भूमि उपयोग वर्गीकरण में एकत्र एवं सूचित किए जाते हैं। 9 पक्षीय भूमि उपयोग वर्गीकरण के अनुसार सस्यगत भूमि में बंजर भूमि को शामिल नहीं किया जाता। वैसे, 1982-83 (नवीनतम उपलब्ध वर्ष) के लिए भूमि उपयोग के आंकड़ों के अनुसार भूमि के विभिन्न प्रकार के उपयोगों के अन्तर्गत कुल 3041.1 लाख हैक्टार सूचित क्षेत्र में से 201.4 लाख हैक्टार भूमि बंजर और खेती के लिए अनुपयुक्त है।

(ख) और (ग) बंजर और खेती के लिए अनुपयुक्त भूमि में खुली दुर्गम पहाड़ी ढालें तथा अत्यधिक खराब शुष्क प्रदेश शामिल हैं, जिन पर बहुत अधिक खर्च किए बिना खेती नहीं की जा सकती। बंजर भूमि की उपयुक्तता तथा लागत की ओर ध्यान दिए बिना सारी बंजर भूमि पर पेड़-पौधे उगाने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

लेकिन, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड ने बताया है कि कृषि योग्य बेकार भूमि की उत्पादकता बहाल करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान 40.3 लाख हैक्टार भूमि में पेड़-पौधे लगाए जाने की सूचना दी है। केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत जल संरक्षण/उपयोग प्रौद्योगिकी का प्रचार

और केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्र के अन्तर्गत बारानी खेती के विकास के लिए बीज एवं उर्वरक ड्रिलों को लोकप्रिय बनाने, उन्नत किस्में आदि उगाने की दो योजनाओं के अन्तर्गत 15 राज्यों के 19 जिलों में 14,700 हैक्टार और भूमि में पेड़-पौधे लगाए गए हैं। जो क्षेत्र फसलें उगाने के लिए उपयुक्त नहीं थे इन योजनाओं के अन्तर्गत उनमें चरागाह तथा पेड़ लगाए गए। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम और मरुस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों की वास्तविक उपलब्धि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

	1983-84	1984-85	1985-86	योग
(क) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम				
1. मृदा और आर्द्रता संरक्षण (00 हैक्टार)	544.72	437.77(अ)	808.29(अ)	1,790.78
2. वन और चरागाह विकास (00 हैक्टार)	761.28	435.15(अ)	522.98(अ)	1,719.41
(ख) मरुस्थल विकास कार्यक्रम				
1. वन रोपण				
(1) पेड़-पौधे लगाना (जिसमें सड़कों के किनारे पेड़-पौधे लगाना, चरागाह, ईंधन की लकड़ी विकास तथा चारा उगाना शामिल है)	13084	10745(अ)	18656(अ)	42,485.00
(2) आश्रय पट्टियां (कि०मी०)	9399	5431(अ)	—	14,830.00
(3) बालू की टीलों का स्थिरीकरण (हैक्टार)	2210	1978(अ)	—	4,188.00
2. मृदा संरक्षण योजना के अन्तर्गत उपचारित क्षेत्र (हैक्टार)	975	1124(अ)	5115(अ)	7,214.00

अ=अनन्तिम।

पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों से कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा की देय राशियों की वसूली

2508. श्री सनत कुमार मंडल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छूट प्राप्त पटसन प्रतिष्ठानों द्वारा मजदूरों को भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा की देय राशियों का भुगतान करते रहने हेतु कोई योजना तैयार की गई है, यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ख) क्या इस समय बन्द पटसन मिलें भी न्यायालय के आदेश के अधीन पहले से अदा की जा रही किश्तों सहित चालू भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा की देय राशियों का भुगतान करेगी;

(ग) पश्चिमी बंगाल में पटसन मिलों पर कुल कितनी राशि बकाया है और उसे वसूल करने में कितना समय लगेगा; और

(घ) इस मामले से सम्बन्धित पटसन मिलों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) पटसन मिलों से कर्मचारी भविष्य निधि/कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशि की वसूली के प्रश्न पर कुछ दोषी पटसन मिलों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया था और निम्नलिखित के बारे में सहमति हुई :

(i) पटसन मिलें जुलाई, 1986 के माह से वर्तमान बकाया राशि का नियमित रूप से भुगतान करेंगी,

(ii) सरकारी खाते में से सभी खरीद पर पटसन मिलों को देय राशि से आठ प्रतिशत की कटौती की जाएगी और इस प्रकार वसूल की गई राशि का जुलाई, 1986 से पहले की अवधि के लिए बकाया राशि की बाबत समायोजन किया जाएगा।

(ख) जी, हां।

(ग) कुल बकाया राशि लगभग 66 करोड़ रुपए है (कर्मचारी भविष्य निधि की 54 करोड़ रुपए और कर्मचारी राज्य बीमा की 12 करोड़ रुपए)। वह अवधि बताना कठिन है जिस तक बकाया राशि वसूल की जाएगी।

(घ) प्रमुख दोषी पटसन मिलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्रमांक	प्रतिष्ठान का नाम	बकाया राशि कर्मचारी भविष्य निधि (31-3-86 को) (रुपये लाखों में)	बकाया राशि कर्मचारी राज्य बीमा (31-12-85 को) (रुपये लाखों में)
1	2	3	4
1.	मैसर्स केल्विन जूट कं० लि०	319.32	109.13
2.	मैसर्स मेग्ना मिल्स लि०	230.23	48.00

1	2	3	4
3.	मैसर्स श्री अम्बिका जूट कं० लि०	211.63	129.40
4.	मैसर्स डलहौजी जूट मिल्स लि०	137.00	—
5.	मैसर्स ईस्टर्न मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०	107.45	67.43
6.	नार्थ ब्रुक जूट मिल्स लि०	115.02	40.45
7.	मैसर्स एम्पायर जूट कं० लि०	208.00	82.66
8.	मैसर्स श्री गौरी शंकर जूट मिल्स लि०	76.00	—
9.	मैसर्स श्री हनुमान जूट मिल्स लि०	46.50	—
10.	मैसर्स गौरीपुर कं० लि०	300.00	110.00
11.	मैसर्स बज बज जूट कं० लि०	121.15	—
12.	मैसर्स बारानबार जूट मिल्स लि०	256.60	48.64
13.	मैसर्स हावड़ा जूट मिल्स लि०	272.38	47.35
14.	मैसर्स नफ्फर चन्द्र जूट मिल्स	21.49	—
15.	मैसर्स कॉकीनारहा कं० लि०	168.95	—
16.	मैसर्स नैहाती जूट मिल्स लि०	103.25	—
17.	मैसर्स न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स लि०	572.00	—
18.	मैसर्स अगर पारा कं० लि०	69.90	—
19.	मैसर्स टीटागढ़ जूट कं० लि०	413.92	41.19
20.	मैसर्स विक्टोरिया जूट मिल्स	122.22	—
21.	मैसर्स दी एंग्स कं० लि०	309.38	11.57
22.	मैसर्स श्याम नगर जूट मिल्स लि०	368.11	—
23.	मैसर्स नुड्डिया मिल्स लि०	340.00	42.01
24.	मैसर्स गंगेज मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०	22.00	—
25.	मैसर्स डैल्टा जूट इंडस्ट्रीज लि०	180.10	—
26.	मैसर्स नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन	48.74	47.30
27.	मैसर्स इंडिया जूट मिल्स लि०	94.03	—
28.	मैसर्स विलिंगटन जूट मिल्स लि०	91.38	—
29.	मैसर्स कैलेडोनियन जूट मिल्स लि०	28.59	—
30.	मैसर्स कलकत्ता जूट मिल्स कं० लि०	22.45	32.56
31.	मैसर्स फोर्ट विलियम कं० लि०	67.46	—

[हिन्दी]

जगदलपुर में कृषि वानिकी कालेज खोलना

2509. श्री मनकू राम सोढी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर ने मध्य प्रदेश में बस्ती जिले के मुख्यालय जगदलपुर में कृषि वानिकी कालेज खोलने के बारे में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के अन्तर्गत अम्बिकापुर या जगदलपुर में वानिकी का एक महाविद्यालय स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव इस विश्वविद्यालय के उप-कुलपति से भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद में प्राप्त हुआ था।

(ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने निर्णय किया था कि राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों में विभिन्न चरणों में एक बी० एस० सी० डिग्री पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाए। जहां तक जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है, यह डिग्री कार्यक्रम द्वितीय चरण में, अर्थात् वर्ष 1986-87 से प्रारम्भ किया जाना है। परिषद ने इस विश्वविद्यालय को यह परामर्श दिया है कि यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय के मुख्यालय अर्थात् जबलपुर में शुरू किया जाए जिससे कि अन्य संकायों की सुविधाओं और सुविज्ञताओं को इस कार्यक्रम के लिए प्रयोग में लाया जा सके।

[अनुवाद]

दूरदर्शन कार्यक्रमों में सुधार

2510. डा० बी० एल० शैलेश : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और बम्बई दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा दूसरे चैनल पर दिखाये जाने वाले कार्यक्रमों की गुणवत्ता, विषय और प्रस्तुतीकरण में सुधार लाने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय कार्यक्रमों में हिन्दी और अंग्रेजी के समाचारों के बीच लगभग कुछ घन्टों का अन्तर रखने का प्रस्ताव है ताकि समाचारों की पुनरावृत्ति न हो और समाचार बुलेटिनों में कुछ और समाचार शामिल किए जा सकें, यदि हां, तो यह परिवर्तन कब से लागू होगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) दूरदर्शन का अपने कार्यक्रमों में सुधार लाने का सतत प्रयास रहता है। कार्यक्रमों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है तथा फार्मेटों और विषय-वस्तु में आवश्यक परिवर्तन कर दिए जाते हैं।

(ग) जी, नहीं।

सातवीं योजना के लिए नई श्रम नीति

2511. श्री टी० बशीर : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई श्रम नीति तैयार करने कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) नई नीति में किन पहलुओं पर विशेष बल दिया गया है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) सरकार की नीतियों की लगातार समीक्षा की जा रही हैं। और जब कभी कोई परिवर्तन किए जाते हैं तो इनकी घोषणा की जाती है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का ग्रेड बढ़ाना

2512. श्री टी० बशीर : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का ग्रेड बढ़ाने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोई नई केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें रखी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके लिए राज्यवार कितनी धन-राशि नियत की गई है; और

(ग) इस कार्य के लिए केरल को कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्बन्ध में तीन योजनाएं हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :

(i) अल्पसंख्यक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अलावा) आबादी वाले क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का दर्जा बढ़ाने के लिए सहायता :

सातवीं योजना को 20 लाख रु० के परिव्यय वाली इस योजना में 10 राज्यों के कुछ चुने हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करने के लिए, अल्प-संख्यक समुदाय के लाभ हेतु नए व्यवसाय शुरू करने या विद्यमान परम्परागत व्यवसाय उन्नत करके, औजारों और उपकरणों को खरीद के लिए अनावर्ती अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहायता के प्रावधान की परिकल्पना की गई है। इस योजना को अनुमोदित किया जा चुका है और इसे राज्य सरकारों से प्राप्त किए जा रहे प्रस्तावों के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ii) राज्य सरकार के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण के स्तर में सुधार लाने के लिए (मशीनरी का प्रतिस्थापन) उनका दर्जा बढ़ाना :

इस योजना मे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 15 वर्ष से अधिक समय से पुरानी घिसी-पिटी/काम न देने योग्य मशीनरी को बदलने के लिए उपकरण/मशीनरी खरीदने के लिए 50% तक

केन्द्रीय सहायता की परिकल्पना की गई है। सातवीं योजना में 1704.00 लाख रु० का प्रावधान रखा गया है। इस योजना के कार्यान्वियन हेतु वित्तीय अनुमोदन की प्रतीक्षा है। इस योजना का पूर्णतः अनुमोदन प्राप्त होने के बाद राज्य-वार आवंटन किया जाएगा।

(iii) महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए सहायतानुदान :

सातवीं योजना के दौरान इस योजना के लिए 60.00 लाख रु० के व्यय की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारों से विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त किए जा रहे हैं। इन प्रस्तावों के प्राप्त होने पर और इस योजना के कार्यान्वियन के लिए वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने पश्चात, राज्य-वार आवंटन को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

(ग) उपर्युक्त योजनाओं के अन्तर्गत केरल राज्य के आवंटन को राज्य सरकार से विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त होने पर और उपर्युक्त शेष योजनाओं के कार्यान्वियन के लिए वित्तीय अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, अन्तिम रूप दिया जाएगा।

विदेशों में भारतीय फिल्मों का अवैध रूप से दिखाया जाना

2513. **श्री टी० बशीर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ देशों में भारतीय फिल्मों के अवैध रूप से दिखाए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे सरकार को नुकसान हुआ है और यदि हां, तो कितना; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, हां। अवैध वीडियो कैसेटों तथा चोरी छिपे ले जाई गई प्रिंटों का इस्तेमाल करके भारतीय फिल्मों का प्रछन्न प्रदर्शन बहुत से देशों में चल रहा है तथा जिन देशों में कापीराइट कानूनी नहीं है, उनमें यह अनियन्त्रित रूप से चल रहा है।

(ग) अवैध वीडियो कैसेटों तथा चोरी छिप ले गई प्रिंटों के इस्तेमाल से भारतीय फीचर फिल्मों के विदेशों में प्रछन्न प्रदर्शन के परिणामस्वरूप फिल्मों का निर्यात 1979-80 में 1214.64 लाख रुपए से घटकर 1985-86 में 717.86 लाख रुपए रह गया जिससे देश को विदेशी मुद्रा की आय में हानि हुई।

(घ) कुछ उन देशों, में जिनमें भारतीय फिल्मों का निर्यात होता है, वीडियो पाइरेसी को रोकने में सहायता प्राप्त करने की दृष्टि से, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने, जो भारत सरकार के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, मोशन पिक्चर एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ अमरीका के साथ बातचीत शुरू की है, जिसने फिल्मों के अनधिकृत प्रदर्शन के विरुद्ध पूरे विश्व में कुछ सतर्कता केन्द्र स्थापित कर रखे हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का प्रयोगात्मक आधार पर फैडरेशन अगेन्स्ट कोपीराइट थैफ्ट का सदस्य बनने का भी इरादा है।

नारियल को तिलहन घोषित करना

2514. श्री के० मोहन दास : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नारियल को तिलहन घोषित करने के अपने पहले के दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इस्पात संयंत्रों का कार्यकरण

2515. डा० वी० वेंकटेश : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्रों के लिए तैयार किए गए आधुनिकीकरण करने सम्बन्धी कार्यक्रम के कार्यान्वयन को धीमी गति की कड़ी आलोचना की है; और

(ख) कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए क्या कारंवाई की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) बोकारो तथा भिलाई के इस्पात कारखानों के आधुनिकीकरण के लिए कोई भी परियोजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है । योजना आयोग को दुर्गापुर तथा राउरकेला के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की आलोचना करने का मौका नहीं मिला है क्योंकि योजना के अनुमोदन के पश्चात् ही कार्यान्वयन किया जाएगा । आशा है कि दोनों योजनाओं का कार्यान्वयन वर्ष 1987-88 में शुरू हो जाएगा ।

पत्रकारों को आवासों का आबंटन

2516. डा० वी० वेंकटेश : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रैस एसोसिएशन, नई दिल्ली ने नई दिल्ली में पत्रकारों को आबंटित आवासों के कोटे को बढ़ाने के लिए सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) क्या पूल बनने के समय प्राधिकृत संवाददाताओं के लिए मूल कोटा 250 मकानों का था; और

(ग) क्या सरकार का विचार पत्रकारों के लिए आवासों का कोटा बढ़ाने का है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वर्ष 1978 में प्रेस एसोसिएशन से पत्रकारों को आबन्टित करने के लिए प्रतिवर्ष 15 अतिरिक्त आवास बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था । तथापि, अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था ।

(ख) जी, नहीं । मूल कोटा 44 एककों का था ।

(ग) जी, नहीं ।

कम अवधि में पैदा होने वाले धान का उत्पादन

2517. **श्री चिन्तामणि जेना : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने धान का उत्पादन करने वाले राज्यों में कम अवधि में पैदा होने वाले धान का उत्पादन करने की योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) धान का उत्पादन करने वाले प्रत्येक राज्य, विशेषकर उड़ीसा में इस योजना के अन्तर्गत कितने क्षेत्र में धान का उत्पादन होता है; और

(घ) देश में, विशेषकर उड़ीसा में सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस दिशा में तैयार किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) चावल का उत्पादन करने वाले राज्यों में ऐसी कोई योजना क्रियान्वित नहीं की गई है, तथापि असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ख) रासी, साकेत 4, सत्तारी, पूर्वा, आभा, रूद्र, कलिंग-1, कलिंग-2, अन्नपूर्णा, जजाति आदि अल्पावधि वाली चावल की कुछ ऐसी किस्में हैं, जिनका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

(ग) यह योजना इन राज्यों के 430 चुनिन्दा ब्लाकों में, जिसमें उड़ीसा के 63 ब्लाक भी शामिल हैं, क्रियान्वित की जा रही है।

(घ) इस योजना के अन्तर्गत किसानों को बीजों, उर्वरकों, कीटनाशी दवाइयों, पौध संरक्षण उपस्करों, उन्नत कृषि औजारों आदि जैसे आदान राजसहायता प्राप्त दरों पर उपलब्ध कराये जायेंगे। उन्नत चावल उत्पादन प्रौद्योगिकी के विस्तार के लिए, किसानों और फार्म श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जायेगा और खेतों पर प्रदर्शनों का संचालन किया जाएगा। बुनियादी ढांचे सम्बन्धी विकास कार्य भी शुरू किए जाएंगे।

[हिन्दी]

वैकल्पिक ईंटों सम्बन्धी अनुसंधान

2518. **श्री निर्मल खत्री : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी क्षेत्रों में मकानों के निर्माण में इस्तेमाल की जाने वाली ईंटों का विकल्प ढूंढने के लिए कोई अध्ययन या अनुसंधान किया जा रहा है, ताकि ईंटों के निर्माण में काम आने वाली कृषि योग्य भूमि की हानि को रोका जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मिट्टी की ईंटों की निम्नलिखित वैकल्पिक सामग्रियों को देश में ही विकसित किया गया है :

(i) रेत-चूना ईंटें;

(ii) सल्यूलट कंक्रीट ब्लाक/चूना उड़न-राख की ईंटें;

(iii) सीमेन्ट-कंक्रीट ब्लाक;

(iv) लैटराइट ब्लाक; तथा

(v) पत्थर की इमारत।

उत्तर प्रदेश के गढ़वाल मण्डल में खनन कार्य

2519. **श्री निर्मल खत्री** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल, उत्तर प्रदेश में खनन कार्य करने के सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान नीति क्या है?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : गढ़वाल मण्डल के देहरादून-मसूरी क्षेत्र के बारे में, जब तक पर्यावरण विभाग विदोहन की विस्तृत योजना को अन्तिम रूप नहीं देता, तब तक चूना पत्थर के वर्तमान पट्टों की न तो अवधि बढ़ाई जाएगी न नए खनन पट्टे ही मंजूर किए जाएंगे। खनन कार्य की अनुमति सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 12-3-85 के आदेश में दिए गए निर्देशों के अनुसार दी जाती रहेगी। केन्द्र सरकार के उपक्रम द्वारा रॉक फास्फेट का खनन जारी है।

दून घाटी सहित गढ़वाल मण्डल के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए, पट्टाधारी को खनन कार्य आरम्भ करने से पहले खनन योजना को भारतीय खान ब्यूरो से विधिवत् अनुमोदित कराना पड़ता है। उसे खान सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियन्त्रण से सम्बन्धित निर्देशों के अनुसार ही खनन करना होता है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत पक्के मकानों का निर्माण

2520. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत पक्के मकानों के निर्माण के लिए 60 प्रतिशत श्रम सुविधा और 40 प्रतिशत सामग्री प्रदान करने की व्यवस्था है जिसके परिणामस्वरूप किसी भी संस्था, पंचायत अथवा किसी अन्य एजेंसी के लिए पक्का मकान बनाना असम्भव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 60 प्रतिशत सामग्री और 40 प्रतिशत श्रम सुविधा प्रदान करके एक यथार्थवादी नीति अपनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण-कार्यों के लिए मजदूरी और गैर-मजदूरी वाले घटकों के लिए 60 : 40 का अनुपात जुलाई, 1983 तक लागू था। अगस्त, 1983 से इसे संशोधित कर 50 : 50 कर दिया गया है। समग्र जिले के लिए मजदूरी घटक हेतु आबंटित निधियों के 50 प्रतिशत भाग को उपयोग में लाए जाने की शर्त इस दृष्टि से रखी गई है कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार सृजन

के मूल लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, क्योंकि यह कार्यक्रम मूलतः ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन के लिए ही है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत टिकाऊ स्वरूप की परिसम्पत्तियों के निर्माण का उद्देश्य इस ढंग से निर्माण-कार्यों की योजना तैयार कर प्राप्त किया जा सकता है कि कुछ निर्माण-कार्य श्रम-प्रधान हों तथा मजदूरी और गैर-मजदूरी के 50 : 50 के अनुपात को समग्र जिले के लिए रखा जा सकता है। बाह्य निधियों, जैसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए राज्य-बजट में प्रदत्त निधियों, पंचायतों द्वारा प्रदत्त निधियों तथा जनता से प्राप्त दान में सामंजस्य स्थापित करने में कोई आपत्ति नहीं है। मजदूरी और गैर-मजदूरी के लिए 50 : 50 के अनुपात की शर्त केवल राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की निधियों पर ही लागू होती है, न कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के प्रावधानों से बाहर की निधियों पर।

[अनुवाद]

केरल में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

2521. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान केरल में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम का (कुल आबंटन केन्द्रीय आबंटन, केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई राशि, उपयोग की गई राशि और सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या सहित) ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि केरल के लिए उक्त केन्द्रीय आबंटन, विशेषकर ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के सम्बन्ध में, मूल राशि को घटा कर कम कर दिए गए थे, और यदि हां, तो मूल राशि में कितनी कटौती की गई;

(ग) इन कटौतियों के क्या कारण थे; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उक्त कार्यक्रमों के सम्बन्ध में केरल के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत निधियों का आबंटन/बंटन इन कार्यक्रमों से सम्बन्धित मार्गदर्शिकाओं में आबंटनों हेतु दर्शाए गए निर्धारित फार्मूलों और राज्यों के कार्य-निष्पादन के अनुसार किए जाते हैं। विशेषकर ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत अग्रिम कार्रवाई को कारगर बनाने के लिए नए वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने से बहुत पहले राज्यों को कुछ अस्थायी और अनन्तिम आबंटन सूचित किए जाते हैं क्योंकि परियोजनाएं तैयार की जानी होती हैं और राज्य सरकारों द्वारा कुछ प्रारम्भिक कार्रवाई भी करनी होती है। बजट के अनुमोदित हो जाने के पश्चात् निर्धारित फार्मूलों के अनुसार अन्तिम आबंटन किए जाते हैं। तथापि, निधियों के वास्तविक बंटन राज्य के कार्य निष्पादन पर निर्भर करते हैं। छठी योजना में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल राज्य का आबंटन 2820.00 लाख रुपए था। इसके मुकाबले, राज्य सरकार को बंटित की गई निधियां 2347.00 लाख रुपए थीं और राज्य द्वारा केवल 1712.72 लाख रुपए का उपयोग किया गया था।

(घ) सातवीं योजना के लिए राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लक्ष्य वर्षानुवर्ष आधार पर निर्धारित किए जाते हैं।

विवरण

केरल में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण-रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना निधियों का आवंटन, बंटन, उपभोग तथा भौतिक उपलब्धियां

(लाख रुपए में)

(लाख श्रम दिनों में सृजित रोजगार)

कार्यक्रम	वर्ष	कुल आबंटन	केन्द्रीय आबंटन	केन्द्रीय बंटन	राज्य के अंश सहित उपभोग	लाभार्थियों की संख्या सृजित रोजगार के श्रम दिन
समन्वित ग्रामीण	1980-81	720.00	360.00	351.66	467.48	80088
विकास कार्यक्रम	1981-82	864.00	432.00	371.54	720.73	96832
	1982-83	1152.00	576.00	592.25	1073.36	127798
	1983-84	1208.00	604.00	660.00	1423.97	120547
	1984-85	1208.00	604.00	605.28	1491.35	104714
राष्ट्रीय ग्रामीण	1980-81	1047.60	1047.60	788.61	619.50	130.97
रोजगार कार्यक्रम	1981-82	1608.00	804.00	804.00	1719.55	128.32
	1982-83	1694.00	847.00	835.08	1352.36	107.32
	1983-84	1860.00	930.00	940.22	1735.90	118.78
	1984-85	2120.00	1060.00	1060.00	2578.13	143.20
ग्रामीण भूमिहीन	1983-84	470.00	470.00	470.00	0.26	0.03
रोजगार गारण्टी कार्यक्रम	1984-85	2350.00	2350.00	1877.00	1712.46	49.98

पूर्वी क्षेत्र में खाद्यान्नों का उत्पादन

2522. **श्री अमल दत्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए हैं; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वी क्षेत्र में सरकारी प्रयासों के माध्यम से एच० वाई० वी० चावल की वर्ष-वार कितनी मात्रा की वसूली किए जाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पूर्वी क्षेत्र में खाद्यान्नों की पैदावार सुधारने के लिए विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम की योजना तथा राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना शुरू की गई हैं। ये चावल, गेहूं, तथा मोटे अनाजों की मिनिकिट योजना और छोटे तथा सीमान्त किसानों की योजना, के अतिरिक्त हैं।

(ख) सातवीं योजनावधि के दौरान पूर्वी क्षेत्र (असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल) में चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों के तहत प्रस्तावित क्षेत्र निम्नवत् है :

वर्ष	प्रस्तावित अधिक उपज देने वाली किस्म के चावल का क्षेत्र (प्रतिशत)
1985-86	47.4
1986-87	52.0
1987-88	54.7
1988-89	57.2
1989-90	

उत्तम किस्म के बीजों के वितरण में गिरावट

2524. श्री के० राममूर्ति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तम किस्म के बीजों के वितरण कार्य में गत दो वर्षों के दौरान गिरावट आने के क्या कारण हैं; और

(ख) अतिरिक्त बीज संसाधन संयन्त्रों, समुचित भंडारण सुविधाओं, बीज फार्मों की स्थापना हेतु वर्तमान कार्यक्रमों में खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा सके ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) अच्छे गुण-स्तर के बीजों के वितरण की वृद्धि दर में पिछले दो वर्षों मे कोई गिरावट नहीं आई है, निम्नलिखित से यह बात स्पष्ट हो जाएगी :

अच्छे गुण स्तर के बीजों का वितरण

	(लाख क्विटल में)
1983-84	44.97
1984-85	48.46
1985-86 (अनुमानित)	55.01

(ख) कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय बीज परियोजना के अन्तर्गत और अधिक बीज परिसंस्करण संयन्त्र, बीज भंडार और बीज फार्म स्थापित करने के लिए बुनियादी ढांचे की सुविधाएं सृजित की गईं। इनका ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) प्रमाणित बीज परिसंस्करण क्षमता······12.32 लाख क्विंटल

(2) आधारी बीज परिसंस्करण क्षमता·· ··· 0.94 लाख क्विंटल

(3) भण्डारण··························12.9 लाख क्विंटल

(4) फार्म विकास·······················15,448 हैक्टार

सातवीं योजना में इन सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए आगे और कदम भी उठाए जा रहे हैं।

समस्याग्रस्त गांवों के लिए पेयजल की व्यवस्था

2525 श्री सैयद शाहबुद्दीन :
श्री अमर सिंह राठवा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान राज्य-वार कितने गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई;

(ख) 31 मार्च, 1986 को उन गांवों की राज्यवार संख्या कितनी थी जो पेयजल से वंचित रह गई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन शेष गांवों में पेयजल की व्यवस्था करने के लिए द्रुत कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्यक्रम को किस तारीख तक शुरू किया जाएगा और इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) जिन गांवों को 1985-86 के दौरान पेयजल उपलब्ध कराया गया, उनकी राज्यवार संख्या (आंशिक रूप से शामिल किए गए गांवों सहित) को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) राज्य सरकारें नये सर्वेक्षणों के आधार पर नये समस्याग्रस्त गांवों का पता लगा रही हैं। नये पता लगाए गए गांवों की अनन्तिम सूची संलग्न है।

(ग) और (घ) सातवीं योजना में यह परिकल्पना की गई है कि योजनावधि के दौरान स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने के लिए समस्त ग्रामीण जनसंख्या को शामिल करने हेतु प्रयास किए जाएंगे। सातवीं योजना में ग्रामीण जल आपूर्ति क्षेत्र के लिए कुल 3454.47 करोड़ रुपए का प्रावधान है (राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम—2253.25 करोड़ रुपए, केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम—1201.22 करोड़ रुपए)। राज्य सरकारें ग्रामीण

जल आपूर्ति कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। भारत सरकार वित्तीय सहायता देकर राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद कर रही है।

विवरण

वे गांव जिन्हें 1985-86 के दौरान पेयजल की आपूर्ति की गई*

1. आन्ध्र प्रदेश	3045
2. असम	1718
3. बिहार	839
4. गुजरात	1012
5. हरियाणा	590
6. हिमाचल प्रदेश	502
7. जम्मू व कश्मीर	401
8. कर्नाटक	9621
9. केरल	114
10. मध्य प्रदेश	4724
11. महाराष्ट्र	4099
12. मणिपुर	170
13. मेघालय	360
14. नागालैण्ड	79
15. उड़ीसा	3792
16. पंजाब	170
17. राजस्थान	1663
18. सिक्किम	43
19. तमिलनाडु	2009
20. त्रिपुरा	570
21. उत्तर प्रदेश	8827
22. पश्चिम बंगाल	496
23. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह 24. अरुणाचल प्रदेश 25. चण्डीगढ़ 26. दिल्ली 27. दादरा और नगर हवेली 28. गोवा, दमन और दीव 29. लक्षद्वीप 30. मिजोरम 31. पांडिचेरी	404
योग	45198

*इनमें आंशिक रूप से शामिल किए गए गांव भी शामिल है।

नए सिरे से पता लगाए गए समस्याग्रस्त गांवों
की संख्या की अनन्तिम सूची

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	नये पता लगाए गए समस्याग्रस्त गांवों की संख्या
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	11072
2. असम	असूचित
3. बिहार	8177
4. गुजरात	5250
5. हरियाणा	600
6. हिमाचल प्रदेश	750
7. जम्मू और कश्मीर	16
8. कर्नाटक	असूचित
9. केरल	असूचित
*10. मध्य प्रदेश	19773
11. महाराष्ट्र	असूचित
12. मणिपुर	469
*13. मेघालय	असूचित
14. नागालैण्ड	291
15. उड़ीसा	15144
16. पंजाब	5400
17. राजस्थान	3398
18. सिक्किम	35
19. तमिलनाडु	7226
20. त्रिपुरा	2579
21. उत्तर प्रदेश	19023
22. पश्चिम बंगाल	असूचित
23. अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	40
24. अरुणाचल प्रदेश	असूचित

1	2
25. चण्डीगढ़	—
26. दिल्ली	—
27. दादरा और नगर हवेली	—
28. गोवा, दमन और दीव	18
29. लक्षद्वीप	11
30. मिजोरम	737
31. पांडिचेरी	शून्य
योग	100009

नोट : *ये आंकड़े अनन्तिम हैं। राज्यों में सर्वेक्षण अभी किए जा रहे हैं। गांवों को पूर्ण विवरणों तथा सभी तरह से पूर्ण अन्तिम सूचियों की अभी प्रतीक्षा है।

विशाखापत्तनम इस्पात संयन्त्र की लागत का ब्यौरा

2526. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विशाखापत्तनम इस्पात संयन्त्र के कुल लागत का विदेशी मुद्रा और रुपयों में ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : वर्ष 1981 की चौथी तिमाही के मूल्यों के आधार पर विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना की स्वीकृत लागत 3897.28 करोड़ रुपए है, जिसमे विदेशी-मुद्रा के रूप में 679.59 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड

2527. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड के कार्य क्या हैं;

(ग) क्या इसने मत्स्य पालन का विस्तार करने हेतु केरल को कोई सहायता दी है अथवा देने की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) प्रस्तावित राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड अभी गठित किया जाना है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कर्नाटक में नारियल रोपण

2528. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में नारियल रोपण की कोई ऐसी परियोजना है जो ए० एम० आर० ओ० बैंक (नीदरलैंड) की सहायता से अथवा द्विपक्षीय सहायता से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के अन्तर्गत कुल कितना क्षेत्र है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) कर्नाटक में 12000 हैक्टार के क्षेत्र में नारियल की खेती और 4000 हैक्टार में नया पौद रोपण शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) इस प्रस्ताव पर भारत सरकार विचार कर रही है।

कर्नाटक में खुम्बी (मशरूम) की खेती का विकास

2529. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक ने हालैंड की सहायता से खुम्बी की खेती के विकास की एक परियोजना केन्द्र की मंजूरी के लिए भेजी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए हालैंड से सहायता किस प्रकार की प्राप्त होगी; और

(ग) परियोजना के कब तक मंजुर किए जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) कर्नाटक, जम्मू व कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में खुम्बी की खेती के विकास सम्बन्धी एक परियोजना भारत-डच समझौते के तहत चालू वर्ष से कार्यान्वित करने के लिए मंजूर की गई है। डच सरकार भवन उपकरण परामर्शदात्री सेवा, प्रशिक्षण आदि के लिए योगदान देगी। सम्पूर्ण परियोजना के लिए उनका योगदान लगभग 1.25 करोड़ रुपए है।

कर्नाटक में बागवानी का समेकित विकास

2530. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से कर्नाटक में बागवानी का समेकित विकास किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इस परियोजना पर कितने व्यय होने का अनुमान है;

(घ) क्या इस परियोजना का प्रारूप केन्द्रीय सरकार को भेजा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार ने विश्व-बैंक की सहायता के लिए कर्नाटक में बागवानी के समेकित विकास की एक एक परियोजना प्रस्तुत की है । इस परियोजना का लक्ष्य समेकित दृष्टिकोण से उत्पादन परिसंस्करण तथा विपणन बढ़ाने के कार्यक्रम शुरू करके फल वाली फसलों का विकास करना है ।

(ग) परियोजना का कुल परिव्यय 5586.1 लाख रुपए है ।

(घ) और (ङ) यह परियोजना विदेश मंत्रालय तकनीकी विकास महानिदेशालय तथा योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गई है । इस परियोजना के लिए अभी पर्यावरण विभाग की मंजूरी प्राप्त होनी है । उनकी मंजूरी प्राप्त होने के बाद यह परियोजना वित्त मंत्रालय के जरिए वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को भेजी जाएगी ।

मोदी नगर कपड़ा मिल के प्रबन्धकों द्वारा किए गए वायदे

2531. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने मोदी नगर कपड़ा मिल की लम्बे समय से चलती आ रही समस्याओं पर बातचीत करने के लिए मोदी कपड़ा मिल, मोदी नगर के प्रतिनिधियों, उद्योग के मजदूर संघ और केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों की एक त्रिपक्षीय बैठक आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो मोदी नगर कपड़ा मिल के प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों ने किन मामलों पर स्पष्ट रूप से वायदे किए थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रबन्कों ने इन वायदों को पूरा नहीं किया है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि प्रबन्धकों द्वारा वायदे पूरे किए जाएं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) पूर्व श्रम मंत्री ने "बी", "सी" और रेशम यूनिटों की लगातार कामबन्दी और "ए" और "डी" यूनिटों के आंशिक कार्यकरण से उत्पन्न हुई श्रम स्थिति पर विचार करने के लिए 2-1-86 को मोदी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मोदी स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल लिमिटेड के श्रमिकों की यूनियनों के साथ एक बैठक की थी । उस बैठक में यह सहमति हुई थी कि प्रबन्धतन्त्र छंटनी किए गए सभी कर्मकारों को, तथा जो पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे, उनको भी उनके सेवान्त की सभी देय राशियां पूरी तरह अदा करेगा । यह भी सहमति हुई थी कि प्रबन्धतन्त्र कर्मकारों को कम्पनी के क्वाटरों से निकालने के लिए तब तक कोई बाध्यकारी कदम नहीं उठायेगा जब तक कि उन कर्मकारों को देय राशिया पूरी न मिल जाएं ।

(ग) और (घ) चूंकि प्रबन्धतन्त्र ने अभी तक कर्मकारों को उनकी वैध देय राशियां अदा करने के कोई कदम नहीं उठाए हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से अनुरोध किया गया है कि वे इस मामले पर ध्यान दें और यदि आवश्यक हो तो मोदी प्रबन्धतन्त्र के साथ बैठक करें एवं यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे आवश्यक कदम उठाएं कि प्रबन्धतन्त्र कर्मकारों को उनकी सांविधिक तथा अन्य देय राशियां पूरी तरह से अदा करें ।

दसवां अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

2532. श्री राम धन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री दसवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के बारे में 22 जनवरी, 1986 के तारांकित प्रश्न संख्या 56 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हुए दसवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कुप्रबन्ध के बारे में की गई प्रतिकूल टिप्पणियों की जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जांच करने पर यह पाया गया था कि 10 वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की मुख्य आलोचना उद्‌घाटन समारोह के बारे में थी। फिल्म समारोह निदेशालय यह सावधानी बरतेगा कि इस प्रकार की चूकें 10-1-1987 से 24-1-87 तक होने वाले भारत के 11 वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान न हों। प्रयास यह रहता है कि पिछले अनुभव से सीखा जाए और आगामी समारोह में उपचारी कदम उठाए जाएं।

"कम्प्यूटराइज्ड डिस्ट्रिक्ट रूरल इनफारमेशन सेन्टर्स"

2533. श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चल रहे कम्प्यूटराइज्ड डिस्ट्रिक्ट रूरल सेन्टरों की संख्या कितनी है और उनमें से आन्ध्र प्रदेश में कितने हैं तथा वे किन-किन स्थानों पर हैं और कौन-कौन से क्षेत्र उसके अन्तर्गत आते हैं;

(ख) ग्रामीण जनता के लाभ के लिए उन्हें लागू करने में ग्रामीण सहयोग प्राप्त करने हेतु उनके प्रबन्ध ढांचे का संगठन क्या है; और

(ग) इस प्रकार के केन्द्रों के नियन्त्रण प्रबन्ध में स्थानीय पंचायतों/ग्रामीण निकायों का क्या-क्या योगदान होगा ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) से (ग) ग्रामीण विकास विभाग ने जिला-स्तर पर कम्प्यूटराइज्ड रूरल इन्फार्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट्स की एक योजना तैयार की है, जो फिलहाल देश के 10 चुनिन्दा जिलों में प्रायोगिक आधार पर अनुमोदित की गई है। प्रायोगिक परियोजना के रूप में इसके चलने के प्रथम वर्ष के दौरान इसकी उपयोगिता का मूल्यांकन किए जाने के बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में इस परियोजना के अन्तर्गत अधिकाधिक जिलों को शामिल कर इसका विस्तार किए जाने की सम्भावना है। आन्ध्र प्रदेश में इस योजना को चलाने के लिए चित्तूर जिला चुना गया है। इस परियोजना के लिए जिला स्तर पर परियोजना स्टाफ मंजूर किया गया है जिसमें एक प्रोग्रामर, एक आपरेटर और एक इन्पुट व आउटपुट सहायक होगा जो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के अध्यक्ष/परियोजना निदेशक के अधीन होंगे। यद्यपि इस परि-

योजना के अन्तर्गत प्रबन्ध-ढांचे में स्थानीय पंचायतों, ग्रामीण निकायों के योगदान का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन जिला परिषदों के प्रतिनिधियों और स्थानीय सांसद, विधायक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों की शासी निकाय में सदस्य होते हैं।

[हिन्दी]

खनन उद्योग का आधुनिकीकरण

2534. **श्री काली प्रसाद पांडेय :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का खनन उद्योग के आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो 1986-87 और 1987-88 के दौरान किन-किन खानों का आधुनिकीकरण किया जायेगा;

(ख) इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक खान पर प्रतिवर्ष कितना व्यय किया जायेगा और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जायेगी; और

(ग) उन खानों के नाम क्या हैं, जिन पर आधुनिकीकरण के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) अनेक धात्विक खानें, विशेषतया सरकारी क्षेत्र की खान, आधुनिकीकृत हैं, जहां कुशल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके खनन किया जाता है। खनन क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है और जहां कहीं आवश्यकता होती है, वहां आधुनिक खनन विधियां तथा प्रणालियां अपनायी जाती हैं। इन परिस्थितियों में इस प्रकार के आधुनिकीकरण पर खर्च का अलग आकलन करना और आधुनिकीकरण वाली खानों का निर्धारण करना सम्भव नहीं है।

तिलहनों से तेल निकालने का आधुनिक तरीका

2535. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार तिलहनों को बीमारियों से बचाने के उद्देश्य से कीट-नाशकों की प्रभावोत्पादकता में सुधार करने का है;

(ख) तिलहनों से तेल निकालने के क्या आधुनिक तरीके अपनाए जाने का विचार है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तिलहनों सहित फसलों का संरक्षण करने की दृष्टि से कृमिनाशी दवाओं की क्षमता में सुधार करना सरकार की पौध संरक्षण सम्बन्धी नीति का एक अभिन्न अंग है। अपनाई गई कार्य नीति के मुख्य घटक निम्न प्रकार हैं :

(1) कीटनाशी अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी कीटनाशी दवाओं को तब तक पंजीकृत नहीं

किया जाता, जब तक कि पंजीकरण समिति अन्य बातों के साथ-साथ कीटनाशी दवाओं की क्षमता के बारे में स्वयं सन्तुष्ट नहीं हो जाती।

(2) पंजीकरण समिति ने पंजीकृत विभिन्न कीटनाशी दवाओं के उपयोग के सम्बन्ध में कई संक्षिप्त पुस्तिकाएं जारी की हैं, जिनमें कीटनाशी दवाओं का सुरक्षित और प्रभावी उपयोग करने के लिए उनकी उचित मात्रा, अवमिश्रण, निस्पण आदि की सिफारिश की गई है।

(3) कीटनाशी दवाओं के विवेकपूर्ण और उपयुक्त उपयोग सम्बन्धी अनुदेश पैकेजों के साथ लगे लेबलों और इस्तहारों में दिए जाते हैं।

(4) केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला स्थापित की है और 5 क्षेत्रीय कृमि-नाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने जा रही है। कई राज्य सरकारों ने क्षमता में सुधार करने की दृष्टि से कीटनाशी दवाओं की गुणवत्ता का प्रबोधन करने के लिए अपनी कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाओं की भी स्थापना की है।

(5) केन्द्रीय और राज्य सरकारें कीटनाशी दवाओं का उचित और प्रभावी उपयोग करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण और शिक्षा देती है।

(6) केन्द्रीय सरकार कृमि/रोग के बढ़ने का प्रबोधन करने और पूर्व-चेतावनी देने के लिए खरीफ और रबी मौसम दोनों के दौरान राज्य के कृषि विभागों के सहयोग से तिलहन सहित प्रमुख फसलों के सम्बन्ध में नमूना भ्रमण सर्वेक्षणों का आयोजन करती है, ताकि समय पर सलाह दी जा सके/उपाय किए जा सकें और इस प्रकार कीटनाशी दवाओं का उचित और प्रभावी उपयोग किया जा सके।

(ख) और (ग) तिलहन से तेल सामान्यतः घानी (हस्तचालित/बिजली चालित), घूर्णक मशीनों और कोल्हू के माध्यम से पेराई करके प्राप्त किया जाता है/खली से तथा तेल युक्त सामग्री, जिनमें तेल का कम भाग होता है, से तेल विलायक निष्कर्षण की प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है। कोल्हू विशेष रूप से अधिक दबाव वाले कोल्हू तेल निकालने के आधुनिक तरीके हैं और बहुत अधिक प्रभावशाली हैं। सरकार कोल्हू का उपयोग करने वाले उद्योगों की स्थापना करने को बढ़ावा दे रही है। सरकार द्वारा छिटपुट परिशोधन तथा प्राकृतिक परिशोधन जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इन प्रौद्योगिकियों से उन्नत किस्म के उत्पाद प्राप्त होते हैं और अधिक प्रभावी ढंग से उनका परिशोधन किया जा सकता है। सरकार संयंत्रों और मशीनरी पर सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क से छूट दे रही है, ताकि वनस्पति तेल उद्योग का आधुनिकीकरण किया जा सके। आशा है कि इन उपायों से उन्नत किस्म के तेल अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त किए जा सकेंगे।

दूरदर्शन पर पुरानी फीचर फिल्म दिखाना

2536. श्री राम कुमार राय : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन पर 1970 के बाद बनाई गई फीचर फिल्म दिखाई जाती हैं, जिनका बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को दूरदर्शन पर 1970 से पहले से बनाई गई पुरानी तथा शिक्षाप्रद फीचर फिल्में दिखाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इन फिल्मों को कब तक दिखाया जाएगा और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि दूरदर्शन पर टेलीकास्ट की जाने वाली फिल्में परिवार के साथ देखे जाने के लिए योग्य हों।

(ख) और (ग) दूरदर्शन हर महीने के एक शनिवार को "पुरानी क्लासिक" की श्रेणी में आने वाली फिल्मों को नियमित रूप से टेलीकास्ट करता है।

[अनुवाद]

मद्यपान के दुष्प्रभावों के बारे में वृत्त चित्र

2537. श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्यपान और इसके दुष्प्रभावों के बारे में दूरदर्शन पर कोई वृत्त चित्र दिखाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सभी दूरदर्शन केन्द्रों को मद्यपान के दुष्प्रभावों के बारे में अपने-अपने क्षेत्र की प्रादेशिक भाषा में वृत्त चित्र तैयार करने तथा उन्हें दूरदर्शन पर दिखाने के निर्देश देने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। दूरदर्शन मद्यपान और इसके दुष्प्रभाव के बारे में समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम दिखाता रहा है। विभिन्न विषयों को प्रतिबिम्बित करने के लिए दूरदर्शन के अपने फार्मेट हैं जिनमें वृत्तचित्र भी शामिल हैं।

(ख) सभी दूरदर्शन केन्द्रों को मद्यपान के दुष्प्रभावों को चित्रण करने वाले कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश दिए हुए हैं।

[हिन्दी]

खाड़ी के देशों में काम कर रहे भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना

2538. श्री मोहम्मद अयूब खां : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झुनझुनु और सीकर क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग खाड़ी के देशों में काम कर रहे हैं, जहां से वे भारत में अपने परिवारों को धन भेजते हैं और इसके परिणामस्वरूप हमारे देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन लोगों के लिए निकट भविष्य में कोई बीमा योजना आरम्भ करने का है ताकि उनके द्वारा इस विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग न किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस स्थिति का उपचार करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री० पी० ए० संगमा) : (क) क्षेत्रवार सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

बिहार क्षेत्र में कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदाताओं के अंशदान पर ब्याज

2539. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार क्षेत्र में कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदाताओं की 31 मार्च, 1986 को ब्याज की कितनी राशि देय हो गई थी और कितनी राशि का भुगतान किया गया है;

(ख) क्या अंशदाताओं को उक्त राशि का भुगतान उनके प्रतिष्ठानों से वसूल किए बिना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से किया गया है;

(ग) कितने प्रतिष्ठानों ने भविष्य निधि की देय राशि की समय पर अदायगी नहीं की है और इसके लिए उन पर कोई आर्थिक दण्ड न लगाए जाने के कारण संगठन को 20 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है; और

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जो प्रतिष्ठान धनराशि की समय पर अदायगी न करे उन पर तत्काल आर्थिक दण्ड लगाया जाएगा, यदि हां, तो कब से ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि योजना में व्यवस्था है कि प्रति वर्ष पहली अप्रैल को सदस्य के खाते में आरम्भिक शेष राशि पर विशिष्ट दर से ब्याज जमा कर दें। वर्ष 1985-86 के लिए, सदस्यों को 10.15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज दिया गया था।

(ख) ब्याज का भुगतान पूंजी निवेश से होने वाली आय से किया जाता है और यह बकाया राशि की वसूली पर निर्भर नहीं करता है।

(ग) और (घ) उन प्रतिष्ठानों से सम्बन्धित सूचना सहज सुलभ नहीं है, जिन्होंने भविष्य निधि की देय राशियों का भुगतान समय पर नहीं किया था और जिन पर अभी आर्थिक दण्ड नहीं लगाया गया है। तथापि, कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरणों से अपेक्षा की जाती है कि वे कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम की धारा 14-ख के अधीन देरी से अदायगी करने के मामलों में आर्थिक दण्ड दें। अतः, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को अनुदेश दिए जा रहे हैं कि वे सभी चूककर्ता प्रतिष्ठानों के मामलों की समीक्षा करें तथा यह सुनिश्चित करें कि देरी से अदायगी करने के मामलों में आर्थिक दण्ड दे दिया गया है।

खाड़ी के देशों में रोजगार के अवसरों का कम होना

2540. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल उद्योग में मन्दी आने के कारण हाल के वर्षों में अरब और खाड़ी के देशों में तकनीशियनों की भर्ती में कमी आ गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशों में रोजगार की गैर-सरकारी एजेन्सियों द्वारा अत्यधिक धन वसूल किए जाने के कारण सरकार का विचार सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से भर्ती करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तकनीशियनों की भर्ती में मामूली कमी हुई है।

(ख) और (ग) केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा दिल्ली में राज्य जनशक्ति निर्यात निगमों की स्थापना की गई है ताकि पंजीकृत प्राइवेट भर्ती एजेन्सियों के माध्यम से भर्ती के अलावा सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से भर्ती की जा सके।

नगरपालिकाओं की पेयजल की समस्याएं

2541. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "ग" श्रेणी की नगर पालिकाओं की पेयजल की समस्याओं को हल करने हेतु केन्द्रीय सरकार की क्या योजनाएं हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन योजनाओं के लिए सहायता देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल-पूर्ति तथा स्वच्छता दशक के सन्दर्भ में, श्रेणी "ग" नगरपालिका परिषदों सहित सभी श्रेणियों की नगरपालिकाओं तथा शहरों में रहने वाली 90% शहरी जनसंख्या को मार्च, 1991 तक लाभान्वित करने के लिए राज्य सरकारें दशक कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रही हैं।

राज्य क्षेत्र में शहरी जलपूर्ति तथा स्वच्छता के लिए सातवीं योजना परिव्यय 2935.64 करोड़ रुपए है। तथापि, यह राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का दायित्व है कि वे अपनी शहरी जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करें तथा योजनाएं बनाएं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्य तिलहनों का उत्पादन बढ़ाना

2542. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेलों की कमी को पूरा करने की दृष्टि से सूरजमुखी और पाम की खेती में काफी सहायता मिल सकती है;

(ख) क्या खाद्य तेल के उत्पादन के लिए मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और पाम के अलावा अन्य खाद्य तिलहन उपलब्ध है;

(ग) क्या कृषि विश्वविद्यालयों ने देश में खाद्य तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई प्रयोग किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तोरिया सरसों, कुसुम, तिल, रामतिल और कपास के बीज कुछ अन्य उपलब्ध तिलहन हैं जिनका खाद्य-तेलों के लिए उत्पादन किया जा सकता है ।

(ग) और (घ) विभिन्न तिलहनी फसलों जैसे मूंगफली की जे० एल०-24, सी० ओ०-1, एम० ए०-10, कादिरी-3, ए० के०-12-24, विक्रम किरण, चन्द्रा आई० सी० जी० एस०-1 और कौशल, सरसों की वरूण, पूसा बोल्ड, सीता क्रांति, कृष्णा, वैभव और वरदान, कुसुम की भीमा, तारा और अम्नेगेरी, सूरजमुखी की मार्डन और बी० एस० एच०-1, सोयाबीन की गौरव, दुर्गा, शिलाजीत और अंकुर, रामतिल की आई० जी० पी०-76 और एन०-5, तिल की प्रताप, गौरी, माधवी, विनायक, कनक और कालिका आदि की अनेक अधिक पैदावार देने वाली किस्मों का विकास किया गया है । इन किस्मों का विकास विभिन्न कृषि जलवायवीय अवस्थाओं और फसल उगाई जाने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया गया है । इसके साथ ही, देश में तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपर्युक्त उत्पादन एवं संरक्षण प्रौद्योगिकियों का भी विकास किया गया है। कैच क्राप के रूप में तोरिया की खेती और मूंगफली की ग्रीष्मकालीन खेती लोकप्रिय हो रही है । कारगर सस्य पद्धतियों और अनेक तरह के अन्तः फसल संयोजनों का विकास किया गया है, जिनसे प्रति यूनिट क्षेत्र में बीज का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है ।

रत्नागिरि में टेलीविजन टावर के लिए स्थान निर्धारण

2543. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रत्नागिरि जिले में टेलीविजन टावर स्थापित करने के लिए स्थान चयन के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, नहीं । तथापि, महाराष्ट्र सरकार को दो स्थान, उनमें से एक दूरदर्शन को आवंटित करने के लिए, सुझाए गए हैं ।

प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित निर्धन वर्ग के लोगों को राहत प्रदान करना

2545. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित समाज के निर्धन वर्ग के लोगों को दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि की है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों के लिए अतिरिक्त राशि आबंटित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए वर्ष 1985-86 में केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के मानदण्डों में संशोधन किया है। ये मानदण्ड 1 जुलाई, 1986 से प्रभावी हैं और उस तारीख को अथवा उस तारीख के पश्चात् होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के लिए लागू होंगे।

(ख) और (ग) इन संशोधित मानदण्डों के आधार पर अभी तक व्यय की कोई अतिरिक्त अधिकतम सीमा मंजूर नहीं की गई है। तथापि, ये संशोधित मानदण्ड 1 जुलाई, 1986 अथवा इसके पश्चात् होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत के लिए व्यय की अधिकतम सीमा को मंजूर करने के लिए लागू होंगे।

सिलचर में प्रेस सूचना ब्यूरो केन्द्र की स्थापना

2546. **श्री सुदर्शन दास** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिलचर असम में प्रेस सूचना ब्यूरो को शाखा/सूचना केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

झींगा मछलियां पैदा करना

2547. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत विश्व में झींगा मछलियों का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है;

(ख) क्या अपने पूर्णतः आर्थिक क्षेत्र के भीतर, प्राकृतिक प्रजनन के आधार पर झींगा मछलियों की प्राप्ति की संभावना निर्धारित करने के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो इनकी कितनी अतिरिक्त प्राप्ति हो रही है; और

(ग) देश में झींगा परियोजनाएं कहां तक सफल रहीं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मात्स्यकी सांख्यिकी, 1983 सम्बन्धी विश्व खाद्य संगठन की वार्षिक पुस्तिका, मात्स्यकी जिंस (खण्ड 57) के

अनुसार, 1983 के दौरान भारत मात्रा की दृष्टि से विश्व में श्रिम्प मछलियों का सबसे बड़ा निर्यातक देश था।

(ख) हमारे एकमात्र आर्थिक क्षेत्र के भीतर झींगा मछलियों के प्राप्त उत्पादन का निर्धारण करने के बारे में सर्वेक्षण किया गया है। कृषि मंत्रालय द्वारा गठित की गई तकनीकी ससिति की रिपोर्ट के अनुसार, यद्यपि कुछ क्षेत्रों में प्राप्त श्रिम्प मछलियों के संसाधनों में कमी के उतार-चढ़ाव के रुख का पता चला है, तो भी अखिल भारतीय स्तर पर श्रिम्प मछलियों के अत्यधिक मत्स्यन की सूचना नहीं मिली है।

(ग) उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, आन्ध्र प्रदेश और केरल में झींगा मछली पालन के कार्यों में मिली सफलता के आधार पर खारे जल में मछली पालन संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 22 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं, जिसमें महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, गोवा और पांडिचेरी शामिल हैं, और उन पर निर्माण कार्य चल रहा है।

समुद्री संसाधनों के मानचित्र तैयार करना

2548. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने हमारे देश के अनन्य आर्थिक क्षेत्र में उपलब्ध समुद्री संसाधनों के मानचित्र तैयार करने के लिए रक्षा मंत्रालय में और महासागर विकास विभाग के साथ समन्वय स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय तटवर्ती समुद्र के मत्स्य क्षत्रों के सर्वोत्तम मानचित्र विदेशों से मंगाये जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कृषि मंत्रालय हमारे देश के एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यकी संसाधनों से संबंधित मामलों को ही देखता है। जहां तक समुद्री मात्स्यकी संसाधनों का समन्वेषण करने, मानचित्र तैयार करने और उनका उपयोग करने का संबंध है, कृषि मंत्रालय ने इस सबंध में महासागर विकास विभाग, नौसेना जल-विज्ञान केन्द्र, देहरादून, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा और जहाजरानी महानिदेशक, बम्बई के साथ समन्वय स्थापित किया है। हमारे एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यकी संसाधनों के सर्वेक्षण का कार्य भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण, बम्बई को सौंपा गया है, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यालय से सम्बद्ध परामर्शदात्री दल है। इस दल में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, केन्द्रीय समुद्री मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्) जहाजरानी महानिदेशक और अन्य संबंधित एजेंसियों के सदस्य शामिल हैं। यह समिति कार्यक्रमों को तैयार करने और कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के लिए बार-बार बैठकों का आयोजन करती है। भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण के लिए किसी योजना को अन्तिम रूप देने से पूर्व महासागर विकास विभाग से भी सलाह ली जाती है। मात्स्यकी चार्टों और मानचित्रों को तैयार करने के मामले में नौसेना जल-विज्ञान केन्द्र, देहरादून से सलाह ली जाती है। भारतीय सात्स्यकी सर्वेक्षण ने मात्स्यकी चार्टों को तैयार करने और उनका

प्रकाशन करने का कार्य शुरू किया है। महत्वपूर्ण डीमर्सल मात्स्यकी संसाधनों से संबंधित अनेक चार्ट तैयार किये जा रहे हैं। वेज बैंक के डीमर्सल मात्स्यकी संसाधनों के संबंध में अनेक चार्ट निर्मुक्त किये जा चुके हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दूरदर्शन पर प्रसारण करने के लिए फीचर फिल्में

2549. **श्री शांताराम नायक :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फीचर फिल्मों का दूरदर्शन पर प्रसारण करने के लिए फिल्में प्राप्त करते हेतु फिल्म निर्माताओं से स्वत: सम्पर्क किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान दूरदर्शन पर प्रसारण करने के लिए कौन-कौन-सी फीचर फिल्म प्राप्त करने हेतु फिल्म निर्माताओं से स्वत: सम्पर्क स्थापित किये गये थे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) टेलीकास्ट की जाने वाली सभी फिल्में चयन समिति द्वारा स्वीकृत की जाती हैं और एक अन्य फिल्म ग्रेडेशन समिति द्वारा श्रेणीकृत की जाती हैं। इन समितियों की स्वीकृति के बिना कोई भी फिल्म टेलीकास्ट नहीं की जाती। तथापि, कभी-कभी दूरदर्शन टेलीकास्ट के लिए अच्छी फिल्में प्राप्त करने के लिए पहल भी करता है। लेकिन इन मामलों में भी समितियों के माध्यम से चयन की उक्त प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया जाता है।

[हिन्दी]

राज्य बीज निगमों को राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीज की सप्लाई

2550. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बीज निगम ने खरीफ मौसम, 1986 के लिए दालों, तिलहनों, मक्का तथा बाजरा के बीजों की सप्लाई करने के लिए विभिन्न राज्यों के बीज निगमों के साथ करार किया था;

(ख) क्या इसके लिए राष्ट्रीय बीज निगम को राज्यों से अग्रिम राशियां भी प्राप्त हुई थीं;

(ग) फसलवार कितनी मात्रा में बीज सप्लाई करने का करार हुआ था और प्रत्येक राज्य से कितनी अग्रिम राशि प्राप्त हुई; और

(घ) क्या राष्ट्रीय बीज निगम इन राज्यों को उनके साथ किए गए करार के अनुसार बीजों की सप्लाई करने में असफल रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) यद्यपि राष्ट्रीय बीज निगम ने 1986 के खरीफ मौसम के लिए दालों, तिलहनों, मक्का और बाजरा के बीजों की सप्लाई के लिए किसी भी राज्य बीज निगम के साथ कोई समझौता नहीं किया है, तथा इसे 1986 के खरीफ मौसम के दौरान बीजों की सप्लाई के लिए कुछ राज्य बीज निगमों से तदर्थ मांग-पत्र प्राप्त हुए थे।

(ख) अग्रिम धनराशियां केवल मध्य प्रदेश राज्य बीज निगम से प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा 1986 के खरीफ मौसम के दौरान प्राप्त हुई मांग और सप्लाई की गई बीजों की फसल-वार मात्रा तथा उसमें हुई कमी के कारण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1986 के खरीफ मौसम के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम को प्रमाणित बीजों की प्राप्त हुई मांग और की गई पूर्ति का विवरण

क्र० सं०	...का राज्य बीज निगम	फसल	मांगी गई मात्रा (क्विंटल)	जमा किया गया अग्रिम धन	सप्लाई की गई मात्रा	कमी आने के कारण
1	2	3	4	5	6	7
1.	मध्य प्रदेश	दालें	1520.00	13,32,988.00 रु०	982.97	राज्य बीज निगम द्वारा शेष मात्रा नहीं उठाई गई।
		तिलहन	170.00		शून्य	राज्य बीज निगम द्वारा बीज नहीं उठाए गए।
		मक्का	1000.00		309.96	शेष मात्रा नहीं उठाई गई।
		कदन्न	725.00		573.00	शेष मात्रा नहीं उठाई गई।
2.	उड़ीसा	दालें	1800.00	अग्रिम धन जमा नहीं किया गया	1114.80	शेष मात्रा नहीं उठाई गई।
		तिलहन	8.00		—	मांग-पत्र राज्य बीज निगम द्वारा रद्द कर दिया गया।
		मक्का	200.00		195.00	शेष मात्रा नहीं उठाई गई।

1	2	3	4	5	6	7
3.	राजस्थान	दालें	850.00	अग्रिम धन जमा नहीं किया गया	249.60	शेष उपलब्ध नहीं।
		तिलहन	30.00		—	बीज उपलब्ध नहीं।
		मक्का	600.00		200.20	शेष मात्रा राज्य बीज निगम द्वारा नहीं उठाई गई।
		कदन्न	400.00		402.00	—
4.	कर्नाटक	दालें	—		560.00	

कृषि आदानों के लिए राज्यों को दिए गए ऋण

2551. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आदानों के लिए विभिन्न राज्यों को अल्पावधिक ऋण देती है और यदि हां, तो किस दर पर देती है;

(ख) गत तीन वर्ष के दौरान कृषि आदानों के लिए प्रत्येक राज्य द्वारा मांगी गई धन-राशि की तुलना में प्रत्येक राज्य को अल्पावधिक ऋणों के रूप में वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें उनकी जरूरत अथवा मांग के अनुसार धनराशि नहीं दी गई और इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। केन्द्र सरकार कृषि आदानों के वितरण की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा/अथवा बीजों की अग्रिम खरीद, महत्वपूर्ण फसलों, आदि के लिए सुसंहत क्षेत्र के आधार पर व्यापक वनस्पति रक्षण उपायों जैसे अतिविशिष्ट कार्यक्रमों के विभिन्न राज्यों को अल्पावधि ऋण देती है। इस समय इस ऋण पर 6.25 प्रतिशत सामान्य वार्षिक दर से ब्याज लिया जाता है।

(ख) वर्ष 1983-84 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान प्रत्येक राज्य को मंजूर की गई अल्पावधि-ऋण की मात्रा तथा प्रत्येक राज्य द्वारा मांगी गई मात्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राज्यों के लिए उपलब्ध अल्पावधि ऋण सहायता की धनराशि सीमित है। राज्य सरकारों द्वारा मांगी जाने वाली अल्पावधि ऋण की मांग अधिक होने की वजह से अधिकांश राज्यों की समूची मांग को पूरा कर पाना संभव नहीं है।

विवरण

राज्यों द्वारा मांगा गया तथा राज्यों को स्वीकृत अल्पावधि ऋण

(करोड़ रुपए)

क्र० सं०	राज्य	1983-84		1984-85		1985-86	
		मांगा गया	स्वीकृत	मांगा गया	स्वीकृत	मांगा गया	स्वीकृत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	16.00*	11.94	30.00	10.80	26.75	1C.80
2.	असम	8.70	5.25	9.00	5.86	5.00*	5.15
3.	बिहार	65.00	22.00	65.00	21.05	प्राप्त नहीं	20.00
4.	गुजरात	19.20	10.50	26.00	10.22	36.47	16.30
5.	हरियाणा	45.95	16.75	47.45	16.30	49.50	13.80
6.	हिमाचल प्रदेश	2.00	1.05	1·25	1.04	1.60	1.00
7.	जम्मू व कश्मीर	प्राप्त नहीं	1.55	0.75*	1.55	8.00	2.50
8.	कर्नाटक	18.00	14.50	38.00	14.40	18.00	13.40
9.	केरल	3.00	3.00	5.00	3.60	6.00	4.10
10	मध्य प्रदेश	31.50	24.00	16.00*	24.50	40.50	20.65
11.	महाराष्ट्र	33.25	16.50	52.00	16.50	39.50	19.50
12.	मणिपुर	0.50*	0.73	प्राप्त नहीं	0.70	2.00*	0.75
13.	मेघालय	1.75	1.42	2.00	1.42	2.00	1.25
14.	उड़ीसा	25.00	11.80	20.10	13.12	30.00	11.50
15.	पंजाब	64.00	23.50	90.00	22.85	100.00	25.85
16.	राजस्थान	26.91	19.50	30.17	22.14	60.38	18.00
17.	सिक्किम	प्राप्त नहीं	0.03	—	—	—	—
18.	तमिलनाडु	31.50	15.50	8.25*	14.35	35.67	13.35
19.	त्रिपुरा	प्राप्त नहीं	0.05	प्राप्त नहीं	0.10	प्राप्त नहीं	0.10
20.	उत्तर प्रदेश	80.00	44.00	100.00	42.50	150.00	43.00
21.	पश्चिम बंगाल	30.00	16.43	55.60	17.00	50.00	15.00
	कुल	502.26	260.00	596.57	260.00	661.37	256.00

*केवल एक मौसम के लिए

[अनुवाद]

तालचर उर्वरक संयंत्र में संकट

2552. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के तालचर उर्वरक संयंत्र को गम्भीर वित्तीय और प्रौद्योगिक संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस उर्वरक संयंत्र के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा लगाई गई दीर्घावधिक पावर कटौतियों के अतिरिक्त, उड़ीसा के तालचर में स्थित कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र अन्तर्निहित डिजाइन कमियों तथा बेमेल उपस्कर से ग्रस्त हैं। इसके अतिरिक्त, पिछले नौ महीनों में तीन आग दुर्घटनाएं हुई जिनके परिणामस्वरूप संयंत्र और उपस्कर को कुछ क्षति तथा वृहत उत्पादन हानि हुई।

(ग) संयंत्र में एक 30 मेगावाट का गैस टरबाइन लगाया गया है। इसके अतिरिक्त संयंत्र निष्पादन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित अल्पावधिक उपचारी उपाय किए गए है :

1. एनओएक्स सिस्टम की व्यवस्था ताकि हीट एक्सचेंजर को प्रतिबन्ध तथा जंग लगने से बचाया जा सके।

2. रा गैस प्री-कूलरों को एस० एस० कूलरों से प्रतिस्थापित करना।

3. कोलेक्टिंग इलेक्ट्रोड्स को एस० एस० इलेक्ट्रोड्स से प्रतिस्थापित करना।

4. रा गैस लाइन का एपोक्सी लाइनिंग, और

5. यूरिया संयंत्र के फर्स्ट स्टेज डिस्टिलर ट्यूब बंडलों उन्नत सामग्री से प्रतिस्थापित करना।

विदेशी परामर्शदाता फर्म के द्वारा एक सम्पूर्ण सर्वेक्षण भी किया गया है। परामर्शदाताओं ने 253.54 करोड़ की लागत पर संयंत्र में वृहत् पुनरुद्धार करने का सुझाव दिया है। निवेश निर्णय अभी लिया जाना है।

तालचर उर्वरक संयंत्र में आग

2553. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तालचर उर्वरक संयंत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान आग लगने की कितनी घटनाएं हुई;

(ख) आग लगने की इन घटनाओं के कारण कितनी क्षति हुई; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान तालचर उर्वरक संयंत्र में तीन अग्निकांड हुए।

(ख) और (ग) क्षति/उत्पादन हानि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं—

क्र० सं०	दुर्घटनाओं की तिथि	अग्निकांड के कारण	मशीनों को पहुंची क्षति	उत्पादन हानि	अन्य हानि	मरम्मत पर खर्च
1.	13-10-85	फैक्टरी मेंन में नाफ्था का रिसाव	—	5,830 टन यूरिया	45 कि० लिटर नाफ्था	—
2.	8-2-86	सिंथेसिस परिवर्तक के टापक्लेंग-ज्वाइंट से सिंथेसिस गैस का रिसाव	उपकरणों व केबल को कुछ क्षति	18,000 टन यूरिया	—	लगभग 10 लाख रुपए
3.	24-5-86	रा-गैस कम्प्रैशर के चतुर्थ चरण सैपरेटर के रा-गैस निकासी पाइप का फटना	पाइपिंग एवं इंस्ट्रूमेंट केबल को क्षति	1666 टन यूरिया	—	लगभग 15 लाख रुपए

कर्नाटक में बागवानी विकास कार्यक्रम

2554. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक में बागवानी विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए कुल कितनी धनराशि व्यय की जायेगी;

(ख) क्या सरकार का आई० डी० ए० की सहायता से कर्नाटक में बागवानी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ अतिरिक्त भूमि लाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, प्रस्तावित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सातवीं पंच-

वर्षीय योजना के लिए कर्नाटक में बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए राज्य में 14.80 करोड़ रुपए का परिव्यय आवंटित किया गया है।

(ख) और (ग) कर्नाटक में बागवानी का समेकित विकास करने से संबंधित परियोजना के तहत बागवानी विकास के अन्तर्गत 13,500 हैक्टार का क्षेत्र लाने का विचार किया गया है। इस परियोजना का अनुमानित व्यय 55.85 रुपए है।

रक्षित विद्युत संयंत्र

2555. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन इस्पात संयंत्रों ने अपने रक्षित विद्युत संयंत्र स्थापित किए हैं;

(ख) ऐसे प्रत्येक रक्षित विद्युत संयंत्र की क्षमता क्या है;

(ग) प्रत्येक इस्पात संयंत्र ने अपने रक्षित विद्युत संयंत्र का निर्माण पूरा करने में कितनी प्रगति की है; और

(घ) इन रक्षित विद्युत संयंत्रों में कब तक विद्युत उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लि० (सेल) के सभी सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में ग्रहीत विद्युत संयंत्रों की व्यवस्था की गई है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन क्षमताओं की स्थापना का उद्देश्य यह है कि बिजली की लोड वाली अधिकतम अनिवार्य श्रेणियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और उन उपकरणों का उस स्थिति में ध्यान रखा जा सके यदि सार्वजनिक संस्थानों से बिजली की सप्लाई न मिलने से वे क्षतिग्रस्त हो जाएं।

(ग) और (घ) अतिरिक्त ग्रहीत विद्युत संयंत्रों के निर्माण की कारखाना-वार प्रगति नीचे दी गई है—

दुर्गापुर इस्पात कारखाना :

बायलर नं० 1 को अप्रैल, 1986 में प्रज्वलित किया गया है और प्रथम इकाई को अगस्त/सितम्बर, 1986 में चालू किए जाने की संभावना है। समय-सूची के अनुसार दूसरी इकाई मार्च, 1987 में चालू की जानी है।

बोकारो इस्पात कारखाना :

प्रथम इकाई दिसम्बर, 1985 में चालू हुई थी। समय-सूची के अनुसार दूसरी तथा तीसरी इकाई क्रमशः सितम्बर, 1986 तथा मार्च, 1987 में चालू की जानी हैं। तथापि कार्य-स्थल पर हाल ही में आग लगने की दुर्घटना हुई थी और इन तारीखों के प्रभावित होने की संभावना है। चालू करने संबंधी संशोधित कार्यक्रम को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जायेगा।

राउरकेला इस्पात संयंत्र :

जुलाई, 1986 में टर्बाइन की पहली इकाई को बाक्स अप तथा बॉयलर को प्रज्वलित किया

गया है। पहली इकाई के सितम्बर, 1986 में चालू हो जाने की सम्भावना है। समय-सूची के अनुसार दूसरी इकाई मार्च, 1987 में चालू की जानी है।

विवरण

"सेल" के सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में ग्रहीत विद्युत इकाईयों में उत्पादन की स्थापित क्षमता

कारखाना	प्राप्त क्षमता† (मेगावाट में)	स्थापित क्षमता (मेगावाट में)	इकाइयों की संख्या
भिलाई इस्पात कारखाना	30	36(संयंत्र-I)	3×12 मेगावाट
	74**	74(संयंत्र-II)	2×30 मेगावाट +1×14 मेगावाट
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	8/15*	20	4× 5 मेगावाट
राउरकेला इस्पात कारखाना	70	128	5×25 मेगावाट +1× 3 मेगावाट
बोकारो इस्पात कारखाना	60	122	2×55 मेगावाट +1×12 मेगावाट
इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी लिमिटेड, बर्नपुर	25	60	2×10 मेगावाट +2×20 मेगावाट

उपर्युक्त के अलावा, अतिरिक्त ग्रहीत विद्युत उत्पादन की क्षमताएं निम्न प्रकार से स्थापित की जा रही हैं—

कारखाना	स्थापित की जा रही क्षमता (मेगावाट में)	इकाइयों की संख्या
बोकारो इस्पात कारखाना	180	3×60 मेगावाट
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	120	2×60 मेगावाट
राउरकेला इस्पात कारखाना	120	2×60 मेगावाट

†इस्पात कारखानों में ग्रहीत विद्युत संयंत्रों के बारे में सरकार की समिति द्वारा मई, 1982 में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार बोकारो इस्पात कारखाने तथा भिलाई इस्पात कारखाने के विद्युत संयंत्र को छोड़कर।

**दुर्गापुर इस्पात कारखाने के परिचालन में चार धमन भट्टियों के साथ-8 और तीन धमन भट्टियों के साथ-15.

*वर्ष 1982 में जब सरकार की समिति ने ग्रहित विद्युत संयंत्रों की प्राप्य क्षमताओं का अनुमान लगाया था उस समय इस कारखाने के बारे में चर्चा हुई थी। सभी व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए, इस कारखाने की प्राप्त क्षमता 74 मेगावाट मानी जा सकती हैं अर्थात् जितनी स्थापित क्षमता है।

मध्य प्रदेश में खनिज संसाधनों का दोहन

2556. **श्री परसराम भारद्वाज : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में खनिज संसाधनों के दोहन के बारे में केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नागपुर, महाराष्ट्र के झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों की स्थिति में सुधार

2557. **श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या शहरी विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी विकास मंत्रालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री ने झुग्गी-झोंपड़ी निवासियों की आवास सम्बन्धी परिस्थितियों में सुधार करने के लिए जून, 1986 के दौरान महाराष्ट्र राज्य और नागपुर के आस-पास के झुग्गी-झोंपड़ी वाले इलाकों का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या सहायता दी गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) केन्द्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री ने जून, 1986 के प्रथम सप्ताह में नागपुर का दौरा किया।

(ख) शहरी मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की योजना राज्य क्षेत्र में है तथा राज्य सरकारें अपने-अपने वार्षिक योजना प्रावधानों से उपयुक्त परियोजनायें प्रतिपादित करती हैं तथा कार्यान्वित करती है। 1986-87 के दौरान शहरी मलिन बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की योजना के अन्तर्गत समग्र रूप से राज्य को 8.80 करोड़ रुपए नियतित किये गये हैं।

हरित क्रांति के परिणाम

2558. **श्री मूल चन्द डागा : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर और पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में गेहूं तथा अन्य फसलों की उन्नत पैदावार में हरित क्रांति ने प्रभावशाली परिणाम दिखाये हैं;

(ख) देश के अन्य भागों में समान परिणाम प्राप्त न होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गये हैं और उनके क्या परिणाम निकले ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी हां। अधिकांश किसानों द्वारा कृषि की नई प्रौद्योगिकी का और अधिक उपयोग किए जाने के

कारण इन क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक प्रबल उपलब्धि प्राप्त हुई है। नई प्रौद्योगिकी में अन्य बातों के साथ-साथ सुनिश्चित वर्षा और सिंचित परिस्थितियों में अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत और अधिक क्षेत्र लाया जाना, उर्वरकों का संतुलित और पर्याप्त मात्रा में उपयोग, प्रभावी जल प्रबन्ध, आवश्यकता के आधार पर वनस्पति रक्षण के उपायों को अपनाया जाना, आदि शामिल हैं।

(ग) अन्य क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष उपाय किये गए हैं, जिनमें अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ पूर्वी राज्यों में विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम, छोटे और सीमांत किसानों से सम्बन्धित कार्यक्रम, राष्ट्रीय बारानी खेती कार्यक्रम, राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम आदि शामिल हैं। इन उपायों से सातवीं योजना के अन्त तक वांछित परिणाम प्राप्त होने की आशा है।

फैरोक्रोम की मांग और उपलब्धता

2559. **श्री भट्टम श्रीराममूर्ति** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फैरोक्रोम की मांग और उपलब्धता का मूल्यांकन करने के लिए एक समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम, निदेश-पद तथा समयावधि क्या है; और

(ग) क्या फैरो-मिश्रधातु की खरीद कम हो रही है और उद्योग में प्रतिष्ठापित क्षमता का केवल 50 प्रतिशत उत्पादन हो रहा है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जी हां। इस्पात विभाग के दिनांक 18 मार्च और 9 अप्रैल, 1986 के पत्र संख्या 1(9)/86-आई० एल० की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है, जिनमें समिति के गठन तथा उसके विचारार्थ विषयों का उल्लेख किया गया है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3055/86]

समिति ने इण्डियन फैरो अलाय्ज प्रोड्यूसर्ज एसोसिएशन, बम्बई के एक प्रतिनिधि को अपने सदस्य के रूप में सहयोजित किया है।

समिति की रिपोर्ट मिल गई है।

(ग) फैरो-मिश्रधातु की खरीद में कमी की बात सरकार के ध्यान में नहीं आई है। तथापि जिन इकाइयों ने लोहा और इस्पात नियंत्रक को अपने उत्पादन के सम्बन्ध में रिपोर्ट दी थी, उनका वर्ष 1985-86 के दौरान क्षमता उपयोग, उनकी अनुज्ञप्त क्षमता का लगभग 69% था।

फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल लिमिटेड ट्रावनकोर उद्योग मण्डल केरल का अमोनिया यूरिया संयंत्र

2560. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लि० ट्रावनकोर उद्योग मंडल केरल के अमोनिया यूरिया संयंत्र के आधुनिककीरण/सुधार योजनाओं का अनुमानित लागत क्या है;

(ख) क्या उद्योग मंडलों में कैपोलैक्टम परियोजना का आधुनिकीकरण/सुधार किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका संशोधित लागत का अनुमान क्या है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) एफ० ए० सी० टी० ने, कोचीन स्थित, अमोनिया संयंत्र के पुर्उद्धार एवं यूरिया संयंत्र के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, जिन पर अनुमानित लागत 30.42 करोड़ रुपये होगी।

(ख) एफ० ए० सी० टी० की अमोनियम सल्फेट केप्रोलेक्टम परियोजना के अप्रैल, 1988 तक पूर्ण होने की आशा है।

(ग) कम्पनी द्वारा प्रस्तुत संशोधित लागत अनुमानों के अनुसार इस परियोजना पर 260.22 करोड़ रुपये लागत आएगी।

[हिन्दी]

विशाखापत्तनम में एल्यूमिना संयत्र

2561. **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना में विशाखापत्तनम में एक एल्यूमिना संयंत्र लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं और यदि कोई वित्तीय आवंटन किया गया है तो कितना;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) निकट भविष्य में नाल्को संयंत्र के चालू हो जाने से, भारत में कुछ वर्षों के लिए एल्यूमिनियम तथा आगामी ज्ञात वर्षों के लिए एल्यूमिना फालतू हो जाएगा, उधर विश्वव्यापी आधिक्य की स्थिति के कारण इनकी अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट का दौर चल रहा है। अतः सरकार द्वारा सातवीं योजना के दौरान एल्यूमिना संयंत्रों की स्थापना में और अधिक धन लगाने का कोई औचित्य नहीं है।

फसल बीमा योजना

2562. श्री महेन्द्र सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव फसल बीमा योजना को सभी राज्यों में अनियार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या फसल बीमा योजना उन किसानों के लिए भी अनिबार्य की जाएगी जो फसल के लिए बैंकों से ऋण नहीं लेते हैं; और

(ग) क्या सरकार योजना के इस प्रकार से कार्यान्वित किए जाने के सम्बन्ध में विचार करेगी कि जिस किसान ने फसल का बीमा करा रखा है उसे फसल में होने वाले नुकसान की प्रतिपूरक राशि का भुगतान किया जा सके ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) वृहत फसल बीमा योजना खरीफ 1985 मौसम से देश में लागू की गई, जिसे अधिसूचित क्षेत्रों में विशिष्ट फसलों को उगाने के लिए सहकारी ऋण संस्थानों, वाणिज्यिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से लिए जाने वाले फसल ऋणों के साथ सम्बद्ध कर दिया गया है। मुआवजा तब चुकाया जाता है जब निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत फसल की प्रति हेक्टेयर वास्तविक उपज उस क्षेत्र में निर्धारित सीमान्त उपज से कम होती है। इस समय किसान को उसकी फसल को हुई क्षति के अनुरूप मुआवजा-भुगतान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कीटनाशक दवाओं का भंडार

2563. श्री महेन्द्र सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के पास कीट-नाशक दवाओं का भारी भंडार जमा है, जो न तो इस्तेमाल-योग्य है और न ही उपयोगी बनाया जा सकता है;

(ख) क्या राज्य सरकारें यह तय नहीं कर पा रही हैं कि इन भंडारों को किस प्रकार निपटाया जाए जिससे कि उनका जीव जन्तुओं और पेड़-पौधों के साथ-साथ मानव-जीवन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और ऐसी बेकार वस्तु के भंडारण पर उन्हें किराया न अदा करना पड़े और वे इन पर किए गए निवेशों पर ब्याज देने से मुक्ति पा सकें; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों का कोई मार्गदर्शन किया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) कुछ राज्य सरकारों ने जिन कीटनाशी दवाओं की निधि समाप्त हो गई है, उनके निपटान के संबंध में मार्गदर्शन के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था।

(ग) जी, हां।

[अनुवाद]

सिंगरेनी कोयला खानों में दुर्घटना

2564. श्री मानिक रेड्डी :
श्री एम० रघुमा रेड्डी :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 मार्च, 1986 को कार्बन मोनो-आक्साइड के रिसने के कारण हैदराबाद के समीप स्थित सिंगरेनी कोयला खानों में हुई दुर्घटना के कारणों की जांच का कार्य इस बीच पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) मामले की जांच की जा रही है।

रेलवे में कोयला और इस्पात भाड़े का समीकरण

2565. श्री विजय कुमार यादव : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले तथा इस्पात के सम्बन्ध में रेलवे में भाड़ा समीकरण व्यवस्था से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को स्थान सम्बन्धी लाभों से वंचित होना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपाय किये जाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) कोयले के सम्बन्ध में कोई भाड़ा समीकरण योजना नहीं है। भाड़ा समीकरण योजना लोहे और इस्पात पर लागू है। तथापि भाड़ा समीकरण ही मात्र एक ऐसा कारक है जो किसी राज्य में उद्योगों का स्थान निर्धारित करने में निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायक होता है।

(ग) सरकार भाड़ा समीकरण योजना को समाप्त करने के सम्बन्ध में सिद्धांततः निर्णय ले चुकी है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं राष्ट्रीय महत्व का एक प्रश्न उठा रहा हूं। राजधानी की दो गैर-सरकारी निर्यात कम्पनियों—दीक्षा होल्डिंग तथा रामा एसोसियेशन ने बासमती चावल का लेबल लगाकर वास्तव में घटिया चावल बेच दिया है......

अध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा।

प्रो० मधु दंडवते : हजारों टन चावल भेजा गया है। ऐसा करके उन्होंने किसानों तथा सोवियत संघ के साथ धोखा किया है। इससे हमारे मित्रतापूर्ण संबंध पर कुप्रभाव पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप इसके लिए कोई प्रस्ताव दें।

प्रो० मधु दंडवते : वह एक अलग बात है। उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह बात आपसे लेकर मुझ तक इस सदन में सभी से संबंधित है......

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : कल 'नवभारत टाइम्स' में रजनीश ने कहा है :

[हिन्दी]

"सांसद अक्ल से बच्चे हैं।

[अनुवाद]

मानसिक रूप से प्रत्येक सांसद की आयु 14 वर्ष है।"

अध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने कहा है कि यह संसद कुछ नहीं कर सकती। बम्बई में एक पत्रकार द्वारा आचार्य कृपलानी के लिए इससे कम अपमानजनक बात कहे जाने पर उसे इस सदन में बुलाया गया था। और एक भगवान रजनीश हैं जो कई देशों से निकाले गए हैं और उनमें हमें अपरिपक्व और 14 वर्ष के बताने का दुःसाहस है। उन्होंने पूरे सदन पर आक्षेप किया है। इस बात की कृपया स्वीकार करें......(**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : उन्हें हमारे देश से निकाल दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात भी तो सुन लिया करें।

(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : क्या ये स्पष्ट रूप से विशेषाधिकार का मामला नहीं है या क्या यह इसलिए है, क्योंकि वह 'भगवान' हैं और इस संसद के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुसीबत तो यह हो जाती है कि आप सुनते ही नहीं हैं। आप तो राजधानी चला देते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : क्या करें साहब, हमारी और आपकी इज्जत का सवाल है...... (व्यवधान)

मैं आपकी मर्यादा की रक्षा कर रहा हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने दिया भी लेट है। मैं आज ही आपकी सलाह के बगैर इसको भेज रहा हूं।

[अनुवाद]

मुझे कुछ तथ्यों की जांच करनी है और उसके बाद हम कार्यवाही करेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : आप इसे 'भगवान' के पास भेज रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल।

[हिन्दी]

भगवान से मंगवायेंगे। भगवान का जमीन पर अवतरण करायेंगे। फिक्र मत कीजिए।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : इसे जल्दी भेजें, अन्यथा रजनीश किसी और देश में भाग जायेंगे। उन्हें एक देश से अन्य देश में भागने की आदत है और हमें वहां नोटिस भेजने पड़ेंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आज ही करेंगे।

[अनुवाद]

तत्काल ही।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैं अमेरिका के 'पेंटागन' से भारत आए एक शिष्टमंडल, जिसके बारे में समाचार छपा है, से सम्बन्धित एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। मेरा प्रश्न स्वीकृत नहीं हुआ। मुझे एक पर्ची दी गई है कि इस प्रश्न को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम नहीं। मैं इसे देखूंगा। मैं यहां उत्तर नहीं दे सकता। आप मेरे पास आ जायें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आम तौर पर राष्ट्रीय हित के प्रश्नों को स्वीकार नहीं किया जाता।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आ जाइए। हो सकता है कोई वजह होगी।

[अनुवाद]

मैं इस समय सब कुछ याद नहीं रख सकता।

[हिन्दी]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : दोबारा जरा देख लीजिए।

[अनुवाद]

मेरे विचार में यह जानना राष्ट्र-हित की बात है कि यह पेंटागन शिष्टमंडल यहां क्या कर रहा है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको तो सब कुछ पता है।

[अनुवाद]

आप एक पुराने सांसद हैं......(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम (नगर कुरनूल) : आज के पेपर में आया है......(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां समाचार पत्रों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। उनके बीच में व्यवधान उत्पन्न न करें।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : मैंने एक नोटिस दिया है। असम समझौते का कार्यान्वयन किसी उद्देश्य से किया जा रहा है। अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है...... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देखूंगा। यह ठीक है।

कुमारी ममता बनर्जी : इस बात पर सदन में चर्चा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा। ठीक है।

[हिन्दी]

श्री वी० तुलसीराम : नागालैंड वाले इंडीपेंडेंट स्टेट मांग रहे हैं और इस विषय को विदेश में भी उठाना चाहते हैं, यह खतरनाक बात है। बिहार में तीस लाख लोगों पर बाढ़ का असर हुआ है, इसके लिए सरकार को जल्द से जल्द कार्यवाही करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। यह तरीका नहीं है।' आप ऐसे कैसे प्रश्न उठा सकते हैं ? ऐसा न करें। यह तरीका नहीं है।

श्री भद्रेश्वर तांती (कलियाबोर) : मैंने असम में 14000 स्वास्थ्य गाइडों की सेवायें समाप्त करने के सम्बन्ध से एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है......

अध्यक्ष महोदय : देख लेंगे। आपको क्या तकलीफ होती है, आकर के पूछते क्यों नहीं हैं।

श्री चरणजीत सिंह अटवाल (रोपड़) : मैं यह प्रश्न रेज करना चाहता हूं कि पंजाब में कोई भी...... (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री भद्रेश्वर तांती (कलियाबोर) : श्रीमान्, 14,000 स्वास्थ्य रक्षक......(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे इन सभी प्रस्तावों को देखना है।

[**हिन्दी**]

श्री चरणजीत सिंह अटवाल : दिल्ली में क्या हो रहा है......(**व्यवधान**)**

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह गलत है।

[**हिन्दी**]

ऐसी बात मत कहें, ऐसी कोई बात नहीं है।

(**व्यवधान**)**

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इसकी अनुमति नहीं है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : संसद में ऐसी बातें कहने का प्रयत्न मत कीजिये।

[**हिन्दी**]

कोई अलाउ नहीं करेगा इस बात को।

[**अनुवाद**]

कृपया बैठ जाइये। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

[**हिन्दी**]

आपको पता नहीं है कि हम क्या करते हैं, आप बैठिये।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा......

(**व्यवधान**)**

[**हिन्दी**]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय संचार विभाग के कर्मचारी संचार भवन के निकट चार दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : मैं आपके माध्यम से सरकार को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि संचार भवन के निकट जो तकनीशियन आमरण अनशन पर बैठे हैं सरकार उनसे बातचीत करके......(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय बोलने के लिए खड़े हुए हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : जो माननीय सदस्य ने कहा है उसको रिकार्ड से निकाल देना चाहिए......

अध्यक्ष महोदय : आपने नहीं सुना तो मैं क्या कर सकता हूं।

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर (करोलबाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहती हूं......

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मंत्री महोदय बोलने के लिए खड़े हुए हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर : हमें सही बात बोलने दें......(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया, क्या आप बैठेंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री महोदय को कुछ बातें कहने की इजाजत दी है......

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : अध्यक्ष जी, बदकिस्मती से हमारे देश में कुछ ऐसे तत्व और ऐसे संगठित दल हैं जो चाहते हैं इस देश में किसी न किसी ढंग से फिरकापरस्ती की आग उभरे, माननीय सदस्य ने बात कही वह बात ऐसी ही भावना से प्रेरित होकर कही है। दिल्ली में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे सिखों पर हमला हुआ हो। इस बात को मैं आन दी फ्लोर आफ दी हाउस में न केवल रिप्यूडिएट करता हूं, बल्कि कंडेमन भी करता हूं।

12.06 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड विनियम, 1986

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 38 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड विनियम, 1986, जो 24 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सी० 11031/1/86 रा० रा० क्षे० यो० बे० में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2867/86]

कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) कृषक भारती को-आपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2868/86]

आसाम कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, गोवाहाटी का वर्ष 1975-76 का, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड लखनऊ का वर्ष 1979-80 का, उड़ीसा कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन और इनके कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : मैं श्री योगेन्द्र मकवाना की ओर से निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) आसाम विकास निगम लिमिटेड, गोवाहाटी के वर्ष 1975-76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आसाम कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, गोवाहाटी का वर्ष 1975-76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गई। देखिए संख्या एल० टी०-2869/86]

(ख) (एक) उत्तर प्रदेश राज्य कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्तर प्रदेश कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2870/86]

(ग) (एक) उड़ीसा कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उड़ीसा कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2871/86]

(3) (एक) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड अधिनियम, 1983 की धारा 14 की उपधारा (4) और धारा 16 की उपधारा (4) के अन्तर्गत राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास बोर्ड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-2872/86]

12.07 बजे

लोक लेखा समिति

49वां प्रतिवेदन

श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी (कुरनूल) : मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बड़े पैमाने पर एककों के लिए और उनकी ओर से लघु एककों के उत्पादन पर अनियमित छूट देने के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति का 49वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.09 म० प०

प्रशासित मूल्य नीति के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने अपने बजट-भाषण में वायदा किया था कि सरकार प्रशासित मूल्यों पर; इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर खुली बहस प्रारम्भ करने के उद्देश्य से, एक नीति सम्बन्धी दस्तावेज प्रस्तुत करेगी। मुझे सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रशासित मूल्य नीति पर एक परिचर्या दस्तावेज तैयार कर लिया गया है और उसे परिचर्या के लिए परिचालित किया जा रहा है **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-2873/86]**। जैसाकि मुद्दे जटिल हैं और दस्तावेज पर्याप्त रूप से संक्षिप्त है, इस समय इस मुद्दे पर बहस करके सदन का समय लेने का मेरा कोई विचार नहीं है।

सरकार को आशा है कि इस दस्तावेज में उठाए गए मुद्दों पर न केवल सदन में ही परन्तु सदन से बाहर भी जनता तथा विशेषज्ञों द्वारा व्यापक तौर पर तथा खुले रूप से बहस की जाएगी। सरकार को विश्वास है कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर व्यापक बहस से, मूल्यों में पर्याप्त स्थिरता लाने की हमारी योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : स्वयं मन्त्री महोदय ने इस सदन में चर्चा की मांग की है। श्रीमान्, इसकी अनुमति अवश्य दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं रोकता नहीं, डिसकशन मैं कभी नहीं रोकता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमान, आप बड़े दयालु हैं। इसलिए हम सम्बन्धित मन्त्री जी के माध्यम से आपसे मिलते हैं।

12.10 म० प०

संविधान (53वां संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सरदार बूटा सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

12.10½ म० प०

मिजोरम राज्य विधेयक*

[अनुवाद]

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : मैं मिजोरम राज्य की संस्थापना और इससे सम्बन्धित मामलों पर एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि मिजोरम राज्य की संस्थापना और इससे सम्बन्धित मामलों पर एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*दिनांक 4-8-1986 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खण्ड 2 में प्रकाशित।

सरदार बूटा सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।**

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : बुद्ध अनुयायियों के समुचित संरक्षण के साथ।

12.11 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) मथुरा-अलवर बड़ी रेल लाइन के निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : नियम 377 के अन्तर्गत मैं एक वक्तव्य दे रहा हूं।

अलवर राजस्थान का एक विकासोन्मुख औद्योगिक कस्बा है। मथुरा अलवर (119.75) बड़ी रेल लाइन अलवर तथा इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की गति को बढ़ायेगी। एक नवीनतम परिगणना के अनुसार मथुरा से अलवर तक बड़ी रेल लाइन के निर्माण की अनुमानित लागत 34.749 करोड़ रुपए आयेगी। 1986-87 के आय-व्ययक आकलन (रेलवे) के अनुसार, 1985-86 के अन्त तक केवल 2.4879 करोड़ रुपये व्यय की गई थी। बजट आकलन (रेलवे) 1986-87 में इस परियोजना के लिए केवल एक करोड़ पचास लाख रुपए निर्धारित किया गया है। इस परियोजना के लिए यह राशि अल्प है। परियोजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरा किया जाना है लेकिन धनराशि के निर्धारण का वर्तमान ढर्रा इस क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मस्तिष्क में आशंका पैदा करता है कि मथुरा अलवर (119.75 कि० मी०) बड़ी रेल लाइन के निर्माण कार्य नियत समय में पूरा नहीं हो सकेगा। इस रेल लाइन पर मथुरा की तरफ से निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। लेकिन अलवर की तरफ से अभी कार्य शुरू किया जाना है। भूमि अर्जन अधिकारी को अभी अलवर जिले के उन किसानों को मुआवजा देना है जिनकी भूमि रेलवे लाइन के लिए या तो अधिग्रहीत कर ली गई है या की जा रही है।

इसलिए मैं भारत सरकार से इस परियोजना के लिए वर्तमान बजट में दस करोड़ रुपयों की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करने तथा अलवर की तरफ से भी रेल लाइन पर निर्माण कार्य शुरू करने की गुजारिश करूंगा।

[हिन्दी]

(दो) स्वतन्त्र भारत मिल्स, दिल्ली को अपने कर्मचारियों के क्वार्टर गिराने से पूर्व उन्हें वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने का निदेश देने की आवश्यकता

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर (करोल बाग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत, आपकी अनुमति से, सदन का ध्यान निम्न विषय की ओर दिलाना चाहती हूं।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

लोगों के बयानों से एवं अखबारों में छपी खबरों से मैं स्वतंत्र भारत मिल के श्रमिकों के बारे में बहुत चिन्तित हूं। श्रमिकों की आम जिन्दगी वैसे ही बहुत मुश्किल होती है। इन समाचारों के अनुसार यह मिल श्रमिकों के क्वार्टरों को गिराकर वहां और कुछ बनाना चाहती है। श्रमिकों को बेघर करके यह सब कार्य किया जा रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस ओर तुरन्त कदम उठाए। यदि श्रमिकों को यहां से उठाया जाये तो उनको समुचित रिहायशी मकानों का प्रबन्ध बेदखल करने से पहले होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह इस बारे में आवश्यक कार्यवाही अवश्य करें।

[अनुवाद]

(तीन) एक बच्चे के बाद आपरेशन करवाने वाले व्यक्तियों को भी परिवार नियोजन प्रोत्साहन देने की आवश्यकता

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : नियम 377 के अधीन मैं एक वक्तव्य देने जा रहा हूं।

देश में चलाये जा रहे परिवार नियोजन कार्यक्रम के सम्बन्ध में मैं कुछ तथ्य इस सदन की जानकारी में ला रहा हूं।

डाक्टर ऐसे दम्पत्तियों की नसबन्दी (स्त्री नसबन्दी या पुरुष नसबन्दी) न करके उन्हें हतोत्साहित करते हैं जो एक बच्चे के बाद स्वेच्छा से आपरेशन कराना चाहते हैं।

वर्तमान नियमों के अन्तर्गत केवल उन्ही दम्पत्तियों को प्रोत्साहन सुविधा प्रदान की जाती है जो दो या तीन बच्चों के बाद ऊपरी कथित नसबन्दी कराते हैं।

वास्तव में ऐसे दम्पत्तियों को जो निस्सन्तान रहना चाहते हैं या एक बच्चे का परिवार चाहते हैं और अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ऐसे भी दम्पत्ति हैं जो वर्तमान नियमों के अन्तर्गत प्रोत्साहन सुविधा का लाभ उठाने के लिए दूसरा बच्चा चाहते हैं।

एक बच्चे के परिवार की विचारधारा को अपनाने के लिए लोगों को आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान करके तथा इस तरह से राष्ट्र को जनसंख्या विस्फोट से बचाने वाले चीन जैसे देशों की चमत्कारिक उपलब्धियों को दृष्टि में रखते हुये हमें भी ऐसा ही करना होगा।

12.12 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(चार) दिल्ली के अस्पतालों में बेकार पड़े हुए आयातित निदान एवं उपचार उपकरणों का तथा कथित प्रयोग किए जाने की जांच कराने की आवश्यकता

श्रीमती किशोरी सिंह (वैशाली) : समाचार पत्रों ने अनेकों बार दिल्ली के अस्पतालों की खस्ता हालत का विवरण छापा है जहां भारी कीमत पर आयात किए गये निदान तथा उपचार उपकरण बेकार पड़े हुए हैं। अखबारी रिपोर्टों का कहना है कि इसका प्रमुख कारण इन उपकरणों के रख-रखाव में अस्पतालों से प्रबन्धकों की लापरवाही है। कुछ अस्पतालों में इस उपकरणों को चलाने वाले

तकनीशियनों को नहीं नियुक्त किया गया है । उपकरणों की सप्लाई करने वालों की तरफ से इनकी मरम्मत के लिए कोई अनुदेश नहीं है। ऐसी भी खबरें हैं कि इसी प्रकार के उपकरण कुछ सेवा-सुश्रुषा गृहों में उपलब्ध है और कुछ चिकित्सा अधिकारी मरीजों को इन सेवा-सुश्रुषा गृहों में जाने के लिए इस बहाने उत्साहित करते हैं कि अस्पताल के उपकरण काम नहीं कर रहे हैं । इस प्रकार अस्पतालों के उपकरणों को निष्क्रिय बनाने के लिए एक निहित स्वार्थ पैदा हो गया है। यह सब अस्पताल के प्रशासन में और अस्पतालों की प्रबन्ध व्यवस्था पर सरकारी निगरानी रखने शिथिलता को प्रदर्शित करता है । सरकार को इसकी जांच के लिए आदेश देना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करने के नियम बनाने चाहिए जिससे इन उपकरणों को भली प्रकार रखरखाव किया जाये। यह भी आवश्यक है कि उपकरणों को चालू हालत में रखने के लिए अस्पताल के प्रशासकों को जिम्मेदार ठहराया जाये ।

(पांच) आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 9 पर मुनियेरु नदी पर एक और पुल बनाने की आवश्यकता

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के केसारा में राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 9 पर मुनियेरु नदी के ऊपर बना पुल अपने एक मेहराब के ध्वस्त हो जाने के कारण 14 मई, 1985 को क्षतिग्रस्त हो गया । इसने यातायात में गम्भीर बाधा खड़ी कर दी है। क्षतिग्रस्त मेहराब की मरम्मत के बावजूद पुल के ऊपर से भारी वाहन वर्जित हैं जिससे बड़ी असुविधा, समय की बरबादी तथा वैकल्पिक मार्गों से होकर जाने में ईंधन का अपव्यय हो रहा है । एक और पुल बनाने की बहुत आवश्यकता है। ऐसा समझा जाता है कि भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है । लेकिन अब तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है । अतः मेरा सुझाव है कि इस पर कार्य शुरू करने के लिए सरकार को अविलम्ब कदम उठाने चाहिए क्योंकि यह उत्तर तथा दक्षिण के मध्य सम्पर्क का महत्वपूर्ण माध्यम है जिसके ऊपर से सैकड़ों भारी वाहन प्रति घन्टे गुजरते हैं ।

[हिन्दी]

(छः) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रानिकी उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े उद्योग, विशेषतः प्रदूषण पैदा करने वाले उद्योग व्यावहारिक नहीं माने जाते हैं । इसलिए बराबर यह मांग उठती रही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों की स्थापना के लिए इन क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए । इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों के सन्दर्भ में नई नीति में इन क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्योगों के लिए कुछ आर्थिक प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। परन्तु व्यवहार में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जिनके आशय पत्र या लाइसेंस पिछले 3 वर्षों के अन्दर भारत सरकार द्वारा दिए गए हैं, वे महानगरों या इनसे लगे हुए क्षेत्रों में दिए गए हैं । बड़े उद्योग समूहों को प्रदत्त लाइसेंस भी औद्योगिक रूप से समुन्नत क्षेत्रों में ही दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश हिल इलेक्ट्रानिक्स निगम का गठन एक निश्चित पूंजी के साथ लगभग दो वर्ष पूर्व किया गया । अपट्रान नामक संस्था भी यहां कार्यरत है। इन दोनों को कुछ आशय-पत्र भारत

सरकार द्वारा दिए गए हैं। कुछ प्राइवेट पार्टीज को भी इस प्रकार के उद्योगों के आशय-पत्र दिए गए हैं। परन्तु उनके द्वारा भी स्थान के रूप में या तो गाजियाबाद को प्राथमिकता दी जा रही है या औद्योगिक रूप से विकसित देहरादून व नैनीताल के भावर-तराई के क्षेत्रों को। वनीकरण व पर्यावरण सम्वर्धन की राष्ट्रीय आवश्यकता के तहत इन क्षेत्रों के परम्परागत वन उपज पर आधारित उद्योग व अन्य रोजगार समाप्त होने से बेरोजगारी बढ़ रही है।

इस स्थिति में प्रति पर्वतीय क्षेत्रों विशेष तौर पर मेरे क्षेत्र में असन्तोष व्याप्त है। पर्वतीय क्षेत्र धीरे-धीरे संवेदनशील होते जा रहे हैं। पढ़े-लिखे बेरोजगार नौजवानों में क्षेत्रीयता जैसी संकीर्ण भावना फैलती जा रही है। अतः इन क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देते हुए इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों की स्थापना में इन क्षेत्रों को सर्वोच्च वरीयता दी जानी चाहिए।

[अनुवाद]

(सात) प्रत्येक सांसद और विधायक को उनके सम्बन्धित क्षेत्रों के विकास के लिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम निधि में से या तो खण्डवार या निर्वाचन क्षेत्रवार बराबर धनराशि आबंटित करने की आवश्यकता

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम इत्यादि के क्रियान्वयन के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की स्थापना की गई है। इस अभिकरण का नेतृत्व कलेक्टर/उप आयुक्त या जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेगा। कलेक्टर/उप आयुक्त के नेतृत्व में एक शासकीय निकाय होगा और इसके सदस्य अन्य लोगों के अलावा सांसद तथा विधायक होंगे। अभिकरण के कार्य हैं—समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभग्राहियों का पता लगाना, भावी और वार्षिक कार्य योजनाएं बनाना, कार्यक्रम के मूल्यांकन पर निगरानी रखना इत्यादि। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की निधियों में केन्द्र तथा राज्य सरकार का 50 : 50 प्रतिशत का अंशदान होगा और केन्द्रीय अंशदान सीधे ही अभिकरण को किया जाएगा।

विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए धनराशि के आबंटन पर अपनी बात कहते हुए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि सांसदों तथा विधायकों के लिए खण्डवार या निर्वाचन-क्षेत्रवार धनराशि की बराबर मात्रा आबंटित की जाए जिससे वे अपने-अपने क्षेत्रों का अपनी-अपनी जरूरत के अनुसार बिना किसी बाधा के विकास कर सकें।

————

12.22 म० प०

भारतीय विद्युत (संशोधन) विधेयक

[—जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कार्यसूची के मद सं० 8 को लेते हैं अर्थात् श्रीमती सुशीला

रोहतगी द्वारा 31 जुलाई, 1986 को लाये गये प्रस्ताव पर आगे विचार। हम दो घण्टे 28 मिनट ले चुके हैं। इस विधेयक के लिए नियत समय दो घण्टे हैं। हम तीन या चार वक्ताओं को बोलने का समय देने जा रहे हैं और अनुरोध करते हैं कि वे केवल पांच मिनट में संक्षेप में अपनी बात कहें।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, इलेक्ट्रिसिटी पर जो संशोधन विधेयक आया है, उसमें कुछ ऐसे सवाल उठा दिए गए हैं कि जो बिजली की चोरी होती है, उसको संगीन अपराध माना जायेगा। यह बात सही है कि बिजली की चोरी को संगीन अपराध में लिया जाये, लेकिन इसमें होगा क्या ? इसमें ज्यादातर गरीब किसान फसेंगे और जो बड़े-बड़े उद्योगपति बिजली की चोरी करते हैं, उनको बिजली विभाग के द्वारा ही चोरी करवाई जाती है, इसलिए वह लोग नहीं फंस सकते हैं।

बिजली की चोरी को जो संगीन अपराध में लिया जा रहा है, इसमें गरीब किसान ही फंसेंगे। बिजली विभाग के कर्मचारी, लाइनमैन, ओवरसियर इन बड़े लोगों से कुछ पैसे लेकर नाजायज ढंग से उन्हें बिजली जलाने की इजाजत देते हैं। जब तक ऐसी स्थिति में बिजली विभाग के कर्मचारियों का सुधार नहीं किया जायेगा तब तक इस कानून के संशोधन से बिजली विभाग में कोई बड़ी तरक्की हो जायेगी, चोरी रुक जायेगी, हम ऐसा नहीं समझते हैं। इससे ज्यादा परेशानी किसानों को ही होगी। छोटे-छोटे खेती के काम करने वालों को ही ज्यादा परेशानी होगी।

मैं इस बारे में एक उदाहरण पेश करता हूं। हमारे क्षेत्र में एक कोल्ड स्टारेज के मालिक थे, वह महीने में करीब-करीब 10 हजार की चोरी करते थे। कितने बरसों से चोरी करते थे, इसका हिसाब-किताब नहीं है। एक ओवरसियर ने इस चोरी को पकड़ा तो उसके बड़े अफसरों ने कहा कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो, इसको पकड़कर तुम अपने पैरों में डंडा मारते हो। नतीजा यह हुआ कि उस ओवरसियर को उस क्षेत्र से हटा दिया गया।

जहां पर यह स्थिति हो कि कोई छोटा ईमानदार आफिसर ऐसे मामले को पकड़ना चाहता है। तो बड़े अफसर भी क्योंकि उसमें इन्वाल्व होते हैं, इसलिए वह छोटे अफसर को परेशान करते हैं। हमारे क्षेत्र के ही ऐसे ओवरसियर के साथ यह काम किया गया।

इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि जहां तक चोरी रोकने का प्रश्न है, वह अवश्य रोकी जानी चाहिए। बिजली विभाग में आज जो चोरी हो रही है, इससे राष्ट्र का बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। आज बिजली विभाग में ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं, जो कि बिजली की चोरी करवाते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसा करने के बाद ही यह संशोधन जो मंत्री महोदया करने जा रही हैं, वह सही ढंग से लागू हो सकेगा। मैं मन्त्री महोदया जी से निवेदन करूंगा कि पहले यह जो बिजली विभाग में गड़बड़ी है, उसको आप दुरुस्त करें।

आज देहाती क्षेत्र में बिजली की हालत बहुत खराब है। वहां पर बिजली की आंख-मिचौनी ही हमें देखने को मिलती है। लोग उस समय घरों से दौड़ते हैं जब बिजली आती है और सोचते हैं कि बिजली आने पर मोटर चलाएंगे, लेकिन वहां पहुंचते-पहुंचते बिजली गायब हो जाती है। आज इसी कारणवश देश का विकास नहीं हो पा रहा है।

देहातों में लोग बिजली की लाइन लेकर वापिस कर रहे हैं। इस बारे में भी आपको

गम्भीरता से सोचना होगा। जिस देश के लिए बिजली एक महत्वपूर्ण चीज है और जिससे इस देश का विकास हो सकता है, आज उस देश के बिजली लेने वाले किसान बिजली की लाईन को वापिस कर रहे हैं। वह साफ तौर पर कहते हैं कि हम बिजली नहीं चाहते हैं। इसका भुगतान करते-करते हमारी दूसरी जमीन भी गिरवी हो जाती है।

मैं माननीय मन्त्री महोदया से आग्रह करूंगा कि बिजली विभाग और बिजली बोर्ड में यह जो गड़बड़ियां हैं, उसको पहले दुरुस्त करें। ऐसा करने के बाद ही यह कानून लागू हो सकता है।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक पर सदन में हुई चर्चा से लगता है कि देश में विद्युत का बुनियादी और ऊपरी ढांचा रोशनी की अपेक्षा चोरों को अधिक उत्पन्न कर रहा है। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है मैं कहना चाहूंगा कि चोरी रोकने का एक अच्छा कदम है लेकिन बिजली के उत्पादन में केवल चोरी ही नाकारात्मक घटक नहीं है। चोरी परियोजना शुरू होने के साथ-साथ शुरू हो जाती है। इसलिए हमें विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण के दौरान सावधान रहना चाहिए, जिससे जब लोग निविदाएं दे रहे हों या सामान का प्रयोग कर रहे हों तब कदाचार न किए जाएं और झूठी व अनुचित अदायगियां न की जायें। यही बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन चोरी को रोकने का उपाय है बिजली का प्रचुर मात्रा में उत्पादन। इसके लिए देश में बहुत-सी परियोजनायें शुरू की गई हैं और नई परियोजनाओं के बारे में सर्वेक्षण किये जा रहे हैं?

जहां तक जम्मू-काश्मीर में हमारी परियोजनाओं का सम्बन्ध है, सलाल एक परियोजना है और दुलहस्ती दूसरी परियोजना है जो निर्माणाधीन हैं। एन० एच० पी० सी० के हाथ में सलाल एक महत्वपूर्ण परियोजना है। सलाल के निर्माण को समय-समय पर स्थगित किया जा रहा है। कुछ दिन पहले यह समाचार था कि एक नाले में बाढ़ आने से बिजली घर क्षतिग्रस्त हो गया था। यह आश्चर्य की बात है क्योंकि हमने उस नाले पर एक गेट का निर्माण किया है ताकि नाले का पानी परियोजना क्षेत्र में न आ सके। लेकिन मुझे हैरानी है कि इस बरसाती मौसम में उस गेट को खुला क्यों रखा गया और क्या यह जान-बूझकर खुला रखा गया था या यह परियोजना प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। दोनों हालतों में इस मामले को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। सलाल में स्थाननीय प्रशासन के आचरण से स्थानीय लोगों का प्रशासन से विश्वास उठ गया है। लोग बहुत-सी ऐसी बातें करते हैं जो शरारतपूर्ण होती हैं। यह एक अच्छी बात थी कि एन० एच० पी० सी० का अध्यक्ष, जो बहुत ही ईमानदार व कार्यकुशल व्यक्ति है, जम्मू गया और अगले दिन परियोजना स्थल पर पहुंच कर शीघ्र ही नुकसान का जायजा लिया। अन्यथा क्षति का बढ़ा-चढ़ाकर अनुमान लगाने से बहुत घोटाला हो सकता था। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अध्यक्ष को निर्देश दिए जायें कि वह स्वयं इसकी जांच करें। उत्तरदायित्व निश्चित करे और यह देखे कि परियोजना को भविष्य में क्षति न पहुंचे और परियोजना को समय के अन्दर पूरा किया जाए जिससे कि उत्तरी क्षेत्र में बिजली की कमी को कुछ सीमा तक पूरा किया जा सके।

तीन अन्य परियोजनाएं हैं जिनकी एम० एच० पी० सी० ने जांच की है। उनकी परियोजना

रिपोर्ट और अनुसन्धान पूरे हो गये हैं। ये तीन हैं सावलकोट, भजलियर और राउल। उन्होंने काश्मीर सरकार को विद्युत बंटवारा फार्मूला को स्वीकार करने के लिए लिखा है। दुलहस्ती और सलाल के बारे में बिजली के बंटवारे का फार्मूला निश्चित कर दिया गया है। इन परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी दे दी गई है। लेकिन इसमें कोई नीति निर्णय की आवश्यकता नहीं है। स्वीकृति अभाव में तीनों परियोजनाओं की प्रगति में रुकावट आ रही है। मैं हैरान हूं कि राज्यपाल जो बहुत कार्यकुशल व्यक्ति हैं, विद्युत बंटवारा सूत्र को स्वीकृति क्यों नहीं दे रहे हैं। राज्य में राज्यपाल द्वारा किए गए कार्य का काफी प्रचार किया जा रहा है। कुछ दिन पहले हिन्दुस्तान टाइम्स' में राज्यपाल के कार्यकुशल क्रियाकलापों का एक परिशिष्ट निकला था। लेकिन असली प्रचार इन परियोजनाओं को जल्दी पूरा करना है। जब तक विद्युत बंटवारा सूत्र को स्वीकृति नहीं दी जाती ये परियोजनाएं आगे नहीं बढ़ सकतीं। मुझे हैरानी है कि राज्य सरकार इस मामले पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है।

देश में उच्च तापीय बिजलीघर भी हैं। जहां तक इसका सम्बन्ध है, हमें याद रखना चाहिए कि कोयले का अधिक प्रयोग करना बुद्धिमत्ता नहीं है। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कोयले के न्यासी हैं। हमें जल संसाधनों को काम में लाना चाहिए क्योंकि जल समुद्र में चला जाता है और इसके कुछ हिस्सों को पाकिस्तान द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। एक बार पानी चला गया तो हमेशा के लिए चला गया। लेकिन जहां तक कोयले का सम्बन्ध है हम कोयले का प्रयोग जल की कमी के समय ही करना चाहिए। जहां पर पन बिजली उत्पन्न करने की सम्भावना हो, इसे उत्पादित करना चाहिए। हमें पन बिजली परियोजनाओं की ओर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। मैं मन्त्री महोदया से अनुरोध करूंगा कि वह काश्मीर सरकार को इन तीनों परियोजनाओं के सम्बन्ध में विद्युत बंटवारा फार्मूले को स्वीकृति देने के लिए लिखे।

जहां तक विद्युत बंटवारा सूत्र का सम्बन्ध है जम्मू-काश्मीर सरकार को बिना देरी के स्वीकृति देनी चाहिए। जिससे इन परियोजनाओं को हाथ में लिया जा सके। हम जम्मू-काश्मीर की स्वीकृति चाहते हैं।

इन सुझावों के साथ, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं एक बार फिर कहता हूं कि जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है बिजली की चोरी को रोकने का वास्तविक रास्ता अधिक विद्युत उत्पादन करना है। हमें देश की आवश्यकतानुसार बिजली का उत्पादन करना चाहिए। हमारे पास पन-बिजली की बहुत अधिक क्षमता है। पूरा हिमालय क्षमता से भरा पड़ा है इसलिए हमें इसका उचित ढंग से उपयोग करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेन एलेक्टिसिटी ऐक्ट जो है उसके चैप्टर (5) में एलोक्टिसिटी बोर्डों को जो अधिकार दिया गया है उसको निकालना बहुत जरूरी है। अभी जो गांवों में बिजली दी जाती है, खेत से लेकर इण्डस्ट्री लगाने के लिए, उसमें इन दि नेम आफ सर्विस चार्जेज, चाहे 3 एच० पी०, 5 एच० पी०, या आटा चक्की हो, मिर्ची चक्की हो या हल्दी चक्की हो, उसके लिए कंज्यूमर्स से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा पूरा पैसा मुफ्त में लिया जा रहा है। अगर बोर्ड का दिवाला उठता है तो वह कंज्यूमर्स पर पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूं ऐक्ट का जो शेड्यूल (5) है उसको निकालना बहुत जरूरी है। इसके बारे में मैंने नियम 377 के अन्तर्गत सबमिशन भी दिया है। हमारे आन्ध्र प्रदेश में गांवों में 5 एच० पी० या 3 एच० पी० की कोई इण्डस्ट्री

लगाता है तो चार-पांच पोल जो भी उसकी इण्डस्ट्री तक बिजली ले जाने के लिए लगाने पड़ते हैं, उसका जितना भी पैसा होता है वह कंज्यूमर से देने के लिए कहा जाता है। इससे पहले उसकी जमीन तक ले जाने का खर्चा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही करता था और जमीन में 30 मीटर तक वायर का खर्चा कंज्यूमर से लिया जाता था। लेकिन अब एच० टी० ओ० हो या एल० टी० ओ० हो, पूरा पैसा कंज्यूमर को ही देना पड़ रहा है। इसीलिए ग्रामों में छोटे-छोटे कारखानों के लिए बिजली लेने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक प्रकार से यह बिजली का कनेक्शन अभिशाप बनकर रह गया है। विशेषकर जो छोटे-छोटे कारखाने वाले होते हैं उनको बड़ी परेशानी होती है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि शेड्यूल (5) जो है उसको निकालना बड़ा जरूरी हो गया है। मैं विशेष रूप से इसके लिए आपके द्वारा अपील कर रहा हूं।

इसके साथ-साथ जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए पैसा दिया जा रहा है उसका उपयोग किसानों के लिए हो रहा है या नहीं—इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का पैसा अगर जेनरेशन में लगाया जाता है तो फिर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या मतलब है ? ग्रामों के विकास के लिए वहां पर बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यदि रूरल एलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन पैसा देता है, उस पैसे का उपयोग यदि बिजली के उत्पादन में किया जाता है तो इसके लिए आप क्या सजा दे रहे हैं ? गांवों में तो किसान बिजली के अभाव में परेशान हो रहा है। आन्ध्र प्रदेश में केवल मेरे ही जिले में कम से कम 30 हजार लोगों को बिजली कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन दिए हुए चार साल हो चुके हैं। बोर्ड वाले 5 हजार से ज्यादा कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं और उसमें भी वन पोल या नो पोल। ट्रांसफार्मर भी वे एरेक्ट नहीं करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रूरल एलेक्ट्रिफिकेशन के लिये जो पैसा दिया जा रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। उस पैसा का सही उपयोग करने के लिए इसकी जांच करना जरूरी है, उसकी आडिट होना जरूरी है ताकि उस पैसे का लाभ किसानों तक पहुंच सके। रूरल एलेक्ट्रिफिकेशन का मेन उद्देश्य यही है कि गांवों में जो किसान हैं या जो छोटे-छोटे कारखानेदार हैं उनको बिजली मिले ताकि आयल इंजन से पानी निकालने में जो ज्यादा कास्ट आती है वह बच सके। इसके लिए बिजली देना जरूरी है। अगर (सी०) फार्म रखने के बाद भी बिजली कनेक्शन मिलने में पांच साल लगते हों तो इसका मतलब क्या है ? इसलिए मैं चाहता हूं कि ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ज्यादा पैसा दिया जाये तथा साथ-साथ उसकी अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। साथ ही किसानों का एप्लीकेशन देने के दो महीने के अन्दर ही कनेक्शन मिल जाना चाहिए।

हमारे यहां आन्ध्र प्रदेश में स्लैब रेट है। वहां चेयरमेन साहब कहते हैं कि हम बिजली नहीं देंगे। वे अपने आप को राजा समझते हैं। वे कहते हैं कि आपको बिजली देने में हमारा नुकसान होता है इसलिए हम देते नहीं हैं। लेकिन वह किसी के बाप की जागीर या माल नहीं है, केन्द्र और राज्य सरकार का पैसा वहां लगा हुआ है। लेकिन वे राजा बनकर बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं इस ऐक्ट में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि (सी०) फार्म देने के बाद कोई भी सरकार या बिजली बोर्ड इन्कार नहीं कर सकता है। अगर टेक्निकल फीजबिलिटी हो तो दो महीने के अन्दर कनेक्शन जरूर मिल जाना चाहिए।

अभी जो संशोधन आया है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो बिजली की चोरी करते हैं उनको पनिशमेंट दिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि यह चोरी एच० टी० कंज्यूमर्स ही करते हैं, किसान बिजली की चोरी नहीं करते हैं क्योंकि उनको तो हार्सली 150 रुपया मंथली ही पड़ता

है जिसको देने के लिए वे तैयार हैं। आपके यहां जितनी भी चोरी या पिलफ्रेज होती है वह इण्डस्ट्रियल हाउेज वाले ही करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले सब गुलाम हैं। जितना तनख्वाह उनको मिलती है, उसका दो गुना ज्यादा वे कारखानों वालों से लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के लिए आप रिसपांसिबल हैं। आप चोरी कैसे पकड़ेंगे ? चोरी आप मीटर देखकर पकड़ेंगे, लेकिन आप उसको चैक नहीं कर सकते हैं। बिल पेमेंट नहीं होता है, तो उसको आप डिसकनैक्ट कर देते हैं। डिसकनैक्ट करते वक्त किसानों को परेशान करते हैं। डिसकनैक्ट के बाद यदि कोई जिबली ले लेता है तो एक-दो रुपया यूनिट के हिसाब से ज्यादा उससे वसूल करते हैं। मैं कहता हूं कि डिसकनैक्ट करते वक्त पंचनामा करना चाहिए। घर पर बैठकर नहीं बोल सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें इसके लिए प्रावधान करना चाहिए।

अब मैं दो-तीन बातों की ओर आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं। आफिस लोग कैसे धन्धा करते हैं, इसकी दो-तीन मिसालें देना चाहता हूं। हमारे यहां इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक लाइन का खर्च 80 लाख था, जो कि नौ करोड़ तक पहुंच गया। आप इमैजिन कीजिए। इसका क्या कारण है ? मैं इंजीनियर का नाम तो नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास जानकारी है कि वह··· ···**·······है। वहां गफला हो गया। विधान सभा में उसके खिलाफ समिति गठित की गई, विचार हो रहा है। वह आदमी फिर एन० टी० पी० सी० में आ गया। वहां आने के बाद उसने···**··· वालों को कुड्डप्पा-बैंगलोर लाइन का प्रोजेक्ट दिया। वही···**···दोबारा काम शुरू किया, जिन्होंने आन्ध्र प्रदेश में नौ करोड़ रुपए लूटने में मदद दी। वहीं एसीस्टेंट इंजीनियर एन० टी० पी० सी० में आकर बस गया। जिन्होंने कान्ट्रेक्ट वहां किया था, वही इंजीनियर इस लाइन को दिया। तीस करोड़ रुपए का नुकसान है। कुड्डप्पा-बैंगलोर लाइन 1984 में कम्पलीट करना था, लेकिन वह कम्पलीट नहीं हुआ। उसके कारण कर्नाटक सरकार को कम से कम 200-300 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। बी० एच० ई० एल० को 75 परसेंट इलेक्ट्रिसिटी कट गया। इंडियन एरोनॉटिक्स का इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया। वह इंजीनियर जो आन्ध्र प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को···**··· के साथ लूटा, जिसके खिलाफ कमीशन चल रहा है, उनको वहां पर लिया गया। इसके बाद ही कान्ट्रैक्टर जिधर जाता है, उधर आदमी जाता है और उसके साथ साया आता है। इसी प्रकार कान्ट्रैक्टर जिधर जाता, उधर एसिस्टेंट इंजीनियर जाता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक करोड़ रुपए का मामला है, नागारजुन-विजयवाड़ा लाइन के लिए 1200 टन स्टील उन्होंने उठा लिया, ज्यादा उठा लिया।

[अनुवाद]

यह गोदाम में रखा था**·······

इस कुडापा-बंगलोर लाइन के लिए प्रयोग किया गया था। वहां आई० सी० एम० आर० नहीं है·······

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : आपको इस बारे में पता लगाना चाहिए था। चोरी करके इलेक्ट्रिसिटी

**कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बोर्ड से लाया, एसिस्टेंट इंजीनियर एक्सेस ड्रा किया, उसका कोई हिसाब नहीं दिया कि कहां से लाया है, कैसे किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि एन० टी० पी० सी० वाले बाहर से चोरी करके माल लगाते हैं, तो आप नहीं देखते हैं। कहां से और कैसे लाकर लगाया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लाइन आने से पहले चार स्तम्भ खत्म हो गए, गिर गए, इसका क्या कारण है? कारण यह कि ठीक ढंग से काम नहीं किया है। यह कान्ट्रैक्टर्स और सरकारी आफिसर के बीच में जो चल रहा है, उसको खत्म करना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। मैंने मन्त्री को बोलने के लिए कहा है।

श्री सी० जंगा रेड्डी : * *

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? केवल मन्त्री···

(व्यवधान)**

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सांसदों की आभारी हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है। अगर ऐसी बातों, जो पिछली बार उठाई गई थीं, को लिखित रूप में दिया जाए। भ्रष्टाचार के उन मामलों को लिखित रूप में दिया जाए जिन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है तो हम उनके बारे में निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे। किसी से कुछ छुपाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अन्य रेड्डी जी या अन्य किसी सदस्य के पास कोई विशेष मामले हैं तो वे हमें लिख सकते हैं और हम निश्चित रूप से जितनी जल्दी सम्भव हो सकेगा उनको तथ्यों से अवगत कराएंगे।

मैं बहुत प्रसन्न हूं कि सभी सदस्यों ने अपने दल का विचार किए बिना इस विधेयक का स्वागत किया है। कुछ सदस्यों ने कहा है कि यह विधेयक अधिक कठोर नहीं है, अधिक कठोर कदम उठाए जाने चाहिए थे, जुर्माना अधिक होना चाहिए था। जेल की सजा अधिक होनी चाहिए थी। कुछ ने कहा कि केवल जेल की सजा होनी चाहिए थी। कुछ ने महसूस किया कि किसानों के लिए यह बहुत कठोर है और किसानों के विरुद्ध इतनी कठोर कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। मैं यह कहना चाहती हूं कि दोनों तरह की बातें कही जा सकती हैं। लेकिन चोरी द्वारा विद्युत की हानि होती है और कोई भी इससे असहमत नहीं होगा कि चोरी को कम किया जाए, इस पर नियन्त्रण

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

किया जाए और इसे समाप्त किया जाए। इसके लिए मैं सभी सदस्यों का पूरा सहयोग चाहती हूं। सरकार का किसी प्रकार भी यह इरादा नहीं है कि छोटे किसानों और उन किसानों जिनके पास कम जमीन है, को तंग किया जाए या उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। लेकिन हमारा इरादा उन लोगों को पकड़ना है जो जानबूझकर तथा बड़े पैमाने पर ऐसा करते हैं। केवल इसी कारण यह विधेयक अभी लाया गया है। लेकिन बाद में अगर यह महसूस किया गया कि विद्युत और ऊर्जा के विभिन्न अन्य पहलुओं को देखते हुए एक अधिक व्यापक विधेयक की आवश्यकता है तो हम इस पर विचार करेंगे और सदस्यों को सन्तुष्ट करने का प्रयास करेंगे। हमने पिछली बार पिछले सत्र में, यह वचन दिया था कि चोरी को रोकने के लिए विधेयक लाया जाएगा और उसी के अनुरूप यह विधेयक लाया गया है। राज्य सभा द्वारा पहले ही इसे पारित कर दिया गया है।

चोरी के किन्हीं विशेष मामलों का उल्लेख करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगी। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं और हम इस सम्बन्ध में गम्भीर हैं, मैं माननीय सदस्यों की बात सुन रही हूं और मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि इसके पीछे किसी सीमा तक कुछ लोगों की अनदेखी अथवा उकसाना है। वे भी इसका एक अंग हैं। मैं इसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करूंगी परन्तु अवश्य ही किसी न किसी जगह कुछ कमी है। और इसी कारणवश मैंने सभी राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों की एक सभा इस महीने की 8 तारीख को दो या तीन दिन के लिए बुलाई है। वे प्रत्येक राज्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों और कैसे है। माननीय सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की हैं इसीलिए हम यह कोशिश करने और देखने योग्य होंगे कि अन्य कौन-कौन से राज्यों का उल्लेख किया गया है और यह देखेंगे कि सम्बन्धित लोगों को झिड़का जाता है उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। इस कार्य को हम समय-समय पर करते हैं परन्तु इनकी भी सीमाएं हैं।

सबसे पहली बात तो यह है कि विद्युत एक समवर्ती सूची का विषय है। यदि कोई माननीय सदस्य यह अनुभव करता है कि यह पर्याप्त कठोर नहीं है तो राज्य सरकार को विधि निर्माण करने से कोई नहीं रोकता, वे अधिक सख्त कदम उठा सकते हैं, वे जुर्माना या जेल की अवधि बढ़ा सकते हैं, जो कुछ भी वे चाहते हैं। हमने सोचा कि जहां तक सम्भव हो केन्द्रीय विधान में एकरूपता होनी चाहिए जो लगभग हम सभी को स्वीकार्य हो। परन्तु यह कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु, यू० पी० या किसी अन्य सरकार को, चोरी की दर को कम करने, इसे नियन्त्रित करने हेतु कोई आवश्यक कदम उठाने से नहीं रोकता। मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करती हूं कि हमें चोरी की दर को 5 से 7 प्रतिशत तक अवश्य कम करना चाहिए। इस सम्बन्ध में, मैं माननीय सदस्यों से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि हमें अधिक चेतना अधिक सहयोग की आवश्यकता है। हमें लोगों को यह समझाने के लिए कि ऊर्जा का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है जितना अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पादन संचार माध्यमों का अधिक उपयोग करना चाहिए।

ऊर्जा का उत्पादन एक बड़ी पूंजी निवेश की बात है। हम हिसाब लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ज्ञात हुआ कि एक मेगावाट बिजली के उत्पादन की लागत लगभग एक करोड़ रुपया आती है। संयन्त्र की क्षमता को एक प्रतिशत बढ़ाने का अभिप्राय है, 450 मेगावाट बिजली का उत्पादन जिसकी लागत लगभग 500 करोड़ रुपए आएगी। इसीलिए हम बिजली संयन्त्रों को शीघ्र ही चालू करने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसके साथ-साथ जो ऊर्जा हमारे पास उपलब्ध है उसे

बचाने और संरक्षित करने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए। सातवीं पंचवर्षीय योजना में आधुनिकीकरण के लिए 500 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। हमने 32 विद्युत केन्द्र स्थापित किए हैं जिनमें आधुनिकीकरण का कार्य चल सकता है। मैं सोचती हूं कि इसी समय पारेषण और वितरण हानियों को भी पूरा किया जा सकता है।

यह देखने के लिए कि इसमें जनता को भी शामिल किया जा सकता है मैं सभी संसद सदस्यों से अपील करती हूं। हम सभी के माध्यम से यह हो सकता है कि हम सभी नागरिकों को जहां तक सम्भव हो ऊर्जा बचाने के लिए समझाएं।

मुझे बहुत साल पहले का एक उदाहरण याद है जब मैं एक छोटी बच्ची थी। मेरे माता-पिता से एक ने मुझसे पूछा कि लालटेन और बिजली की बत्ती में क्या अन्तर है। मुझे इससे यह प्रमुख तथ्य समझ में आ गया था कि बिजली के लैम्प में हम बिजली जलाते-बुझाते हैं परन्तु लालटेन के सम्बन्ध में थोड़ी-सी प्रक्रिया करनी पड़ती है।

यदि हम इस प्रकार विद्युत को संरक्षित करके, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कुछ ऊर्जा बचा लेते हैं तो वह उन लोगों के काम आ सकती है जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है अन्ततः यह ग्रामीण लोगों के काम आएगी।

मूल तथ्य पर आते हुए मेरा कहना है कि विद्युत आवश्यक है। बिजली केवल जीवन रेखा के लिए ही आवश्यक नहीं है अपितु सामाजिक-आर्थिक उन्नति के लिए भी आवश्यक है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि सातवीं योजना में आर्थिक वृद्धि की दर को 5% आंका गया है और बिजली, ऊर्जा की वृद्धि दर लगभग 12% होगी। हम पिछले वर्ष की 170 बिलियन इकाइयों से उसे 190 बिलियन इकाई तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी वास्तव में आगे इससे भी बहुत अधिक है।

हमारे पास अधिक धन नहीं है जैसा श्री डागा ने उचित रूप से कहा है। हमें अधिकाधिक धन की आवश्यकता है। इसीलिए हम यह कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास इसके लिए अधिक धन हो। कुछ लघु निजी 'केप्टिव' संयन्त्रों को मंजूरी की आवश्यकता नहीं है उन्हें राज्य-स्तर पर मंजूरी दी जा सकती है और बाद में यदि क्षमता अधिक हो जाए तो सी० ई० ए० सामने आ सकती है।

इसी समय हम ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोतों को ढूंढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में तापीय और पन-बिजली के मिश्रण से भी स्वरूप में अन्तर हुआ है। हम यह देखेंगे कि पन-बिजली का अनुपात धीरे-धीरे बढ़ता है ताकि देश में उपलब्ध पानी की क्षमता का पूरा लाभ उठा सके।

हम ईंधन बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आज समुन्द्री लहरों के सम्बन्ध में प्रश्न था। समुन्द्री लहरों द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को हम प्रयोग में ला सकते हैं। ज्वारीय तरंग, सौर-ऊर्जा, बायोगैस आदि सभी कारकों को ध्यान में रखा गया है ताकि देश में उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा जीवन के सम्पूर्ण विकास एक सुधार के काम आ सके। क्योंकि बिजली केवल प्रकाश के लिए ही आवश्यक नहीं है अपितु बिजली वह वस्तु है जो व्यक्ति के मन और हृदय को उम्मीद प्रदान करती है और जन-जीवन के लिए नई आशा लाती है।

बिजली बोर्ड के सम्बन्ध में विशेष सुझावों के बारे में जहां तक हमें ज्ञात हुआ है हम वास्तव में आज जैसी स्थिति है कानूनों को लागू नहीं कर पाए हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह (महेन्द्रगढ़) : मैं एक प्रश्न पूछूंगा। महोदया आपने राज्यों में बिजली बोर्डों की क्षमता बढ़ाने और भ्रष्टाचार मिटाने का आश्वासन दिया है। क्या राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में भी आपको कुछ कहना है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : ये वैधानिक निकाय हैं। मैं समझती हूं कि माननीय मन्त्री जो बहुत समय तक मन्त्री रह चुके हैं, इस सम्बन्ध में अधिक जानते हैं। वे वैधानिक संस्थाएं हैं। परन्तु हम राज्य सरकारों को भी बिजली बोर्डों के साथ अच्छा समन्वय बनाए रखने के लिए कहते हैं।···

एक माननीय सदस्य : आपका कोई नियन्त्रण नहीं है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं यह नहीं कहती कि कोई नियन्त्रण नहीं है······

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैंने 24-5-86 को चेयरमैन थरमल पावर कमीशन को पत्र लिखा था। अभी तक कोई जवाब नहीं आया।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं आपसे एक छोटा-सा निवेदन करूं कि आपको अगर दो-चार-छः शिकायतें हों तो कृपया लिखित रूप में दें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

महोदय, मैं अब इसका उत्तर नहीं दे सकती। उनकी शिकायत मुझ तक आने दीजिए। परन्तु महोदय जहां तक सम्भव है हम इन नियमितताओं के अन्तर्गत कार्य को नियन्त्रित करने की कोशिश कर रहे हैं।

महोदय, राजस्थान से किसी ने उल्लेखनीय सुझाव दिया है कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना वहां भली प्रकार नहीं चल रही है। मैं यह चाहूंगी कि जिन माननीय सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया था, उन्हें ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत अधिक योजनाएं लानी चाहिए ताकि उन्हें भी शामिल किया जा सके।

हम कर्मचारियों को अधिक प्रशिक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशिक्षण के बिना संचालन का रख-रखाव अत्यन्त कठिन है। व्यक्तियों के अच्छे प्रशिक्षण के सम्बन्ध में विस्तार से जानने के लिए हमें बहुत उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की थी और इसकी बहुत-सी सिफारिशों को लागू किया जा रहा है।

तालचेर के सम्बन्ध में यह है कि पर्यावरण की दृष्टि से इसे मंजूरी की प्रतीक्षा है। यह केन्द्रीय क्षेत्र में है। इसे केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण से अनुमति मिल चुकी है। इसकी क्षमता 1000 मेगा-वाट है परन्तु पर्यावरण की दृष्टि से अनुमति का इसे इन्तजार है। यहां पश्चिमी बंगाल से कोई दिखाई नहीं देता वरना मैं उनकी स्थिति के बारे में भी बता देती।

गोआ में विद्युत स्थिति के बारे में किसी ने उल्लेख किया है। हमें ज्ञात हुआ है कि कोयले

की सम्बद्धता और प्रदूषण के पहलू के कारण गोआ में विद्युत संयंत्रों को लगाने में कठिनाईयां हैं। हम इसकी दर्शनीय सुन्दरता को बिगाड़ना नहीं चाहते परन्तु इसके साथ-साथ केन्द्रीय क्षेत्र से गोआ की विद्युत की मांगों की पूर्ति के लिए विद्युत का आबंटन हुआ है जैसे रामगुंडम और कोरबा से ताकि इसकी सुन्दरता को बनाए रखा जा सके और साथ-साथ विद्युत की कमी को भी पूरा किया जा सके।

बहुत से सदस्यों ने नाभिकीय विद्युत के उत्पादन का उल्लेख किया। योजना काल के अतिरिक्त नाभिकीय क्षमता 705 मेगावाट होगी। हमारा यह प्रयत्न होगा कि इस शताब्दी के अन्त तक 10,000 मेगावाट नाभिकीय उर्जा का उत्पादन किया जा सके। इससे उस कमी का कुछ भाग पूरा हो जाएगा जो आज हमारे सामने है।

इसके अतिरिक्त मैं समझती हूं कि बहुत-सी बातें एक नए व्यापक विधेयक को लाने के लिए कही गई थीं और साथ-साथ यह भी देखने के लिए कि भ्रष्टाचार को कैसे कम किया जाए। मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं। जैसा मैंने पहले ही कहा है हम इन सभी समस्याओं की जांच करेंगे और यह देखेंगे कि अधिक नियन्त्रण कैसे रखा जाए। यह देखने के लिए कि सम्पूर्ण कार्य में कैसे सुधार हो, हम सभाएं आयोजित करेंगे, जगह-जगह जाएंगे, जो माननीय सदस्यों की आशाओं के अनुकूल हो। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों का धन्यवाद करती हूं और मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे इस संशोधन अधिनियम को स्वीकार करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा खण्डवार विचार करेगी। खण्ड 2 में कुछ विशेष संशोधन हैं। डा० चिन्ता मोहन उपस्थित नहीं हैं। श्री मूल चन्द डागा।

खण्ड 2—धारा 39 के लिए नई धारा का प्रतिस्थापन

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 8,—

"किसी ऊर्जा को" के पश्चात्, "जानबूझकर" अन्तःस्थापित किया जाए। (3)

पृष्ठ 1, पंक्ति 8,—

"जो कोई" के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"विद्युत प्राधिकरण को हानि पहुंचाने के लिए विद्युत या" (4)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे खयाल से मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है, उससे इस बिल का सम्बन्ध समझ में नहीं आया । (व्यवधान) आपने कहा कि कांप्रीहेंसिव बिल लेकर आएंगे, यह अलग बात है, लेकिन जो भी बिल लाया जाए उसे मेहरबानी करके देख लिया जाए । हमारा अमेंडमेंट देने का परपज यह नहीं है कि हम अमेंडमेंट देना चाहते हैं, आपने अपनी स्पीच में कहा है कि "इफ० ए० मैन नोइंगली कमिट्स एन अफेंस," मैंने यही वर्ड यूज किया है, "हूएवर नोइंगली कमिट्स एन अफेंस", अगर आप नोइंगली नहीं कहेंगे तो ये लोग जो कास्तकार हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए कुछ करते नहीं हैं ।

1.00 म० प०

हम तो कहते हैं कि चोरी करने वाले कोई और नहीं, आप के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग ही हैं । ये ही ज्यादा मात्रा में बिजली की चोरी करते हैं या करवाते हैं । यदि वह चोरी हमारे ऊपर डाल देंगे, वह हम कहेंगे "नोइंगली", जिस शब्द को आपने अपने भाषण में कहा । उपाध्यक्ष महोदय, मेरे अमैंडमैंट देने के पीछे एक ही भावना है कि अगर कोई यह प्रिज्यूम करता है, किसी का गिल्टी इन्टैंशन होगा, अगर वह जान-बूझ कर गलती करेगा कि मैं जानता नहीं था इसलिए गलती हो गई, उदाहरण के लिए इस रास्ते से मुझे नहीं जाना है, एन्ट्री नहीं है या बोर्ड लगा हुआ नहीं है, और मैं उस रास्ते से निकल जाता हूं तो नोइंगली मैं गलती नहीं कर रहा हूं क्योंकि नोइंगली का मतलब होता है : गिल्टी इटेंशन : नोइंगली का परपज यही होता है कि गिल्टी इटेंशन : और जब गिल्टी इटेंशन नहीं होगा तो वह ऑफेन्स की श्रेणी में नहीं आएगा । मैंने अपने अमैंडमैंट के जरिए यही बात कही है कि पावर की चोरियां आपके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के कर्मचारी ही कर रहे हैं और करते हैं । यदि आप सारे हिन्दुस्तान में देखें तो 70 प्रतिशत आदमी पढ़े-लिखे नहीं हैं और वे ही बेगुनाह लोग इस कानून के द्वारा मारे जाएंगे । इसीलिए मैंने अपनी अमैंडमैंट में थोड़ा स्पष्ट करने के उद्देश्य से बात कही है ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप किस प्रकार से साबित कर सकते हैं कि यह जानबूझकर किया गया है या अनजाने किया गया है ?

श्री मूल चन्द डागा : यदि मैं एक घर किराए पर लेता हूं और मैं अनजाने बिजली के साथ छेड़छाड़ करता हूं तो उसकी उपेक्षा की जानी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु उसका किस प्रकार से पता लगाया जाए ?

श्री मूल चन्द डागा : लेकिन यदि मैं इसे जान-बूझकर करता हूं तो यह अपराध है ।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : परन्तु आपको जानबूझ कर इसे बताना चाहिए ।

श्री मूल चन्द डागा : यह अपराधी मनोवृति है । "जानबूझकर" अर्थात् जब आपके पास अपराधी भावना है इसलिए मैंने सुझाव दिया है कि 'जान-बूझकर' का अन्तःस्थापन किया जाना चाहिए ।

दूसरी बात, किस चीज की चोरी की जायेगी ? आपने 'ऊर्जा' रखा है : ऊर्जा का कुछ भी

मतलब हो सकता है। ऊर्जा का मतलब बिजली से नहीं है। यह विशेष रूप से बिजली होनी चाहिए। यहां भारतीय विद्युत अधिनियम में एक संशोधन है। इसलिए मैंने कहा कि 'बिजली' विशेष रूप से उल्लेखित की जानी चाहिए। इस कारण मैंने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है।

[हिन्दी]

अभी तक आप यह नहीं बता सके कि आप इस कानून के पास हो जाने के बाद गवर्नमेंट का कितना रुपया बचा लेंगे। यदि मन्त्री जी इस कानून को लाने से पहले यह स्पष्ट कर देते कि इसके कारण इतनी बिजली की चोरियां पकड़ी जाएंगी या सरकार का इतना रुपया बच जाएगा तो मैं मान लूंगा कि आपने कानून बनाते हुए यह सोच लिया था कि इतना सरकार रुपया बचा पायेगी।

मेरा मतलब यही था कि इस कानून के पास होने के बाद केवल प्रौसीक्यूशन में ही सरकार का काफी रुपया खर्च हो जाएगा, दूसदे केस लड़ने में ही काफी समय निकल जाएगा। एक काश्तकार को दो-दो और तीन-तीन साल तक कोर्ट के चक्कर काटने होंगे। क्या आजकल इलेक्ट्रिसिटी की चोरियां नहीं होती हैं यद्यपि कानून बना हुआ है। अब क्या होता है कि आपका विभाग अपने चार्जेज ले लेता है, जुर्माना ले लेता है, दण्ड ले लेता है। अब आप इस कानून के द्वारा उसको ओफेंस बना रहे हैं और सारे प्रकरण को कोर्ट में ले जाना चाहते हैं। क्या आपने उससे पहले यह भी सोचा है कि कोर्ट में केस ले जाने से उसका फेट क्या होता है। कोई केस दो साल में डिसाइड होता है, कोई चार साल में भी नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको तो यह काम जल्दी करवाना है और बिल को जल्दी पास करवाना है। लेकिन इसके साथ आप यह सोचिए कि एक छोटे से मुकदमे के कारण कितने लोगों को कोर्ट में जाना होगा, कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे। क्या मन्त्री जी यह बताएंगे कि इससे कितना रुपया सरकार बचा लेगी। प्रौसीक्यूशन में जाने से, क्या आपको पता है कि आपके इंस्पैक्टर और विटनैस आदि पर कुल कितना खर्चा होगा।

जहां तक लोगों के पकड़े जाने का प्रश्न है, मैंने अपनी कुछ फीगर्स भी प्रस्तुत की हैं जिनमें कहा गया है कि 44000 में से 200 आदमी पकड़े गए या कन्विक्ट हुए। फिर आप किस उद्देश्य से यह प्रावधान ला रहे हैं। आज यदि कोई काश्तकार चोरी करता है या कोई दूसरा व्यक्ति चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो वह अपने आप जुर्माना देता है, फिर आप किस उद्देश्य से इस अमेंडमेंट बिल को लाये हैं। इन बातों को देखते हुए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मेहरबानी करके जब काम्प्रीहैन्सिव बिल लाना चाहें, ले आयें, लेकिन इस समय इस बिल को आप विदड्रा कर लें तो अच्छा रहेगा।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मुझे खुशी है कि डागा साहब ने कम से कम एक बात को तो इस बिल में अच्छा कहा कि हम शीघ्र ही एक काम्प्रीहैन्सिव बिल लाने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि इससे कितना रुपया हमें मिलेगा, उसको क्वान्टिफाई करना किसी के लिए भी आसान नहीं है परन्तु इस बिल को लाने का हमारा उद्देश्य यही है कि चोरी करने वालों के दिल में एक डर की भावना पैदा कर दी जाए, पावर की चोरी करने वाली जितनी बड़ी आसामियां हैं, उनके मन में आशंका पैदा कर दी जाए कि यदि वे बिजली की चोरी करेंगे तो उनके विरुद्ध कार्यवाही होगी, उनको जेल भी भेजा जा सकता है, उन पर फाइन भी किया जा सकता है, दण्ड भी मिल सकता है और इस तरह उनकी

इज्जत का प्रश्न भी उठ सकता है। यदि राजस्थान अथवा अन्य कोई राज्य इससे आगे बढ़ कर कुछ प्रावधान करना चाहे तो डागा जी अपने राज्य में इससे भी आगे बढ़कर कुछ प्रावधान करा लें। परन्तु इस अमैंडमैंट बिल को लाने के पीछे हमारा उद्देश्य इतना ही है कि बिजली की चोरी करने वालों के दिल में डर की भावना पैदा कर दी जाए, उनको सामाजिक रूप से कोई धक्का पहुंचे। इसलिए जो प्रावधान इस बिल में किए गए हैं, वे सर्वथा उचित हैं।

जहां तक आपका कहना है कि चोरी के काम में ज्यादातर बिजली विभाग के कर्मचारी ही लगे हुए हैं, या वे ही चोरियां कर रहे हैं, मैं मानती हूं कि उनमें से कुछ जरूर इसमें शामिल होंगे, यदि आपको किसी के विरुद्ध शिकायत है तो आप हमें बताइए, नाम के साथ बताइए कि वह ऐसी गलती कर रहा है, उसको जरूर एक्सपोज किया जाना चाहिए और उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। परन्तु सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य बहुत से लोग चोरी के कार्य में शामिल हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्य से चाहती हूं कि वे अपनी अमैंडमैंट को वापस ले लें क्योंकि "व्हूसोएवर" शब्द सभी के लिए लागू होता है।

[अनुवाद]

श्री मूल चन्द डागा : महोदय, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी पर तब तक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जब तक कि अनुमति नहीं मिल जाती।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने संशोधनों को वापस लेते हैं?

श्री मूल चन्द डागा : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अपना संशोधन वापस लेने के लिए सदस्य महोदय श्री डागा को सभा की अनुमति है?

कई माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन संख्या 3 और 4, सभा की अनुमति से, वापस लिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3—धारा 44 का संशोधन

श्री मूल चन्द डागा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 13,—

"किसी" के पश्चात् "चालू" अन्तःस्थापित किया जाए। (5)

एक माननीय सदस्य : इसका क्या लाभ है ? फिर भी आप अपने संशोधन वापस ले रहे हैं।

श्री मूल चन्द डागा : इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल होना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह श्री डागा को बोलने का कुछ अवसर मिल जाता है ।

श्री मूल चन्द डागा : महोदय, मैं इस संशोधन में प्रस्ताव करता हूं कि शब्द "चालू" को अन्तःस्थापित किया जाना चाहिए । मैं इसे इसलिए कहता हूं क्योंकि यदि कोई इस प्रकार की लाइन है जिससे बिजली नहीं गुजरती है तो वह लाइन काम नहीं करेगी । इसलिए मैंने कहा कि यह शब्द 'चालू' को उसमें होना चाहिए ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : महोदय, मुझे और कुछ नहीं कहना है और मैं समझती हूं कि वह पहले से ही इसे वापस लेने के लिए सहमत है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या अपना संशोधन वापस लेने के लिए सदस्य महोदय को सभा की अनुमति है ?

कई माननीय सदस्य : जी हां ।

संशोधन संख्या 5, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 4 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

1.10 म० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य),* 1986-87

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 9—बजट (सामान्य), 1986-87 के सम्बन्ध में अनुपूरक अनुदानों की मांगों को चर्चा और मतदान के लिए लेंगे।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य-सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले वर्ष में सदस्य के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक सम्बन्धित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं :

मांग संख्या 2, 3, 19, 21, 22, 25, 29, 30, 33, 34, 36, 40, 42, 53, 61, 64, 80, 85, 86, 91, 93, 95 और 97।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए वर्ष 1986-87 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
कृषि मन्त्रालय			
2.	कृषि	15,00,00,000	...
3.	मीन उद्योग	...	25,00,00,000
रक्षा मन्त्रालय			
19.	रक्षा सेवाएं-थल सेना	245,00,00,000	...
21.	रक्षा सेवाएं-वायु सेना	100,00,00,000	...
22.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	55,00,00,000

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

1	2	3	
गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग			
25.	गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग	14,00,00,00	1,00,00,000
विदेश मन्त्रालय			
29.	विदेश मन्त्रालय	25,08,60,000	...
वित्त मन्त्रालय			
30.	वित्त मन्त्रालय	11,22,36,000	...
33.	आयकर, सम्पदा शुल्क, धनकर और दान कर	...	30,00,00,000
34.	स्टाम्प	...	4,50,00,000
36.	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल	25,00,000	85,61,00,000
40.	वित्त मन्त्रालय का अन्य व्यय	4,000	385,76,75,000
खाद्य और पूर्ति मन्त्रालय			
42.	खाद्य विभाग		2,000
गृह मन्त्रालय			
53.	दिल्ली	...	80,00,00,000
मानव संसाधन विकास मन्त्रालय			
61.	कला और संस्कृति	1,50,00,000	...
उद्योग मन्त्रालय			
64.	उद्योग	70,00,00,000	...
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय			
80.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	76,50,000	...
इस्पात और खान मन्त्रालय			
85.	खान विभाग	...	50,50,00,000
वस्त्रोद्योग मन्त्रालय			
86.	वस्त्रोद्योग मन्त्रालय	33,60,00,000	24,32,00,000
परिवहन मन्त्रालय (रेलवे को छोड़कर)			
91.	विमानन	...	53,49,00,000

1	2	3	
शहरी विकास मन्त्रालय			
	93. लोक निर्माण	...	1,42,89,000
	95. आवास और शहरी विभाग	...	2,21,80,000
जल संसाधन मन्त्रालय			
	97. जल संसाधन मन्त्रालय	10,00,000	...

व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : महोदय, इस मद को लेने से पहले मैं संशोधन करने के बारे में एक संक्षिप्त वक्तव्य देना चाहता हूं। इस पुस्तिका में जिसमें अनुपूरक अनुदानों की मांगें हैं, उसमें मैं कुछ छपाई की त्रुटि को प्रस्तुत करना चाहता हूं। पृष्ठ 16 पर अन्तिम वाक्य में बताई गई धनराशि 98.84 करोड़ रुपए के स्थान पर 98.84 लाख पढ़ी जानी चाहिए। यह केवल छपाई की गलती है। मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब डा० कल्पना देवी।

डा० टी० कल्पना देवी (वारंगल) : सबसे पहले, मैं कहना चाहती हूं कि संसद के सामने अनुपूरक अनुदानों की मांगों को आने की महज प्रक्रिया वह भी वार्षिक बजट को स्वीकार करने के कुछ महीने बाद, ठीक नहीं है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि संविधान इसके लिए व्यवस्था करता है परन्तु इसका यह मतलब नहीं है कि प्रत्येक वर्ष इसका सहारा लिया जाएगा। यह आकस्मिकता प्रावधान है परन्तु व्यवहार में यह बजट की तरह वार्षिक घटना बन गई है।

मुझे बताया गया है कि चिन्तामणि देशमुख और टी० टी० कृष्णानामाचारी जैसे विद्वान वित्त मन्त्री अनुपूरक अनुदानों की मांगें पसन्द नहीं करते थे। इस प्रक्रिया से बजट सम्बन्धी अनुशासन में ढील का संकेत मिलता है। इससे पता चलता है कि वित्त मन्त्रालय का बजट अनुभाग उचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है। वर्ष बाद अनुपूरक अनुदानों की मांगें प्रस्तुत करता है जिससे बजट तैयार करने में अव्यवस्थित संकेत मिलता है। वार्षिक विवरण तैयार किया जाता है और कच्चे कार्य जैसे कार्यों को एक ही समय एक ही ढंग से एकीकृत नहीं किया जाता है। सूखे द्वारा प्रभावित अफ्रीकी देशों को सहायता जैसे आकस्मिक घटना के लिए व्यवस्था करना को कोई भी समझ सकता है। अनुपूरक मांगों में इसके लिए 25 करोड़ देने की व्यवस्था के लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दो वर्षों से वहां सूखा था लेकिन सरकार ने उन देशों की सहायता के लिए हाल ही में निर्णय लिया। हम निर्णय का स्वागत करते हैं। देर आए दुरस्त आए। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं इस विशेष मांग के लिए वोट देती हूं :

परन्तु रक्षा मन्त्रालय के लिए 400 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि किस आधार पर पूछी जा रही है जबकि पिछली मई में संसद द्वारा लगभग 6000 करोड़ रुपए का मतदान हुआ था। क्या इस पर बाद में विचार किया गया है ? अतिरिक्त अनुदान के लिए दिए गए कारण दिलचस्प हैं परन्तु वे अधिक नहीं बताते हैं। यह कहा गया है कि नौसेना जहाजों, मशीनरी और आयुद्ध कारखानों के उपकरण के साथ अनुसन्धान तथा विकास कार्य भी अनुपूरक मांगों के लिए उत्तरदायी हैं। क्या वार्षिक बजट तैयार होने के बाद पिछले कुछ महीनों मे आवश्यकताएं प्रकाश में आई, क्या इन सभी

आवश्यकताओं के बारे में रक्षा मन्त्रालय को अचानक विचार आया था ? यदि हां, तो यह हमारी रक्षा योजना को घटिया रूप से बताता है। रक्षा सेवाओं के लिए उपकरणों को प्राप्त करना सब्जियों को खरीदने की तरह नहीं है। आप केवल यह नहीं कहते हैं "मैंने इसे शैल्फ पर पाया है और इसको खरीदने के लिए अधिक पैसे की आवश्यकता है।" दूसरी बात, रक्षा उपकरणों को खरीदने में लम्बा समय लगता है। अत: मैं नहीं जानती कि इसे अनुपूरक भागों में क्यों शामिल किया गया है। क्या वे अगले बजट तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते या यह रक्षा बजट को बांटने का प्रयास है ?

वित्त मन्त्री ने बजट तैयार करने और उसके प्रस्तुतीकरण में कई नये परिवर्तन किए हैं। उन्होंने कुछ और नवीन प्रवर्तन करने का वायदा किया है। मैं बहुत प्रसन्न हूंगी अगर उनमें से एक अनुपूरक मांगों की प्रथा को समाप्त करने के बारे में हो।

अनुदानों की अनुपूरक मांगों की अन्य मदों में से एक मद विदेशों से 66 करोड़ रुपए के सिक्कों के आयात से सम्बन्ध रखती है।

यह फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रथा है। छोटे सिक्कों के निर्माण में कोई उच्च प्रौद्योगिकी अन्तर्ग्रस्त नहीं है। एक देश जिसने रॉकेट और अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों मे इतनी अधिक उन्नति कर ली है, उसके लिए छोटे सिक्कों को ढालना कोई मुश्किल बात नहीं है। वास्तव में मुद्रा और सिक्कों को ढालना प्रभुसत्ता का द्योतक है। जब पिछले वर्ष छोटे सिक्कों को बाहर से आयात करने का निर्णय किया गया था तो हमने सोचा कि यह एक अपवाद होगा लेकिन अनुपूरक मांग की भांति यह एक वार्षिक घटना हो गई है। हम महसूस करते हैं कि जब से बजट को तैयार किया जा रहा है अनायास ही सरकार ने महसूस किया है कि छोटे सिक्कों की ओर कमी हो गई है और उसने तुरन्त 66 करोड़ रुपए की लागत के छोटे सिक्के आयात करने का निर्णय किया। अत: इसके लिए अनुपूरक मांगों की आवश्यकता है। क्या इससे अधिक हास्यास्पद कोई और बात हो सकती है ?

सलेम इस्पात संयन्त्र को छोटे सिक्के ढालने के लिए धातु के निर्माण हेतु तैयार किया गया था और यह भी बताया गया था कि विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई थी। इससे इस इस्पात संयन्त्र को कुछ काम मिल जाता। जबकि इसके पास पहले ही क्रयादेशों की कमी है। लेकिन यह प्रस्ताव नामंजूर कर दिया गया। अब विदेशों से सिक्कों का आयात किया जा रहा है। एक बार की कमी को पूरा करने के लिए नहीं अपितु हर वर्ष ऐसा किया जा रहा है। हमारी आत्म-निर्भरता की इससे क्या झलक मिलती है ?

कुछ अन्य ऐसी मदों को भी अनुपूरक मांगों में शामिल किया है जिन्हें सामान्य बजट में शामिल किया जा सकता था। आयकर विभाग के कार्यालय और रिहाइशी भवनों के लिए भूमि खरीदना उनमें से एक है।

कपास उत्पादन के लिए समर्थन मूल्य देने सम्बन्धी योजना के अनुसार सरकार के लिए यह बेहतर होता यदि वह फसल की बुवाई से पहले गन्ने, तम्बाकू तथा अन्य वस्तुओं के लिए समर्थन मूल्य घोषित कर देती। ऐसा करना किसानों के लिए अधिक उत्पादन करने के लिए एक प्रोत्साहन होगा परन्तु इसकी बजाय सरकार का संसद के समक्ष यह तर्क पेश करना कि कपास का उत्पादन अधिक हुआ है जिसका बजट बनाते समय अनुमान नहीं था और इसलिए सब्सिडी देने के लिए और अधिक धन की आवश्यकता है, एक बेढंगी बात लगती है। बाढ़ रक्षा कार्य के लिए राज्यों को

सहायता देने का भी प्रावधान है। अगर आन्ध्र प्रदेश का अनुभव एक संकेत है, जब राज्य में सूखा पड़ा था तो केन्द्रीय दल सर्वेक्षण करने के लिए कई महीने बाद गया जबकि'''वहां बरसात शुरू हो गई थी और वहां बाढ़ आई हुई थी। अगर कार्य करने का यही ढंग है तो मैं नहीं जानता कि इस प्रयोजन के लिए अनुपूरक मांग की क्या आवश्यकता है।

1.16 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

अन्तिम बात यह है कि इन्दिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के लिए 1.50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सदन स्वर्गीय प्रधानमन्त्री की याद को सम्मान देता है जिसमें मैं भी भागीदार हूं। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि इसे क्रमबद्ध ढंग से नहीं किया जा रहा है। यह राष्ट्र का कर्तव्य है कि वह अपने नेताओं का विशेषतया दिवंगत नेताओं का उचित ढंग से सम्मान करें। इसका यह अर्थ नहीं है कि बहुत अधिक स्मारकों को खड़ा किया जाए। वाशिंगटन में आरलिंगटन मेमोरियल है जहां प्रमुख व्यक्तियों को दफनाया जाता है और उनकी कबरों को सम्मान दिया जाता है। हम ऐसा नहीं कर सके क्योंकि महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्र पिता थे, स्वतन्त्रता प्राप्ति के शीघ्र बाद ही स्वर्ग सिधार गए थे। अब स्वतन्त्रता प्राप्ति के 40 वर्ष पश्चात्, हमें सभी नेताओं के लिए, जिन्होंने राष्ट्र को बनाया है, के लिए राष्ट्रीय मेमोरियल बनाने के विषय में सोचना चाहिए।

श्री के० पी० सिंह देव (ढेनकनाल) : श्रीमन्, मैं 1318.40 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च की अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं लेकिन वास्तव में यह अतिरिक्त व्यय 663.89 करोड़ रुपए का होगा जैसा कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की प्रारम्भिक टिप्पणियों में बताया गया है।

अनुदानों की मांगों में जाने से पहले, मैं एक कहावत का उल्लेख करना चाहूंगा अगर आप किसी व्यक्ति के समक्ष गलत बोलते हैं तो क्षमायाचना कीजिए और अगर आप किसी महिला के सामने ठीक बोलते हैं, तो क्षमायाचना कीजिए। इसलिए माननीय सदस्या, जो अभी मेरे से पहले बोली हैं, से मेरा मतभेद है जिन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि ये अनुपूरक मांगों अनापशनाप तरीके से तैयार की गई हैं और वित्त मन्त्रालय ने अपना गृह कार्य ठीक प्रकार से नहीं किया है। मुझे विश्वास है कि उनकी पार्टी जो कि दक्षिण के एक राज्य में सत्ता में है, को इस बात का ज्ञान है कि बजट प्रस्तावों के बिना जबकि कुछ खर्चे जिसका उस समय अनुमान नहीं लगाया जा सका और 31 मार्च से पहले जबकि कई वित्त विधेयकों को संसद द्वारा पास करना होता है, अनुपूरक अनुदानों की मांगें बहुत आवश्यक होती हैं अन्यथा सरकार को चलाने में कठिनाइयां हो सकती हैं। मुझे विश्वास है कि राज्यों में हमारे सहयोगी भी इसी तरह की समस्या का सामना कर रहे होंगे जैसे यहां हमारे वित्त मन्त्री को 7000 लाख लोगों की बहुमुखी समस्याओं को देखना पड़ता है।

सरकार द्वारा लाई गई किसी भी चीज की आलोचना करना संसद में सामान्य प्रवृत्ति है। चाहे वे अनुदानों की मांगें ही क्यों न हो। मैं भी पहले आलोचक रहा हूं लेकिन अब कथनों की सच्चाई और अनुभव को देखते हुए महसूस करता हूं कि कभी-कभी अनुदानों की अनुपूरक मांगों, जिनको कुछ कठिनाइयों के कारण 31 मार्च अर्थात् वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले नहीं पेश

किया जा सकता, का सहारा लेना जरूरी हो जाता है। मुझे विश्वास है कि मन्त्री जी हमें विश्वास में लेंगे और बताएंगे कि उन्हें ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा।

1318.40 करोड रुपए की इन अनुपूरक मांगों में से 6.06 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकारों को बायोगैस और चूल्हों के विकास और बाढ़ नियन्त्रण के लिए ऋण सहायता के रूप में दी जाएगी। मुझे विश्वास है न तो सदन के उस तरफ से महिला सदस्या को और न ही सदन के किसी अन्य सदस्य को सरकार मे इस बारे में आपत्ति है क्योंकि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करना देश के लिए बहुत जरूरी है। ऊर्जा के नवीन स्रोत खोजना तथा खाना पकाने के तरीके में सुधार करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस समय देश में पर्यावरण प्रदूषण बहुत अधिक हो रहा है। इस पर्यावरण प्रदूषण से सूखा, अभाव और बाढ़ की स्थिति पैदा हो रही है। फलस्वरूप अल्प संसाधनों को विकास की बजाय अनोत्पादक कार्यों पर खर्च करना पड़ता जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। हम देखते हैं कि प्रति वर्ष ईंधन, चारे और खाद्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्रमबद्ध तरीके से वनों को नष्ट किया जा रहा है। इसलिए यह और बाढ़ नियन्त्रण के लिए ऋण सहायता देना बहुत प्रशंसनीय उद्देश्य है।

मैं बाद में इस विषय पर आऊंगा—राज्यों की समस्याएं जो मेरे राज्य जैसी हैं जहां प्राकृतिक विपदाएं आती हैं और प्रत्येक वर्ष केन्द्र और राज्य सरकारों को किस तरह से प्राकृतिक विपदाओं का सामना करना पड़ता है। केवल वित्तीय सहायता और राहत देकर ही लोगों को संकट से नहीं बचाया जा सकता अपितु उनको विनाश और तबाही से बचाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर कदम उठाने पड़ेंगे।

केन्द्र शासित सघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के लिए 80.05 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। यहां भी भूमि अर्जन के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा यह बहुत अनिवार्य खर्च है। जब सामान्य बजट बनाया जा रहा था, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सका और इसलिए मेरा इस पर कोई विवाद नहीं है।

अब हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भारतीय हेलीकोप्टर निगम और भारत एल्युमीनियम कम्पनी में निवेश पर आते हैं। सरकार ने हेलीकॉप्टर निगम स्थापित करने का निर्णय किया है क्योंकि हेलीकॉप्टर परिवहन का आधुनिक तरीका है। इनको देश के तटवर्ती तथा दूरस्थ क्षेत्रों में जहां परिवहन की सुविधाएं नही हैं सुगमता से प्रयोग में लाया जा सकता है। इसलिए इनका प्रयोग बहुत आवश्यक है। इस सम्बन्ध में भारत एल्युमीनियम कम्पनी ने काफी पूंजी निवेश किया है और उसे बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

इसके बाद नौवहन विकास निधि समिति को मछलियां पकड़ने वाली नावों की खरीद के लिए ऋण देने की मांग आती है। भारत की अपनी 3,600 मील से अधिक लम्बी तटीय सीमा है और इसके 9 राज्यों की सीमा तट से मिली हुई है। इसलिए हमें अपने समुद्री संसाधनों का यथा सम्भव दोहन करना चाहिए ताकि हमारी अर्थव्यवस्था सुधर सके और हमारा निर्यात बढ़ सके और हमारे भुगतानों के सन्तुलन में सुधार हो सके।

इसके बाद सामान्य बीमा कम्पनी को सहायता तथा नवीन ऊर्जा स्रोत विकास निगम के निवेश की बात आती है। माननीय सदस्या ने भारतीय कपास निगम का उल्लेख किया है। भारत

सरकार की यह नीति रही है कि वह किसानों को समर्थन मूल्य तथा आर्थिक सहायता दे ताकि उपभोक्ता को राहत मिल सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्य गरीब लोगों को विभिन्न आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना है। मन्त्री जी देश के पश्चिमी हिस्से से आते हैं जहां कपास की खेती को समर्थन देना आवश्यक है जिससे उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सके और सरकार से आवश्यक समर्थन प्राप्त हो। किसानों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है जिससे वे उन्नत ढंग से खेती बाड़ी कर सकें और नगद फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित हो सके।

इसके बाद कुछ चुनींदा पिछड़े क्षेत्रों में नये उद्योग लगाने हेतु आर्थिक सहायता की बात आती है। भारत सरकार ने खूब सोच समझकर यह निर्णय किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में जहां पर आधारभूत ढांचा उपलब्ध नहीं है और जहां उद्योगपति उद्योग लगाने के लिए तैयार नहीं है, औद्योगीकरण को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसलिए सरकारी उपक्रमों और संयुक्त क्षेत्र की कम्पनियों को उन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि वे वहां पर बड़े उद्योग स्थापित कर सकें जिससे सहायक कारखाने लग सकें और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास, प्रौद्योगिकी का विकास हो सके। इससे ग्रामीण लोग शहरों की ओर नहीं भागेंगे। इससे कानून व व्यवस्था, गन्दी बस्तियों, स्वास्थ्य और सफाई, सामाजिक असमानता और क्षेत्रीय असन्तुलन की समस्याएं भी उत्पन्न नहीं होंगी। इस प्रकार यहां पर दिया गया उद्देश्य बहुत प्रशंसनीय है और मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं क्योंकि क्षेत्रीय असमानताओं तथा असन्तुलन को क्रमशः दूर करने तथा ठीक करने और ग्रामीण संपन्नता लाने के लिए यह बहुत आवश्यक है। इन सार्वजनिक क्षेत्र के तथा बड़े उद्योगों को इन चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में अवश्य ही जाना चाहिए ताकि देहाती क्षेत्र भी सम्पन्न हो सके। श्रीमान् मैं यहां चेतावनी देता हूं कि इन उद्योगों को चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में ले जाने के प्रयास करते हुए सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ने हाल ही में एक मार्ग निर्देश दिया है जो इस महान सदन द्वारा पारित की गयी औद्योगिक नीति 1981 के सम्पूर्ण उद्देश्य को ही समाप्त कर देता है। जब लोगों को उनके रहने के स्थान से हटाया जाता है, जैसा कि यह राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कम्पनी के मामले में हुआ, भारत-फ्रांस परियोजना के मामले में हुआ, जो मेरे निजी निर्वाचन-क्षेत्र आंगुल में है तथा कोरापुत में दमनजोड़ी के भी सम्बन्ध में हुआ तो हजारों लोग अपने घरबार से वंचित हो गये, लगभग 2240 करोड़ रुपए उन पर खर्च किये जा रहे हैं और उनको तत्कालीन मन्त्रियों हमारे भूतपूर्व तथा वर्तमान प्रधान मन्त्री द्वारा भी यह आश्वासन दिया गया था कि एक परिवार के, जिसने अपना घरबार खो दिया है, कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने के प्रयास किये जायेंगे। किन्तु अब सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा जो यह नवीनतम मार्ग निर्देश जारी किया गया है कि जिन्होंने अपने जीवन-निर्वाह का साधन खो दिया है उनको न तो कोई नौकरी दी जायेगी न सेवा के दौरान प्रशिक्षण दिया जाएगा और न ही उनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए कोई प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे कि वे कुछ जीवन-निर्वाह साधन प्राप्त कर सकें, यह एक प्रतिगामी कदम सिद्ध हो सकता है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से इस मामले पर गौर करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध करता हूं कि यह कार्य 1981 की औद्योगिक नीति के उन उद्देश्यों के विपरीत न जाये जिनके तहत कुछ चुने हुये उद्योगों को चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों व गैर-औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित करने का विचार किया गया था और क, ख, ग, के रूप में वर्गीकरण भी किया गया था ताकि गांवों की सम्पन्नता व उन्नति के प्रशंसनीय उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार किया जा सके।

इसके बाद सुरक्षा सेवाओं पर अतिरिक्त खर्च की बात आती है जिसके बारे में माननीय महिला सदस्य ने बताया है। श्रीमान, मुझे विश्वास है कि इस सदन में कोई भी इस बात से इन्कार नहीं करेगा कि आर्थिक विकास और स्थायित्व और राजनैतिक स्थायित्व को हम सिर्फ तब ही प्राप्त कर सकते हैं जब हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, अखण्डता और प्रभुसत्ता संरक्षित रहे। जब तक हम अपनी सीमाओं की विशेषकर समुद्री सीमाओं की रक्षा नहीं करते तब तक हम सफल नहीं हो सकते। हिन्द-महासागर में व डाइगो गार्शिया क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्रों विशेषकर हमारे द्वीपीय क्षेत्रों में गम्भीर प्रतिस्पर्धा है। और हमें पिछले युद्धों, झड़पों और अनुभवों से सबक सीखने चाहिए। हमें सिर्फ अपनी गल्तियों से ही सबक नहीं सीखने चाहिए, किन्तु अपने चारों ओर हो गलतियों तथा घटनाओं को देखकर हमें लाभ उठाना चाहिए और जिस तरीके से हिन्द महासागर को राजनीति और अन्र्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन और गुटवाद का अखाड़ा बनाया जा रहा है उससे भी हमें सीख लेकर लाभ उठाना चाहिए। इस प्रकार, हमारे लिए एक ऐसे समुद्रीय देश की तरह कार्य करना जरूरी है जहां अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र के माध्यम से किया जाता है। और जहां समुद्र के नीचे हाईड्रो कार्बन और पोलीमेटालिक नोड्यूल्स दोनों प्रकार की सम्पत्ति हो, जिसकी देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यकता है। इसलिए, हमें अपनी नौसेना को और अधिक सुदृढ़ बनाने की तथा इसकी गतिविधियों के लिए अधिक क्षेत्र की व्यवस्था करने की जरूरत है। इसके साथ-साथ आयुध कारखानों में भी वृद्धि करने की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रों और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रयास में आत्म-निर्भरता तथा आत्म-संतुष्टि पाने में एक तरह से हमारी सहायता कर रहे हैं।

इतना कहने के बाद अब मैं उन समस्याओं पर आना चाहता हूं जिसने मेरे राज्य व पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों को घेर रखा है और जो उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की आम समस्या है। पहली पंचवर्षीय योजना से ही अब तक अपनाई गयी योजना प्रक्रिया के कारण हमारे संसाधनों का ऐसे नियोजित ढंग से उपयोग हुआ है जिससे साधारण तथा गरीब तबके का आदमी अपने जीवन जीने के ढंग में तथा आय में सुधार कर सके और फलस्वरूप काफी आर्थिक विकास हुआ है।

इस सत्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारत ने करोड़ों लोगों की सहायता से योजना का शान्तिपूर्ण पथ अपना कर सराहनीय प्रगति की है। किन्तु इस सत्य से न तो इन्कार किया जा जा सकता है और न इसे भुलाया जा सकता है कि छह पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद और विभिन्न वित्त आयोगों द्वारा दिए गए निर्णयों के अतिरिक्त गाडगिल फार्मूला तथा अन्य विशेषज्ञ मण्डलों द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों के बावजूद भी क्षेत्रीय असन्तुलन और असमानता बनी हुई है। तथ्य अब भी यही है कि पूर्वी हिस्सा विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी भाग का अधिकांश हिस्सा पिछड़ा हुआ है। मैं केवल अपने गृह राज्य उड़ीसा की बात कहना चाहूंगा जहां पर 71 प्रतिशत से भी ज्यादा लोग निर्धनता रेखा से भी नीचे रह रहे हैं, जहां 38 प्रतिशत से भी अधिक अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोग हैं। इसलिए, संसाधनों के दोहन का आधार बहुत छोटा है इन सभी सूत्रों—गाडगिल सूत्र, संशोधित गाडगिल सूत्र —और योजना आयोग तथा भारत सरकार के संसाधनों के दोहन के प्रयत्नों से कई महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इसी कारण क्षेत्रीय असमानता तथा असन्तुलन बना हुआ है। व्यापक केन्द्रीय सहायता तथा उड़ीसा राज्य द्वारा किए गए निवेश के कारण पिछले पांच वर्षों, अर्थात 1980-85 में उडीसा राज्य ने 6.1 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त की जो अखिल भारतीय औसत से कहीं अधिक है। यह वह राज्य है जहां से मेरे माननीय मित्र श्री अमल दत्त भी

सम्बन्ध रखते हैं और जिसके विषय में बंगाली उपन्यासकार श्री द्विजेन्द्र लाल राय ने अपने अमर गीत में कहा :

"धनो धान्ये पुष्पे भरा
आमादेरि वसुन्धरा"।

यह उड़ीसा का एक वर्णन है।

श्री अमल दत्त (डायमण्ड हार्बर) : बंगाल के अलावा प्रत्येक इसे भूल गया है।

श्री के० पी० सिंह देव : वह आंगुल में एस० डी० ओ० थे, जो उड़ीसा का एक केन्द्र है। जब उन्होंने कटक की यात्रा की उस समय वह उड़ीसा की राजधानी थी; इसकी खनिज सम्पदा, वन सम्पदा, जल सम्पदा, कृषि सम्पदा, प्राकृतिक सौन्दर्य व वातावरण तथा मानवीय सम्पदा ने उन्हें लिखने के लिए प्रेरित किया, उन्होंने कविता की रचना की जिसमें उन्होंने भारत के सौन्दर्य तथा उसकी प्रकृति की प्रशंसा की। अतः इस राज्य में प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा है लेकिन इसका समुचित उपयोग नहीं किया जा सकता है।

उड़ीसा में भारत की 10 प्रतिशत से भी अधिक जल सम्पदा है लेकिन आज वहां सिंचाई सुविधा के अन्तर्गत केवल 26 प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। हमारे प्रदेश में आज 500 मेगावाट बिजली की कमी है और हम भीषण बिजली की कमी का सामना कर रहे हैं। उड़ीसा सरकार ने विभिन्न मन्चों पर तथा भारत सरकार के साथ वार्ता के समय, चाहे राष्ट्रीय विकास परिषद या अन्य कोई मंच हो, ये मुद्दे उठाये हैं। उड़ीसा के बहुत से सांसदों तथा मन्त्रियों ने प्रधान मन्त्री से व अनेकों मन्त्रियों से मुलाकात की, इसे संसद में भी उठाया तथा नवम्बर, 1985 में राष्ट्रीय विकास परिषद में भी उठाया। उन्होंने तालचेर व इब घाटी सुपर थर्मल पावर परियोजनाओं पर कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। तालचेर एक ऐसी परियोजना है जिस पर भारत सरकार की विशेषज्ञ समिति और योजना आयोग ने अपनी सहमति दे दी है जबकि अन्य पांच परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है और उत्पादन शुरू होने वाला है, किन्तु कुछ अजीब कारणों से तालचेर परियोजना पर कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। जहां तक इब सुपर थर्मल पावर परियोजना का सम्बन्ध है, यह 840 मेगावाट की है। ये ऐसी दो परियोजनाएं हैं जिन पर उड़ीसा सरकार तथा उड़ीसा के सांसद जोर देते रहे हैं।

इनके अतिरिक्त, पारादीप बन्दरगाह के समुचित विकास के लिए दक्षिणी कोरिया का हूंडाई प्रस्ताव भी है क्योंझर-दैतारी क्षेत्र से 60 लाख टन लोह-अयस्क का निर्यात पारादीप बन्दरगाह से किया जायेगा और 170,000 डी० डबलू० टी० जहाज के लिए 17 मीटर का डुबाव बनाने और जखपुरा से बैंसपानी तक रेलवे लाइन बनाने के लिए पारादीप बन्दरगाह का उपयोग किया जायेगा ताकि पूर्ण पार्श्व भाग पारादीप बन्दरगाह से जोड़ा जा सके।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य का बोलने का समय समाप्त हो गया है।

श्री के० पी० सिंह देव : मुझे अगले तीन मास तक कोई अवसर नहीं मिलेगा और मेरे राज्य में काफी समस्यायें हैं। अब भी वहां बाढ़ और तूफान आये हुये हैं।

सभापति महोदय : यहां पर 30 से भी अधिक वक्ता बोलना चाहते हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : हमारे लिए बोलने का यह एक दुर्लभ अवसर होता है। अगर आप

हर आधा मिनट बाद घन्टी बजाते रहेंगे तो मेरे लिए भाषण समाप्त करना बहुत मुश्किल होगा।

हूंडाई परियोजना को योजना आयोग की मंजूरी मिल गयी है और अब यह वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है और पी० आई० बी० ने अपनी मंजूरी देनी है। यह सिर्फ उड़ीसा की ही समस्या नहीं है किन्तु यह एक राष्ट्रीय समस्या है। किन्तु, जैसा कि आपको पता है, लौह-अयस्क का निर्यात बहुत अधिक प्रतिस्पर्धात्मक होता जा रहा है और जापान, जो इसका एक बहुत बड़ा क्रेता है, आस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा है। और इस तरह हम जापान और ब्राजील को किया जाने वाला पूर्ण निर्यात खो सकते हैं। यहां पर कुछ बृहत सिंचाई परियोजनाएं हैं। एक रेंगाली परियोजना दूसरी ऊपरी कोलाब परियोजना और एक और ऊपरी इन्द्रावती परियोजना है, जहां पानी इकट्ठा किया गया है। और राज्य सरकार के पास धन की कमी के कारण उस जमा किए गये पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता। माननीय प्रधान मन्त्री के इस बात पर बल को देखते हुए कि हमने जो पूंजी निवेश किया है उसका इष्टतम और शीघ्रतम लाभ उठाया जाना चाहिए, ऊपर कहे गए एकत्रित जल का शीघ्र और सर्वोतम उपयोग किया जाना चाहिए जिससे जनता की भलाई हो सके। जब तक नहरी प्रणाली के राज्य सरकार को ठोस सहायता नहीं दी जाती तो तब तक इन तीन जलाशयों में इकट्ठा किया गया पानी अगले 10 से 15 वर्षों तक उपयोग में नहीं लाया जाएगा। इसका न तो राष्ट्र को और न ही इस राज्य को कोई लाभ नहीं होगा जो हमेशा सूखे से घिरा रहता है माननीय प्रधान मंत्री ने काला-हांडी, फूलबनी, कोरापुट, क्योंझर और ढेंकानल जिलों का दौरा किया है जो हमेशा बाढ़ और सूखे इन दोनों ही समस्याओं से घिरे रहते हैं।

अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा तालचेर के चारों ओर कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कारण हो रहे प्रदूषण का है। एक तालचेर उर्वरक कारखाना तथा दूसरा तालचेर थर्मल पावर स्टेशन है जो 1968 में चालू किया गया था। यहां पर उड़ती राख का खतरा है जो तपेदिक और दूसरी संक्रामक बीमारियों और जल प्रदूषण बीमारियों का कारण बन रहा है। जल तथा वायु प्रदूषण पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद ने अध्ययन किए हैं किन्तु अब तक एक साधारण इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर भी स्थापित नहीं किया गया है। हम पिछले कई वर्षों से इस विषय को उठाते रहे हैं। मुझे आशा है कि सरकार जल तथा वायु प्रदूषण के इन दो पहलुओं की जांच कराएगी जिससे दो लाख से भी अधिक लोगों तथा दोनों तरफ की सम्पूर्ण ब्रह्मानी घाटी पर असर पड़ रहा है और पेय जल भी प्रभावित हो रहा है तथा इस सम्बन्ध में प्रभावी कदम उठाएगी।

इन शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर तहेदिल से अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय सभापति जी, मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। यह सही है कि पिछले वित्त वर्ष में हमें बहुत अधिक आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ा। हमारी कई ऐसी समस्याएं थीं जिनका समाधान करने के लिए बजट के ऊपर भार आना स्वाभाविक था। इसीलिए हमे बजट की अनुपूरक मांगें लानी पड़ीं।

हर प्रगतिशील बजट में ऐसा होता है क्योंकि विकासशील राष्ट्र में कई ऐसी समस्याएं हमारे सामने आती हैं जिनकी वजह से हमें कड़ुवा घूंट पीना पड़ता है। विकास के लिए हमें कुछ त्याग भी

करना पड़ता है। इस त्याग के कारण ही हमारे देश और हमारे देश के गरीब लोगों का स्तर ऊंचा हुआ है। यह त्याग और परिश्रम का ही परिणाम है जिससे यह सम्भव हुआ है, मैं ऐसा मानती हूं।

मान्यवर, आपने जो मुझे थोड़ा-सा समय दिया है उसमें मैं अपने राजस्थान प्रान्त के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान प्रान्त मध्य प्रदेश के बाद दूसरा प्रान्त है। यह इस समय प्राकृतिक विपदाओं से बहुत अधिक घिरा हुआ है। इन प्राकृतिक विपदाओं से वह पूरी तरह से प्रताड़ित रहता है। वहां पर भीषण अकाल विद्यमान है। उसके साथ-साथ अतिवृष्टि के कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोटा और उसके आसपास के इलाके जो लाजपुरा कहलाते हैं में जन-धन की बहुत अधिक हानि हुई है। 25 व्यक्तियों की लाशें बरामद हो चुकी हैं और दो मिल्ट्री के जवान जो बाढ़ग्रस्त इलाकों में व्यवस्था कर रहे थे, उनको भी मौत ने दबोच लिया। इस समय वहां पर इतने अधिक पशु मरे हैं, मैंने उस क्षेत्र का दौरा किया और देखा कि मरे हुए पशुओं के कंकाल किस तरह से गन्दगी पैदा कर रहे हैं और वहां पर खड़े रहना मुश्किल हो जाता है। वहां पर मेरे जाने पर इकट्ठे हुए स्त्री-पुरुषों ने बताया कि उनकी झोपड़ियां पूरी तरह से तहस-नहस हो चुकी हैं, मिट्टी में घुस गई हैं और काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत जो अनाज उन्होंने इकट्ठा किया था वह भी सारा का सारा बोरों में उग गया है और उनके खाने के लिए कुछ नहीं बचा। इस समय स्थिति यह है कि उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, सारी फसलें बाढ़ मे तबाह हो चुकी हैं, ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार ने केवल 5 लाख रुपए वहां पर दिए हैं। मैं यह कहूंगी कि यह "ऊंट के मुंह में जीरे" के समान है। मैं केन्द्र सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगी कि आपने सप्लीमेंट्री डिमांड्स में जो प्राकृतिक विपदाओं के लिए राशि रखी है, उसमें राजस्थान को महत्त्वपूर्ण हिस्सा दिया जाए और खासतौर से जहां बाढ़ की वजह से काफी क्षेत्र तबाह हुआ है, वहां के लोग फिर से बस सकें, फिर से अपने घर बना सकें, इसके लिए एक नियोजित योजना बनाई जानी चाहिए। इस समय हालत यह है कि न उनके पास खाने के लिए अनाज है, सड़ा हुआ अनाज जगह-जगह सूख रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसा अनाज जिसको जानवर भी नहीं खा सकते, अगर वे उसको खाएंगे तो बुरी तरह से बीमार होंगे। इसलिए केन्द्र सरकार विशेष-तौर से उनके खाने के लिए अनाज भेजे, ताकि गरीबों के जीवन की रक्षा की जा सके।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगी वह यह है कि आपने काम के बदले अनाज की जो योजना चलाई थी वह बहुत ही सराहनीय रही है और खासतौर से एन० आर० पी० और आई० आर० डी० जो प्रोग्राम है, उससे स्थायी कार्य हुए हैं, इसके लिए मैं मन्त्री जी को बधाई देना चाहूंगी, लेकिन साथ ही यह भी निवेदन करती हूं कि जो राशि आपने रखी है, उसको परिवर्तित किया जाना चाहिए। जो पहाड़ी इलाके हैं, जो रेगिस्तानी इलाके हैं, जहां पर बाढ़ और अकाल बार-बार आता है, उन इलाकों के लिए अधिक राशि रखी जानी चाहिए।

मान्यवर राजस्थान की एक महत्वपूर्ण समस्या है ऊर्जा की, बिजली की कमी आए दिन होती है, जिससे वहां की योजनाएं कार्यान्वित नहीं हो पातीं, आर्थिक योजनाएं, कृषि की योजनाएं, ये सब ऊर्जा की कमी की वजह से कार्यान्वित नहीं हो पा रहीं और लोगों को बहुत अधिक परेशानी है। वहां पर मेरे क्षेत्र में राणा प्रताप सागर अटामिक एनर्जी प्लांट काम कर रहा है, जिसे आर० ए० पी० पी० भी कहते हैं। वहां पर दो इकाइयां लगाई गई हैं; एक केनेडियन टेक्नालाजी जो आपने उधार ली है, उसको पूरी तरह से आप समझ नहीं पा रहे हैं और आए दिन प्रथम इकाई फेल होती

रहती है और वहां पर लोगों की बिजली की इतनी अधिक समस्या है कि वे लोग किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं कर सकते। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगी कि जो राजस्थान सरकार ने थर्मल पावर प्रोजेक्ट या अन्य योजनाएं आपके पास भेजी हैं, उनको तुरन्त स्वीकार किया जाए, ताकि इन योजनाओं से वहां के निवासियों को लाभ हो सके।

मान्यवर एक मेरा निवेदन यह भी है कि अर्थ व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सार्वजनिक उद्योग एक महत्वपूर्ण कड़ी है, परन्तु आज आपके सारे के सारे सार्वजनिक उद्योग घाटे में जा रहे हैं। सार्वजनिक उद्योगों को विकेन्द्रीकृत किया जाना चाहिए और इसके लिए जो प्रस्ताव आपके सामने आए हैं, उनकी ओर विशेष तौर से इस बजट में, जो अगला बजट आना है, इसमें आप ध्यान दें।

मान्यवर, मैं कई बार निवेदन कर चुकी हूं और इसके ऊपर कुछ आपने प्लानिंग भी की है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के पास एक सुपर जिंक स्मल्टर का प्रस्ताव आपके विचाराधीन है। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में चन्देरीया नाम का स्थान है, वहां पर सैद्धान्तिक तौर पर यह स्वीकार कर लिया है कि तकनीकी दृष्टि से यह स्थान सर्वथा उपयुक्त है। परन्तु, अभी भी कुछ वित्तीय कठिनाइयों की वजह से आपने इस सुपर जिंक स्मैल्टर प्लान्ट को स्वीकृति प्रदान नहीं की है। आपकी फाईल मन्त्रिमण्डल के विचारार्थ पड़ी हुई है। मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वित्तीय स्थिति जुटाएं ताकि जिंक का जो विदेशों से आयात करते हैं, उससे हमारी विदेशी मुद्रा बच सके और इस क्षेत्र के लोगों का भाग्य उदय हो सके और उन्हें रोजगार उपलब्ध हो सके।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि आपने हैलिकोप्टर आदि खरीदने के लिए सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स में प्रावधान रखा है। वायुदूत की सेवाएं आपने कई स्थानों पर शुरू की हैं। राजस्थान का जो ऐतिहासिक स्थल है, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच मे वहां पर एक एयर-स्ट्रीप बनी हुई है, कई बार निवेदन करने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए, मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगी कि इस ओर ध्यान दें, बजट में विशेष प्रावधात रखें ताकि इस ऐतिहासिक क्षेत्र का टूरिस्ट की दृष्टि से विकास हो सके। आय के जो स्रोत हैं, उसमें गैर योजना व्यय को कम करना पड़ेगा। आज गैर-योजना व्यय बढ़ता जा रहा है। प्रशासन इतना अधिक हावी है कि सरकारी कर्मचारियों की फौज बराबर नयी भर्ती करते जा रहे हैं, उस पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। परिणाम यह होता है कि आपके बजट का अधिकांश पैसा उस पर खर्च हो जाता है और विकास की योजनाएं फाईल में ही दबी की दबी रह जाती हैं। इसलिए, इस गैर योजना व्यय पर आपको कटौती करनी चाहिए। लोक अदालतों का जो कार्य आपने शुरू किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगी। बहुत ही सराहनीय कार्य हो रहा है परन्तु कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर वकीलों ने या अन्य प्रशासनिक व्यक्तियों ने इस काम को सफल नहीं होने दिया है इसलिए इस व्यवस्था में थोड़ी सी सुधार लाने की आवश्यकता है। इसको और बड़े पैमाने पर करने की आवश्यकता है ताकि गरीब व्यक्ति सस्ता न्याय प्राप्त कर सके।

राजस्थान की चिर-परिचित पीने के पानी की मांग की ओर भी आपका ध्यान केन्द्रित करना चाहूंगी। आज इतनी अधिक सुविधा होने के बाद भी राजस्थान के कई इलाके ऐसे हैं जहां लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि पश्चिमी राजस्थान में व्यक्ति जिन्दगी में तीन बार नहाता है, जन्म, परण यानी विवाह के समय और मरण। इस प्रकार के क्षेत्र अभी भी वहां विद्यमान हैं जहां इस प्रकार की स्थिति है। ऐसे स्थानों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था आप कब करेंगे। देश को आजाद हुए इतना समय हो गया है और अगर आज भी व्यक्ति

प्यासा रहे तो हमारे लिए वह दुर्भाग्य की बात होगी। मैं मंत्री जी से पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगी कि पश्चिमी राजस्थान के लिए और मेरा क्षेत्र जोकि दक्षिणी क्षेत्र का हिस्सा है, वहां पर पीने के पानी के लिए इस सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स में विशेष प्रावधान करें ताकि पीने के पानी की जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है, वह पूरी हो सके। साढ़े तीन लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ राजस्थान प्रदेश है, जहां पर कुछ स्थानों पर अतिवृष्टि हुई है। पश्चिमी राजस्थान सूखे की चपेट में घिरा हुआ है। वहां पर जो अकाल राहत के काम थे, वे बन्द कर दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में लोगों के भूखे मरने की स्थिति आ गई है। राजस्थान के इस प्राकृतिक विपदा के लिए आप और अधिक सोचें।

आज हमारा देश चारों तरफ से खतरे में घिरा हुआ है। आज यदि हम देखें तो हमारे पड़ोसी राष्ट्रों के इरादे पाक नहीं हैं। परिणाम यह हुआ है कि कई प्रकार की घुसपैठ देश में जारी है चाहे हम पूर्व या दक्षिण का क्षेत्र ले लें। चारों तरफ हमें किसी न किसी प्रकार के खतरे नजर आते हैं। आज आप देखें कि दार्जिलिंग में और उसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में हमें चारों ओर खतरे दिखाई दे रहे हैं। इसलिए प्रतिरक्षा के लिए आपने जो अपनी मांग में प्रावधान रखा है मैं उसका हृदय से समर्थन करती हूं। यदि आवश्यकता हो तो इसके लिए हमें अधिक व्यय करना पड़े तो करना चाहिए। हमारी जो सीमाएं हैं उसके लिए एक बिल लाया जाना चाहिए कि 5 किलोमीटर में जो सीमाएं हैं वह केन्द्र के अधीन होंगी इस तरह के बिल को तुरन्त लाना चाहिए और उसके लिए हमें विशेश बजट का प्रावधान करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, जो सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स रखी हैं मन्त्री जी ने, अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री अजय बिश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, सरकार ने अनुपूरक मांगों के लिए 1300 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। आरम्भ में मैं सरकार की आर्थिक नीतियों तथा हमारी अर्थ-व्यवस्था पर पिछले आम बजट के प्रभाव के बारे में कुछ कहना चाहूंगा।

महोदय जब यह बजट सदन में रखा गया था, विपक्षी सदस्यों ने चेतावनी दी थी कि सरकार द्वारा शुरू की गई आर्थिक नीतियां हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था व सामाजिक आर्थिक दशा पर गम्भीर प्रभाव डालेंगी।

व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढवी) : मैं व्यवस्था की दृष्टि एक बात कहना चाहता हूं। नियम 216 के उपलब्धों के अनुसार बजट के समय जिन नीतियों पर चर्चा कर ली गई है उन्हें दोबारा उठाया जा सकता।

श्री अजय बिश्वास : मैं नीतियों की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि पिछले बजट के प्रभाव की बात कर रहा हूं।

सभापति महोदय : मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि वह स्वय को अनुपूरक मांगों तक ही सीमित रखें।

(व्यवधान)

श्री अजय बिश्वास : महोदय, गत बजट को पेश किए हुए यद्यपि पांच माह बीत चुके हैं लेकिन सरकार ने अपनी औद्योगिक या आर्थिक नीति नहीं बदली है।

अभी हाल में वाणिज्य मन्त्री ने एक वक्तव्य दिया था कि वर्ष 1985-86 में व्यापार असन्तुलन 8000 करोड़ रुपये है। इस सभा ने उन्होंने सदस्यों को आश्वस्त किया था कि सरकार व्यापार असन्तुलन को 7,000 करोड़ तक ले आयेगी। सरकार ऐसा करने में असफल रही है। वर्ष .984-85 में व्यापार घाटा 5500 करोड़ रुपए था। यह वर्ष 1985-86 में, वर्ष 1984-85 के व्यापार असन्तुलन की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक है। मैं वित्त मन्त्री से कहना चाहूंगा कि वे इस वर्ष व्यापार अन्सतुलन को 9,000 करोड़ रुपये तक भी रख पायेंगे। ये 9000 करोड़ रुपयों को भी पार कर जाएगा।

2.00 म० प०

हमारी अर्थ-व्यवस्था एक चौराहे पर है। हमारी अर्थ-व्यवस्था बुरी दशा में है। सरकार इसके विषय में क्या सोच रही है? सरकार विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आदेशों का अनुपालन करने में लगी है। विश्व बैंक और अन्तराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तृतीय विश्व के देशों पर क्या शर्तें लगाई हैं? उन्होंने शर्त लगाई है कि तृतीय विश्व के देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करे तथा अपनी अर्थ-व्यवस्था को बहुराष्ट्रों के लिए खोल दें। ये विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें हैं और आप उन्हें स्वीकार कर रहे हैं। तृतीय विश्व के देशों पर विश्व तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक दूसरी शर्त है कि वे अपने खाद्यान्न का निर्यात उन्हें करें। यह घातक पहलू है जिसे भारत सरकार स्वीकार करने जा रही है।

विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट में, इसने साफ तौर पर सरकार से रुपये का अवमूल्यन करने को कहा है। सरकार ने गत वर्ष ऐसा ही किया। प्रतिवेदन में इसने रुपये के अवमूल्यन की बात साफ तौर से नहीं कही है, विनिमय दर को समायोजित करने की बात कही गई है। इसका मतलब वही है—विनिमय दर को समायोजित करने का वही अर्थ है।

यदि आप विश्व अर्थव्यवस्था की प्रतिस्पर्धा की ओर दृष्टिपात करें, तो हमारे रुपये का मूल्य गिर गया है। दूसरी बात जो सरकार स्वीकार करने जा रही है—खाद्यान्नों का निर्यात। सरकार ने हमें बताया है कि हमारे पास खाद्यान्न का 30 मिलियन टन से भी भण्डार है; घाटे से उत्पन्न व्यापार असन्तुलन को भरने के लिए हमें विदेशी विनिमय अर्जित करना होगा और इसलिए खाद्यान्न का निर्यात करना पड़ेगा।

तृतीय विश्व के देश अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की शर्तों को कैसे स्वीकार करेंगे? वस्तु-उत्पादों और खाद्यान्नों का वे किस प्रकार निर्यात करेंगे? यदि मान लो इसकी बहुतायत नहीं है, तो आप वस्तु उत्पातों और खाद्यान्नों को किस प्रकार बढ़ाएंगे? आपको लोगों को भोजन से वंचित करना पड़ेगा, आपको लोगों के मुंह से भोजन छीनना पड़ेगा, ऐसा किए बिना आप अतिरिक्त खाद्यान्न नहीं उत्पन्न कर सकेंगे। आपका दावा है कि खाद्यान्न का 30 मिलियन टन भण्डार हमारी उपलब्धि है, लेकिन मेरा कहना है कि सरकार की यह कमजोरी है। क्योंकि 40 से 5 प्रतिशत लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है। वे यहां तक कि आवश्यक न्यूनतम खाद्य नहीं खरीद सकते। अत: संचय इस प्रकार सम्भव है। यह सरकार की कमजोरी है।

प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता के सम्बन्ध में मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूं:

1961—468 ग्राम, 1965—480 ग्राम, 1971—468 ग्राम, 1978—476 ग्राम, 1984—477 ग्राम तथा 1985—463 ग्राम। इसका मतलब है कि 1961 की तुलना में

खाद्यान्न की उपलब्धता बहुत अधिक घटी है। उपलब्धता का मतलब प्रति व्यक्ति खपत नहीं है। खपत बहुत कम है।

सरकार की निर्यात सूची में बड़ी मात्रा में खाद्यान्न के निर्यात का उल्लेख है जबकि आबादी का आधा हिस्सा गरीबी की रेखा के नीचे रह रहा है। केवल 10 प्रतिशत लोगों को सन्तुलित खुराक मिल रही है।

विश्व में निरक्षर्णों की जो जनसंख्या है उसका 50 प्रतिशत लोग भारत में रह रहे हैं। हमारी बाल मृत्यु दर सर्वाधिक है; विश्व के अन्धे लोगों की आधी जनसंख्या भारत में है तथा कुपोषण के कारण प्रतिवर्ष चालीस हजार बच्चे अन्धे हो जाते हैं। पंजीकृत बेरोजगार लोगों की संख्या 1980 में 162 लाख से बढ़कर 1985 में 256 लाख हो गई। रोजगार केन्द्रों के माध्यम से रोजगार 1980 में 4.8 लाख से घटकर 1985 में 2.7 लाख हो गया। जब देश की यह स्थिति है, आप अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आदेशों का अनुसरण करते हुए खाद्यान्न का निर्यात करने और खाद्यान्न भण्डार का उपयोग रोजगार उत्पन्न करने के स्थान पर उससे विदेशी विनिमय अर्जित करने के लिए उत्सुक है।

आपको प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारित करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र को प्राथमिकता देनी होगी। आपको इस खाद्यान्न भण्डार का उपयोग राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने के लिए करना चाहिए। लोगों के पास पर्याप्त क्रय शक्ति हो जिससे वे जरूरती खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीद सकें। हमारी अर्थव्यवस्था की यह दिशा होनी चाहिए, लेकिन इसे आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप कहेंगे कि हमने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ व्यवस्था की है। मैं आपको कुछ उदाहरण देने जा रहा हूं वे यह दिखाएंगे कि आपका दावा कितना कमजोर है। 1980-81 में इस कार्यक्रम का नाम 'काम के अनाज…था' और उस वर्ष इस कार्यक्रम द्वारा 450 मिलियन मानव दिवसों के उत्पन्न करने की कल्पना की गई थी। परन्तु वर्ष 1986-87 में एन० आर० ई० पी० के अन्तर्गत जिसे पहले काम के बदले अनाज कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, केवल 300 कार्यदिवस पैदा होंगे। स्थिति यह है जबकि 1980-81 की तुलना में अब निर्धारण दो गुना है। इसका अभिप्राय है कि आपने जो कुछ ग्रामीण लोगों के लिए व्यवस्था की है, वह बहुत कम है। इस वर्ष के बजट में यदि आप एक मद के लिए एक रुपये की व्यवस्था करते हैं और अगले वर्ष के बजट में 2 रुपये की व्यवस्था करते हैं तो आप कहेंगे कि प्रावधान को दो गुना कर दिया गया है परन्तु स्थिति यह है कि समस्या की तुलना में आपका प्रारम्भिक प्रावधान बहुत कम था। ग्रामीण जनता की संख्या को ध्यान में रखते हुए आपका आबंटन बहुत थोड़ा है। यदि आप कहते हैं कि आपने एन० आर० ई० पी० और अन्य कार्यक्रमों के लिए 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है तो मैं कहूंगा कि ग्रामीण जनता और उनकी गरीबी को देखते हुए यह बहुत कम है। वास्तव में आपकी आर्थिक और अन्य नीतियां लोगों के लिए समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं।

अब मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में कुछ कहूंगा क्योंकि मैं उस क्षेत्र से आता हूं। आप यह दावा करते हैं कि आप पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए अधिक कार्य कर रहे हैं परन्तु वास्तव में वहां प्रगति की रफ्तार बहुत धीमी है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 25 किलोवाट प्रति घण्टा है जबकि राष्ट्रीय औसत 140 किलोवाट प्रति घण्टा है। और त्रिपुरा में यह केवल 10 किलो-

वाट प्रति घण्टा है। कृषि और उद्योग के विकास के लिए बिजली मुख्य वस्तु है। यदि यह स्थिति है तो आप आसानी से अन्दाजा लगा सकते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्या हालत है।

महोदय पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल सड़क मार्गों की तुलना में जल-भूतल मार्गों की लम्बाई केवल 17.91% है जबकि अखिल भारतीय आंकड़ों में 38.86 प्रतिशत है। जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है असम को छोड़कर अन्य राज्यों की राजधानियों के लिए कोई रेल-मार्ग द्वारा सम्पर्क नहीं है। हमारी राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वे धर्म नगर से कुमारघाट तक 32 किलोमीटर लम्बी रेलवे लाईन का निर्माण करेंगे और यह व्यवस्था की गई है कि इसे 1984 में पूरा किया जाना था और अब 1986 है और मैं समझता हूं कि इसे 1990 से पहले पूरा नहीं किया जा सकेगा।

हमारे पास पर्याप्त गैस है और त्रिपुरा में ओ० एन० जी० सी० अच्छा कार्य कर रहा है। हमारा त्रिपुरा में एक गैस-आधारित उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है और यह प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास पड़ा है। और वे इसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। त्रिपुरा से भेजा गया अन्य प्रस्ताव दूसरी पटसन मिल के लिए है। वह भी केन्द्रीय सरकार के पास पड़ा है। कागज मिल के सम्बन्ध में, मेरा कहना है कि त्रिपुरा में कागज मिल के लिए पर्याप्त सम्भावना है क्योंकि जंगल, पर्याप्त बांस और पर्याप्त पानी की उपलब्धता, ये सभी वस्तुएं त्रिपुरा में उपलब्ध हैं। यह प्रस्ताव 1975 में भेजा गया था परन्तु अभी तक केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना के लिए कोई धन स्वीकृत नहीं किया है। वास्तव में यह एक मजाक की बात है कि त्रिपुरा को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पांच कागज मिलों की पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। आप त्रिपुरा को उसके हक से वंचित कर रहे हैं और त्रिपुरा के लोग नौजवान और विद्यार्थी इसी कारण धरना देने के लिए दिल्ली आए। वे प्रधान मन्त्री से मिले और प्रधानमन्त्री ने नौजवान नेताओं को यह आश्वासन दिया कि वे सारे मामले की जांच करेंगे और वे इस सम्बन्ध में जरूर कुछ करेंगे। परन्तु यह दुख की बात है कि इन सभी योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार धन उपलब्ध नहीं कर रही है और केवल इसी कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रगति की गति बहुत ही धीमी है। मैं सरकार से केवल एक बात के लिए अनुरोध करूंगा कि यदि आप उग्रवादियों की गतिविधियों को नियन्त्रित करना चाहते हैं और यदि आप वास्तव में राष्ट्रीय अखण्डता प्राप्त करना चाहते हैं तो आर्थिक उन्नति मुख्य बात है। इसीलिए आप कृपया करके इसकी जांच कीजिए और पूर्वोत्तर क्षेत्र और त्रिपुरा के लिए अधिक धन की व्यवस्था कीजिए।

[हिन्दी]

श्री उमा कान्त मिश्र (मिरजापुर) : सभापति महोदय, मैं बजट की अनुपूरक मांगों का समर्थन करता हूं।

सबसे पहले मैं वित्त मंत्री जी और उनके सहयोगियों को, वित्त विभाग को देश की जनता की ओर से बधाई व धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बजट के बाद करों की चोरी और कालेधन पर जो जोरदार आक्रमण किया है, उससे देश की अर्थ-व्यवस्था को बड़ा बल मिला है। इस देश में कालेधन पर जो समानान्तर अर्थ-व्यवस्था का एक बहुत बड़ा प्रवाह था, उसमें कमी आई और उसका परिणाम यह हुआ कि देश में तेजी से जो दाम बढ़ रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी, मुद्रा-स्फीति की दर बढ़ रही थी, उस पर नियन्त्रण हुआ और अर्थ-व्यवस्था मजबूत हुई।

2.15 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्रीमान् इस टैक्स चोरी, टैक्स इवेजन आदि से अरबों रुपये के राजस्व की वृद्धि हुई। मैं चाहूंगा कि यह जो अरबों रुपये का राजस्व मिला है और जो बजट अनुमानों के हिसाब में नहीं था, यह देश में गरीबी निवारण के कार्यक्रमों और गांवों के विकास कार्यक्रमों पर खर्च किया जाए।

सभापति महोदय, स्वर्गीय प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी जी ने कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाये थे जो बहुत ही उपयोगी थे जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, ग्रामीण भूमिहीन मजदूर गारन्टी योजना, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, और शिक्षित बेरोजगार को ऋण देने की योजना। यह सब बहुत मूल्यवान कार्यक्रम थे। यह सब कार्यक्रम गरीबों का उद्धार करने के लिए बनाए गए थे। आज देश में जो शिक्षित बेरोजगार लाखों-लाखों की संख्या में हैं, उनके लिए भी उन्होंने कार्यक्रम चलाए थे। हमारे वर्तमान प्रधान मन्त्री ने इन सब कार्यक्रमों को और तेजी करने का निर्णय भी किया है। मेरा निवेदन है कि यह जो अतिरिक्त धनराशि है, उसके द्वारा गरीबी निवारण के कार्यक्रमों को और आगे बढ़ाया जाए और ग्रामों के विकास का काम किया जाए। इस समय जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इन कार्यक्रमों के लिए जिलों में धन नहीं है। धन की कमी के कारण कई कार्यक्रम बन्द हैं और कई बहुत धीमी गति से चल रहे हैं। जब हम अधिकारियों से इन कार्यक्रमों के बन्द होने के बारे में पूछते हैं तो वह कहते हैं कि धन की कमी है, रुपया मिलने के बाद ही वह कार्यक्रम आगे बढ़ सकेंगे। मेरा माननीय मन्त्री जी से निवेदन है कि यह धन दूसरी बड़ी योजनाओं पर खर्च न करके गरीबी निवारण कार्यक्रमों पर ही खर्च किया जाए। मुझे आशा है कि वित्त मन्त्री जी इस ओर अवश्य ध्यान देंगे।

श्रीमान् हमारा देश एक विशाल देश है। यहां दैवी आपदाएं किसी न किसी इलाके में अक्सर आती रहती हैं। इस समय कहीं सूखा पड़ा है और कहीं बाढ़ आई हुई है। हमारे उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में बाढ़ आनी प्रारम्भ हो गई हैं। इसकी वजह से मिर्जापुर वाराणसी, गाजीपुर और बलिया आदि क्षेत्र प्रभावित हो गए हैं। हमें आज सूचना प्राप्त हुई है कि बूढ़ी गंढ़क, राप्ती और घाघरा नदियों में बाढ़ आ गई है जिससे अनेक गांव प्रभावित हुए हैं। इसी प्रकार पूर्वी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश दोनों में ही बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। बाढ़ की स्थिति का मुकाबला करने के लिए धन आबंटन किया जाना आवश्यक है। हमारे यहां प्रति वर्ष ही बाढ़ आती है और कुछ नदियों में तो प्रति वर्ष ही बाढ़ आती है जिससे अरबों रुपए का नुकसान होता है, फसलों का नुकसान होता है, घरों का नुकसान होता है और कहीं-कहीं तो गांव नदियों में घुस जाते हैं। जिन इलाकों में प्राय: बाढ़ आती है, वहां की बाढ़ को रोकने के लिए स्थायी समाधान किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बाढ़ के नियन्त्रण के लिए एक बाढ़ बोर्ड बना है। बाढ़ को रोकने के लिए एक योजना यह बनी है कि जिन नदियों में बाढ़ आती है, वहां पर बांध बनाए जाएं। इसके लिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह काम तेज गति से किया जाना चाहिए।

एक आश्चर्य की बात यह है कि एक तरफ बाढ़ आई हुई है और दूसरी तरफ हमारे मिर्जापुर जिले में सूखा पड़ा हुआ है। मिर्जापुर जिले में 20 ब्लाक हैं और मिर्जापुर जिले के आसपास इलाहाबाद जिले के 2-3 ब्लाक और बनारस का नवगढ़ इलाका है जहां पर भी सूखा पड़ा हुआ है। वहां बांधों में पानी नहीं है और वर्षा नहीं हुई है। हमारा पूरा इलाका सूखाग्रस्त है। लगभग 20-25

लाख आबादी सूखे से वहां प्रभावित हो गई है। एक तरफ तो गंगा के किनारे बाढ़ है, दूसरी तरफ पहाड़ के ऊपर के क्षेत्रों में सूखा है। वहां सूखा निवारण योजना बहुत दिनों से चल रही है। मिर्जापुर जिला पुराना सूखे का मरीज है। वहां प्रायः सूखा रहा करता है। जब देश की वर्षा सामान्य है तब भी मिर्जापुर के 14 विकास खण्डों में और इलाहाबाद के दो विकास खण्डों, बुन्देलखण्ड के कुछ इलाकों में और बनारस के एक दो इलाकों में प्रायः सूखा रहता है। तो डी० पी० ए० पी० का कार्यक्रम जो सूखा निवारण के लिए मिर्जापुर जिले में चला था उसमें धन की कमी है। मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करूंगा कि मिर्जापुर जिले और उसके आसपास के क्षेत्र जो सूखे से प्रभावित हैं वहां सूखे के निवारण के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसमें अधिक से अधिक धनराशि दी जाए और सूखे का मुकाबला करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं वे चलाए जाएं।

एक अन्तिम निवेदन करना चाहता हूं जो हम लोग प्रायः किया करते हैं कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा विशाल प्रदेश है। 12 करोड़ की आबादी है। पांच तरह की प्रकृति के वहां क्षेत्र हैं, पांच नेचर के इलाके वहां हैं। एक तो पहाड़ हैं, दूसरे बुन्देलखण्ड हैं, तीसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हैं, बीच का उत्तर प्रदेश है और फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश है जिसमें पर्वतीय क्षेत्र के विकास के लिए तो राज्य सरकार और केन्द्र सरकार का भी ध्यान गया है हालांकि वहां और काम होना चाहिए। बुन्देलखण्ड की तरफ भी कुछ ध्यान दिया गया है दो तीन जिलों में। किन्तु पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग 4-5 करोड़ की आबादी है। वहां की गरीबी और पिछड़ापन दूर करने के लिए और वहां के विकास के लिए जितना ध्यान जाना चाहिए उसका चौथाई ध्यान भी नहीं गया है। इस वर्ष वहां के मुख्य मन्त्री ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कुछ विशेष धनराशि की मांग की थी। सम्भवतः वह धनराशि मंजूर नहीं हुई है। वह योजना आयोग के और वित्त मन्त्री जी के विचाराधीन है। हमारा निवेदन है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को और वहां की गरीबी को दूर करने के लिए उसकी तरफ पूरा-पूरा ध्यान दिया जाए। वहां बड़ी घनी आबादी है। वहां के लोग भाग कर रोजी रोटी की तलाश में कलकत्ता, बम्बई और विदेशों में जाते हैं, दिल्ली में आते हैं। वहां कुछ उद्योग-धन्धे चलाए जाएं, कुछ मझोले कुछ बड़े और कुछ जो वहां के स्थानीय उद्योग हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। कुछ खेती के लिए, कुछ सिंचाई के लिए योजनाएं अधूरी पड़ी हैं, उनको पूरा किया जाये। कुछ हाथ के उद्योगों को बढ़ावा दिया जाये। कुछ इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाएं जिससे उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र का विकास हो। मैंने तो निवेदन किया था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम एक बड़ा या मझोला उद्योग स्थापित कर दिया जाये और उसके सहायक उद्योग स्थापित कर दिए जाएं तो वहां की गरीबी दूर हो सकती है।

इस सम्बन्ध में हम लोग बार-बार मांग करते रहे हैं। आज मैं फिर आपके माध्यम से मांग करता हूं पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ मन्त्री जी ध्यान दें। हमारा मिर्जापुर जिला बहुत बड़ा जिला है, केरल प्रदेश के बराबर जिला है। वहां के दक्षिणी क्षेत्र में तो कोयले की खान और बिजली के कारखाने हैं, वहां सारा विकास हो रहा है, परन्तु जो उत्तर का क्षेत्र है जिसमें सदर तहसील है, चुनार तहसील है, यह बहुत पिछड़ा हुआ है। मिर्जापुर शहर उजड़ रहा है। वहां के लोग भाग रहे हैं। मिर्जापुर शहर के पास एक बड़ा उद्योग खोलने की मांग हमारी बहुत दिनों से है। आज हम पुनः आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि माननीय वित्त मन्त्री जी इसके ऊपर ध्यान दें, उद्योग मन्त्री जी ध्यान दें और माननीय प्रधान मन्त्री जी ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणी पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : उपाध्यक्ष महोदय, चालू वित्त वर्ष के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों की यह प्रथम किस्त है और इसमें 256.24 करोड़ रुपये की योजनागत मांग है और गैर-योजना क्षेत्र के लिए 1062.16 करोड़ रुपये की मांग है। मैं अनुपूरक मांगों की प्रथम किस्त के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं।

यहां मैं अभी माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि जैसा आप भली प्रकार जानते हैं हमारे पास सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए धन उपलब्ध करने के लिए सीमित साधन हैं और महोदय स्वभाविक रूप से हमारे लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए प्रत्येक रुपया आवश्यक है।

यहां मैं भारतीय साइकिल निगम का उल्लेख करूंगा। यह एक सार्वजनिक उपक्रम है। इसके लिए मूल रूप से 3 करोड़ 50 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया है और अब इसके लिए 50 लाख रुपये की अतिरिक्त धनराशि की मांग की जा रही हैं और जो कारण बताया गया है वह यह है कि इस अतिरिक्त धनराशि से उत्पादन में कमी के कारण नकद हानियों में हुई वृद्धि को पूरा किया जायेगा।

हमारे माननीय वित्त-मंत्री हमें प्रतिदिन यह याद दिलाते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य में सुधार किया जाना चाहिए ताकि वे सातवीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए अधिकतम योगदान दे सकें। परन्तु भारतीय साईकिल निगम में काम करने वाले बहुत से मजदूरों एवं कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल मुझसे कई बार मिला है। चार वर्ष पहले यह एक लाभकारी उपक्रम था। परन्तु अचानक यह हानि उठाने वाला उपक्रम बन गया है। इस संस्था में कार्यरत मजदूरों का प्रतिनिधिमण्डल मुझसे कई बार मिला है जिन्होंने भारतीय साईकिल निगम को भारतीय लूट निगम का नाम दिया है। मजदूर इस प्रकार अनुभव कर रहे हैं। जो भी प्रतिनिधित्व मुझको मिला है, उन्होंने इस सर्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान की कुल हानि का उल्लेख नहीं किया है। परन्तु कार्य की क्वालिटी बिलकुल निम्नतम स्तर तक गिर गई है और इसी कारण मांग कम हो रही है। पिछले एक-डेढ़-दो साल के अन्दर लोगों का एक समूह इस प्रतिष्ठान के प्रबन्धन में घुस गया है। इस प्रतिष्ठान के प्रबन्धन पर उनका पूर्ण नियन्त्रण है। श्रमिक उन्हें तीन व्यक्तियों का दल कहते हैं। वे लुधियाना की किसी फर्म से सबसे सस्ता और सबसे घटिया किस्म की सफेद सामग्री खरीदते हैं क्योंकि उन्हें कमीशन मिलता है और उनके सम्पर्क लुधियाना में है। वे वहां केवल उन्हें एकत्रित कर रहे हैं। 40,000 बेकार साइकिलों का भण्डार वहां बिना बिका पड़ा है। उन्हें 3.5 करोड़ रुपया और फिर दोबारा 50 लाख रुपया उपलब्ध कराने की बजाय मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह तुरन्त सारे भण्डार और इस प्रतिष्ठान के अन्य कागजातों को जब्त कर लें और यह मालूम करें कि ऐसे लाभकारी प्रतिष्ठान में नकद हानियां बढ़ क्यों रही हैं और वहां उत्पादन में कमी क्यों है। इसमें माननीय मंत्री द्वारा तुरन्त जांच करने की आवश्यकता है। यदि तुरन्त यह जांच की जाती है तो हम एक सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान को बर्बाद होने से बचा लेंगे।

इस साईकिल निगम के व्यापारियों के दावे की कुल राशि कितनी है? यह इस कम्पनी द्वारा नहीं दर्शाया जा रहा है। व्यापारियों द्वारा लाखों रुपये की बकाया राशि दिखाई गई है, ऐसा

सरकार को यह दिखाने के लिए किया गया है कि उनके ऊपर करोड़ों रुपये की बकाया राशि है। पिछले 5 से 10 सालों तक के दावे विचाराधीन पड़े हैं परन्तु उन्हें निपटाया नहीं गया है। इसलिए प्रतिष्ठान की असली स्थिति की जानकारी सरकार को नहीं है। मैं माननीय वित्तमन्त्री से तुरन्त इसकी जांच करने के लिए कहूंगा ताकि सम्पूर्ण विनाश से इस जीवन्त सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को बनाया जा सके।

वर्तमान भ्रष्ट प्रबन्धकों द्वारा प्रतिदिन गम्भीर आर्थिक अपराध किए जाते हैं और यह बुराइयों का अड्डा बन गया है।

यह अच्छी बात है कि दिल्ली में भूमि ग्रहण करने के लिए व उसके विकास के लिए अनुपूरक मांगों में 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। परन्तु माननीय मन्त्री महोदय को कुछ और अधिक विवरण देना चाहिए था कि यह अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण और विकास क्या है। क्या हम कोई नई शहरी भूमि नीति बनाने जा रहे है ? यह बेहतर होगा यदि माननीय मन्त्री महोदय इस पर कुछ प्रकाश डालें कि यह क्या है ?

दूसरी बात जो मैं माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं, बाढ़ों के बारे में है, जिसने लगभग पूरे उड़ीसा में क्षति पहुंचाई है। पुरी जिले और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक बड़ा क्षेत्र तथा लगभग 95 गांव बाढ़ के पानी में लगभग एक महीने तक घिरे रहे। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में नारन गढ़ ग्राम पंचायत तथा खुरदा सबडिविजन में ब्रजमोहनपुर ग्राम पंचायत में कई गांव अभी तक बढ़ के पानी से घिरे हुये हैं और इन क्षेत्रों में हजारों एकड़ भूमि में खड़ी फसलें पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पुरी जिले में आई बाढ़ों में लगभग सात व्यक्ति अपनी जान से हाथ धो चुके हैं। भुवनेश्वर सबडिविजन में 6000 एकड़ से भी अधिक धान की फसल क्षतिग्रस्त हो गई है।

खुरदा सबडिविजन में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 अस्तव्यस्त हो गया था और रामेश्वर ग्राम पंचायत के 14 गांव बाढ़ के पानी में डूब गये थे।

नयागढ़ सबडिविजन में 8 खंड तथा 19 गांव जलमग्न हो गये थे। मेरे अपनेनिर्वाचन क्षेत्र में कई गांव जलमग्न हो गये थे। नयागढ़ क्षेत्र में हजारों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई थी और सैकड़ों एकड़ भूमि पर बालू मिट्टी भर गई है। कुसुमी नदी में दरार पड़ने के कारण सान पन्दुसर नामक एक बड़ा गांव बह गया तथा क्षेत्र में भारी क्षति पहुंची। हजारों घर, सड़कें, पुलिया तथा सार्वजनिक संस्थायें गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

इसी प्रकार दासपल्ला और खांदापाड़ा क्षेत्रों में भी गांवों, घरों और सार्वजनिक संस्थाओं को गम्भीर क्षति पहुंची है। पुरी जिले के 29 खण्डों में लगभग 4 लाख लोगों पर असर पड़ा है।

इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि जब वह बाढ़ नियन्त्रण योजनायें बना रहे हैं उन्हें देखना चाहिए कि इस तरह की दो प्रमुख योजनायें केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन पड़ी हैं। एक तो बुतंग सिंचाई परियोजना है तथा दूसरी मनीभद्रा बांध योजना है। कई वर्षों से वे विचाराधीन पड़ी हैं। एक बार ये दो परियोजनायें शुरू कर दी जाती हैं तो 30 लाख से 40 लाख हेक्टेयर भूमि की स्थाई रूप से सिंचाई की जायेगी और नयागढ़ सबडिविजन क्षेत्र में महानदी तथा अन्य नदियों में आने वाली बाढ़ों पर नियन्त्रण भी किया जा सकेगा और यह क्षेत्र

धान्यागार में बदल जायेगा। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह इस पर विचार करें।

कटक जिले में भी क्षति हुई है। मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान एक और समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। यह एक चिन्ता की बात है कि यद्यपि सभी राज्यों में प्रतिव्यक्ति आय बढ़ गई है, उड़ीसा में यह कम हो गई है। उड़ीसा में 1980-81 में प्रति व्यक्ति आय 1101 रुपये थी, 1981-82 में यह 1,308 रुपये थी; 1982-83 में यह 1,339 रुपये थी; 1983-84 में यह 1,636 रुपये थी; परन्तु 1984-85 में यह घट कर 1534 रुपये हो गई है। जबकि सभी राज्यों में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, उड़ीसा में यह कम होती जा रही है। कारण यह है कि पिछले कई वर्षों से उड़ीसा में बिजली की कमी है और इसलिए, लगभग सभी उद्योगों और कारखानों को बिजली नहीं मिल रही है। बिजली में कटौती की जाती है और इसलिए उत्पादन में बाधा उत्पन्न हो गयी है। यही कारण है कि उड़ीसा में प्रति व्यक्ति आय क्यों गिर रही है।

एक बात और कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। जहां तक फसल बीमा का संबंध है, बजट में इसके लिए एक प्रावधान है। मुझे खुशी है कि इस योजना के किसानों को अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। जब कभी बाढ़ आती है अथवा जब कभी तूफान आता है तो कई क्षेत्रों में खड़ी फसल को बहुत क्षति पहुंचती है, परन्तु उड़ीसा के उन क्षेत्रों में फसल बीमा योजना नहीं है। मैं नहीं जानता कि उड़ीसा में इन क्षेत्रों को फसल बीमा योजना में क्यों शामिल नहीं किया गया है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उड़ीसा के लगभग सभी जिलों को, जो लगातार या तो सूखे की चपेट में रहते हैं अथवा बाढ़ या तूफान की चपेट में रहते हैं, फसल बीमा योजना में शामिल करें, ताकि किसानों को इस योजना का लाभ मिले।

श्री तम्पन थामस (मवेलिकरा) : महोदय 1,318 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगों से यह पता चल जाता है कि सरकार की वित्तीय समस्या के प्रति पहुंच कितनी अव्यावहारिक तथा अवास्तविक है···(**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, कोई मन्त्री उपस्थित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : दो मन्त्री उपस्थित हैं। एक और मन्त्री भी आने वाले हैं। मन्त्रिमण्डल स्तर के मन्त्री यहां हैं।

श्री अमल दत्त : वे अनुपूरक मांगों के प्रभारी नहीं हैं। क्या वे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, वे···

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय अभी बाहर गये हैं। वह वापस आने वाले हैं। दो अन्य मन्त्री हैं, जो इस मामले की देखभाल कर रहे हैं। आपके द्वारा ये सब बातें उठाने में कोई मुद्दा नहीं बनता है।

श्री तम्पन थामस : महोदय, मेरे प्रश्नों का उत्तर कौन देगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका जवाब दे दिया जायेगा। चिन्ता मत कीजिए···

(**व्यवधान**)

श्री तम्पन थामस : महोदय, मैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहा हूं। उनका जवाब कौन देगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह यहां हैं। मन्त्रिमण्डल के स्तर के मन्त्री एक मिनट के लिए बाहर गये हैं। आप ये बातें क्यों कह रहे हैं ? दो मन्त्री पहले ही यहां हैं। आप जो कहते हैं मैं उसे नहीं मानता।

श्री तम्पन थामस : अनुपूरक अनुदानों की मांगें 1,318 करोड़ रुपये की हैं। इससे पता चलता है कि योजना अवास्तविक तथा अव्यावहारिक है। इससे सरकार की कमजोर नीति का पता चलता है। यह भ्रान्तिपूर्ण है।

मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय मेरे द्वारा पूछे जाने वाले एक विशेष प्रश्न का उत्तर दें। हाल ही में हमारे केरल के वित्त मन्त्री महोदय ने एक वक्तव्य दिया था कि केरल का लाभ का बजट है। बाद में श्री पुजारी, जो यहां मन्त्री हैं, ने कहा कि यह बजट घाटे का है। तब केरल के मुख्य मन्त्री ने कहा—यह बजट घाटे का हो सकता है, यह लाभ का बजट भी हो सकता है। (**व्यवधान**) मैं कांग्रेसी मन्त्रियों के बारे में बता रहा हूं। इस तरह से वे लोगों को उल्लू बनाते हैं। वे लोगों के सामने कहानियां बनाते हैं। (**व्यवधान**) मैं जानना चाहता हूं कि क्या पुजारी महोदय सही हैं अथवा केरल के वित्त मन्त्री महोदय सही हैं ? अथवा क्या यह कहना सरकार की नीति है कि यह एक लाभ का बजट हो सकता है या यह एक घाटे का बजट भी हो सकता है।

यह धारणा अनुपूरक मांगों में भी अच्छी तरह से परिलक्षित हुई है। यदि उपयुक्त योजना बनाई गई थी, उचित मूल्यांकन किया गया था, देश की समस्याओं पर उचित ढंग से विचार किया गया था तो सरकार अनुपूरक अनुदान मांगों के लिए इतनी बड़ी राशि नहीं लाती। इसलिए मैं कहता हूं कि ये लोग, ये सब बातें, बिना किसी उपयुक्त योजना के सामने लाते हैं।

ताजा स्थिति यह है कि कल एक खबर थी कि वित्त मन्त्री महोदय ने सभी काला धन रखने वालों और कर की चोरी करने वाले सभी लोगों को क्षमा दान दे दिया है। उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी है कि और वे चाहते हैं कि वे आगे आयें, यदि वे उस धन को सरकारी निधि दे देते हैं तो उन्हें संरक्षण प्रदान किया जायेगा। हाल ही में जब मैंने विद्युत की कमी पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा, माननीय मन्त्री महोदय ने इस सभा को बताया था कि काला धन रखने वाले लोगों को आगे आना चाहिए और विद्युत पैदा करने के लिए धन लगाना चाहिए। ये सरकार की नीतियां हैं जिनके द्वारा सरकार काला धन रखने के लिए और कर की चोरी के लिए प्रोत्साहन देती है तथा उन लोगों को बढ़ावा देती है जो समाज का शोषण करते हैं। (**व्यवधान**)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : सरकार काले धन को निकालना चाहती है।

श्री तम्पन थामस : यदि सरकार चाहती है कि काले धन को निकाला जाये, तो वह इस काम को एक घण्टे के भीतर कर सकती है, बशर्ते कि वह वर्तमान मुद्रा को बदल दे। वह सौ रुपये के नोट को भलीभांति बदल सकती है। यदि धनवान लोगों द्वारा रखे गये सोने का हिसाब लगाया जाये और प्रकाश में लाया जाये तो उससे भी आवश्यक निधि पैदा की जा सकती है। मैं यह भी कहूंगा कि यदि सम्पत्ति पर उच्चतम सीमा निर्धारित कर दी जाये उनकी अधिकतम समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्या सरकार एक कानून लाने के लिए तैयार है जिसके द्वारा वे

खर्च को नियन्त्रित कर सकें ? क्या कोई व्यय कर है ? क्या सरकार अनावश्यक खर्च को नियन्त्रित करने जा रही है जो लोगों द्वारा किया जाता है ।

सरकार द्वारा काले धन का अनुमान लगाने के लिए नियुक्त की गई समिति ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि 36000 करोड़ रुपए का काला धन है । उसी समय अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सूचना दी है कि भारत में 76000 करोड़ रुपए काला धन है । इस काले धन को राष्ट्रीय धारा में लाने के लिए सरकार कौन से कठोर उपाय करेगी ?

मैं जानता हूं कि यह सरकार जनता को किस तरह बेवकूफ बना रही है । उसने कहा था कि मेरे राज्य में पालघाट जिले में वे एक सवारी डिब्बे बनाने का कारखाना लगायेंगे । परन्तु बाद में उन्होंने यह कारखाना पंजाब में लगा दिया । आखिरकार जब हमने पालघाट में सवारी डिब्बे बनाने का कारखाना लगाने के बारे में पूछा तो सरकार ने जवाब दिया कि यह पंजाब में लगा दिया गया है । ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि उस समय पंजाब में चुनाव होने वाले थे । उन्होंने सोचा कि सवारी डिब्बे बनाने का कारखाना लगाने का आश्वासन देकर पंजाब में वोट मांगे जा सकते हैं । दूसरा मामला यह है । त्रिवेन्द्रम में एक हवाई अड्डा बनाने का आश्वासन दिया गया था । त्रिवेन्द्रम से आने वाले मेरे साथी यहां बैठे हैं । उनके निर्वाचन क्षेत्र में यह हवाई सेना का अड्डा बनाने की योजना बनाई गई थी । परन्तु अब मुझे बताया गया है कि यह मदुरै में बनने जा रहा है । इसे मदुरा में क्यों बनाया जा रहा है ? क्या यह इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि तमिलनाडु में वहां एक उपचुनाव होने वाला है । (व्यवधान) फिर केरल में एक नौसेना अकादमी स्थापित करने का प्रस्ताव है । परन्तु मुझे बताया गया है कि यह गोवा में स्थापित की जा रही है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : चाहे यह कुछ भी है, यह भारत में है । चिन्ता मत कीजिए । यह भारत में है ।

श्री तम्पन थामस : महोदय, मैं यह केवल इसलिए बता रहा हूं कि सरकार जनता को किस तरह बेवकूफ बना रही है । ऐसा नहीं होना चाहिए । यही कारण है कि मैं कहता हूं कि भारत की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए अनुपूरक अनुदान इस तरह नहीं लाने चाहिए । इससे देश की विभिन्न समस्याओं के बारे में सरकार द्वारा योजना का अभाव ज्ञात होता है । सरकार जनता को बहका रही है जिसका मैं जोरदार विरोध करता हूं ।

इस संदर्भ में, मैं दूसरा उदाहरण दे सकता हूं । आपके पास और मेरे पास मन्त्री महोदय सहित हम सबके पास जो पैसा है वह विदेश में बना है । पश्चिमी जर्मनी हमारी सरकार के लिए सिक्के बना रही है । आपके सिक्के बनाने के लिए सरकार ने विदेशों को ठेका दिया है । यहां तक कि आपके देश में भी आप अपनी मुद्रा बनाने में सक्षम नहीं हैं । यह कितनी शर्म की बात है । क्या आप इसके लिए शर्मिन्दा नहीं हैं।

कोचीन पोतनिर्माणी के सम्बन्ध में, इसमें तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लिए जहाज बनाने की क्षमता है । तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को चार जलयानों की आवश्यकता है । हम उन्हें बनाने के लिए तैयार हैं । परन्तु आप यह ठेका कोचीन को नहीं दे रहे हैं । आप यह ठेका जापान में मित्सुबिशी को दे रहे हैं । यह ठेका जापान को क्यों दिया जा रहा है ।

प्रो० मधु दण्डवते : यहां तक कि लिपस्टिक का भी आयात किया जा रहा है।

श्री तम्पन थामस : हां, यहां तक कि लिपस्टिक का भी इटली से आयात किया गया है।

प्रो० मधु दण्डवते : परन्तु लगाने वाले तो भारत में हैं।

श्री तम्पन थामस : सरकार देश में स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं दे रही है। क्या स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का यही तरीका है? कुल मिलाकर परिणाम क्या निकलता है? कुल मिलाकर यह परिणाम निकलता है कि हमारी 50% जनसंख्या अभी तक गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। (व्यवधान) महोदय, आपने मुझे बहुत कम समय दिया है।

श्री ए० चार्ल्स : जब जनता पार्टी ने एक रोलिंग प्लान शुरू की थी उस समय पूरा देश अस्त-व्यस्त अवस्था में था।

श्री तम्पन थामस : हमने योजनाएं बनाई थीं; हमने विकेन्द्रीकरण और गांवों में उत्पादन बढ़ाने का वायदा किया था। हमने एक आर्थिक कार्यक्रम बनाया था। परन्तु हमें सत्ता में बने रहने का अवसर नहीं दिया गया। हम अर्थव्यवस्था को नीचे के स्तर से बनाना चाहते थे। परन्तु आप इसे ऊपर के स्तर से बनाने की योजना बना रहे हैं। आप दूसरे देशों को लाभान्वित करने की योजना बना रहे हैं। आप इस देश के फायदे के लिए योजना नहीं बना रहे हैं। हमारे विकास के लिए आपके पास कोई आर्थिक कार्यक्रम नहीं है। कुल मिलाकर ऐसी बातों से पता चलता है कि सरकार में भावी योजना बनाने से संबंधित दृष्टिकोण की कमी है। वह इन बातों को सुनियोजित किए बिना ये अनुपूरक मांगें ला रही है। अतः मैं इन मांगों का विरोध करता हूं।

डा० फूलरेणु गुहा (कन्टाई) : हम एक गतिशील समाज में रह रहे हैं न कि एक गतिहीन समाज में। हमारी आवश्यकतायें बदलती जाती हैं और यही कारण है कि यह विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाना है।

मैं कहना चाहूंगी कि बजट केवल आय और व्यय का एक संतुलन पत्र नहीं है। यह दिशा निर्देश और मार्गदर्शी सिद्धान्त भी प्रदान करता है।

हमें कतिपय वस्तुओं की मूल्य वृद्धि के बारे में विचार करना है। फल और सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। फल और सब्जियों को उगाने की विभिन्न योजनाएं स्वीकृत की जा सकती हैं। फल सब्जियां चावल और गेहूं देश के हर कोने में उगाये जा सकते हैं और उसके लिए सिंचाई की आवश्यकता है। इसलिए महोदय, मैं आपके जरिए सरकार से अनुरोध करती हूं कि हमारे देश में इस कार्य हेतु अधिक क्षेत्र को सिंचित करने के लिए और अधिक सिंचाई योजनाओं को जितनी जल्दी संभव हो सकें स्वीकृत करने पर विचार किया जाये।

यदि पर्याप्त परिवहन सुविधाएं दी जाती हैं तो सभी वस्तुओं की कीमतों में थोड़ी कमी आ जायेगी।

ट्यूबवैल लगाने और बहुउद्देशीय योजनाओं जैसी कई योजनाएं कई राज्यों ने पेश की हैं। उनके बारे में क्या किया गया है? मुझे यह कहते हुए खेद है कि जब एक विभाग एक योजना को स्वीकृत करता है तो दूसरा उसे लिए बैठा रहता है और उसे इसकी मंजूरी नहीं देता। इसलिए मैं मंत्री जी से या मंत्रालय से आग्रह करूंगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि जब एक योजना स्वीकृत

की जाती है तो उसके बारे में आरम्भिक कार्यवाही की जाये और फिर सभी विभाग एक साथ बैठकर इसे स्वीकृत करें न कि फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग में जाये और इस तरह पूरा साल इसमें लग जाये।

महोदय, मैं आपके जरिए मन्त्री से यह भी अनुरोध करूंगी कि देश के विभिन्न भागों में विशेषत: गांवों में जहां निर्धन लोग रह रहे हैं ऋण मेलों का आयोजन किया जाये। मैं आपके ध्यान में भर्ती के सम्बन्ध में एक अन्य महत्वपूर्ण मसला लाना चाहती हूं। केन्द्र सरकार की सेवाओं में भर्ती हेतु बहुत समय से प्रतिबंध लगा है जिसके परिणामस्वरूप वे सब लोग जो 28 वर्ष की आयु को पार कर रहे हैं उन्हें केन्द्र सरकार की सेवा से वंचित रखा जा रहा है क्योंकि उन्होंने यह आयु पार कर ली है।

महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यहां कलकत्ता के टेलीफोन प्रणाली के बारे में कहना चाहूंगी। अधिकतर घरों के टेलीफोन लगभग बन्द पड़े रहते हैं और हमें अक्सर बताया जाता है कि तारें खराब हैं। इसलिए महोदय, मैं सरकार से आपके जरिए अनुरोध करूंगी कि वे इसकी जांच करें और यदि उन्हें लगता है कि तारे खराब हैं तो उन्हें बदलें। वे टेलीफोन अंशदाताओं को महीनों तक टेलीफोन सुविधाओं से वंचित नहीं रख सकते हैं। हम किसी को भी फोन नहीं कर पाते। हमें इसमें सफलता नहीं मिलती है। यहां तक कि जब हम टेलीफोन विभाग में जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि फलों क्षेत्र विशेष में कोई गंभीर रूप से बीमार है, फिर भी वे कुछ भी नहीं करते।

महोदय, मैं एक अन्य मसले का उल्लेख करना चाहूंगी। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि कुछ गांवों में अभी तक भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी ऐसे गांव है जहां जरा भी पानी नही है। यह बहुत दुख की बात है कि अब तक भी लोग पीने का पानी न होने से परेशान हैं। और इससे किसे कठिनाई होती है? इससे औरतों को कठिनाई होती है, क्योंकि औरतों को ही पीने के लिए एवं खाना पकाने के लिए भी पानी लाना पड़ता है।

मैं एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे का जिक्र करना चाहूंगी और वह यह है कि सरकार स्वयंसेवी संगठनों के लिए धन मंजूर करती है क्योंकि सरकार को विश्वास है कि यदि स्वयंसेवी संगठनों को सहायता दी जायेगी तो वे भी देश के विकास में सहायता देंगे। परन्तु महोदय, मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि बहुत से मामलों में स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की किस्त समय पर नहीं मिल पाती है। जिसका परिणाम यह होता है कि निर्धन मजदूरों को 4 या 5 महीनों तक कोई धन नहीं मिलता है। उनको कितना वेतन दिया जाता है? लगभग न के बराबर। परन्तु कोई भी उसकी परवाह नहीं करता है। इसके अलावा उसकी सेवाओं का क्या होता है? जो धन उनकी सेवाओं के लिए नियत किया जाता है वह उन्हें चार या पांच या छः महीनों तक भी नहीं मिलता है फिर वे अपनी सेवाएं कैसे दे सकते हैं? इसलिए महोदय, मैं आपके जरिए अनुरोध करूंगी कि सरकार यह धन नियमित रूप से मुहैय्या करे। इसका एक और तरीका भी हो सकता है, मैं अब उसके विस्तार में नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप घन्टी बजाने वाले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया, बहुत सतर्क हैं।

डा० फुलरेणु गुहा : इसलिए मैं आग्रह करूंगी कि आप ऐसी विधि बनाएं, जिसके जरिए आप धन स्वीकृत कर सकें और दे सकें। आपको इन संगठनों को इस तरह धन से वंचित नहीं रखना चाहिए।

महोदय, मुझे कहते हुए खेद है कि सरकारी कार्यालय में कार्यरत कोई भी व्यक्ति आपको इस तरह पैसा समय पर न देने की अनुमति नहीं देगा। यदि महीने की अन्तिम तारीख शनिवार या रविवार हो तो वे पैसा उससे पहले दिन चाहेंगे। परन्तु वे स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखते हैं जो दूसरे ही ढंग से अपना कार्य कर रहे हैं।

महोदय, अन्तिम मुद्दा जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगी वह यह है कि हमारे देश में बहुत अच्छे अधिनियम हैं। इनका कार्यान्वयन दो हिस्सों में होता है। एक हिस्से का कार्यान्वयन ठीक प्रकार नहीं किया जाता है और मैं इस समय इसकी बात नहीं कर रही हूं। परन्तु मैं यह कहना चाहती हूं कि धन के अभाव के कारण इनमें से ज्यादातर अधिनियमों को उचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया जाता है। यहां शिशु गृह हैं, नारी गृह हैं परन्तु उनकी संख्या बहुत कम है। हमारे देश के कानून के अनुसार आवारा घूमने वालों के लिए आश्रम गृह हैं परन्तु आप उनमें अधिक बच्चों और महिलाओं को नहीं रख सकते हैं क्योंकि सरकारी संगठनों या स्वयंसेवी संगठनों में कहीं भी आवास की पूरी व्यवस्था नहीं है। इसलिए औरतें, बच्चे और बूढ़े तथा निराश्रय लोग दुख भोगते रहते हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कि सरकार उनके लिए न केवल कानून न बनाये अपितु कानून के साथ इन सभी योजनाओं के लिए धन भी उपलब्ध कराये।

अन्ततः मैं पुनः सिंचाई पर पीने के पानी को उपलब्ध कराने पर तथा स्वयंसेवी संगठनों को अप्रैल माह में धन दिलाने पर जोर दूंगी—मेरा तात्पर्य पूरे धन से नहीं है, परन्तु कम-से-कम इसका कुछ हिस्सा तो मिलना चाहिए। यदि आपको किसी विशेष संगठन के बारे में कोई संदेह है तो मैं उसे स्वीकृति दिलाने वालों में अन्तिम व्यक्ति हूं। परन्तु आप सारे संगठनों का धन नहीं रोक सकते हैं। हर वर्ष अप्रैल माह में कम-से-कम भाग जारी करें और फिर जब आपको उसका लेखा-जोखा प्राप्त हो जाये तो शेष राशि भी उसी वर्ष दो किस्तों में दे दी जाये।

इन शब्दों के साथ मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करती हूं।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : अध्यक्ष महोदय, सदन में जो सप्लीमेंटरी ग्रांट आई हैं उनका मैं समर्थन करता हूं। संविधान बनाने वालों ने भारतीय संविधान के माध्यम से इस देश की गरीब जनता को आश्वासन दिया कि रोटी, कपड़ा और मकान यह गरीब लोगों को मुहैया करायेंगे इस दिशा में प्रयत्न होना चाहिए। सन्तोष इस बात का है कि इस देश के गरीब लोगों के लिए जहां तक अनाज का सवाल है, मैं माननीय प्रधान मंत्रीजी का हृदय से स्वागत करता हूं कि उन्होंने देश के गरीब लोगों के लिए सब्सिडी के ऊपर अनाज देने की व्यवस्था की है। परन्तु दूसरा सवाल आता है मकान का, अर्बन डवलपमेंट विभाग के दोनों मंत्रीजी यहां बैठे हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, गांवों के अन्दर, शहरों के अन्दर झोंपड़-पट्टी वालों की क्या हालत है, अभी राज्य मंत्रीजी नागपुर गये थे और मैंने इनको वहां झोंपड़-पट्टी वाले इलाकों में घुमाया था और लोगों ने जो बातें इनसे कहीं उनका इन्होंने जवाब नहीं दिया, आंखों से आंसू आने बाकी रह गये थे। वहां पर झोंपड़-पट्टी वाले इलाके में इतनी गन्दगी है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है और उस पर मच्छर बैठे रहते हैं. वह सब इन्होंने देखा। आपको इनके सुधार के लिए अगर पैसा मांगना था पांच-दस करोड़ रुपये, आप मांगते, हम यहां पर बैठे थे। पर यह किसके लिए मांगते हैं, इन्कम टैक्स वाले लोगों के लिए, उनके बड़े-बड़े बंगले बनाने के लिए, उनके कार्यालयों के लिए पर झोंपड़-पट्टी में जो

हजारों लोग हमारे यहां नारकीय जीवन बिता रहे हैं उनकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। यह मेरा पहला भाषण नहीं है, यह मेरा तीसरा भाषण है, लेकिन अभी तक सरकार ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कोई योजना नहीं बनाई, ऐसा लगता है कि हम . इस देश के गरीबों को भूल रहे हैं।

जब हम गरीबों के बारे में बातें करते हैं तो खाली बात करते हैं। आप इनके लिए कंक्रीट कदम उठायें। अर्बन एरिया में, शहरों से रहने वाले जो गरीब आदमी, झोंपड़-पट्टी में रहने वाले लोगों की तरफ आपको ध्यान देना होगा। हमारे यहां पर प्राथमिकता के आधार पर नीतियां हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम में जो प्राथमिक नीतियां हैं उसमें जो सबसे पहली प्राइरोरिटी है वह है गरीब के सिर के ऊपर छत होनी चाहिए, उसके ऊपर हमें कार्य करना चाहिये......

उपाध्यक्ष महोदय, आज शहरों की हालत बराबर बिगड़ती जा रही है। कहीं पर व्यवस्थित विकास नहीं हो रहा है, सीवर की समस्या वैसी की वैसी है, पानी की व्यवस्था नहीं है और आपकी यह योजना थी कि कोई भी नेशनल हाईवे किसी शहर से होकर नहीं गुजरेगी, उसको शहर के बाहर से ही निकाला जाएगा और इसकी जवाबदारी सीधे केन्द्रीय सरकार पर आती है कि हमारे नागपुर शहर के बीचोंबीच से होकर जो बम्बई से कलकत्ता जाने वाला हाईवे है, उसके अलावा एक हाईवे हैदराबाद से दिल्ली आने वाला भी है, उस पर कितना ट्रैफिक है जो शहर के मध्य से गुजरता है और उसके कारण सैकड़ों बच्चे रोज कुचले जाते हैं। जब भी हम सुबह अखबार उठाकर देखते हैं तो हमें रोजाना ऐसे समाचार मिलते हैं। उसके कारण प्रतिदिन स्कूलों में हड़ताल होती हैं और निरपराध बच्चों की जान जाती हैं। कितने ही बच्चों के मां-बाप, जिनके बच्चे प्रातः स्कूल जाते हैं, शाम को अपने बच्चों का मुख तक नहीं देख पाते। मेरा निवेदन है कि आप इस स्थिति को सुधारने पर विचार कीजिए। मैंने इस मामले में आपको कई चिट्ठियां भी लिखी हैं, हाउस में भी कहा है। क्या आप तब जागेंगे जब हमारे हाथ से सारा मामला निकल जाएगा और जनता सड़कों पर आ जायेगी। ऐसी परिस्थिति न आये, इसके लिए आवश्यक है कि मंत्री जी आप अभी से इस समस्या पर गहराई से विचार करके आवश्यक व्यवस्था करें। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

दूसरी बात मैं स्वदेशी कॉटन मिल के बारे में कहना चाहता हूं जिसके लिए 22.32 करोड़ रुपये आपने दिये हैं। उसकी पूरी डिटेल्स इसमें नहीं हैं। मैं यह मानकर चलता हूं कि मजदूरों का जो कर्जा होगा या उनको देने के लिए यह प्रावधान है। यदि ऐसी बात है तो अच्छा है परन्तु यदि उसकी प्रोपर्टी की यह कीमत है तो यह बहुत गलत है। डिटेल्स न होने की वजह से इस विषय में मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। परन्तु सरकार का ध्यान नागपुर की इम्प्रेस कॉटन मिल्स की तरफ जरूर आकर्षित करते हुए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि वह टाटा की पहली यूनिट थी और उसके कारण आज 7 हजार मजदूर सड़कों पर फेंक दिये गये हैं। जो टाटा दिन-प्रतिदिन सम्पत्ति के अम्बार बढ़ाता चला जा रहा है, उसके लिए इस सरकार के पास कोई कानून नहीं है, कोई कायदा नहीं है। आज हालत यह हो गई है कि टाटा की तरफ कोई टेढ़ी नजर से देख नहीं सकता, यह स्थिति है। उसने 7 हजार मजदूरों को सड़क पर फेंक दिया परन्तु यह सरकार कुछ नहीं कर सकी। आज वे आन्दोलन कर रहे हैं, उनके परिवार भूख से मारे-मारे फिर रहे हैं। जो मजदूर पहले 50 रुपए रोज कमाता था आज वह बोरा ढोने के लिए मजबूर है और मुश्किल से 10 रुपये कमा पाता है। आज वह रोजी-रोटी से मोहताज हो गया है। आप ऐसे मजदूर के लिए कुछ

प्रावधान अवश्य करिए और प्रियोरिटी के आधार पर कीजिए। सरकार उस मिल को अपने नियंत्रण में लेकर चलाए। परन्तु हम देख रहे हैं कि जब राज्य सरकार उसे चलाने के लिए तैयार हुई और उसकी तरफ से केन्द्रीय सरकार को लिखा गया तो यहां रैडटेपिज्म के कारण वह फाइल आपके मंत्रालय में ही पड़ी है। केन्द्र सरकार से अभी तक उसकी स्वीकृति नहीं भेजी गयी है और उसकी वजह से सारा मामला अटका हुआ है। इसीलिए वह मिल अब तक नेशनेलाइज नहीं हो सकी। मेरा निवेदन है कि ऐसे मामलों में टैडटेपिज्म नहीं होना चाहिए। गरीबों के मामले में किसी तरह की नाइंसाफी नहीं होनी होनी चाहिए। जब भी गरीबों का सवाल आता है, उसको तो प्रियोरिटी के आधार पर निपटाया जाना चाहिए।

एक मुद्दा मैं यह उठाना चाहता हूं कि क्या हमारे देश में संविधान नाम की कोई चीज है, जिसको हम गीता मानते हैं। हमारे संविधान में देश के तमाम पिछड़े हुए इलाकों के डैवलपमेंट के लिए प्रावधान किया हुआ है परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या संविधान के आर्टिकल 371(2) के माध्मम से विदर्भ के 8 जिलों को जो आश्वासन दिया गया था कि वे महाराष्ट्र के साथ मिल जाएं और आपका जितना भी बैकलोग है, आपके साथ जो अन्याय होगा, महाराष्ट्र के साथ मिलने के बाद वह अन्याय दूर कर दिया जाएगा परन्तु आज वहां का बैकलोग 8 से 10 हजार करोड़ रुपये का हो गया है और इस कारण उस इलाके का विकास एकदम से ठप्प पड़ गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान में दिए गए उस आश्वासन को मद्देनजर रखते हुए, विदर्भ की जनता के साथ किए हुए वायदे को तुरन्त क्रियान्वित किया जाए। उसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर है और जल्दी से जल्दी इस दिशा में वह कदम उठाये, ऐसी मेरी आपसे विनती है।

जब यहां पर टैक्सटाइल पौलिसी की बात की जाती है, मेरी समझ में नहीं आता कि आप कैसी पौलिसी की बात करते हैं। मिलें रोज सिक होती जा रही हैं। कॉटन उगाने वाला किसान चिल्ला रहा है। उसको उचित भाव नहीं मिल रहे हैं। कपास के गोदाम के गोदाम भरते जा रहे हैं और माल नहीं बिक रहा है। आखिर ऐसी कौन सी पौलिसी है जिसके कारण एक साल में ही विपरीत परिणाम सामने आ रहे हैं। हैंडलूम वीवर्स का बुरा हाल है। मैं सारे देश की तो बात नहीं करता परन्तु नागपुर के बारे में जानता हूं, वहां करीब दो लाख बुनकरों की हालत दिन-पर-दिन खराब होती चली जा रही है। आज वे रोजी-रोटी से मोहताज हो गये हैं। उन्हें सुबह-शाम रोजी-रोटी नहीं मिलती। वैसे तो आपने उनके लिये शैड्स की योजना बनाई थी परन्तु आज कोई दिखने तो दूर, बनने की बात भी तब सोची जा सकती है, जब उसके लिये बजट में प्राव-धान किया गया हो। आपने कहा था कि उनके यंत्रों का यंत्रीकरण किया जायेगा परन्तु उसके लिए भी इस बजट में कोई पैसा नहीं है। वैसी कोई योजना इसमें नहीं दिखाई पड़ रही है। पता नहीं आप कब अपने वायदों को पूरा करेंगे। क्या हमारे जाने के बाद इम्पलीमेंट करेंगे। मेरा निवेदन है कि आप जो भी आश्वासन दें उसको कम से कम पूरा तो करें। रैडटेपिज्म हमारे किसी काम को होने नहीं दे रहा, आपकी अफ़सरशाही उसको नहीं करने देती, आप इस ओर भी देखें। यही मेरा आपसे निवेदन है।

3.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं क्राप-इंश्योरेंश के बारे में कहना चाहता हूं कि यह स्कीम तो बहुत अच्छा है पर इस क्राप-इंश्योरेंस का फायदा किसको मिलता है, जिसने कर्ज लिया हो,

जिसने कोआपरेटिव बैंक से कर्जा लिया हो, हमारे महाराष्ट्र स्टेट में उसको क्राप-इंश्योरेंश का फायदा मिलता है। जिसने कर्जा नहीं लिया है, उसको महाराष्ट्र में इस क्राप-इंश्योरेंश का फायदा नहीं मिलता है। अगर कर्जा लेने के बाद उसने कर्जा नहीं दिया है, तो उसको भी इस क्राप-इंश्योरेंस की स्कीम का फायदा नहीं होगा। इसमें मेरा निवेदन है कि जरा नीति ठीक से बनाईए, उसमें परिवर्तन करिए। मेरा इसमें आग्रह है कि इस नीति को कुछ ऐसा बनाइये जिससे वहां के गरीब किसानों को इसका फायदा मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विदर्भ क्षेत्र का और हमारे नागपुर का संतरा पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी मशहूर है। इसलिए उस संतरा पैदा करने वाले किसान को, उस क्राप-इंश्योरेंश का फायदा मिले। यह मांग मैं अपने मंत्री महोदय से और अपनी सरकार से करना चाहता हूं कि जो गरीब आदमी है, जो किसान है, जो पैदा करने वाला है, इस क्राप-इश्योरेंश का फायदा उसको मिले, ऐसा प्रावधान आप करिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आखिर में, मैं टेलीफोन के बारे में कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री श्री मिर्धा जी उद्घाटन करने के लिए नागपुर आये थे और उन्होंने टेलीफोन की वेटिंग लिस्ट की स्थिति को देखते हुए आश्वासन दिया था कि पहला इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज नागपुर शहर में आयेगा। नागपुर के लोकल एवं नेशनल पेपर्स ने इस खबर को बैनर्स में छापा। उपाध्यक्ष महोदय उसको आज डेढ़ साल हो गया न तो इलैक्ट्रिक एक्सचेंज का पता है और न ही टेलीफोन का पता है। वहां की बहुत खराब हालत है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने वायदा किया है और जिस तरह से अपना नाम और फोटो पेपर्स में बैनर्स में छपवाई है, तो कम से कम आप उस वायदे पर कायम रहिए और मैं पुरजोर यह निवेदन करना चाहता हूं, इस सरकार से कि पहला इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज नागपुर शहर में मिलना चाहिए।

3.02 म० प०

[श्री वक्कम पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री दिनेश गोस्वामी (गौहाटी) : विनियोग विधेयक सदस्यों को उपयुक्त अवसर देता है कि वह किसी भी विषय पर बोलने के अधिकार का प्रयोग करें जैसा कि मैंने देखा है बहुत से वक्ताओं में अपने निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में कहा है। मैं इस अवसर का लाभ पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लोगों की समस्याओं पर प्रकाश डाल कर उठाना चाहता हूं। वास्तव में मुझे प्रसन्नता है कि कुछ सदस्य जो मुझसे पहले बोले हैं उन्होंने पहले ही इस विषय पर प्रकाश डाला है।

विनियोग विधेयक के अन्तर्गत मैं विशेषतः तीन मदें ही लूंगा—जल संसाधन उद्योग तथा कला और संस्कृति की मदें जहां तक जल संसाधनों का सम्बन्ध है, जल संसाधन मंत्रालय को संसद 10 लाख रुपयों का अनुदान देने जा रही है हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि कितना ज्यादा धन जल संसाधन मंत्रालय को दिया जायेगा। परन्तु मुझे यह लगता है कि जल संसाधन मंत्रालय द्वारा पूर्वोतर क्षेत्र के साथ बहुत सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सभा अब इस बात से एकमत है कि पूर्वोतर क्षेत्र एक पिछड़ा और उपेक्षित क्षेत्र है। मैं इसके अलावा और अधिक कहूंगा कि पूर्वोतर क्षेत्र न केवल पिछड़ा और उपेक्षित क्षेत्र है परन्तु यहां से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी भी देश की एक बहुत ही उपेक्षित नदियों में से है, क्योंकि यदि इसका उचित रूप से उपयोग किया

जाये तो ब्रह्मपुत्र न केवल पूर्वोतर क्षेत्र को ही बिजली उपलब्ध करा सकती है अपितु पड़ोसी राज्यों को भी बिजली प्रदान कर सकती है लेकिन इस बात के बावजूद भी अभी तक ब्रह्मपुत्र नदी के संसाधनों का उपयोग करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति के एक अनुमान के मुताबिक पूर्वोतर क्षेत्रों में बिजली उत्पादन की अधिकतम क्षमता है और यह क्षेत्र देश की बिजली की आवश्यकता का 30.0 प्रतिशत विद्युत का उत्पादन कर सकता है। परन्तु, दुर्भाग्य से इस देश के पूर्वोतर क्षेत्र में बिजली का उत्पादन, खपत तथा आबंटन न्यूनतम है। यह बताया गया है कि इस क्षेत्र में बिजली की खपत केवल 25 किलोवाट है जबकि राष्ट्रीय औसत 145 किलोवाट है मैंने कुछ वर्ष पहले स्वयं कुछ गणना की थी और मेरे पास ताजे आंकड़े नहीं हैं। पूर्वोतर क्षेत्र को 3000 करोड़ रुपयों से अधिक दिया गया था और दक्षिण क्षेत्र को 4000 करोड़ रुपये दिए गये हैं और पूर्वोतर क्षेत्र को बिजली के लिए केवल 248 करोड़ रुपये आबंटित किये गये थे। एक ओर, एक विशेष क्षेत्र को 3000 करोड़ रुपये दिये गये और दूसरे क्षेत्र को 4000 करोड़ रुपये दिये गये और इस पिछड़े क्षेत्र को आपने बहुत महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास हेतु केवल 248 करोड़ रुपये ही दिये। स्पष्टतः यह क्षेत्र पिछड़ा ही बना रहेगा। और इस पिछड़ेपन ने बहुत सी समस्यायें पैदा की हैं जिनका मैं इस समय जिक्र नहीं करना चाहता हूं। हमने कितनी ही बार भारत सरकार के पास प्रतिवेदन भेजे हैं और असम के तथा असम राज्य सरकार के सदस्यों के अनुरोध पर ही ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम पारित किया गया और बोर्ड को बनाया गया। हम आशा करते हैं कि यह बोर्ड ब्रह्मपुत्र को विकसित करने या जलमार्ग बनाने के लिए कुछ ठोस कदम उठायेगा। बदकिस्मती से बोर्ड को संसाधनों के आबंटन के प्रश्न को अस्पष्ट छोड़ दिया गया था। इसका विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया था। इसे उस समय अधिनियम में रखा गया था कि परियोजना बनाने के बाद धन की व्यवस्था केन्द्र और राज्य सरकार करेगी। अभी तक मंत्रालय के पास कोई वृहत योजना नही आई है। हमें पता चला है कि ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने एक वृहत योजना तैयार की है जिसे प्रस्तुत किया जा रहा है, यदि पहले से प्रस्तुत नहीं किया गया है तो इसे जल्दी ही मंत्रालय को प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं जल संसाधन मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वृहत योजना की तुरन्त जांच की जानी चाहिए और उस वृहत योजना को क्रियान्वित करने हेतु धनराशि की आवश्यकता है वह दी जानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह सदन तथा दूसरा सदन उस राशि को मंजूर करने में आगे आएगा। सुबानसर और देहांग जैसी कई परियोजनाएं, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जो परियोजनाएं बाढ़ नियन्त्रित करेंगी, जो जल सिंचाई और बिलली देंगी वे अभी मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं। दुर्भाग्यवश मंत्रालय ने उन पर उचित ध्यान नहीं दिया है। मैं चाहता था कि जल संसाधन मंत्री यहां होते ताकि वे इस बारे में कुछ उत्तर देते कि इन परियोजनाओं का क्या हुआ। असम के जलसंसाधन और बिजली मंत्री दिल्ली आए थे तथा असम में चल रही परियोजनाओं के प्रयोजन के लिए 67 करोड़ रुपए की एक अल्प राशि के लिए आग्रह किया था। हमने योजना आयोग के साथ चर्चा की थी और योजना आयोग सहमत हो गया था। कि 67 करोड़ रुपए के लिए किया गया यह अनुरोध बहुत ही उचित है। इसका करीब-करीब आश्वासन दिया गया था कि इसको आबंटित किया जाएगा। परन्तु अभी तक कुछ नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से, जो यहां उपस्थित हैं, आग्रह करता हूं कि वह इस पर विचार करें यदि वह अभी उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं तो वह कम-से-कम मुझे

लिखित में दे सकते हैं या बाद में सदन को भेज सकते हैं कि इस उचित अनुरोध का क्या हुआ है।

असम को भारी भूमि कटाव का सामना करना पड़ रहा है, शहर तथा गांव समाप्त हो गए हैं हमें ब्रह्मपुत्र इस अर्थ से स्पष्ट संकेत और स्थिति पता नहीं चलता कि एक विशेष क्षेत्र में कटाव हुआ है। यदि ब्रह्मपुत्र एक विशेष क्षेत्र में कटाव करती है तो भूमि हमेशा के लिए खतम हो जाती है। और गांव के गांव नष्ट हो गए हैं। ब्रह्मपुत्र एक इतनी शक्तिशाली नदी है कि इस पर केवल एक असम राज्य द्वारा नियंत्रण करना संभव नहीं है। वास्तव में ब्रह्मपुत्र नदी की समस्या गंगा के समान नहीं है क्योंकि गंगा कई राज्यों से गुजरती है और उन कई राज्यों को उसका भार उठाना पड़ता है। आर्थिक रूप से अत्यधिक पिछड़े हुए राज्य असम द्वारा ब्रह्मपुत्र का भार नहीं उठाया जा सकता है। हम जल संसाधन मंत्री से इस पर ध्यान देने का अनुरोध करते हैं। हमने उनसे कुछ नहीं सुना है। मुझे आशा है कि कुछ किया जाएगा।

उद्योगों के अन्य पहलू के संबंध में, जहां तक उद्योगों का संबंध है इस विनियोजक विधेयक में मैं समझता हूं कि 70 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी जाएगी। असम समझौते में दो विशेष प्रावधान थे जो उद्योग से संबंधित हैं। पहला तेल शोधक कारखाने की स्थापना के बारे में था। परन्तु मुझे कहते हुए खेद होता है कि अब भारत सरकार इस तेल शोधक कारखाने की स्थापना के साथ आंख मिचौनी खेल रही है। असम समझौते में ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था कि तेल शोधक कारखाना निजी क्षेत्र में होगा। परन्तु गृह मंत्री जी ने घोषणा की है कि तेल शोधक कारखाना निजी क्षेत्र में होगा। क्योंकि यह घोषणा की गई है इसलिए मैं इसे नहीं उठाने जा रहा हूं। लेकिन मैं भारत सरकार से अभी भी यह विचार करने के लिए आग्रह करता हूं कि क्या असम जैसे अत्यधिक संवेदनशील और सुभेद्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र में तेल शोधक कारखाना स्थापित करना उचित होगा। वास्तव में, मैं समझता हूं कि मैं असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी माननीय सदस्यों के मनोभावों को व्यक्त कर सकता हूं कि सरकार को अभी भी तेल शोधक कारखाने को निजी क्षेत्र में नहीं सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने के लिए विचार करना चाहिए। तेल शोधक कारखाना उस राज्य के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सन्तुष्ट करेगा। हम मांग करते हैं कि असम राज्य में जहां कच्चा तेल निकाला जाता है उसके समीप पैट्रो-केमिकल काम्पलैक्स स्थापित किया जाना चाहिए। एक कर्मचारी दल ने इस पर विचार किया था परन्तु मुझे बताया गया है कि केन्द्रीय सरकार ने अब असम सरकार को बताया है कि तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिए वह कुछ निजी पार्टियों का पता लगाए। केन्द्रीय सरकार ने यह असाधारण स्थिति पैदा कर दी है। मैं नहीं जानता कि सरकारी तौर पर भारत सरकार ने यह दृष्टिकोण अपनाया है। परन्तु निजी चर्चा में जब हमारे सरकारी अधिकारियों के केन्द्रीय सरकार के सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की तो हमें बताया गया कि हमें ऐसी पार्टी का पता लगाना चाहिए जो निजी तेल शोधक कारखाना स्थापित कर सके। मैं समझता हूं समझौते में इसका कोई उल्लेख नहीं है अभी तक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर कभी नहीं छोड़ी गयी है। भारत सरकार ने वह जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। इसलिए मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि तेल शोधक कारखाने की स्थापना के प्रश्न पर तुरन्त विचार किया जाना चाहिए।

आपने चूंकि घंटी बजा दी है, मैं केवल रायल्टी के प्रश्न का उल्लेख करूंगा जो काफी अर्से से लम्बित पड़ा है। इस बारे में कुछ किया जाना चाहिए।

समझौते में विशेष रूप से कहा गया है कि एक पेपर मिल को—असम पेपर मिल को, पुनः चालू किया जाएगा क्योंकि यह कई वर्षों से बन्द पड़ी है। हमें कई बार कहा गया है कि इसे पुनः चालू करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं परन्तु बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं किया गया है।

मैं बताना चाहता हूं कि समझौते से पूरे देश के लोगों और राज्य के लोगों को बहुत आशाएं हैं। समझौता राष्ट्र की बचनबद्धता है। यदि समझौते को कार्यान्वित नहीं किया जाता है तो सरकार में लोगों का विश्वास समाप्त हो जाएगा। यदि असम समझौता एक वर्ष के बाद भी लागू नहीं होता है तो असम पेपर मिल को पुनः चालू करना जैसे छोटे मामले को कार्यान्वित नहीं किया जाता तो सरकार में या प्रधान मंत्री में लोगों का विश्वास पूरी तरह से डगमगा जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत सरकार इसे गंभीरता से ले।

मैं दो या तीन बातें बताना चाहता हूं। जहां तक कला और संस्कृति का सम्बन्ध है विधेयक में 1,50,00,000 रुपए की धनराशि मांगी गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की सांस्कृतिक सम्पदा और विभिन्न कला काफी समृद्ध है। इसलिए यहां सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए। दूरदर्शन केन्द्र को शक्तिशाली बनाया जाना चाहिए ताकि देश के शेष लोगों में इसकी जानकारी हो सके क्योंकि देश के शेष भाग पूर्वोतर सांस्कृतिक सम्पदा के विशाल भण्डार से परिचित नहीं हैं। मेरे परम मित्र श्री संतोष मोहन देव, जिनके साथ हम राजनैतिक रूप से प्राय: विरोध करते हैं, यहां हैं। उन्होंने पयर्टन विभाग लिया है। मुझे आशा है कि वह इस बारे में कुछ करेंगे।

मेरे पास बताने के लिए कई अन्य बातें हैं। चूंकि आप घंटी बजा रहे हैं इसलिए मुझे जारी रखने में बहुत मुश्किल हो रही है। मैं आपके साथ तकरार में नहीं पड़ना चाहता हूं, अर्थात् आप निरन्तर घंटी बजाते रहो और मैं निरन्तर बोलता रहूं। मुझे आशा है कि मंत्री जी उन सभी बातों पर ध्यान देंगे जिनका मैंने संक्षेप में उल्लेख किया है और यदि वह आज उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं तो वह कम-से-कम यह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित मन्त्री जी मुझे या हमारे दल को अति शीघ्र उत्तर भेज देंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि असम से मेरे माननीय मित्र ने बहुत से रचनात्मक सुझाव दिए हैं। मुझे आशा है कि संबंधित मंत्री जी उनके रचनात्मक सुझावों पर पर्याप्त ध्यान देंगे।

असम समझौते के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा है उससे मैं सहमत हूं। पूरी तत्परता के साथ इसको कार्यान्वित किया जाना चाहिए चाहे यह समय का प्रश्न हो और चाहे धनराशि का। मैं सरकार को जो कुछ उन्होंने कहा है केवल उस पर ही नहीं अपितु असम सरकार की क्या आवश्यकता है उस पर भी विचार करने के लिए कहना चाहता हूं। यदि भारत सरकार असम सरकार से तेल शोधक कारखाना शुरू करने के लिए कुछ निजी पार्टियों का पता लगाने के लिए कहती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। यदि असम सरकार भारत सरकार को स्पष्ट रूप से

यह बताती है कि वह किसी निजी पार्टी का पता नहीं लगा सकती है और वह चाहती है कि भारत सरकार भी इसमें सहयोग दे और अगर दोनों मिलकर किसी निजी एजेंसी का पता लगाकर उसे तेल शोधक कारखाना लगाने के लिए लिए कहते हैं इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं इस संबंध में और कुछ नहीं कहना चाहता हूं।

पूर्वोत्तर राज्यों का प्रश्न है। मिजो समझौते से भी यह बात प्रकाश में आई है। वहां छोटे और मझौले उद्योग स्थापित करने की गुंजाइश है। इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उनका हर सभव तरीके और तेज गति से भी विकास किया जाना चाहिए।

मैं सामूहिक फसल बीमा योजना के बारे में कृषि के लिए मांग संख्या 2 की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने यहां पर्याप्त ब्यौरा नहीं दिया है। मुझे आशा है कि अगली बार वे और आगे ब्यौरे देंगे जब नया बजट आएगा। साथ ही, मैं उनसे क्षेत्र को कम करने के औचित्य पर विचार करने के लिए कहना चाहता हूं। उन्हें केन्द्र के रूप में गांव रखना चाहिए न कि समिति या कुछ और, क्योंकि जितना अधिक क्षेत्र होगा उतना ही किसानों को किसी भी प्रकार का बीमे से फायदा उठाना कठिन होगा।

मुझे बहुत खुशी है कि विदेश मंत्रालय के माध्यम से विदेशी दोस्तों की सहायता के लिए कुछ व्यवस्था की गई है। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं। जो उन्होंने व्यवस्था की है, वह पर्याप्त नहीं है। हम अधिक-से-अधिक जिम्मेदारियां ले रहे हैं। रंगभेद के विरुद्ध चल रहे मौजूदा संघर्ष में हमें उन्हें और अधिक सहायता देनी होगी। इसलिए वित्त मंत्रालय को धन जुटाने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि जो कुछ हम इस समय दे रहे हैं उससे अधिक सहायता दे सकें परन्तु यह बहुत अच्छी शुरूआत है।

महोदय, शहरों में रहने वाले गरीबों को स्वरोजगार कार्यक्रमों के वास्ते अधिक सुविधाएं देने को बारे में पिछले बजट में माननीय मंत्री ने बहुत अच्छी योजना रखी थी। मैंने उन्हें सुझाव दिया था कि इसे गरीब ग्रामीण वासियों के लिए भी बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि इस पर विचार किया जाएगा। गांव और शहरों में स्वरोजगार में लगे कारीगर और अन्य कर्मकार पाये जाते हैं। वास्तव में वे गांव से शहरों में आकर बसे हैं क्योंकि गांवों में उन्हें अवसर नहीं मिले और शहरों में उन्हें अत्यधिक सहायता मिलने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप गांव में किसानों को कारीगर मिलने में कठिनाई हो रही है। गांवों तथा कस्बों में अपना धन्धा करने वाले कारीगरों को वित्तीय सहायता की आवश्यकता है और यह केवल सरकार की तरफ से हो सकती है अर्थात बैंकों से। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इस पर ध्यान दें तथा इस योजना को ग्रामों में अपना धंधा चला रहे श्रमिकों तक भी व्यापक बनाएं।

फलों के रस को बोतलों में भरने वाला संयंत्र लगाने की एक योजना है। इसको उन्होंने शुरू कर दिया है। इसके लिए कुछ व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार के संयंत्रों को विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों तथा हिमाचल प्रदेश में लगाने आवश्यकता है जहां पर फलों की प्रचुरता है। इन सुविधाओं के न होने के कारण ये फल वहां सड़ जाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री इस पर विशेष ध्यान दें।

महोदय, मुझे खुशी है कि इन्दिरा गांधी स्मारक न्यास के लिए 1.5 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गयी है। लेकिन यह कहा गया है कि यह अनुदान केवल एक बार ही प्राप्त होगा।

क्या इसका मतलब यह है कि यह अनुदान एक बार ही दिया जायेगा तथा इसके बाद कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा ? मैं इस प्रकार की शर्तें नहीं चाहता। जब भी न्यास को धन की आवश्यकता हो सरकार इसे देने के लिए स्वतंत्र होनी चाहिए।

इसके पश्चात् कपड़ा सम्बन्धी प्रश्न है। मुझे खुशी है कि आपने कपास के समर्थन मूल्य को बरकरार रखने के लिए भारतीय कपास निगम को सहायता देने के उद्देश्य से 25 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की है। अगले दो-तीन वर्षों में बहुत अधिक कपास बाहर जायेगा क्योंकि खपत से अधिक कपास पैदा किया जा रहा है। हम इसे निर्यात करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए समर्थन मूल्य एक महंगी बात होगी। अत: मैं चाहूंगा कि सरकार इस खास उद्देश्य के लिए अधिक धन खर्च करने के लिए तैयार हो। ब्रह्मपुत्र घाटी के संबंध में, मैं कुछ कहना चाहता हूं। केवल ब्रह्मपुत्र घाटी ही भूक्षरण, बार-बार आने वाली बाढ़ों, धारा का मार्ग परिवर्तन इत्यादि की समस्याओं से ग्रस्त नहीं है। गंगा का मर्ज भी सभी को ज्ञात है। तत्पश्चात् गोदावरी तथा कृष्णा के साथ भी यही समस्या है कावेरी में इतनी समस्या नहीं है। नर्मदा भी है। इन सभी बड़ी नदियों पर, महानदी पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जलमार्ग मंत्रालय को इस विशेष तथ्य पर विचार करना पड़ेगा और आगामी वर्षों में इस सदन के समक्ष एक प्रस्ताव लाना होगा, चाहे एक वर्ष में न सही लेकिन आपको इन नदियों के किनारे रह रहे लोगों की मौसम की अनियमितता से समुचित सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए।

अंत में मैं मालाबार से अपने माननीय साथी द्वारा की गई आलोचना से सहमत नहीं हो सकता जिसमें उन्होंने बजट के निर्माण के तौर तरीकों की आलोचना की है। इस प्रकार की गई आलोचना योजनावधि के शुरू होने से पूर्व ठीक होती। योजनावधि शुरू होने के पश्चात् योजना आयोग द्वारा निर्मित तथा सरकार द्वारा स्वीकृत की गई विशिष्ट योजनाओं के अन्तर्गत समय-समय पर नई-नई योजनायें शुरू करनी पड़ती हैं। हमारी योजना के परिप्रेक्ष्य में यह आवश्यक है कि वित्त मंत्री समय-समय पर वर्ष में, दो बजटों के बीच के अन्तराल में, कम-से-कम दो बार इस सदन को इन विषयों पर चर्चा करने हेतु अवसर प्रदान करने के लिए ऐसे प्रस्ताव लाने का कष्ट करें और व्यय सम्बन्धी एवं योजना सम्बन्धी नई मदों पर विशेष ध्यान दें।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : अध्यक्ष महोदय, इन मांगों का समर्थन करते हुए मैं कुछ विचार और कुछ सुझाव देना चाहूंगा। 1318.4 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान है। कुल 26 अनुदानों का प्रस्ताव है जिनमें इसमें से योजनागत व्यय केवल 256 करोड़ रुपए है जबकि, गैर-योजनागत व्यय 1062 करोड़ रुपये है। जहां तक मांगों का संबंध है, गैर योजना व्यय पर अधिक बल दिया गया है। वास्तव में, ये अनुपूरक मांगें उतनी बड़ी नहीं हैं जितनी गत वर्ष थीं। पिछले वर्ष अनुपूरक मांगें 3872 करोड़ रुपये की थीं। अगले सत्र में और अनुपूरक मांगें आएंगी। लेकिन वर्तमान अनुपूरक मांगें 1318 करोड़ रुपयों की हैं। इसके विपरीत हमें बजट घाटे को ध्यान में रखना पड़ेगा जो 3650 करोड़ रुपए था। इस दृष्टि से अनुपूरक मांगों के बारे में यह देखना होगा कि इस बजट घाटे को कैसे पूरा किया जायेगा, जहां तक घाटे को पूरा करने की बात है, सरकार को कतिपय स्पष्टीकरण दें।

पहले बजट में घाटा 3650 करोड़ रुपये का था तथा वर्तमान अनुपूरक मांगों का घाटा 1318 करोड़ रुपये है। हम यह भी जानते है कि वेतन आयोग की रिपोर्ट सरकार द्वारा कांट-

छांट की प्रतीक्षा कर है, इसमें भी व्यय होगा । सरकार आगे भी घाटा लायेगी । यह ठीक है कि राजी करके तथा डरा-धमकाकर प्रयासों का मार्ग अपनाकर बकाया कर के संग्रह की बड़ी आशा है, इस प्रकार हम आशा करते हैं कि घाटे का एक बड़ा भाग पूरा कर लिया जायेगा । मैं वित्त मंत्री से आग्रह करूंगा कि वह बतायें कि सरकार उस घाटे को पूरा करने न लिए क्या करेगी जो अनुपूरक मांगों द्वारा उत्पन्न किया जाएगा ।

जहां तक ठोस मांगों का संबंध है, पहले मैं फसल बीमा के संबंध में मांग की चर्चा करूंगा । फसल बीमा योजना शुरू की गयी थी तथा इसे 11 राज्यों एवं एक केन्द्र शासित क्षेत्र में लागू किया है । यदि हम आंकड़ों पर ध्यान दें, तो अनुपूरक मांगों के अन्तर्गत किये गये वर्तमान प्रस्ताव में धनराशि की बहुत कम व्यवस्था की गई है । केवल 15 करोड़ रुपयों का प्रस्ताव है जबकि यदि हम सामान्य बीमा कम्पनी के अध्यक्ष द्वारा दिये गये आंकड़ों को देखें, जो इस योजना को लागू करने वाला अभिकरण है, किसानों द्वारा बीमाकृत राशि 540 करोड़ रुपये है । और एकत्र किया गया प्रीमियस केवल 9·3 करोड़ रुपये है । यदि यही आंकड़े हैं और यदि इस योजना में केन्द्र सरकार की देयता 66.66 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकारों की देयता केवल 33.33 करोड़ रुपए है और यदि सरकार को सामान्य बीमा कम्पनी का आधा व्यय वहन करना है तो 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था अल्प राशि प्रतीत होती है, यदि हम वास्तव में इस योजना का कार्यान्वियन चाहते हैं । वर्तमान समय में हम खाद्यान्नों तथा बाजरे पर 2 प्रतिशत प्रीमियम व दालों तथा तिलहनों पर 1 प्रतिशत प्रीमियम वसूल करते हैं । वित्त मंत्री ने एक बार वचन दिया था कि सरकार फलों को भी इस योजना में शामिल करने जा रही है । मैं नहीं जानता कि इस प्रस्ताव का क्या हुआ । इस योजना से सम्बद्ध विशेषज्ञों की राय है कि फसल बीमा योजना में प्रयोग में लाये जा रहे खादों को भी शामिल किया जाना चाहिए । यदि हम वास्तव में इस योजना को क्रियान्वित करना चाहते हैं, तो व केवल फसलों बल्कि फल व खादों को भी शामिल करें तो 9 करोड़ रुपयों का मूल प्रावधान तथा वर्तमान प्रावधान जिसमें 15 करोड़ रुपयों की मांग की गई है बहुत कम होगा । बीमा कराई गई राशि 540 करोड़ रुपए तथा प्रीमियम की राशि 9.3 करोड़ रुपयों को देखते हुए इस योजना को कार्यान्वित करने और अपनी देयता को पूरा करने में हम कामयाब नहीं होंगे ।

श्री माधव रेड्डी द्वारा आज पूछे गये तारांकित प्रश्न सं 261 के उत्तर में कहा गया है कि सामान्य बीमा कम्पनी पर खरीफ फसल के लिए 101 करोड़ रुपये का दावा किया गया है जिसमें 20 करोड़ रुपए के दावों को स्वीकार नहीं किया गया । रबी फसल 1985-86 के लिए सामान्य बीमा कम्पनी पर अब तक 1.34 करोड़ रुपये का दावा किया गया है । केवल यही नहीं । आगे कहा गया कि व्यापक सूखे ने गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में मूंगफली की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाया है जिसके कारण खरीफ के दौरान अतिशय दावे किए गये । अतः दावे किए जा रहे हैं, इसलिए सरकार इन मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी ।

दूसरी मांग जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा, मादक पदार्थों के नियंत्रण से संबंधित है । बड़े साफ तौर पर यह बात कही गई है कि यह अनुपूरक मांग एक नये संगठन मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के लिए है । मादक पदार्थ नियन्त्रण ब्यूरो को शुरू से ही गंभीरतापूर्वक कार्य करना चाहिए था । हमने गत वर्ष इस अधिनियम को पारित किया था जो नवम्बर, 1985 से प्रभावी हुआ । नवम्बर, 1985 से जुलाई तक और अगस्त का

महीना आ ही गया है हम मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड को एक उचित कार्य सूची नहीं प्रदान कर सके हैं। सच यह है कि हम मादक पदार्थों के संबंध में अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमने ब्रिटेन के कंजरवेटिव सांसदों पर करारा राजनीतिक प्रहार किया है, जो भारत पर दवाओं का अवैध व्यापार करने वालों को सहायता देने और प्रेरित करने का आरोप लगा रहे थे, साथ ही वे भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली तथा बम्बई में दो ब्रिटिश संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के रोकने की आलोचना कर रहे थे। कल ही प्रधानमन्त्री जी ने लंदन में एक साक्षात्कार में कहा कि अवैध दवाओं की पकड़-धकड़ भारत में विश्व से सर्वाधिक है, उन्होंने आंकड़े भी दिये। यद्यपि हम इस देश में प्रशंसनीय सेवा कर रहे हैं लेकिन इस मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड को यथासंभव शीघ्र प्रभावशाली ढंग से कार्य शुरू कर देना चाहिए।

श्री बी० के० गढ़वी : रिकार्ड को सही और पूरा रखने की दृष्टि से मेरे मित्र अवैध दवाओं आदि के संबंध में जब्त की गई चीजों पर भी विचार करना चाहेंगे। इसे सारे विश्व में सराहा जा रहा है।

श्री शरद दिघे : समाचार पत्रों में कुछ समय पहले कहा गया था कि अवैध दवाओं के पकड़ के संबंध में दिये गये पुरस्कारों में भी अनियमिततायें रही हैं, ब्यूरो का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए यह आवश्यक है कि यह ब्यूरो जो नियंत्रण करता है तथा जो सर्वोच्च निकाय है जितना शीघ्र हो सके कार्य करे और सारे विभाग का कार्यभार सम्भाले।

अंत में मैं कपड़ा श्रमिकों के पुनर्वास की मांग का उल्लेख करना चाहूंगा। कपड़ा श्रमिकों के पुनर्वास के संबंध में मांग में कहा गया है कि इसका उद्देश्य श्रमिकों को अंतरिम राहत पहुंचाने के लिए एक पुनर्वास कोष की स्थापना करना है। मांग के संबंध में यहां दिये गये आंकड़े उन आंकड़ों से भिन्न हैं जो मुझे 1 अगस्त, 1986 को एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में दिये गये थे। सरकार ने कहा था कि सरकार ने बेकार हो गये श्रमिकों को अंतरिम सहायता पहुंचाने के लिए एक पुनर्वास कोष की घोषणा की है। योजना के शुरू में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के अन्तर्गत एकत्र किये राजस्व में से 10 करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं। ये आंकड़े अतारांकित प्रश्न के उत्तर में दिये गये आंकड़ों से कहीं कम हैं। पृष्ठ 25 पर यह कहा गया है :

> "बंद रुग्ण कपड़ा इकाइयों के श्रमिकों के पुनर्वास के लिए एक नया 'कपड़ा श्रमिक पुनर्वास कोष' स्थापित किया गया है। इस कोष के लिए सरकार 5 करोड़ रुपए देगी जिसके लिए अनुपूरक अनुदान रखा गया है।"

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में धनराशि 10 करोड़ बतायी गई है। मैं नहीं जानता कि यह अंतर क्यों है। मांग केवल 2 करोड़ रुपयों की है और सरकार ने घोषणा की है कि उसने इस उद्देश्य के लिए राजस्व में से 10 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है।

आगे यह उत्तर आश्चर्यचकित कर देने वाला है कि अब तक इस कोष से कोई भुगतान नहीं किया गया है। यद्यपि कोष की स्थापना कर दी गई है, पर अलाभकारी कपड़ा मिलों के बंद हो जाने के कारण बेकार हो गये श्रमिकों को अंतरिम राहत पहुंचाने के लिए कोई भुगतान किया गया है। मुझे मालूम है कि यह कहा जायेगा कि सरकार ने अभी तक किसी भी मिल को बन्द करने की अनुमति नहीं दी है। लेकिन हमें इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए क्योंकि ऐसी बहुत सी मिलें हैं जो बन्द हो गई हैं जबकि सरकार ने उनको बन्द किए जाने की

अनुमति नहीं दी है मजदूर बेरोजगार हैं, उन्हें किसी भी निधि से या अन्य कहीं से भी कोई मजदूरी नहीं मिल रही है। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा इस निधि के उपयोग पर फिर से विचार किया जा सकता है।

इन सुझावों के साथ मैं सभा में प्रस्तुत की गई मांगों का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : सभापति महोदय, मैं इन मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी इन मांगों के संबंध में बोलते हुए हमारे कुछ विरोधी दल के दोस्तों ने पार्टी इन पावर पर यह आरोप लगाया कि वह गरीबों की भलाई से बहुत दूर है और पूंजीपतियों का संरक्षण करती है और गरीबी हटाने में पूरी ताकत के साथ काम नहीं कर रही है। इस मुल्क में कुछ लोगों ने यह सोच लिया है कि सारी गरीबी हटाने के जिम्मेदार वे लोग हैं, समाजवाद को लाना केवल उनकी सम्पत्ति है और बाकी जो इस मुल्क के अन्दर पार्टियां हैं, उनको गरीबी और समाजवाद से कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे इस संबंध में एक कहानी याद आ गई है। इसी देश के कुछ स्थानों में एक चिड़िया होती है जो रात को सोते वक्त अपने दोनों पांव ऊंचे उठा लेती है और सोचती है कि अगर आसमान गिरेगा तो उन पांवों पर वह झेल लेगी। यही हाल हमारे विरोधी दल के लोगों का है जो समझते हैं कि सारी गरीबी को हटाने का ठेका इन्होंने ले लिया है और इसी आधार पर इस तरह की बातें करते हैं। मुझे ताज्जुब हुआ यह सुनकर, जब यह आरोप लगाया कि सरकार ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए कोई काम नहीं कर रही है और वित्त मंत्रालय की आलोचना की गई। मुझे ताज्जुब और आश्चर्य है कि 1985-86 में जो इन्कम टैक्स की रिकवरी हुई है, वह चौबीस परसेंट ज्यादा है जो पिछले दस साल का रिकार्ड है। इसके लिए वित्त मंत्री और उनका मंत्रालय बधाई के पात्र हैं। ताज्जुब यह है कि हमारे दोस्तों की निगाहें इस तरफ क्यों नहीं उठ पाईं। फिर यह जो ड्यूटी बढ़ाई कलर टी० वी०, कार और एयर कंडीश्नर पर जिससे ज्यादा झोपड़-पट्टी वालों की भलाई हो सके, इसका पूंजीवादियों से संबंध नहीं है। सरकार तो ज्यादा झोंपड़-पट्टी वालों को फायदा दे रही है। हमारे बजट के अन्दर जो गरीबी हटाने के लिए हमारा ले-आउट प्लान है, उसमें इन्क्रीज किया गया है जोकि 65 परसेंट है। उसी के अन्तर्गत आई० आर० डी० पी० में 51 परसेंट इन्क्रीज है, एन० आर० ई० पी० में 93 परसेंट इन्क्रीज है, आर० एल० जी० ई० पी० में 58 परसेंट इन्क्रीज है। आश्चर्य मुझे यह है कि हमारे इन भाइयों की निगाह यहां तक नहीं पहुंच पाई। अगर इसका अध्ययन करने की निष्पक्ष तकलीफ करते तो यह समझते कि कांग्रेस सरकार, राजीव गांधी जी के रिजीम की सरकार, जिनके पूर्वजों ने इस देश के अन्दर घोषणा की थी कि जब तक एक-एक गरीब की आंख में एक-एक आंसू बाकी है, तो हमारा काम खत्म नहीं होगा, संघर्ष जारी रहेगा। वह सरकार गरीबी हटाने के लिए इस वचन से बंधी हुई है और अनेकों कार्यक्रम कर रही है। हमने हर वर्ग की तरफ ध्यान दिया है और उसका उद्धार, कल्याण करने की कोशिश की है। मैं, सरकार का ध्यान अपने चुनाव क्षेत्र सतना की ओर भी दिलाना चाहूंगा। सतना, मध्य प्रदेश का एक ऐसा इलाका है जो ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी सतना के अन्दर चित्रकूट है, जहां भगवान राम ने अपने वनवास के दिन गुजारे। इसी सतना के अन्दर मैहर की नगरी है, जहां शारदा माता का मन्दिर है और जहां उस्ताद अलाउद्दीन की जन्म भूमि है तथा जिनके तानों की लय आज भी सुनाई देती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सतना चुनाव क्षेत्र की ओर इसके पर्यटन, टूरिज्म की ओर, इसके

विकास की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। जनता की पुरजोर मांग करने के बाद भी वहां टी० वी० स्थापना नहीं हो पाई। वहां टी० वी० नहीं पहुंच पाया है। पोजीशन यह है कि वहां लोगों में बेचैनी है और अभी भी आन्दोलन हो सकता है चाहे वह आन्दोलन शान्तिपूर्ण और संवैधानिक हो। अगर लोग करेंगे तो उसके लिए मुझे भी उनका समर्थन करना पड़ेगा और उनके साथ आगे चलना पड़ेगा। इसी तरह आज तक वहां एस० टी० डी० लाईन का काम शुरू नहीं हुआ है। मैंने इस सदन के अन्दर यह बात कही कि वायर्स चुरा लिए गए, सामान चुरा लिया गया, लेकिन टेलीफोन विभाग के कानों पर जूं नहीं रेंगी और अभी की टेलीफोन का काम अधूरा पड़ा हुआ है।

सभापति महोदय, इसी तरह सतना के अन्दर एक केन्द्रीय एयरोड्रम है जिसको भारत सरकार का मंत्रालय मेनटेन करता है। हमारी मांग थी कि वहां वायु दूत सेवा शुरू की जाये, लेकिन आज तक इस पर भी कोई कार्यवाही शुरू नहीं हो पाई। इसी तरह वहां केन्द्रीय स्कूल खोलने की मांग थी जनता के द्वारा, मुझे यकीन है कि सरकार इस पर ध्यान देगी।

एक बात की तरफ मैं और ध्यान दिलाना चाहूंगा, इन मांगों के अन्दर हमने आम जनता की भलाई की, मजदूरों-किसानों की भलाई की बात की है, लेकिन एक महत्वपूर्ण समस्या इस इलाके की है वह है सीमेंट फैक्टरी में काम करने वाले मजदूर और उनकी समस्यायें। वह सीमेंट की फैक्टरीज चाहे सतना में हों, चाहे मैहयर में हों, चाहे कैमूर में हों इनके मालिक छोटे-मोटे लोग नहीं, बल्कि टाटा-बिड़ला जैसे लोग हैं। आज तक इन फैक्टरीज के मालिकों ने एण्टी डस्ट मैसर्ज नहीं अपनाये हैं और वहां के हजारों मजदूरों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस इलाके में रहने वाले किसान, मजदूर जनता का, 20 मील तक जो धूल उड़ती है, सीमेंट का प्रदूषण होता है, स्वास्थ्य खराब होता है, उन लोगों की खेती, उनके मवेशी सब बर्बाद होते हैं। मेरे बार-बार मांग करने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही आज तक नहीं की गई। मैं पुरजोर मांग करता हूं कि इस सदन में हमने एण्टी पोल्यूशन बिल पास किया है तो फिर इन मालिकों के साथ पूरी तरह से सख्ती से अमल किया जाये और कार्यवाही की जाये।

दूसरी बात यह है कि उन कारखानों में हजारों लोग काम करते हैं, लेकिन सतना निर्वाचन क्षेत्र के स्थानीय लोग वहां नौकरी पर नहीं रखे जाते, बल्कि बाहर से लोग जाते हैं और उनकी छाती पर मूंग दली जाती है, इसलिए वहां बेकारी है, अन्धेरा है। मैं मांग करूंगा सरकार से कि इस तरफ ध्यान दे और कार्यवाही करे ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके।

इसी तरह वहां पर हजारों पर्यटक आते हैं, चित्रकूट, सतना, और मैहयर आते हैं उनके लिए कोई केन्द्रीय योजना नहीं है। मैं मांग करूंगा कि टूरिस्ट मंत्रालय इस ओर ध्यान दे और विशेष प्रोजेक्ट इसके लिए बनाये। चित्रकूट, कैमूर, सतना, मैहयर में भारतीय ही नहीं विदेशी पर्यटक भी आते हैं उनके ठहरने की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। मुझे यकीन है कि सतना जैसे पिछड़े हुए निर्वाचन क्षेत्र की ओर सरकार पूरा-पूरा ध्यान देगी और वहां केन्द्रीय उद्योग स्थापित करने और किसानों, मजदूरों की भलाई के लिए शीघ्रातिशीघ्र कदम उठायेगी ताकि वहां के लोगों का कल्याण हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगों का समर्थन करती हूं।

राज्य एवं केन्द्र-सरकारों द्वारा अनुपूरक मांगों को पेश करने-की परम्परा हो गई है। मैं इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगी। सरकार को सिंचाई, उर्वरक, बिजली, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम इत्यादि के लिए धन उपलब्ध कराना चाहिए। सरकार ने हमारे देश के उत्थान के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी को भी शुरू किया है।

महोदय, मैं एक माननीय सदस्य श्री थोमस के विचारों को सुनकर बहुत दुखी हूं, जिन्होंने कहा है कि हमारी सरकार कुछ भी करना नहीं चाहती है। परन्तु मैं समझती हूं कि देश को निर्माण का कर्तव्य केवल सरकार का ही नहीं है परन्तु यह सभी दलों का कर्तव्य है कि वे भी देश के निर्माण में बराबर भागीदार हों। इस संबंध में हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को मैं उद्धृत करना चाहूंगी :

> "हम इस देश का निर्माण इस प्रकार से करना चाहते हैं कि यदि भारत के नाम का कहीं उल्लेख हो या इसके नागरिक कहीं जायें तो उनके साथ एक नयी दृष्टि, एक नया मनोबल और एक नयी विचारधारा भी साथ जाये। यह सभी राजनीतिक दलों का कर्तव्य है कि वे आगे आयें और देश के निर्माण में सहायता करें।"

विकसित तथा विकासशील दोनों प्रकार के अन्य देशों की तुलना में हमारा अपने आर्थिक प्रबन्ध की गुणवत्ता पर गौरव करना तर्कसंगत है। कठिन अंतर्राष्ट्रीय माहौल और देश में सूखे के बावजूद हमने वृद्धि दर को बढ़ाया है। हमने खाद्य पदार्थों में आत्मनिर्भरता प्राप्त की है और मुद्रास्फीति को नियन्त्रणीय सीमा के अन्दर रखा है। भुगतान शेष की स्थिति को, जो 1979-80 में नियन्त्रण के बाहर हो चली थी, जल्दी ही नियन्त्रित कर लिया गया है। हमारे विदेशी-राजस्व की स्थिति मजबूत है। अन्य बहुत से देशों के विपरीत हम ऋण की समस्या के आविर्भाव का दूर रख सके हैं। मुद्रास्फीति की दर को बढ़ाने से रोका गया है। जबकि विश्व स्तर पर इसकी दर 3.3 प्रतिशत है, भारत में यह दर बहुत नगण्य, लगभग 1.5 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट है कि सरकार की आर्थिक नीति सुनियोजित है।

मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूं कि उस तरफ के एक माननीय सदस्य ने यह कहा है कि असम समझौते का समुचित ढंग से कार्यान्वयन होना चाहिए। हम भी इस बात के इच्छुक हैं कि यह समझौता उचित ढंग से कार्यान्वित हो। परन्तु हरेक दिन समाचार पत्रों में हमें एक ही खबर मिलती है कि असम समझौते का कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है और अल्पसंख्यकों को वहां कई प्रकार से परेशान किया जा रहा है। मैंने पहले ही इसका आज सुबह सभा में जिक्र किया था।

असम सरकार गैर असमी छात्रों को असमी भाषा एक अनिवार्य विषय के रूप में लेने के लिए मजबूर कर रही है। प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों को अपनी भाषा में व्यक्त करने की और अपनी भाषा को कायम रखने का अधिकार एवं स्वतन्त्रता है। असम सरकार को समझौते को कार्यान्वित करना चाहिए। केन्द्र सरकार राज्य को इस समझौते के कार्यान्वयन में सहायता देगी। उन्हें अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए।

बारक घाटी के लोगों की एक मांग है कि कछार में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोला जाये। मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करूंगी कि कृपया आवश्यक कार्यवाही करें।

रुग्ण उद्योग की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं जानती हूं कि सरकार की सभी रुग्ण उद्योगों का प्रबन्ध ग्रहण करने की नीति नहीं है। सरकार की सभी उद्योगों का नवीनीकरण करने की नीति भी नहीं है। 1985 में केन्द्र सरकार ने रुग्ण औद्योगिक समवाय (विशेष उपबन्ध) अधिनियम पारित किया था जिसकी वजह से उद्योगों के पुनर्निर्माण हेतु वित्तीय सहायता के लिए और औद्योगिक रुग्णता से निपटने के लिऐ एक बोर्ड बनाने की बात थी। परन्तु बोर्ड ने अभी तक अपना कार्य आरम्भ नहीं किया है। इसे जल्दी अपना कार्य शुरू करना चाहिए। सरकार को इस बोर्ड के जरिये कम-से-कम कुछ उद्योगों को जरूर पुनर्जीवित करना चाहिए।

आजकल बेरोजगार नवयुवकों की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। बन्द और तालाबन्दी के कारण पश्चिम बंगाल में हजारों मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। राज्य सरकार अभी तक इन इकाईयों को पुनः खोलने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं लगती है। हर समय वे इसके लिए केन्द्र सरकार को दोषी ठहराते हैं। भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) मत लेने के समय इस बात से फायदा उठाती है। परन्तु इसकी सारी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर थोप देती है। कुछ उद्योगों को वहां पुनर्जीवित किया जाना चाहिए क्योंकि मजदूरों के परिवार भोजन के लिए तरस रहे हैं। इन लोगों को बचाने के लिए सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगी कि वह केन्द्र सरकार की सेवाओं में भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध को वापस ले लें, क्योंकि मेरे राज्य में रोजगार कार्यालय पूर्णतः भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) द्वारा चलाये जाते हैं। इन रोजगार कार्यालयों से केवल वे व्यक्ति जो भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) से सम्बन्धित हैं, रोजगार प्राप्त कर पाते हैं। आम नौजवानों को इन कार्यालयों से कोई सहायता नहीं मिलती है। वे पूरी तरह निराश तथा कुंठित हैं क्योंकि केन्द्र सरकार के कार्यालयों में भर्ती पर रोक है और राज्य के रोजगार कार्यालय भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के कार्यालय बने हुये हैं। ये युवक कहां जायेंगे? इसलिए केन्द्र सरकार को बेरोजगार युवकों को बचाने के लिए इस भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध को वापस ले लेना चाहिए। मैं जानती हूं कि केन्द्र सरकार ने हर राज्य के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम की व्यवस्था की है। मैं समझती हूं कि सरकार को स्व-रोजगार कार्यक्रम के लिए अधिक धन नियत करना चाहिए।

प्रत्येक राज्य में जिला औद्योगिक केन्द्र हैं। जिला औद्योगिक केन्द्र के लोग स्वरोजगार कार्यक्रम को चला रहे हैं परन्तु आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हम संसद सदस्यों को कहीं भी किसी प्रकार से शामिल नहीं किया जाता है। सरकार समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, डी० आर० डी० आई० और एस० ई० पी० कार्यक्रम चला रही है, परन्तु कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये सभी सुविधायें मिल रही हैं? सरकार पैसा उपलब्ध करा रही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, परन्तु कार्यान्वियन कहां हो रहा है? यह केवल भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के लोगों के लिए ही कार्यान्वित किया जा रहा है। यह हमारे राज्य की एक ज्वलंत समस्या है। आप जानकर हैरान होंगे कि इसमें संसद सदस्यों को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाता है। हम इस बात से अनभिज्ञ हैं कि किसे ये सब सुविधायें मिल रही हैं। यहां तक कि गत वर्ष छठी पंचवर्षीय योजना में नियत किये गये प्रावधान में से 1200 करोड़ रुपये उपयोग के न लाने की वजह से वापस किये गये। वे इस धन का उपयोग न कर सके। इसलिए सातवीं योजना में आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि

उसका उचित उपयोग हो। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगी कि वह कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए गैर सरकारी समिति बनायें या सीधी योजना चलायें ताकि इन लोगों को सरकार से सहायता मिले।

मैं सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगी कि पियरलेस के लगभग 4 लाख मजदूर, चार लाख फील्ड मजदूर और बहुत संख्या में जमाकर्ता अब बहुत अधिक चिन्तित हैं तथा हम भी उनके बारे में चिन्तित हैं। नीको कम्पनी ने पहले ही 18 प्रतिशत शेयर खरीद लिए हैं। मैंने कई बार अनुरोध किया है कि कृपया, कम से कम मजदूरों के हितों, फील्ड मजदूरों हितों और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कुछ न कुछ जरूर करें। परन्तु मैं नहीं जानती कि सरकार कार्यवाही क्यों नहीं करती है। थोड़े से समय में जनता ने 700 करोड़ रुपए जमा किये हैं। मैं नहीं जानती कि क्या यह धन बचाया जा सकेगा या नहीं क्योंकि नीको कम्पनी ने पहले ही इन शेयरों को खरीद लिया है। वे क्या करेंगे, हम नहीं जानते हैं। इसलिए लोगों के हितों की रक्षा हेतु इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिये या इसे जीवन बीमा निगम के साथ मिला देना चाहिये। केवल तभी जनता का धन सुरक्षित रहेगा।

मैं माननीय मंत्री से यह भी अनुरोध करूंगी कि कृपया ऋण शिविरों के लिए और धन निर्धारित करें। यह एक बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है, परन्तु मुझे कहते हुए खेद होता है कि माननीय मंत्री इसे नोट करें कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कमजोर वर्गों की सहायता हेतु बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था परन्तु अब हमारे राज्य में क्या हो रहा है? हमारी सरकार कमजोर वर्गों की सहायता करने की बहुत इच्छुक है परन्तु पश्चिम बंगाल में ज्यादातर बैंक कर्मचारियों को पूरी तरह से भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) और भारतीय साम्यवादी दल अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया जाता है तथा वे निर्धन लोगों को ऋण देने के इच्छुक नहीं हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या ये राष्ट्रीयकृत बैंक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के लोगों के लिए बने हैं या गरीब लोगों के लिए। सरकार को इसे देखना चाहिए, यूनियन होनी चाहिए लेकिन यह कार्य यूनियन का नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के लोगों को सक्रिय बनाये। जब भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के काउंसलर विधायक एवं सांसद उनके पास जाते हैं तो वे उनकी हर प्रकार से सहायता करते हैं, लेकिन जब अन्य व्यक्ति उनके पास जाते हैं तब ये बैंकों के अधिकारी इन कमजोर वर्गों के लिए कुछ नहीं करते। मंत्री जी को इस विषय की ओर ध्यान देना चाहिए और उन्हें ऋण शिविरों के लिए अधिक से अधिक धन आबंटन करना चाहिए। केवल एक जिले के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस ऋण शिविर योजना को जारी रखना चाहिये। केवल तभी इससे गरीब व्यक्तियों को सहायता मिलेगी।

मैं एक और मुद्दे का उल्लेख करना चाहूंगी। सरकार ने एक नई शिक्षा नीति शुरू की है और इसकी इच्छा है कि बच्चों को उचित शिक्षा मिले। लेकिन हमारे राज्य में कई टूटे-फूटे भवन हैं। इन भवनों में बच्चों को गर्मी के मौसम में धूप सहनी पड़ती है और बारिश के मौसम में बारिश में भीगना पड़ता है। यहां तक कि श्यामपट व चाक भी उपलब्ध नहीं होते। अध्यापक अपने घरों में बैठकर बिना कोई कार्य किये वेतन प्राप्त कर रहे हैं......(व्यवधान)

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, सदस्य को रेल पास का उपयोग अवश्य ही करना चाहिए और कम से कम बिहार जाकर देखना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी : मैंने पहले ही असम के मामले का उल्लेख किया है। आप यहां

नहीं थे। आपको उसे अवश्य सुनना चाहिये था। आप यह जानकर हैरान होंगे कि (व्यवधान) कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ठ पार्टी के लोगों की पिटाई कर रहे हैं। (व्यवधान) ये सब बातें हो रही हैं उन्हें सच बोलना पड़ता है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : मैं इस मुद्दे के विस्तार में नहीं जा रही हूं।

जब कभी सांसद मंत्री जी को लिखते हैं तो उत्तर मिलता है कि मामले पर विचार किया जा रहा है लेकिन उस पर कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं होती। उन्हें विषय की प्राथमिकता के आधार पर अनुवर्ती कार्यवाही करनी चाहिए। सरकार के आगे रखे गये विषय पर हमें उचित कार्यवाही करनी चाहिये। आखिरकार हम जनता के प्रतिनिधि हैं। हम जनता की ओर से अपनी आवाज उठाते हैं। यह केन्द्र और राज्य सरकारों का कर्त्तव्य है कि वे गरीब लोगों के लिये कुछ करें। हम चाहते हैं कि सांसदों को सभी कार्यक्रमों, योजनाओं और सभी गतिविधियों में शामिल किया जाना चाहिए।

मेरे द्वारा बताये गये सभी विषयों में उचित कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्रनगर) : अनुपूरक मांगों के लिए विनियोग विधेयक का समर्थन करते हुये मैं कुछ राष्ट्रीय और प्रान्तीय दोनों प्रकार के मुद्दों को उठाना चाहूंगा :

राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते हुये मेरे विचार में परिवार नियोजन का विषय उठाना सर्वाधिक प्रासंगिक है। बहुत कम व्यक्ति इस विषय को उठा रहे हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में और इस वर्ष के बजट में परिवार नियोजन कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिये प्रोत्साहन देने के लिये कोई अतिरिक्त धनराशि आबंटित नहीं की गई है। कोई अतिरिक्त प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। कई सुझाव प्रोत्साहन और अनुत्साहन के लिए दिये गये हैं। हमारे देश में परिवार नियोजन की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसे प्रत्येक सदस्य यह कहेगा कि यह हमारे देश की मुख्य समस्या है। हम प्रजातन्त्र पर गर्व महसूस करते हैं और हम चीन की प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करना चाहते जहां जबरदस्ती की प्रक्रिया है। हम उस प्रणाली का अनुसरण नहीं कर सकते। हमें प्रोत्साहन और अनुत्साहन देना है। मैंने सन्तुष्ट करने की कोशिश की है, यहां तक कि गैर-सरकारी विधेयक भी पेश किया और प्रोत्साहन और अनुत्साहन देने के लिये एक व्यापक विधेयक भी पुर:स्थापित किया है। लेकिन आप जानते हैं कि गैर-सरकारी विधेयकों को बैलट के माध्यम से लाया जाता है। बैलट जैक पाट या लाटरी जैसा है। (व्यवधान)

मैं इस मुद्दे को उठाना चाहूंगा क्योंकि यह प्रोत्साहन और अनुत्साहन का सुझाव देना वित्तीय विषय है।

1. केन्द्रीय सरकार या सरकारी उपक्रम की महिला कर्मचारी जो अपने प्रथम या दूसरे बच्चे के बाद बन्ध्यीकरण आपरेशन करवाती है अगर वह कर्मचारी है तो उसे तीन महीने का अतिरिक्त वेतन प्रोत्साहन स्वरूप मिलेगा।

2. ऐसा कोई व्यक्ति जिसके एक या दो बच्चे हैं और वह बन्ध्यीकरण आपरेशन करवाता

है तो वह बैंक से साधारण ब्याज की दर से 10 प्रतिशत कम दर पर ऋण लेने का पात्र होगा।

3. 32 वर्ष से कम आयु का ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका कोई पुत्र नहीं है केवल एक या दो बेटियां हैं, बन्ध्यीकरण आपरेशन करवाता है तो उसे केन्द्र सरकार द्वारा 1,00,000 की कीमत का बान्ड दिया जायेगा जिसे वह जारी की गई तारीख के 20 वर्ष के पश्चात् भुना सकेगा।

4. आयकर दाता अगर एक या दो बच्चों के बाद बन्ध्यीकरण करवाता है तो उसे आयकर का आधा हिस्सा भुगतान करना पड़ेगा।

सरकार परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए अधिक धन आबंटित करने में क्यों हिचकिचा रही है।

सभापति महोदय : दिग्विजय सिंह महोदय, आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं। अब हम अगली मद को लेते हैं।

4.00 म० प०

देश की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा

[अनुवाद]

सभापति महोदय : नियम 193 के अधीन चर्चा। श्री सी० माधव रेड्डी चर्चा आरम्भ करेंगे।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : सभापति महोदय, नई वित्तीय नीति के सन्दर्भ में नियम 193 के अन्तर्गत देश की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा आरम्भ करते हुये मुझे वित्त मंत्री जी द्वारा पिछले बजट सत्र में दिये गये वायदे की याद आती है कि वह इस सभा के प्रत्येक सत्र में बजट प्रस्तावों या राजस्व नीति पर चर्चा कराएंगे......

4.01 म० प०

[श्री एन० वेंकटरत्नम पीठासीन हुए]

जिससे कुछ उन विषयों पर चर्चा की जा सके जिनका सामना राष्ट्र कर रहा है।

महोदय, मैंने आशा की थी कि वह एक वक्तव्य देंगे जिससे सरकार की राजस्व नीतियों पर पूरे दिन चर्चा की जा सके। लेकिन चूंकि नियम 193 के अधीन चर्चा की जानी है, मैं सभा से इस विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिये और अधिक समय देने का अनुरोध करूंगा जिससे हम चाहे आज देर तक बैठकर या और किसी दिन जारी रखकर कम से कम 6 व 7 घंटे दे सकें और इस प्रकार सदस्यों को इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिले। क्योंकि अन्यथा हमारे पास केवल 2 घंटे रह जाएंगे और हम ऐसे विस्तृत विषय पर 2 घंटे में कुछ चर्चा नहीं कर सकते।

महोदय, प्रशासनिक मूल्यों से सम्बन्धित नीति पर वित्त मंत्री जी ने सुबह सभा के समक्ष

एक वक्तव्य रखा। मैंने संक्षिप्त रिपोर्ट को पढ़ लिया है। मैं इस समय इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि हमें आने वाले सत्र में चर्चा करने का मौका दिया जायेगा क्योंकि वित्त मंत्री जी ने कहा है कि वह इस पर राष्ट्रीय वाद-विवाद करना चाहेंगे। निस्संदेह यह बहुत ही प्रशंसनीय कदम है लेकिन महोदय मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा और वह यह है कि वित्त आयोग द्वारा प्रशासित मूल्य के प्रश्न पर पहले ही सूक्ष्म रूप से चर्चा की जा चुकी है। इस सभा के समक्ष रखे गए वक्तव्य में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

आठवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि प्रशासित मूल्य राज्यों की पंचवर्षीय योजना के लिये राजस्व एकत्रित करने के लिये नहीं बल्कि विभिन्न वस्तुओं की उत्पादन लागत की दृष्टि से देखे जाने चाहिए। जब प्रशासित मूल्य का सम्बन्ध वस्तु की उत्पादन लागत से नहीं होता तो यह एक कर बन जाता है। एक तरह से वह कर ही है। आयोग ने आगे कहा कि ऐसी हालत में प्रशासित मूल्य बढ़ाने की अपेक्षा सरकार को कर लगाना, उत्पादन शुल्क बढ़ाना या कोई अन्य कर लगाना वांछनीय होगा। आयोग की इस स्पष्ट सिफारिश को हमें याद रखना चाहिएं। यही दृष्टि-कोण हमने अतीत में व्यक्त किये हैं। जब कभी सरकार प्रशासित मूल्य बढ़ाना चाहे तो केवल उत्पादन लागत के आधार पर ही बढ़ायें। मान लीजिए कोयले की उत्पादन लागत बढ़ जाती है। सरकार को इसके साथ मूल्य बढ़ाने का अधिकार है। अगर तेल की उत्पादन लागत बढ़ती है तो सरकार का तेल का मूल्य बढ़ाना न्यायोचित है लेकिन अगर सरकार राजस्व बढ़ाना चाहती है तो यह न्यायोचित नहीं है। वे प्रशासित मूल्यों को सम्बन्धित वस्तुओं के उत्पादन मूल्य बढ़ाये बिना नहीं बढ़ा सकती। यह दृष्टिकोण मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं जिससे माननीय सदस्य इस पर विचार करके प्रशासित मूल्यों के प्रश्न के सम्बन्ध में उचित परिप्रेक्ष्य में निर्णय ले सकें।

महोदय, बजट के दौरान कुछ समय तक वित्तीय नीतियों पर चर्चा की गई थी, बाद में जब वित्त विधेयक को सदन के समक्ष रखा गया तो हर बार यह विषय चर्चा के लिए आया। वित्त मंत्री जी द्वारा सभा के सामने हमेशा यह सिद्धान्त रखा गया कि सरकार की तरफ से किये गये उचित कार्यों का व्यापार से हमेशा ही बहुत अच्छा जवाब मिलेगा। और अगर कर कम कर दिए जाएं, रियायतें दी जाएं तो उद्योगपतियों और व्यापारी नियमों का अनुसरण बेहतर ढंग से करेंगे। कर चोरी नहीं करेंगे; औद्योगिक विकास होगा और लोग अच्छा व्यवहार करेंगे। वे बेईमान नहीं होंगे। यही सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया था और यही सिद्धान्त हमेशा सरकार की नीतियों को चलाता रहा है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : दूसरी तरह से यह भी वही बात है।..

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, सदन के इस तरफ से हममें से बहुतों ने इसका विरोध किया है और हमने बताया है कि यह गलत है। हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ दूसरे देशों में ऐसा हुआ है, पश्चिमी देशों में हुआ है लेकिन वह हमारे लिए एक आदर्श नहीं है क्योंकि इन देशों में अधिकता है और एक लाभ वाली अर्थव्यवस्था में आप उनसे अच्छे व्यवहार की आशा करते हैं। लेकिन घाटे की अर्थव्यवस्था में जहां व्यापारी सभी संभव उपायों से धन कमाने की कोशिश करता है यह सफल नहीं हुई है और मुझे विश्वास है कि यह सफल नहीं होगी। वित्त मंत्री जी ने पिछले वर्ष दावा किया था कि इस नीति के कारण राजस्व की वसूली में वृद्धि हुई है। उन्होंने दिखाया कि आयकर में कमी के कारण राजस्व वसूली में 35% के लगभग वृद्धि हुई और इसका कारण

कर में कमी करना ही था और इसी कारण राज्यों को भी लाभ हुआ था क्योंकि उन्होंने आयकर प्राप्त किया। यद्यपि मैं इस बात से सहमत हूं कि बहुत अच्छी उपलब्धि रही है और पिछले वर्ष राजस्व की उगाही बढ़ी है। किन्तु मैंने इस बात का विरोध किया था और कहा था कि यह सब सरकार द्वारा दी गई रियायतों के कारण नहीं है। किन्तु यह सरकारी विभागों की अच्छी उपलब्धि, छापों, अच्छी वसूली तथा आपके विभाग, इन सभी के कारण यह हो सका है ताकि वे कर अपवंचकों आदि के विरुद्ध कार्यवाही कर सकें। और मैं इससे बहुत प्रसन्न था और मैंने सरकार का समर्थन किया और यही उचित रास्ता है। किन्तु, श्रीमान्, मुझे आशंका है कि यह वर्ष छूट और रियायत का ही होगा।

रियायतों पर आए हुए पिछले चार महीनों के दौरान माननीय मन्त्री आम सभा में कर प्रस्तावों, सीमा शुल्क इत्यादि के संबंध में विभिन्न तरह की छूट की घोषणा करते रहे हैं। मैं आम सभाओं के विरुद्ध नहीं हूं। किंतु मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। यद्यपि माननीय वित्त मंत्री को उसके कार्य में, उनकी आपत्तियां सुनने में और फिर तत्काल निर्णय लेने, जो एक बहुत अच्छी बात है, के लिए श्रेय मिल सकता है किन्तु तब मैं यह कहना चाहता हूं कि यह तदर्थ तथा अव्यवस्थित प्रकार की कार्यवाही ही है क्योंकि इसका कोई सिद्धान्त नहीं है। आप छूट क्यों दे रहे हैं, सरकार के सामने नहीं लाया गया है क्योंकि आप सिर्फ तत्काल अनुरोधों, और उद्योग-पतियों के प्रतिवेदनों पर ही प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि वे मामले को आपके सामने क्यों रख रहे हैं और उन प्रस्तावों को देखने में आप तथा आपका विभाग कितना समय लगाता है। मुझे बताया गया कि कई मामलों में आपकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक व तात्कालिक थी। इसका मतलब यह हुआ कि प्रस्तावों पर गौर करने के लिए आपके पास समय नहीं था। भावना ठीक है। किंतु यह एक बहुत खतरनाक प्रक्रिया है क्योंकि···

श्री श्याम लाल यादव (वाराणसी) : परिणाम और योग्यता का जायजा लें।

श्री सी० माधव रेड्डी : परिणाम को लेकर ही चलते हैं। अब मैं उपाय बता रहा हूं। मुझे बात पूरी करने दें। परिणामों और इनकी वजह से क्या परिणाम निकाले इनका मैं बाद में जिक्र करूंगा।

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : जो स्वाभाविक लगता है वह जरूरी नहीं कि स्वाभाविक ही हो।

श्री सी० माधव रेड्डी : इस मामले में आपका रुख बहुत अधिक भ्रामक है।

मैं इन आम सभा के दरबार लगाने के बारे में आता हूं। हमारे निजाम दरबार लगाते थे। इन आम-सभा के दरबारों के निर्णयों की वजह से राजकोष को लगभग 450 करोड़ रुपये और हो सकता है इससे भी अधिक का नुकसान हुआ। लगभग चार बार इन छूट की घोषणा की गयी है और अगर आपके द्वारा दी गयी सभी रियायतों का हिसाब लगाते हैं तो यह लगभग 450 करोड़ रुपये होता है और यह हर साल होता है। हमने सिर्फ इसी वर्ष आमदनी का नुकसान नहीं हुआ है किन्तु सरकार को यह निरन्तर आय का नुकसान है। अब आप कह सकते हैं कि आप के घाटे को सरकार तथा विभाग को मिली सद्भावना से पूरा किया जा सकता है और आप महसूस करते हैं कि उनका व्यवहार अच्छा होगा। किंतु देखते हैं कि हुआ क्या है। पिछले एक

वर्ष के दौरान करों में विभिन्न प्रकार की रियायतों और इस देश में वस्तुओं के आयात के लिए कुछ नीतियों के कारण जब हमने उदारवादी नीति अपनायी थी तो मैं मानता हूं यहां कुछ उत्पादन में वृद्धि हुई थी। अगर वृद्धि ही की बात है तो आप कह सकते हैं कि आपने कुछ वृद्धि उपलब्ध की है। किन्तु वृद्धि किस दिशा में ? इन छूट के परिणामस्वरूप पूंजी बाजार में इतनी तेजी आ गयी कि प्रत्येक कंपनी के लिए पूंजी बाजार से धन सुधार लेना और इक्विटि शेयर जारी करना संभव हो गया। और पूंजी निर्गमों का नियन्त्रक इतना उदार था कि उसने अधिकतर बड़े व्यापारिक घरानों और एम० आर० टी० पी० कंपनियों को मंजूरी देनी जारी रखी : मेरे अनुमान के अनुसार गत वर्ष जारी किये गये निर्गमों में से 80 प्रतिशत पूंजी बड़े व्यापारियों और उनमें भी अधिकतर एम० आर० टी० पी० कंपनियों द्वारा ले ली गयी क्योंकि विभिन्न प्रस्तावों के साथ वे पूंजी बाजार में जाने के लिए तैयार थे। जैसे ही एम० आर० टी० पी० के अवरोध हटाये गए उनकी पूंजी सीमा 20 करोड़ रुपये से बढ़कर 100 करोड़ रुपये हो गयी। और उनके लिए अर्थात् नई कंपनियों के लिए नया निवेश करना संभव था और परिणाम यह हुआ कि उन्होंने उपलब्ध धन को प्राप्त कर लिया। उदार नीतियां होने के कारण उनको बाजार से पूंजी मिल सकी और इस तरह उन्होंने छोटी कंपनियों को इसका फायदा नहीं उठाने दिया। मैं सिर्फ उस पूंजी की बात कर रहा हूं जिसकों पूंजी निर्गमों के नियन्त्रक की अनुमति से इकट्ठा कर लिया गया। किन्तु यहां एक और भी महत्वपूर्ण विचारणीय मुद्दा है। अगर एक करोड़ रुपये से कम का निर्गम है तो हमें पूंजी निर्गमों के नियन्त्रक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। और आजकल ऐसे निर्गम बहुत हैं और इन एम आर० टी० पी० कंपनियों में से अधिकतर ने लीजिंग कम्पनियां और वित्तीय कंपनियां प्रारम्भ कर दी हैं। पिछले एक वर्ष में उन्होंने 300 लीजिंग कंपनियां प्रारम्भ कीं। उनके द्वारा प्रारम्भ की गई यहां पर सैकड़ों वित्तीय और लघु कंपनियां हैं और उन्होंने इन कंपनियों को पूजी निर्गमों के नियन्त्रक के पास जाये बिना ही जारी कर दिया। इस तरह, देश के विकास के लिए उपलब्ध पूंजी को उन्होंने छीन लिया। दलील यह होनी चाहिए कि उसमें गलत क्या है। किसी को तो उद्योग लगाना ही है। इसमें गलत क्या है, कि एक एम० आर० टी० पी० कंपनी कोई उद्योग लगाती है या किसी और ने एक उद्योग स्थापित किया है ? इसमें हर बात गलत है क्योंकि, कौन-कौन से उद्योग लगाये गये हैं ? किस तरह के उद्योग स्थापित किए गए हैं ?

कल मुझे घर के बहुत नजदीक एक अत्याधुनिक मेरीडियन होटल में एक प्रदर्शनी में जाने का अवसर मिला।

मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह वहां जाएं। कितनी अद्भुत प्रदर्शनी लगी रखी है। उपभोक्ता वस्तुओं की प्रदर्शनी। आप संसार में कहीं भी इनको देख सकते हैं, ये संसार की सबसे उत्तम उपलब्ध वस्तुएं हैं, आप इन्हें भारत में भी तैयार कर सकते हैं। वहां वे सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं हैं जिनकी देश की इस विकास की अवस्था में और देश में उत्पादन में वृद्धि के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं है। इनसे हमारे उद्योगपतियों को एक सम्मान मिलता है। वे बड़े सक्षम व्यक्ति हैं। वे तकनीन प्राप्त करते हैं। अगर उनको तकनीक की आवश्यकता है और यदि इसे आसानी से प्राप्त करना असम्भव है तो वे इसकी तस्करी करते हैं। और वे वस्तुओं का निर्माण करते हैं। अगर कोई महत्वपूर्ण उपभोक्ता वस्तु लन्दन के बाजार में आ जाती है तो छः महीनों में ही यह भारत में उपलब्ध हो जाती है। इस हद तक पूंजी का उपयोग अधिक

वांछनीय, महत्वपूर्ण क्षेत्रों और प्राथमिक क्षेत्र इन सभी को छोड़कर गैर प्राथमिक क्षेत्र की तरफ अपवर्तन किया गया है। यह सब कुछ वास्तव में हुआ है। आयात के सम्बन्ध में, मैंने देखा कि इलेक्ट्रानिक्स की वस्तुओं तथा कल-पुर्जों इत्यादि के आयात के लिए हमने स्वतन्त्र रूप से स्वीकृति दी है। यह बहुत अच्छी बात है। किंतु कौन सी इलेक्ट्रानिक्स की वस्तुओं के लिए? उन मनोरंजन की इलेक्ट्रानिक्स वस्तुओं के लिए जो टेलीविजन और कई दूसरी वस्तुओं के लिए हैं, जिनकी हमें वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है।

इसी तरह इन्जीनियरी वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुओं की तरह यहां कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां उदारवादी नीति ने बहुत अधिक नुकसान किया है। इस तथ्य के बावजूद भी कि हम भारत में भी मशीनें बनाते हैं, मशीनों के आयात की मंजूरी दी गयी है। बात यह है कि हम उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करना चाहते हैं। हम लागत कम करना तथा विदेशी बाजार की प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते है। हमारे विदेशी बाजार को क्या हुआ? हमारे निर्यात की क्या उपलब्धि है? इन आयातों की वजह से हमें कुछ हद तक तो गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए था। हमें निस्सन्देह कुछ हद तक लागतों में कमी करनी चाहिए थी। पिछले $1\frac{1}{2}$ वर्ष के दौरान उत्पादित की गई वस्तुओं का क्या हुआ? पूंजीगत वस्तुओं और इन्जीनियरी उद्योगों के निर्यात में कुछ गिरावटें क्यों आयीं? ऐसा क्यों हुआ है? यह इसलिए हुआ है क्योंकि कोई भी भारतीय उद्योगपति वस्तुओं का निर्यात नहीं करना चाहता। इसका क्या कारण है। ये सभी निर्यात् में रुचि नहीं रखते हैं। किए गए इन सभी सर्वेक्षणों से यह पता चला है कि भारतीय उद्योगपति अगर इन वस्तुओं को भारत में ही बेचने दिया जाए तो बहुत खुश होता है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। प्रत्येक देश बाहर के प्रयास करने की बजाय जहां सख्त प्रतिस्पर्धा है भारत में ही वस्तुएं बेचने का लोभ करता है।

उन कंपनियों और उद्योगों का उदाहरण के लिए जो 100 प्रतिशत निर्यात के आधार पर स्थापित की गई थी। सरकार की नीति यह थी कि अगर कोई उद्योगपति 100 प्रतिशत निर्यात के आधार पर एक उद्योग प्रारम्भ करना चाहता है तो बिना किसी आयात और सीमा कर के पूंजी गत वस्तुओं के आयात को सम्मिलित करते हुए एक निश्चित छूट दी जानी चाहिए। अगर मशीन की लागत 10 करोड़ रुपए है और शुल्क भी 10 करोड़ रुपए हैं तो 10 करोड़ रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। केवल वास्तविक कीमत ही देनी पड़ती है। इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध थी। ये 100 प्रतिशत निर्यातपरक उद्योग आज इस योजना से बाहर निकालना चाहते हैं।

मैं माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह उद्योग मन्त्रालय से सम्पर्क करें और असलीयत का पता लगाएं कि ये निर्यातपरक उद्योग जो बड़े उत्साह और जोश के साथ वस्तुओं का निर्यात करने के लिए प्रारम्भ किए गए थे असफल क्यों हो गए। और आज वो इस योजना से बाहर निकलना चाहते हैं तथा चाहते हैं कि भारत सरकार इसको समाप्त कर दे। इस प्रकार, इन 100 प्रतिशत निर्यातपरक उद्योगों का यह भाग्य है। यह योजना सफल क्यों नहीं हुई है। एकमात्र कारण यह है कि हर आदमी अपनी वस्तुओं का केवल भारत में ही बेचने का इच्छुक है। वह वस्तुओं की किस्म में सुधार करने के लिए क्यों खर्च करेगा क्योंकि भारत में हर तरह की वस्तु बिकती है? वह लागत कम करने की कोशिश क्यों करेगा क्योंकि भारत में हर कीमत पर वस्तु बिकती है? भारत इतनी बड़ी मण्डी है। यही कारण है कि हमारी इन्जीनियरी

उद्योग निर्यात करने में असफल रहा है और इस वर्ष इन्जीनियरी वस्तुओं के निर्यात में 15% की कमी आयी है। इसके कारण क्या हुआ ? वास्तविक परिणाम क्या है ? आज यह परिणाम है कि हमें बहुत व्यापार घाटा हुआ है—लगभग 7705 करोड़ रुपए का व्यापार घाटा हुआ है। जब यह घाटा हुआ तो एक तर्क प्रस्तुत किया गया और वह भी बड़े उद्योगपतियों द्वारा कि आखिरकार इसमें क्या गड़बड़ है ? विश्व में ऐसे भी देश हैं जिनमें इतना अधिक घाटा हो रहा है। इसे कभी भी नियन्त्रित किया जा सकता है। अगले वर्ष हम इस घाटे को कम कर सकते हैं और धन प्रेषण जैसे दूसरे स्रोत भी हैं। यह तर्क है जो उन्होंने प्रस्तुत किया। परन्तु आन्तरिक धन प्रेषण कहां है ? जो धन प्रेषण हो रहा है वह वास्तव में कम होने वाला है क्योंकि दूसरे देश में रोजगार अवसर कम होते जा रहे हैं। अगले वर्ष से विदेशी मुद्रा प्रेषण में वृद्धि नहीं होगी। इसी प्रकार विदेशी मुद्रा के अदृश्य स्रोत, जैसे पर्यटक, भी नहीं हैं, इससे हमें कुछ विदेशी मुद्रा मिल सकती थी। परन्तु हमने पर्यटन में सुधार करने के लिए क्या किया है कि हमें उससे धन मिले ? इसी प्रकार जब हमारे निर्यात में वृद्धि नहीं हो रही है और विदेशी मुद्रा कमाने के अदृश्य स्रोत नहीं हैं तब एक मात्र स्रोत यह है कि आप विदेशी मुद्रा बाजार से उधार लीजिए। मुझे नहीं मालूम कि इस विषय में विश्व बैंक ने भारत सरकार को क्या सुझाव दिया है। विश्व बैंकों की सिफारिशों के बारे में सभी तरह की अफवाहें फैली हुई हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि यदि विश्व बैंक आपको कोई सुझाव देता है तो कोई गलत बात है। उसमें कोई गलत बात नहीं है। परन्तु सरकार को इसमें शर्म महसूस हो रही है, सभा को विश्वास में लेकर हमें यह बताने में कि विश्व बैंक की यथातथ्य सिफारिश क्या है उन रिपोर्ट की सार्वजनिक रूप से घोषणा करने में उन्हें शर्म महसूस हो रही है। यह सच है कि विश्व बैंक ने यह कहा है कि आपको रुपए का अवमूल्यन करना होगा। वित्त मन्त्री महोदय बार-बार यह घोषणा कर रहे हैं कि इस तरह की कोई सिफारिशें नहीं हैं और यह कि सरकार रुपए का अवमूल्यन नहीं करना चाहती है…

श्री सैफुद्दीन चोधरी (कटवा) : इसका अवमूल्यन पहले ही हो चुका है।

श्री सी० माधव रेड्डी : असल में ऐसा है, क्या यह भी सच है कि विश्व बैंक ने यह कहा है कि आपके लिए अपना निर्यात बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि निर्यात में वृद्धि दर इतनी कम है कि इतनी कम वृद्धि दर से वस्तुओं के आयात के कारण आपके लिए बढ़ते हुए कदमों का पूरा करना असम्भव होगा।

मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस सिफारिश पर, जो विश्व बैंक द्वारा की गई बताई जाती है, टिप्पणी करें। विश्व बैंक की रिपोर्टों में कहा गया है कि यदि निर्यात वृद्धि दर पूर्व अनुमानित 6.5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर में 2 प्रतिशत वार्षिक कमी रहती है तो भारत को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 6 अरब डालर का अतिरिक्त ऋण लेने की आवश्यकता होगी। इससे ऋण का अनुपात आज से चार साल बाद 26 प्रतिशत हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक चार रुपए में से, जो हम निर्यात से कमाते हैं, एक रुपया ऋण के भुगतान में चला जाएगा, ब्राजील तथा मेक्सिको जैसे कुछ देश पहले ही इसका सामना कर रहे हैं। क्या यह सच है कि बैंक ने यह भी कहा है कि भारतीय उद्योग को निर्यात करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिए सामान का निर्यात करने में उसकी कोई रुचि नहीं है। ये विश्व बैंक की रिपोर्टों के उद्धरण हैं जो इधर उधर छप रहे हैं, जो हमारे हित में नहीं हैं। हमें ऐसे दस्तावेजों को सार्वजनिक रूप से

घोषणा कर देनी चाहिए और तब तक स्थिति का सामना करना चाहिए। यदि सरकार यह महसूस करती है कि रुपए का अवमूल्यन करने के सिवाय कोई चारा नहीं है तो इसे स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि विदेशी मुद्रा स्रोतों के विषय में स्थिति इतनी गम्भीर है कि हमें कोई न कोई निर्णय लेना चाहिए। हम इसे और अधिक समय तक स्थगित नहीं कर सकते।

अर्थव्यवस्था के विकास हेतु उपलब्ध राशि के उपयोग के प्रश्न, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, पर आते हुये मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत जैसे देश में सामाजिक न्याय के बिना विकास एक छल है जिसके परिणाम बहुत गम्भीर हैं; सामाजिक न्याय के साथ विकास के सिद्धान्त की उपेक्षा कर दी गई है। यह पिछली सभी पंचवर्षीय योजनाओं में मूल सिद्धान्त था, परन्तु सातवीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार हम केवल विकास पर जोर दे रहे हैं और सामाजिक न्याय पर नहीं। मैं इस बात से इन्कार नहीं कर रहा हूं कि हम गरीबी उन्मूलन योजनाओं, एन० आर० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० इत्यादि पर पैसा खर्च कर रहे हैं। वह मेरे ध्यान में है। परन्तु बात यह है कि यह पैसे को थोड़ा-थोड़ा करके बांटना है। आपकी आर्थिक दिशा क्या है? हम कहां जा रहे हैं? हम किस दिशा में जा रहे हैं? यह जानना अधिक आवश्यक है, क्योंकि जब तक सामाजिक न्याय के साथ विकास नहीं होता है, गरीबों के प्रति वचनबद्धता नहीं होती है, यानि गरीब लोग विकास गति में साथ-ही-साथ, 10 या 15 वर्ष बाद नहीं, हिस्सा नहीं लेते हैं तो तब तक समाजवादी समाज की स्थापना करने की दिशा में कुछ भी नहीं होगा। विकास का लाभ गरीबों तक धीरे-धीरे पहुंचे, इस सिद्धान्त को बहुत पहले छोड़ दिया गया है। इस सिद्धान्त को कि यदि आर्थिक विकास होता है तो गरीब लोग धीरे-धीरे समृद्ध हो जायेंगे, बहुत समय पहले छोड़ दिया गया है, यह सिद्धान्त पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही त्याग दिया गया था। यह सोचा गया था कि गरीब वर्गों को भी विकास में साथ-साथ भाग लेना होगा। अन्यथा गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ती चली जायेगी। इसका एक अच्छा उदाहरण खाद्य उत्पादन है। आज देश में अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन है। देश में अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध है परन्तु बहुत से लोग हैं जो इसे नहीं खरीद सकते। यह इसलिए अधिक नहीं है कि यह हमारी जरूरत से ज्यादा है। इस बात का दावा किसी ने कभी भी नहीं किया कि यह हमारी जरूरतों से ज्यादा है। सच यह है कि देश में अधिक उत्पादन होता है चाहे यह चावल हो या गेहूं हो या चाहे कुछ भी हो सिवाय खाद्य तेलों के, परन्तु ऐसे लोग हैं जिनके पास इन्हें खरीदने के लिए पैसा नहीं है, उनकी खरीदने की शक्ति नहीं है। यह सच है। इस नजरिये से देखते हुए मुझे यह महसूस होता है कि समस्त आर्थिक क्रियाकलाप उस दिशा में जा रहा है जो हमें समतावादी समाज की ओर नहीं ले जाती है। यह बात सरकार की कई नीतियों में स्पष्ट है। जैसाकि मैंने कहा यह निवेश सम्बन्धी नीतियों में बिलकुल स्पष्ट है। यह बात और भी कई नीतियों में स्पष्ट है जिनकी ओर सरकार का झुकाव है। मैं श्रमिकों की प्रबन्ध में भागीदारी का उदाहरण दूंगा, इसी तरह की एक योजना श्रमिकों की कम्पनी के प्रबन्ध एवं पूंजी संरचना में भागीदारी एक सही दिशा में उठाया गया कदम है। पिछले वर्ष एक योजना तैयार की गई थी और सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों तथा सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में परिचालित की गई थी। किसने इसे लागू किया है? क्या किसी ने इसके बारे में सोचा है? क्या ऐसा कोई विचार है कि ऐसे संकल्प को कब लागू किया जाना चाहिए? यह साबित करने के लिए कई उदाहरण दिये जा सकते हैं कि सरकार द्वारा लागू की जाने वाली नीतियां, सभी उदार नीतियां जो लागू की जा रही हैं, समतावादी समाज की स्थापना के पक्ष में

अथवा इस देश में समाजवाद लाने के पक्ष में नहीं हैं। जब कभी इस सभा में या बाहर आलोचना की जाती है, तो कांग्रेस सरकार इस बात का खण्डन करती हुई कहती है कि 'नहीं'. हमने समाजवाद के सिद्धान्त को नहीं छोड़ा है। परन्तु आपकी नीतियां क्या हैं ? उस पैसे की अपेक्षा, आप बजट में निर्धारित करते हैं, नीतियां अधिक आवश्यक हैं—बजट में निर्धारण करना इतना आवश्यक नहीं है।

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में, लोगों के उन वर्गों को जो आज वंचित हैं, हिस्सा या भागीदारी देने का विचार बहुत समय पहले ही त्याग दिया गया है। उदारीकरण की इस नीति में यही दोष है। जहां तक विकास का संबंध है, विकास ही मुख्य उद्देश्य बन गया है। जैसा कि मैंने कहा है कि विकास गलत दिशा में चला गया है। इस देश में विलासिता के सामान का उत्पादन किया जा रहा है जिसके लिए बाजार बनाया जा रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं महसूस करता हूं कि अब समय आ गया है जबकि सरकार को अपनी निर्यात नीति विशेष रूप से आयात नीति में संशोधन करना होगा।

निर्यात के बारे में हमें कई बार बताया गया है कि सरकार कई योजनाओं के साथ आ रही है। मैं नहीं जानता कि वह कौन-सी योजना है जिसकी अभी तक घोषणा नहीं की गई है वे। प्रोत्साहन क्या हैं जो निर्यातकों को दिये जा रहे हैं ? इसी तरह से परम्परागत वस्तुओं का ही नहीं बल्कि मूल्य वर्धित वस्तुओं के बारे में भी इस देश का निर्यात आप किस प्रकार बढ़ाने जा रहे हैं ?

आयात के बारे में आपको यह देखने के लिए नीति संबंधी निर्णय लेना है कि ये कई प्रौद्योगिकियां जिनका आयात किया जा रहा है—पुरानी प्रौद्योगिकी कभी-कभी जिसकी वास्तविक रूप से हमारे देश में आवश्यकता नहीं है—का आयात केवल आयात नीति में उदारीकरण के कारण किया जा रहा है। मशीनरी का आयात किया जा रहा है। कच्चे माल का आयात किया जा रहा है और विलासितापूर्ण सामान का आयात किया जा रहा है। इनके बारे में संशोधन करना होगा।

आज सुबह मैं 'बिजनेस इंडिया' में एक लेख पढ़ रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ कि व्यापारी समुदाय ने जोरदार ढंग से यह कहा है कि उदार नीति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए तथा आयात नीति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वह कोई परिवर्तन नहीं चाहता। वह चाहता है कि विलासिता का सामान देश में आए। वह देश में इनका उपयोग करना चाहता है। मैं महसूस करता हूं कि यह चेतावनी का संकेत है। मैं सरकार से उदारीकरण की नीति के सुधार पर गम्भीरता से विचार करने और कुछ पाबन्दी लगाने के लिए आग्रह करता हूं जो हमारी अर्थ-व्यवस्था के लिए बहुत अनिवार्य है जहां हमें सामाजिक न्याय के साथ विकास भी लाना होगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : महोदय, श्री माधव रेड्डी द्वारा अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के बाद मुझे बोलने का जो अवसर दिया गया है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

हमें कम-से-कम यह समझना होगा कि पिछले एक या डेढ़ वर्षों के दौरान आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों में क्या परिवर्तन हुए हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : वह स्वयं इस पर विश्वास नहीं करते हैं।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : इसका कारण यह है कि आप जितना करते हैं उसकी अपेक्षा मैं अधिक विश्वास करता हूं। मैं यहां हूं। आपके साथ तो कहने और करने से कोई संबंध नहीं है परन्तु यहां कहने और करने में संबंध है।

1985 में इस सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण गुणात्मक परिवर्तन आया है। आर्थिक दृष्टिकोण में नया परिवर्तन जो हमने पहले शुरू किया था हमें उसको देखना होगा। कई वर्षों से जो प्रणाली विकसित थी उसमें एक प्रकार के निहित स्वार्थ के लोग निकलते हैं और वह निहित स्वार्थ विकास या परिवर्तन या दिशा, जिसे वह देश को देना चाहता है, को रोकता है।

कई वर्षों से हमारे पास इस तरह की आर्थिक व्यवस्था थी जिसमें हमने जो उद्योग स्थापित किए थे वे पुराने हो गए थे जबकि प्रौद्योगिकी और उन्नत हो गई थी। अतः भविष्य को देखते हुए उद्योगों को आधुनिक बनाने का विचार किया गया था। इसलिए जब हम देखते हैं कि समूचा विश्व नई प्रौद्योगिकी के साथ उन्नत कर रहा है तो क्या हमें पीछे रहना चाहिए ? उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीतियों में परिवर्तन लाए गए हैं जिसे भारत सरकार ने अपनाया है।

सबसे पहले हमें अपनी अर्थव्यवस्था को प्रतियोगितात्मक बनाना होगा। यह संरक्षित अर्थ-व्यवस्था थी। हमने विचार किया कि अन्य देशों के साथ हमें अर्थ-व्यवस्था को प्रतियोगितात्मक बनाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें वे सब पुरानी मशीनें हटानी हैं जो कई वर्षों से हैं। उसके कारण उत्पादन की लागत बढ़ रही है। हमें आधुनिकीकरण के साथ उस उत्पादन की लागत में कमी करनी होगी। नियामक पाबंदियों में भी थोड़ी ढील दी गयी थी ताकि उत्पादन की लागत में कमी की जा सके।

एक बात जो प्रस्तावक ने अभी कही है वह यह है कि वह यह नहीं समझ सके हैं कि क्या यह आर्थिक नीति सामाजिक न्याय के साथ विकास की नीति है। मैं आशा करता हूं कि यदि इस बारे में कोई बात कही है तो यह नीति मुख्य रूप से सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए है और गरीब तथा दलित वर्गों की स्थिति को सुधारने के लिए है जैसा कि पहले किया गया है। मैं आपको सिर्फ बताता हूं कि 1985-86 में और उससे आगे गरीबी के विरुद्ध लड़ाई को तेज करने की पुनः प्रतिज्ञा की गयी है। गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों के लिए योजना परिव्यय में 65% तक की वृद्धि की गई है। मैं समझता हूं कि यह सामाजिक न्याय के लिए है। इसके बाद एकीकृत ग्रामीण विकास और संबंधित कार्यक्रमों में 51% तक प्रावधान बढ़ा दिया गया है, अर्थात 283 करोड़ रुपए से 428 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 93% तक प्रावधान बढ़ा दिया गया है, अर्थात् 22: करोड़ रुपए से 443 करोड़ रुपए। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत 58% तक प्रावधान बढ़ा दिया गया है अर्थात् 400 करोड़ रुपए से 633 करोड़ रुपए। इसके बाद हमारे पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आवास कार्यक्रमों की योजनाओं के लिए 125 करोड़ रुपए है। उनके लिए प्रति वर्ष 2 लाख मकान बनाए जायेंगे। रिक्शा चलाने वाले, नाईयों आदि को घटी दर पर बैंक ऋण देने तथा नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों पर बीमा योजना लागू करने के लिए भी नई योजनाएं शुरू की गई हैं। फिर गरीब परिवारों के लिए निजी दुर्घटना नीति योजना का विस्तार है और इसे

100 जिलों से 200 जिलों तक बढ़ाया गया है इसके बाद एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत रियायती दर पर खाद्यान्न के वितरण के लिए व्यवस्था है। हम इस कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्न को आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली दर की अपेक्षा कम दर पर भी सप्लाई कर रहे है। बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए कार्यक्रम हैं। (व्यवधान)

हम 2 रुपए प्रति किलोग्राम से कम दर पर सप्लाई कर रहे हैं। हम 1.50 रुपए प्रति किलोग्राम पर दे रहे हैं। (व्यवधान) यदि यह सामाजिक न्याय के साथ विकास नहीं है तो सामाजिक न्याय के साथ विकास क्या है ? कोई भी केवल तत्वों को दे सकता है। कोई भी समक्ष नहीं दे सकता है। इसलिए यह निश्चित रूप से सामाजिक न्याय के साथ विकास है। (व्यवधान)

अब महोदय, सदन के सामने जो दूसरी बात रखी गई थी यह यह है कि शायद विदेशी ऋण बढ़ा करके हम धीरे-धीरे एक प्रकार से ऋण जाल में फंसते जा रहे है।

इस पर न केवल इस सदन में अपितु राज्य सभा में भी चर्चा हो चुकी है। एक राष्ट्रीय विवाद चल रहा है। मैं दो या तीन उदाहरण देना चाहूंगा। वर्ष 1985-86 के लिए भारत का ऋण भार अनुपात का हिसाब 15.2 प्रतिशत लगाया गया है।

सभी अर्थशास्त्रियों ने, जो इस समस्या का अध्ययन कर रहे है, यह भी कहा हैं कि 10% ऋण भार अनुपात को उचित समझा जाता है और 20 प्रतिशत को एक सुरक्षित उच्च सीमा समझा जाता है। कई बार हमारे वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री ने भी सदन में और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बताया है कि विदेशों से उधार लेने में भारत का दृष्टिकोण सावधानीपूर्ण रहता है। वर्ष 1983 में यह गणना की गई थी कि भारत का प्रति व्यक्ति बाह्य ऋण 29 डालर था जबकि मेक्सिको में यह 889.8 डालर था। ब्राजील में 447.7 डालर था और अर्जेन्टीना में 830.8 डालर था। सभी प्रकार से हमारा विदेशी ऋण विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर है। हमें खुशी है कि सरकार बहुत सावधान है और हमें विश्व बैंक व अन्य संस्थाओं द्वारा ऋण जाल में फंसने के लिए नहीं लुभाया गया है, जिसमें उन्होंने लैटिन अमेरिकी देशों को फंसा लिया है जोकि भारी विदेशी ऋण भार से कराह रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि हमारी सरकार इस मामले में सावधान रही है और सभी अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारी सरकार ने अपना सिर ऊंचा रखा है और संसार के किसी भी देश के समक्ष अपना सिर झुकाए बिना इसने संसार के सभी मंचों पर अपनी स्वतन्त्र आवाज उठाई है। हमारी सरकार और हमारा देश जो कुछ कर रहा है उस पर हमें गर्व होना चाहिए।

इसका भी उल्लेख किया गया था कि किसी वर्ष अधिक राजस्व व सीमा-शुल्क आदि प्राप्त करने के लिए, व्यापारी लोगों के घरों व अन्य स्थानों पर छापे डालने का माननीय मंत्री का कार्यक्रम है और अगले वर्ष माननीय वित्त मंत्री का कार्यक्रम छूट देने का होगा। हम वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप जी से मिलते रहे हैं और हमें यह अनुभव नहीं हुआ है कि इस वर्ष उनका कार्यक्रम छापे डालने का है व अगले वर्ष उनका कार्यक्रम छूट देने का होगा। हमारे दल के सदस्यों को इस प्रकार के छूट देने व छापे डालने के वैकल्पिक कार्यक्रम के बारे में कभी नहीं बताया गया।

हमारी सरकार एक संगत नीति का अनुसरण कर रही है और वह संगत नीति यह है कि

हम अपनी अर्थव्यवस्था को प्रतियोगात्मक बनाएं, पुरानी मशीनों व संयंत्रों से छुटकारा पाएं, उन्हें नवीनतम व आधुनिकतम प्रौद्योगिकी से सुसज्जित करें, विज्ञान की प्रगति का सर्वोत्तम लाभ उठाएं, उन सभी प्रतिबन्धात्मक नियमों को हटा दें जो कमी की अर्थव्यवस्था उत्पन्न कर रहे हैं, बचत की नहीं, आओ हम बचत की अर्थव्यवस्था बनाएं कमी की नहीं। यह हमारी सरकार की संगत नीति रही है। लोग चाहते हैं और हम सभी चाहते हैं कि काले धन को निकाला जाए। इसके लिए व्यापार-गृहों पर छापे डाले जा रहे हैं। हम इन छापों का परिणाम देखें। सरकार के उद्देश्य को प्राप्त करने में निश्चित रूप से छापे सरकार की मदद कर रहे हैं।

नीति में परिवर्तन का अच्छा प्रभाव उच्चकर राजस्व में परिलक्षित हुआ है। लाइसेन्स समाप्त करने की नीति का पालन करते हेतु हमने बहुत सी नई परियोजनाओं को अनुमति दी है। पूंजी बाजार में सुधार के संकेत देखे गए हैं जिससे समझ-बूझ व सहयोग का वातावरण बना है और टकराव का नहीं। इसकी बहुत आवश्यकता थी और इससे देश के वातावरण में सुधार होगा, ताकि प्रत्येक व्यक्ति यह कोशिश करने का प्रयत्न करे कि इस देश में उत्पादकता बढ़ते हैं, बचत हो, अधिक सामान बाजार में आये और परिणामस्वरूप मूल्य कम हों। इसका प्रभाव मूल्यों पर पड़ेगा।

राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद, जोकि एक पुराना अनुसंसान संगठन है, ने कहा है कि कृषि व उद्योग में लक्ष्य से कम उत्पादन होने पर भी वर्ष 1985-86 में अर्थव्यवस्था में 4% से अधिक वृद्धि होगी।

कृषि उत्पादन में कमी आई है। क्योंकि हमारे पास लगभग 250 लाख टन खाद्यान्नों का भण्डार है, इसलिए सूखा या वर्षा न होने के कारण जो भी कठिनाई आती है हम उस पर काबू पा लेंगे।

हमारी नीति के कारण वर्ष 1985-86 में हमारा कर राजस्व 24 प्रतिशत था, व्यक्तिगत आयकर से एकत्रित राशि 45 प्रतिशय थी जोकि अभूतपूर्व है और वर्तमान स्तर पर हमारा विदेशी मुद्रा भण्डार 6500 करोड़ रुपए, एक दशक पहले के भण्डार से 10 गुना अधिक है। इसलिए विदेशी मुद्रा भण्डार में भी, हमारी स्थिति अधिक कमजोर नहीं रही है यद्यपि हमने सोचा था कि यह कमजोर रहेगी।

गरीबी की समस्या से निपटने में भी बहुत सुधार हुआ है। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली जनसंख्या का प्रतिशत अब 37 प्रतिशत है जोकि वर्ष 1978 में 48 प्रतिशत था। गरीबी हटाओ कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सरकार की सहायता 65% बढ़ गई है।

हम 1313 करोड़ रुपये की कीमत का अपना कच्चा तेल 'पी० ओ० एल०' का निर्यात करते थे, इसलिए हमें अधिक व्यापार घाटा हुआ है। अब हमने परिष्करण क्षमता तैयार कर ली है और अब हम उस कच्चे तेल का निर्यात नहीं कर रहे हैं। और फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में घाटा अब समस्त संसार की समस्या है जो भारत को भी प्रभावित कर रही है। श्री माधव रेड्डी ने भी इसका उल्लेख किया था और मैं निश्चित रूप से उनसे सहमत हूं।

परन्तु बड़े व्यापारिक घरानों के बारे में क्या स्थिति है? अब वे इन नीतियों से सभी प्रकार

का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और हम यह देखने की कोशिश कर रहे है कि उत्पादन में वृद्धि होती है, तो उनका निर्यात अंश कितना है ? मैं माननीय मंत्री से यह जानने के लिए कि उनका अंश कितना है एक समिति गठित करने का अनुरोध करूंगा और मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि वह अपने उत्पादन का 20% या 30% निर्यात के लिए निर्धारित कर दें। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस समस्या की जांच करेंगे।

मैं आपके ध्यान में यह बात भी ला सकता हूं कि हम वार्षिक मुद्रा स्फीति दर को नियंत्रित रखने में सफल रहे हैं। मुद्रा स्फीति की वार्षिक दर जून, 1986 में घटकर 3.8 प्रतिशत आ गई है। इसे विकासशील अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में देखना चाहिए जिसमें हम गरीबी हटाओ कार्यक्रमों में अधिकाधिक धन लगा रहे हैं। इस प्रकार यह एक शुभ संकेत है कि थोक मूल्य सूचकांक में केवल 4.8 प्रतिशत वृद्धि हुई है और इस प्रकार यह स्थिरता का सूचक है। यद्यपि कुछ मामलों में जैसे सब्जियों व खाद्य तेल की कीमतें कमी वाले मौसम में बढ़ जाती हैं। मुझे आशा है कि सरकार सख्त कदम उठाने को कोशिश कर रही है ताकि हम अपने आयात का विकल्प तैयार कर सकें और अपने आयात को नियन्त्रित कर सकें ताकि हमारा व्यापार-घाटा बढ़ने न पाए। मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में सरकार अत्यन्त प्रभावशाली कदम उठायेगी। (व्यवधान) बहुत सारी समस्याएं हैं। खाद्य तेलों के मामले को ही लीजिए। गुजरात में मूंगफली की कमी रही है। उत्तर प्रदेश में आलू की खेती कम हुई थी। इन तथ्यों के कारण कीमतें बढ़ी हैं। परन्तु मैं इस सदन के समक्ष यह प्रस्तुत करना चाहूंगा कि इन कारकों के बावजूद पिछले दो या तीन वर्षों की तुलना में, थोक-मूल्य सूचकांक में स्थिरता है और यह केवल हमारी सरकार के प्रयत्नों के कारण है। जहां तक आलू व अन्य उत्पादों का सम्बन्ध है, इन उत्पादों का 52 प्रतिशत निजी कृषि क्षेत्र में उत्पादित होता है और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार मूल्य निर्धारित नहीं कर सकती।

श्री अमल दत्ता (डायमंड हार्बर) : आप जमाखोर व्यापारियों को ऋण देते हैं। यही कारण है कि कीमतें बढ़ती हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : व्यापारियों को कौन धन दे रहा है ? (**व्यवधान**) व्यापारियों को हम कितना धन दे रहे हैं ? (**व्यवधान**)

जैसा मैंने पहले ही कहा है कि आर्थिक नीति में हमने जो परिवर्तन किए हैं, उनसे हमारी अर्थव्यवस्था में स्थिरता आई है और भारत को प्रगति करने में सहायता मिली है। मान लीजिए कि श्री माधव रेड्डी कहते हैं कि बड़े औद्योगिक घराने उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करेंगे और उनका निर्यात नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि सरकार हमेशा ऐसे तरीके ढूंढ़ लेगी कि ऐसे उत्पादन का एक अंश निर्यात के लिए रखा जाए।

मुझे आशा है कि हम उन कठिनाइयों पर काबू पा लेंगे जिनका आज हम सामना कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि अर्थव्यवस्था लो अब और अधिक शक्तिशाली बनाया गया है और अपनाए गए नए दृष्टिकोण से हम आने वाले वर्षों में हम एक नए समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे, जो दुनिया में हो रही नये आर्थिक और औद्योगिकीय प्रगति की चुनौतियों का सामना करने के लिए 21वीं शताब्दी में जाने के लिए तैयार हो। हमें विश्वास है कि अब तक कोई भी देश उधार ली गई पूंजी व प्रौद्योगिकी से महान नहीं बन पाया है।

मैं समझता हूं कि हम सफलता प्राप्त कर रहे हैं और हमारे कार्यक्रम गरीबों की सहायता के

लिए केन्द्रित हैं। हमारे कार्यक्रम विकास सामाजिक न्याय के लिए व अमीरों के हितों के विरोध में हैं। वे अमीरों के लिए नहीं है।

यदि आप हमारे क्रियाकलाप देखें तो आपको पता चलेगा कि अमीरों पर कर लगाए गए हैं। हमने कीमती किस्म के सूती और मानव निर्मित कपड़ों, कारों, रंगीन टी० वी०, एयर-कन्डीशनर, पर राजस्व शुल्क बढ़ाया है। हमने अधिक कीमती उपहारों पर कर, लाटरी व वर्ग-पहेली से प्राप्त आय पर कर बढ़ाया है। ये सभी बातें दर्शाती हैं कि हम अमीरों पर कर लगाना चाहते हैं। इस प्रकार गरीबों की सहायता के लिए यह एक गरीब का दृष्टिकोण है ताकि देश समाजवाद, विकास व सामाजिक न्याय की ओर अग्रसर हो।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं अपने मित्र श्री माधव रेड्डी की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने मोटे तौर पर वही बातें कहीं जिन बातों को पिछले दिनों माननीय वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में जब कुछ बड़े घरानों के ऊपर छापे डाले गये तो उस समय उन घरानों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ समाचार-पत्रों ने और कुछ मैगजीनों ने सरकार के ऊपर टिप्पणी करते हुए जो आक्षेप लगाये, उसी की आड़ में उन्होंने अपने भाषण में दो मुख्य रूप से बातें कहीं। उन्होंने एक बात यह कही कि सरकार का दृष्टिकोण गरीब की मदद करने का नहीं है और गरीब की मदद के लिए धन का प्रावधान जरूर किया गया है, मगर दृष्टिकोण गरीब की मदद करने का नहीं है। मैं उनकी यह बात समझ नहीं पाया कि कोई भी सरकार गरीब की मदद करने के लिए बजट में धन का प्रावधान करे, लेकिन उस धन का उपयोग गरीब को मदद देने की दृष्टि से न करे। मैं नहीं समझता कि यह बात कहीं पर या किसी तर्क के खाने में ठीक बैठती है।

मेरे मित्र श्री चिन्तामणि पाणिग्रही जी ने आंकड़े देकर इस बात को सिद्ध किया कि सरकार ने गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों के लिए पहले के वर्षों की अपेक्षा ज्यादा धन का प्रावधान किया। आई० आर० डी० पी० के लिए सरकार ने पहले की अपेक्षा ड्योढ़ा धन रखा और बैंकों को इस बात की हिदायत दी गई कि बैंक गरीब व्यक्ति को अपने पांवों पर खड़ा होने के लिए मदद देने के लिए आगे आएं। पहले के वर्षों की अपेक्षा लक्ष्य पूर्ति भी ज्यादा रही। और तो और ऐसे राज्य जहां बैंक मदद देने के लिए तैयार हैं, केन्द्र की सरकार मदद देने के लिए तैयार हैं और राज्य सरकारों से कहा जा रहा है कि आप आवेदकों को आइडेंटिफाई करिए तो वे राज्य सरकारें आगे नहीं आ रही हैं। वे क्रिटिसिज्म कर रही हैं और आलोचना कर रही हैं। ऐसे भी प्रदेश हैं जहां पर राज्य सरकारों द्वारा एन० आर० ई० पी० के बजट का, आर० एल० ई० पी० के बजट का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। मगर इसके बाद भी केन्द्र सरकार बराबर इस बात को दोहराती जा रही है कि इन कार्यक्रमों के लिए जितने पैसे की जरूरत होगी वह हम पूरा करेंगे।

माधव रेड्डी साहब को कृपा करके यह बात ध्यान रखनी चाहिए थी कि एक तरफ सरकार न केवल पैसे का प्रबन्ध कर रही है बल्कि वह अपनी मशीनरी को भी इस प्रकार से टोन अप करने का प्रयत्न कर रही है कि वह मशीनरी धन का ठीक से उपयोग करे, उस पैसे को ठीक से खर्च करे, कहीं पर अगर कोई कमी है तो उसको दुरुस्त करने के लिए भी इच्छा जाहिर करे, तो ऐसी सरकार के ऊपर यह आक्षेप लगाना कि वह सरकार गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रमों के प्रति दृष्टिकोण नहीं रखती है, विचार नहीं रखती है, यह अपने आप में एक विरोधाभास है। इस विरोधाभास के पीछे, मैं कोई माधव रेड्डी जी के ऊपर यह विरोध पक्ष के लोगों के ऊपर आक्षेप लगाने की बात नहीं

कर रहा हूं, इसके पीछे एक साजिश है और वह साजिश है कि वित्त मंत्रालय के ऊपर और सरकार के ऊपर इस बात का आक्षेप लगाया जाय कि सरकार गरीबों का हित नहीं चाहती है। भारत देश में यदि इस बात को कहा जाएगा कि सरकार गरीबों का हित नहीं चाहती है, गरीबों की भलाई नहीं चाहती है तो उससे एक राजनैतिक अस्थिरता और अस्थायित्व की भावना पैदा होती है और आज यह दुख की बात है, तकलीफ की बात है कि देश का वह पूंजीपति जिसके ऊपर वित्तमंत्री जी ने जो टैक्स कलेक्शन की पालिसी बनायी है कि कुछ छूटें दी जायें, और वे छूटें इसलिए दी जाएं ताकि जो ईमानदारी से टैक्स अदा करना चाहते हैं वे टैक्स अदा करें और जो व्यक्ति ईमानदारी से टैक्स नहीं अदा करना चाहता, उसके ऊपर सख्ती की जाय ताकि उदारता और सख्ती दोनों का ऐसा समावेश हो सके कि ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो सके और यही कारण है कि पिछले वर्षों की अपेक्षा चाहे इनकम टैक्स के क्षेत्र में हो या टोटल टैक्स कलेक्शन के क्षेत्र में हो, पहले से ज्यादा टैक्स वसूल हुआ है, लेकिन उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर चोट लगी है, जो बड़े घरानों के लोग अपना अधिकार समझते थे कि हम टैक्स की चोरी करें, चाहे विदेशी मुद्रा की चोरी करें, चाहे हम वित्तीय नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन करें, हमारे ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता, उनके ऊपर जब वित्त मंत्री ने हाथ डाला तो वे सारे लोग बौखला गए और उन लोगों ने एक भावना देश के अन्दर फैलाने की कोशिश की कि वित्त मंत्रालय ऐसी नीति बना रहा है कि जो नीति देश के हित में नहीं है, गरीबों के हित में नहीं है।

जिन बड़े घरानों के लोगों पर गरीबों से कोई मतलब नही रहा हो, जिन लोगों ने केवल देश की पूरी सम्पत्ति पर अधिकार करने की कुचेष्टा की हो, जब उनको यह लगा कि वित्त मंत्रालय हमारे रास्ते में रोड़े लगा रहा है तो आज वही लोग गरीबों के चैम्पियन बन कर सामने आ रहे हैं और उनकी हां में हां मिलाने का काम हमारे कुछ विरोधी मित्र भी कर रहे हैं। मैं अपने उन मित्रों से निवेदन करूंगा चाहे वह वामपंथी ग्रुप हो या ध्रुव दक्षिण पंथी ग्रुप हो, वह उन लोगों के टैक्ट में न आएं, उन बड़े घरानों के लोगों और उनके मुखिया अखबारों की भावनाओं में न आएं। कृपा करके ऐसा वातावरण देश में पैदा न करें जिससे सरकार के ऊपर यह आक्षेप लगे—उनको तथ्यात्मक आलोचना करने की पूरी छूट है, तथ्यों के आधार पर आलोचना करें—मगर तथ्यों पर आधारित आलोचना न करके वे इस ढंग का वातावरण देश के अन्दर पैदा करेंगे तो उससे केवल विश्वनाथ जी का नुकसान नहीं होगा या केवल राजीव जी का नुकसान नहीं होगा या कांग्रेस की सरकार का नुकसान नहीं होगा, उससे हमारी पूरी व्यवस्था के ऊपर चोट लगेगी।

माधव रेड्डी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बार-बार इस बात को बाहर दोहराती है कि हम गरीब का हित करना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : कर भी रहे हैं।

श्री हरीश रावत : यह कांग्रेस पार्टी है और मैं समझता हूं कि उधर बैठने वाले लोग भी आधे से ज्यादा ऐसे हैं जो कांग्रेस के कल्चर से, कांग्रेस की संस्कृति से निकाल कर आए हैं।

5.00 म० प०

कांग्रेस की संस्कृति जो कहने की संस्कृति है वही करने की भी संस्कृति रही है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हो रहा था, हमारी गुलामी का प्रतीक यूनियन जैक नीचे उतर रहा था और हमारा तिरंगा झंडा ऊपर फहरा रहा था, उस समय हमारे जैक नीचे उतर रहा था और हमारा तिरंगा झंडा ऊपर फहरा रहा था, उस समय हमारे पं० जवाहर लाल नेहरू के सामने ऐसा कोई भी प्रतिबन्ध

नहीं था कि वे कहते कि हम इस देश में समाजवादी समाज की रचना करेंगे। यदि वे ऐसा नहीं कहते और कुछ बड़े घरानों की बात भी सोचते तब भी उन पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं था। लेकिन उस समय भी कांग्रेस ने नेहरू जी के नेतृत्व में समाजवादी नीतियों को आगे बढ़ाने की बात सोची, बड़े उद्योगपतियों के विरोध के बावजूद उन्होंने आधारभूत उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित करने की बात सोची। उस समय हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों का एक बहुत बड़ा प्रभावशाली तबका मौजूद था जिसका राजनीति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी अधिकार था, उस तबके के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने भूमि सुधार लागू किए। उस समय कौन-सी ऐसी मजबूरी कांग्रेस पर थी या नेहरू जी के सामने कौन-सी मजबूरी थी? कोई भी मजबूरी नहीं थी। मजबूरी केवल इस बात की थी कि कांग्रेस गरीबों का हित चाहती थी। उसी उद्देश्य को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ी। उसी को नेहरू जी के नेतृत्व में सरकार ने आगे बढ़ाया, इन्दिरा जी के नेतृत्व में सरकार ने आगे बढ़ाया और अब राजीव जी के नेतृत्व में उसको और आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हमारे वित्त मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी उसी नीति को आगे बढ़ाने के माध्यम हैं।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उनके नेतृत्व में इन कठिन परिस्थितियों में भी जबकि चारों तरफ ऐसी राजनीतिक कुचेष्टायें हो रही हैं राजनीतिक अस्थिरता लाने की, उन्होंने वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता पैदा की है। मुझे स्वयं थोड़ी-बहुत इस बात पर शंका की थी कि हम इम्पोर्ट की नीति को अधिक उदार बना रहे हैं, इसका क्या प्रभाव हमारी अर्थ-व्यवस्था पर पड़ेगा? जैसे मोटे तौर पर यदि टैक्नालाजी आयात की बात हम करते हैं तो किसी भी आम आदमी को उसके बारे में शंका हो सकती है लेकिन अब हमारे देखने में आ रहा है कि टैक्नालाजी के आघात से देश की कुल अर्थ-व्यवस्था को कोई नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि इससे देश के आम आदमी को भी लाभ पहुंच रहा है।

सभापति महोदय, आज हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ा है। न केवल औद्योगिक क्षेत्र में प्रोडक्शन बढ़ा है, कृषि क्षेत्र में भी प्रोडक्शन बढ़ा है। क्या यह हमारी सरकार की वित्तीय नीतियों की सफलता का परिचायक नहीं है? आज हमारे देश में मुद्रास्फीति की दर विश्व में सबसे कम है—क्या यह हमारी सरकार की सफलता का परिचायक नहीं है? बावजूद प्राकृतिक आपदाओं के, आज हमारे देश में अनाज की कमी नहीं है। आज हम देश में गरीब आदमियों की आवश्यकता की चीजें उपलब्ध करा पाने में हमारी सरकार समर्थ है। यदि कहीं पर किसी चीज की कीमत में अस्थायी रूप से बढ़ावा होता है तो हमारे वित्त मंत्री जी तत्परता के साथ, इस देश के लोगों की भावनाओं को देखते हुए, आवश्यक कदम उठाते हैं। उदाहरण के तौर पर पिछले वर्ष चीनी की अस्थायी कमी हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि चीनी के मूल्य बहुत बढ़ जाएंगे तथा देश में एक ऐसा वातावरण पैदा करने की कोशिश की गई कि सरकार फेल हो रही है, चीनी की कीमतें आगे बढ़ती जा रही हैं। वित्त मंत्री जी ने चीनी का आयात विदेश से किया यद्यपि 600 करोड़ की विदेशी मुद्रा उसके आयात पर व्यय करनी पड़ी परन्तु चीनी के अभाव को दूर किया गया। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अस्थायी कदमों से अस्थायी परिणाम निकल सकते हैं लेकिन इनसे कठिनाइयां बढ़ेंगी। मैं समझता हूं हमें अपने देशवासियों को मानसिक रूप से इस बात से तैयार करना पड़ेगा और उनकी आदतों को भी एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि यदि हमारे देश में कोई कृत्रिम अभाव की स्थिति पैदा होती है तो वे उसके फंदे में न पड़ें। कभी हमारे देश में

चीनी की कमी हो जाती है तो जहां से भी वह मिल सकती है उसको लेकर लोग स्टोर करने की कोशिश करते हैं। यदि कभी मिट्टी के तेल की कमी हो गई तो लोग उसको स्टोर करना शुरू कर देंगे। इस प्रकार से और भी अधिक कृत्रिम अभाव पैदा होता है और इससे मुनाफा करने वालों को लाभ पहुंचता है। हमें इस बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने की बड़ी आवश्यकता है। जिन लोगों के लिए हम अपनी सारी नीतियों का निरूपण करते हैं उनको शिक्षित करने की कोशिश हमने नहीं की है। इसलिए देश के अन्दर जब तक उपभोक्ता आन्दोलन बलशाली नहीं बनायेंगे, तब तक हम लोग ऐसी कोशिश करेंगे जो मुनाफा कमाने वाले तत्व हैं, जो हमारी अर्थ-व्यवस्था में कहीं पर कोई कमजोरी पैदा होती है, उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तब तक हमारे सामने ऐसी दिक्कतें बढ़ेंगी।

अधिष्ठाता महोदय, मैं ज्यादा न कह कर जो सुझाव माननीय पाणिग्रही ने दिया है, उसकी मैं ताईद करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। हमारे देश के पूंजीपतियों का ऐसा स्वभाव बन गया है कि जो व्यक्ति उनके रास्ते में रोड़ा बनने की कोशिश करता है, उसके ऊपर हर प्रकार का हमला तो वह करता ही है बल्कि उनकी हमेशा यह कोशिश रहती है कि वे ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। वह ज्यादा फायदा उठाने के लिए किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार रहता है। इसकी वजह से उसका क्या कर्त्तव्य है, वह उस कर्त्तव्य के प्रति लापरवाह हो जाता है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, देश के किसान कपास पैदा करते हैं, उनसे कपड़ा तैयार हुआ, कुछ लोग केरल से विदेशों में जाकर विदेशी मुद्रा कमा कर लाते हैं, गल्फ-कन्ट्रीज में जाकर विदेशी मुद्रा कमा कर लाते हैं, बड़ी मेहनत से वे लोग विदेशी मुद्रा कमाते हैं, यही विदेशी मुद्रा इन पूंजीपतियों को टैक्नालाजी को इम्पोर्ट करने के नाम पर दी जाती है। उनमें से कितने पूंजीपति ऐसे हैं, जिन्होंने ऐसा प्रोडक्ट तैयार किए हैं, जो विदेशों में जाकर कम्पीट कर सकें। जर्मनी के साथ, जापान के साथ या दूसरे मुल्कों के साथ जो जर्मनी या जापान से कम विकसित हैं। किसी भी पूंजीपति ने ऐसी कोशिश नहीं की है। उन्होंने सरकार पर दबाव डालकर बड़े-बड़े लाइसैंस लेकर टैक्नोलाजी इम्पोर्ट करने के नाम पर, विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग किया है। उसके जरिए जो माल पैदा किया है, उसको अपने देश की मार्केट में भेजा है। किसके कम्पीटीशन में भेजा है, जो कि छोटे-छोटे उद्योग के तबके हैं, जो स्माल स्केल सैक्टर में आते हैं, जो नए जनरेशन एन्टर-प्रोन्योर्स द्वारा माल पैदा किया जाता है, उनके साथ कम्पीट करने के लिए माल को भेजा है। उनका गला घोंटने के लिए यह काम किया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो बड़े-बड़े घराने हैं, जिनको आप पैसा देते हैं, विदेशी मुद्रा देते हैं, उनके ऊपर यह प्रतिबन्ध लगाना चाहिए कि यदि आप इतने वर्षों के अन्दर इतनी विदेशी मुद्रा कमा कर नहीं देंगे तो आपके ऊपर अमुक-अमुक दंडात्मक प्रावधान किया जाएगा। जो विदेशी मुद्रा उनको दी जाती है, वह उनकी अपनी विदेशी मुद्रा नहीं है, बल्कि देश की अपनी मुद्रा है और उसका उपयोग देश के हित के लिए करना चाहिए। उनको यह चेष्टा नहीं करनी चाहिए कि जैसा वे चाहें देश की अर्थव्यवस्था को चला सकते हैं।

5.07 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि इस समय जो आम हमारी आर्थिक स्थिति है, वह संतोषजनक है। मगर इस आम आर्थिक स्थिति का फायदा गरीब किसान और गरीब मजदूर

को मिलना चाहिए। मैं माधव रेड्डी जी के इशारे को राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित समझता हूं कि हमारी मंशा नहीं है, सरकार की इच्छा नहीं है, गरीबों के कल्याण के कार्यक्रम को सफल बनाने की हमारी इच्छा नहीं है, तो मैं उसका विरोध करता हूं। मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो एजेंसी है, उन एजेन्सीज में कमिटमेंट होना चाहिए, विशेष तौर पर गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम को सफल बनाने का, जिनके ऊपर उन कार्यक्रमों को सफल बनाने का दायित्व है। जब तक उनमें कमिटमेंट की भावना नहीं होगी, हम उनके सामने लक्ष्य नहीं रखेंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। जब तक गरीब लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का प्रावधान नहीं करेंगे, तब तक उसको पूरा करने में वे असफल होंगे। मैं नहीं समझता कि केवल उपदेश देने मात्र से ही पूरी मशीनरी सोशियलिस्टिक आउट-लुक की हो जाएगी।

जितना अच्छा काम आपने वित्त मंत्रालय में रह कर किया है, उसके लिए तो हम आपको साधूवाद देते हैं और साथ ही साथ इस बात के लिए भी आश्वस्त करते हैं कि चाहे लोग भ्रम पैदा करें, हमारे अपोजिशन के लोग जितना चाहे भ्रम पैदा करने की कोशिश करें, चाहे देश के बड़े-बड़े अखबार कुछ भी लिखें, किसी प्रकार का एक वातावरण बनाएं, लेकिन आम गरीब आदमी यह समझता है कि राजीव गांधी की सरकार हमारी सरकार है, आम आदमी यह समझता है कि राजीव गांधी की सरकार हमारे हित के लिए काम करेगी। आम आदमी यह समझता है कि वित्त मंत्री के रूप में राजीव गांधी ने ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना रखा है, जो व्यक्ति ईमानदारी का प्रतीक है, जो व्यक्ति नीतियों को कड़ाई से लागू करने में किसी भी सीमा तक जाने के लिए तत्पर है।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : धन्यवाद, आप मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं...... (**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : महोदय, क्या हम 6 बजे स्थगित करेंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : 6 बजे हम देखेंगे कि इसे स्थगित करना है या नहीं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, चूंकि किसी वस्तु के खाने का स्वाद इसके चखने में है इसलिए हमें देखना है कि नई वित्तीय नीतियों और नई आर्थिक नीतियों के दूसरे पहलुओं, जो एक दूसरे की अनुपूरक हैं, के क्या प्रभाव हुए हैं।

आम खपत की वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए हैं। औद्योगिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गत वर्ष मई से लेकर इस वर्ष मई तक 8.5 प्रतिशत बढ़ गया है और कौन से मूल्य नहीं बढ़े हैं। उदाहरण के लिए सरसों के तेल को लीजिए। हम इसे तीन महीने पहले दिल्ली में 15 रु० से 16 रु० किलो तक खरीद रहे थे और अब 20 रु० से 22 रु० प्रति किलोग्राम खरीद रहे हैं। मैं जानती हूं कि मेरी बहन, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की धर्मपत्नी, हर समय उनके साथ नहीं हो सकतीं लेकिन हम वास्तव में हम जैसे दूसरे घर की औरतों का समुदाय इनके साथ है। (**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : इस विषय पर श्रीमती कृष्णा प्रताप सिंह हमारे साथ हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : वह मैं जानती हूं......(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : हमारी एकता न तोड़ें।

श्रीमती गीता मुखर्जी : उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में कई बार की गई कटौती से इस वर्ष 113 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व की हानि हो चुकी है। ये रियायतें किनको दी गई हैं ? ये रियायतें विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन करने वाले उद्योगों और कुछ बड़े उद्योगपतियों को ही दी गई हैं और किसी दूसरे को नहीं जो उत्पादन करते हैं।......(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह मुद्दे से इतना भिन्न है कि मुझे इसका विरोध करना पड़ेगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : कहां भिन्न है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : विलासिता की वस्तुओं के उद्योग को रियायतें दी गई हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इलेक्ट्रानिकी समान और उनके उत्पादन में काम आने वाले कच्चे माल, सिन्थेटिक रेशे आदि में रियायतें दी गई हैं। मुझे विश्वास है कि इन सब वस्तुओं की समृद्ध वर्ग द्वारा खपत की जाती है, गरीबों द्वारा नहीं। साधारण कपड़ों, उदाहरण के लिए वनस्पति या अन्य खाने के तेलों, साधारण उपयोग में आने वाले जूतों और यहां तक कि विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली कापियों पर भी रियायतें नहीं दी गई हैं।

प्रत्यक्ष करों में राजस्व की हानि और अप्रत्यक्ष करों और प्रशासित मूल्य में वृद्धि के असहनीय बोझ से आम व्यक्ति को उपभोक्ता वस्तुओं के न केवल अधिक मूल्य देना पड़ रहा है अपितु सरकार के खर्चे भी बढ़ रहे हैं जिससे या तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में कटौती होगी या घाटे की अर्थव्यवस्था होगी जिससे फिर सामान्य व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा।

वित्तीय नीति गैर-सरकारी क्षेत्र को कितना भी बढ़ावा दे। अब भी 6% प्रतिवर्ष उत्पादन कम है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती कागज की बजाय अपने साथ कापी लाई हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : साधारणतया मैं कागज का प्रयोग नहीं करती, लेकिन यथार्थ बात यह है कि कहीं आप घंटी न बजा दें। मैंने अपने मुद्दों को लिखने का निर्णय लिया है, ताकि अपना भाषण शीघ्र कर सकूं। इस दृष्टि से मैं आशा करती हूं कि आप मुझे अपना भाषण शीघ्र और प्रसंगानुकूल करने देंगे।

महोदय, इस 6 प्रतिशत की दर को भी मोटरगाड़ी की उपभोक्ता, इलेक्ट्रानिकी और कम्प्यूटर जैसे उद्योगों के विकास के आधार पर अधिकतर विदेशी यंत्रों एवं कम महत्व के यंत्रों को जोड़कर प्राप्त की गई है।

93,000 से अधिक रुग्ण उद्योग हैं जिनमें कारण करोड़ों परिवार भुखमरी का शिकार होने जा रहे हैं।

कृषि क्षेत्र में उत्पादन लागत आदानों की उपलब्धि के कारण बढ़ती जा रही है। लेकिन आदानों का मूल्य इतना अधिक है कि कृषि उत्पादित वस्तुओं का उत्पादन कृषि सहायक वस्तुओं और यन्त्रों के मूल्य के कारण अलाभप्रद होता जा रहा है।

पूरे क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की ओर ध्यान दिए जाने के कारण, रोजगार स्थिति खतरनाक हो गई है। रोजगार केन्द्रों के वर्तमान रजिस्टरों के आंकड़ों से पता चलता है कि

बेरोजगारों की संख्या इस वर्ष 7 करोड़ तक पहुंच गई हैं जबकि रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार दिए गए लोगों की संख्या गत वर्ष के मार्च तक एक लाख एक हजार से घटकर इस वर्ष के मार्च तक केवल 70,000 हो गई है। यह सब जानते हैं कि संगठित निजी क्षेत्र में इतने रोजगार नहीं दिए हैं और न ही सरकार ने।

आयात को काफी उदार बना दिया गया है। मैं कुछेक उदाहरण दूंगी। सुजुकी और मारुति के सभी पुर्जों, यामाहा, टोयोटा, रोवर अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भी आयात करने की अनुमति दी गई है और अब दुपहिया वाहनों के लिए भी। ऐसा लगता है कि राजीव का भारत 21वीं सदी में आयातित पहियों पर चलेगा बल्कि आयातित टेलीविजन के सम्बन्ध में इसकी नजर भी आयातित होगी। इनकी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों जैसे ग्रुंडिग, फिलिप्स, नेशनल, सोनी, शार्प आदि के साथ सन्धि हैं। आयात छूट यहां तक है कि इसने आपकी वित्तीय नीति को प्रभावित किया है। मुझे पता चला है कि सिक्के बनाने के लिए आप विदेश से इस्पात का भी आयात करने जा रहे हैं और इसके लिए हमारा उद्योग निर्भर नहीं रह सकता। आत्मनिर्भरता पर इसके दुष्प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। इससे हमारे सरकारी क्षेत्र पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है जो अब पवित्र नहीं रहा है।

मैं एक उदाहरण दूंगी। हिन्दुस्तान ऐयरोनाटिक्स लिमिटेड, जो एक सरकारी क्षेत्र है, ने हलके लड़ाकू विमान के निर्माण का एक प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करके प्रसिद्ध यू० एस० ए० मशीन्स को आर्डर दे दिया गया। इसका मतलब यह है कि मानो देशी प्रस्ताव अच्छा साबित नहीं होगा। इस नीति से हमारे भुगतान संतुलन पर पुनः सीधा प्रभाव पड़ा है। जो इस वर्ष 8000 या इससे अधिक होने की सम्भावना है। यह इतना हो सकता है और रुपए का अवमूल्यन भी हो सकता है।

इसके साथ-साथ बाह्य ऋण भार अनुपात 20 प्रतिशत तक पहुंच रहा है। मेरे माननीय मित्र श्री चिन्तामणि पाणिग्रही कहते हैं—हमें यह संतुष्टि है कि हम लैटिन अमेरिकी जैसे देश नहीं बने हैं, लेकिन विवेकानुसार 20 प्रतिशत को पार करना, बहुत अधिक है—आपके आर्थिक सलाहकार भी यही कहते हैं।

वर्तमान आर्थिक व्यवस्था और दूसरी कुछ आर्थिक नीतियों के, जिनका 21वीं सदी की ओर जाने के लिए सरकार अनुसरण कर रही है और जिनका पदप्रदर्शन विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया है, ये कुछ परिणाम रहे हैं। आप इससे सहमत हों या न हों। यही वास्तविकता है। लम्बी अवधि को आर्थिक नीति के सम्बन्ध में इसे दीर्घावधि आर्थिक नीति नहीं कहा जा सकता यह अधिकतर बदलती रहती है। लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। कभी-कभी यह सभी रियायतें दी जा रही हैं।

समग्र आर्थिक स्थिति पर विचार करते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप मुझे आज्ञा देंगे।

रियायतें केवल सामान्य उपभोग की वस्तुओं पर दी जानी चाहिए। राजस्व स्रोत की दृष्टि से प्रशासनिक कीमतों को नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

जहां तक बड़ी कम्पनियों और धनी व्यक्तियों का सम्बन्ध है। जब कभी छापा मारा जाए

तो धन को सीधा जब्त कर लिया जाना चाहिए। अभी तक मारे गये छापों के परिणामों को मैं जानना चाहता हूं। इनका क्या परिणाम हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आज के बाद कोई रियायत नहीं दी जाएगी।

मेरा अगला सुझाव है अनर्थकारी आयात उदारीकरण नीति को समाप्त किया जाए। परिवर्तन करने के लिए मैंने पहले ही आवश्यक निर्देश दे दिए हैं।

दालों, खाने के तेल, साधारण किस्मों के नहाने और कपड़े धोने का साबुन, अभ्यास पुस्तकों आदि को आवश्यक उपभोक्ता की वस्तुओं में शामिल करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए। मैंने सुना है कि विश्व बैंक न आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त करने के लिए सलाह दी है। अगर ऐसा है तो मुझे आशा है कि आप उस सलाह के समक्ष झुकेंगे नहीं।

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की वास्तव में आमदनी बढ़ाने के लिए, 260 लाख टन के अनाज भंडार में से 160 लाख टन खाद्य भंडार इन कार्यक्रमों के लिए दिया जाना चाहिए। यह वर्तमान 20 लाख टन से सात गुना अधिक होगा। इससे अधिक उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के लिए बाजार बनेगा जिससे इन उद्योगों की भी उन्नति होगी जो ये वस्तुएं उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त सिंचाई, सड़कों, इत्यादि परियोजनाओं में अधिक श्रम लगाकर आप अधिक रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं और विकास कर सकते हैं। खाद्य भंडार बनाने पर प्रति टन 500 रुपए की धनराशि कम होती है। इसलिए यदि इसका आवंटन कर दिया जाये तो बहुत अधिक धन बचाया जा सकता है।

ऋण भुगतान के सम्बन्ध में भारतवर्ष को पेरू के राष्ट्रपति के प्रस्ताव का दृढ़ता से समर्थन करना चाहिए कि तीसरे विश्व के देशों में, उनके निर्यात के कुछ भाग को ऋण अदायगी के लिए दिया जाना चाहिए और इससे अधिक नहीं। इस काम की शुरूआत में भारत पहला देश होना चाहिए अन्य देशों को भी तैयार किया जाना चाहिए।

कृपया विश्व बैंक के विकल्प के रूप में 'नाम' बैंक की स्थापना करने का प्रस्ताव रखें। यह विश्व बैंक का एक विकल्प होगा जिसमें अनिवासी भारतीय भी एक सीमा के भीतर अपना धन ला सकते हों।

महोदय, जब तक वित्तीय नीतियों सहित आर्थिक नीतियों की दशा में परिवर्तन नहीं किया जाता, मुझे डर है कि देश विनाश की ओर बढ़ता रहेगा जिसे हर हाल में रोकना चाहिए।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 1985 के दौरान खाद्यान्न का अच्छा उत्पादन रहा यद्यपि वह लक्ष्य से कम था क्योंकि 11 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में सूखा पड़ा तथा 6.5 प्रतिशत औद्योगिक विकास यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा एवं वित्त सम्बन्धी प्रतिवेदन में दर्शाई गई भारतीय अर्थव्यवस्था भी दो अच्छी बातें हैं। इससे भी दो बातों का उल्लेख किया गया है। साधनों का अभाव तथा विदेशी मुद्रा में थोड़ी सी वृद्धि, किंतु कमी नहीं।

महोदय, लंदन की एक मानी हुई पत्रिका 'दि इकॉनामिस्ट' ने दिसम्बर, 1985 के तीसरे

सप्ताह के अंक में प्रधान मंत्री की कुशल आर्थिक नेतृत्व के लिए प्रशंसा की है। इसमें कहा गया है कि यद्यपि अधिकांश विकासशील देशों में आर्थिक विकास की दर पूर्ववत रही है, भारत में यह दर बढ़ी है। इसमें कहा गया कि 2000 ईस्वी तक भारत का जी० डी० पी० ब्रिटिश जी० डी० पी० का 80 प्रतिशत हो जाएगा जबकि 1960 में यह 30 प्रतिशत था। 2000 ईस्वी तक भारत में प्रति व्यक्ति जी० डी० पी० 590 डालर होगा जबकि ब्रिटेन में यह 1200 डालर होगा। एक बात ध्यान रखने योग्य है। जनसंख्या में वृद्धि को रोकना होगा। पांचवी और छठी योजनाओं के अन्तिम वर्षों अर्थात् 1978-79 तथा 1984-85 में खाद्यान्न के उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि केवल 1.73 प्रतिशत थी और जनसंख्या में वृद्धि की दर 2 प्रतिशत से अधिक थी। इस बात पर शीघ्र ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। महोदय, मैंने आशा की थी कि श्री माधव रेड्डी कुछ विशिष्ट, रचनात्मक सुझाव देंगे कि आम आदमी के जीवन स्तर को किस प्रकार सुधारा जा सकता है। श्रीमती गीता मुखर्जी ने कुछ सुझाव दिए हैं किंतु श्री माधव रेड्डी की ओर से कोई सुझाव नहीं दिया गया है।

आम आदमी की आर्थिक स्थिति सही रखने के लिए दलगत भावना से ऊपर उठकर आम सहमति लाना आवश्यक है। आर्थिक न्याय के लिए मजबूत तंत्र का होना कल्याणकारी राज्य के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जो अन्य सदस्यों ने कहा है, मुझे उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है, जब बजट प्रस्तुत किया गया था तब हमने उस पर चर्चा की थी और मेरे विचार में ऐसा कहना उचित न होगा विकास सामाजिक तौर पर न्यायपूर्ण नहीं है। यह वास्तव में सामाजिक न्यायपूर्ण विकास है। बजट परिव्यय का 60 प्रतिशत भाग गरीबी उन्मूलन योजनाओं के लिए है। इतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री भी विभिन्न राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का यह पता लगाने के लिए दौरा किया है कि इस योजना का कार्यान्वयन हो रहा है अथवा नहीं। इससे आम आदमी के लाभ के लिए इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के नेक इरादे का पता लगता है और यह भी पता लगाया गया था कि जनजातीय व्यक्तियों को विशेष निम्न दर पर चावल और गेहूं प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं। प्रधान मंत्री ने लोगों से यह पता लगाया कि किन व्यक्तियों को इस योजना से लाभ दिलाया जाना है। यह इस सरकार का इरादा है।

महोदय, जैसा कि मैंने कहा है मैं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की बात नहीं दोहराऊंगा। इतने देश में यह योजना कार्यान्वित करते समय कुछ कमियां रह सकती है। किंतु हमें यह देखना है कि हम उन कमियों को कैसे दूर करें। यह सही है कि जब गांवों में ऋण दिए जाते हैं तो कभी-कभी बिचौलिए तथा धनी व्यक्ति उन ऋणों का लाभ उठाते हैं। यह ऋण बेरोजगारी उन्मूलन के लिए मैट्रिक से स्नातक व्यक्तियों को राजसहायता सहित 6000 रुपये से 20000 रुपये तक दिए जाते हैं। किंतु कुछ स्थानों पर ऋण सही व्यक्तियों तक नहीं पहुंचते। धनी व्यक्ति एवं बिचौलिए उनका शोषण करते हैं और लाभ उठाते हैं। इसे रोका जाना चाहिए। इसी प्रकार जब योजनायें कार्यान्वित की जा रही हों तो यह देखने के लिए कि जिनके लिए ये योजनायें बनाई गई हैं उन्हें इसका लाभ प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं तथा क्या ये योजनायें ईमानदारी से कार्यान्वित की जा रही हैं, एक निगरानी तंत्र होना चाहिए। इन बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस बजट में शहरी क्षेत्र में रहने वाले मोची और रिक्शा-चालक से लेकर गांवों के खेतों में काम करने वाले किसानों तक को राहत दी गई है। इसमें अशिक्षित व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने के

लिए सहायता दी गई है। प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के लिए योजनायें तैयार की गई हैं ताकि लोगों को शिक्षा प्राप्त हो तथा आदिवासियों और हरिजनों को निःशुल्क शिक्षा मिले। व्यस्क महिलाओं तथा पुरूषों को अनौपचारिक ढंग से शिक्षा दी जाती है। सरकार इस बात के प्रति निष्ठावान रही है कि श्रमिकों की प्रबंध में हिस्सेदारी हो सके। किन्तु ट्रेड यूनियन इस बात में समस्या उत्पन्न करती हैं। अलग-अलग ट्रेड यूनियनें हैं और वे एक साथ नहीं मिल सकतीं। वे यह बताने में असमर्थ रहती हैं कि प्रबंध में कौन-सी यूनियन का प्रतिनिधित्व हो। यदि यह पता चल जाये तो समस्या हल हो जाये। अतः ऐसा नहीं कि सरकार निष्ठावान नहीं है। किन्तु गलती यहां पर है।

इसी प्रकार, यह कहा गया था कि इन योजनाओं का कार्यान्वियन अथवा बजट केवल अमीर व्यक्तियों के लिए है। ऐसा नहीं है। जैसाकि पहले कहा जा चुका है बजट परिव्यय का अधिकतर भाग गरीब व्यक्तियों के लिए है जिसमें गांवों में पीने के पानी की सुविधा देना भी शामिल है। आवश्यकता इस बात की है कि इस बात को मान लिया जाए कि आगामी कुछ वर्षों में बिजली की कटौती से बचा नहीं जा सकता। सातवीं पंचवर्षीय योजना में देश को विद्युत की 20 प्रतिशत कमी का सामना करना पड़ेगा। यह ऐसी समस्या है जिस पर सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। जब तक पर्याप्त विद्युत उत्पादन नहीं होगा विकास नहीं हो सकता। अतः यह मेरा अनुरोध है कि सरकार इस पर सक्रियता से विचार करे।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा निर्यात में वृद्धि की जानी चाहिए ताकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अथवा भुगतान शेष की स्थिति को संभाला जा सके। कुछ सरकारी क्षेत्रों में वर्षों से हो रहे घाटे को अब अधिक सहन नहीं किया जा सकता। हमें यह प्रयत्न करना चाहिए कि उत्पादन में सुधार हो और उत्पादन लागत कम हो। इस संबंध में एक अन्य बात सामने आई है कि ऐसी कई परियोजनायें हैं जो निर्धारित समयावधि में पूरी नहीं की गई और कीमतों में वृद्धि के कारण उन पर अत्यधिक धन खर्च करना पड़ेगा। यहां तक कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के आवंटन का 10 प्रतिशत भाग इन परियोजनाओं की बढ़ी हुई लागत पर खर्च करना पड़ेगा क्योंकि सरकारी क्षेत्र के एकक कार्यान्वियन में अधिक समय लगाते हैं। उत्पादन की कमी के कारण धन की भी हानि होती है। मेरे विचार में इन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

विदेशी ऋण नीति के संबंध में इस सरकार ने एक स्वतन्त्र निर्णय लिया है और इस सरकार का उद्देश्य है कि विदेशी ऋण को न बढ़ाया जाए। सरकारी मूल्यों में थोड़ी वृद्धि का यह एक कारण है और तब भी हाय-तौबा मचाई जाती है। यदि हम दो वर्षों तक इन बढ़ी हुई कीमतों को बर्दाश्त कर लें तो मेरे विचार में तीसरे वर्ष में विदेशी ऋण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा यह सुझाव है कि खाद्य तेलों का आयात बंद किया जाना चारिए। क्या ये खाद्य तेल ग्रामीणों तक पहुंच रहा है ? क्या ये आम आदमी को सुलभ है ? मैं वित्त मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य तेल सहकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से 12 अथवा 14 रुपए प्रति किलो बेचा जाना चाहिए। किन्तु होता यह है कि कुछ बिचौलिए आयातित खाद्य तेलों में सरसों के तेल की मिलावट करते हैं और इसे सरसों का तेल बताकर ऊंचे दामों पर बेचते हैं। इस प्रकार बिचौलिए आम आदमी का शोषण करते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए किसानों को अधिक पैदावार वाले तिलहन के बीज उपलब्ध कराने चाहिए और तिलहनों

का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। खाद्य तेल का आयात करने की अपेक्षा किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

इसी प्रकार गन्ने का आयात रोका जाना चाहिए। किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाना चाहिए ताकि उत्पादन में वृद्धि हो। मांग को पूरा करने तथा उत्पादन में वृद्धि करने में भारतीय कारखाने सक्षम हैं। अतः इन सब बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। हम अधिक आयात नहीं कर सकते।

हम आयात में कमी और निर्यात में वृद्धि कर सकते हैं। उदाहरण के लिए नियंत्रित मूल्य पर कपड़े को लें। क्या ये कपड़ा ग्रामीणों तक पहुंच रहा है? क्यों नहीं? अतः हमें इस पर विचार करना चाहिए कि किस प्रकार यह कपड़ा ग्रामीणों तक पहुंचेगा। ये ऐसी बातें हैं जिन पर सरकार द्वारा ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : सत्तारूढ़ दल के सभी सदस्यों ने नई सरकार की उपलब्धियों को शानदार ढंग से आर्थिक वृद्धि और सामाजिक न्याय का हवाला देकर बताया है। उन्होंने समाजवाद की बात की है और कहा है कि सामाजिक न्याय 1956 या 1957 से उनका उद्देश्य रहा है। यह भारतीय राजनीति को श्री जवाहर लाल नेहरू की देन है और तब से वे यही नारा लगाते आ रहे हैं। इन 35 वर्षों में सामाजिक न्याय की दुहाई देकर हमने क्या हासिल किया है। हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनमें विश्व के अनपढ़ों का आधा भाग शामिल है।

उपाध्यक्ष महोदय : राजनीतिक रूप से।

श्री अमल दत्त : हमारे देश में नेत्रहीन व्यक्ति विश्व के किसी अन्य देश की तुलना में सर्वाधिक हैं। राजनीतिक रूप से भी तथा शारीरिक रूप से भी। स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारी स्थिति इतनी खराब है कि केवल 10 प्रतिशत व्यक्तियों को संतुलित भोजन मिलता है और 50 प्रतिशत व्यक्तियों को दिन में एक बार का भोजन नहीं मिलता। सरकार खाद्यान्न के बारे में अपनी उपलब्धियों पर गर्व करती है। खाद्यानों की प्रति-व्यक्ति उपलब्धि आज भी उतनी ही है जितनी छठे दशक के प्रारम्भ में थी। यह उपलब्धि है। और गरीबी की रेखा, यद्यपि इसके बारे में काफी कुछ कहा जाता है, तो भी यह स्वयं सरकार की स्वीकारोक्ति है कि आज भी 40% व्यक्ति गरीबी की रेखा से नीचे हैं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : लगभग 40 प्रतिशत।

श्री अमल दत्त : जी हां, 40 प्रतिशत। हमारे देश में औसत आयु सबसे कम तथा शिशु मृत्यु की दर सबसे अधिक है। यह उपलब्धि है। विकास और सामाजिक न्याय के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयत्नों में इसे भी सरकार की उपलब्धियों के तौर पर किया जाना चाहिए।

हम चाहे आधी जनसंख्या का भी पेट नहीं भर सकते, हमें यह कहने में गर्व होता है कि हमारे पास 300 लाख टन खाद्यान्न का भण्डार है। क्योंकि कुछ लोग अनाज खरीद नहीं सकते इसलिए हमारे पास भण्डार है। यह बात पहले ही बताई जा चुकी है। किंतु हमारे पास क्रय-शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि गावों में 50% लोगों के पास उतना धन है जितना अन्य स्थानों पर 5 प्रतिशत लोगों के पास है। गांवों में जमींदारी व्यवस्था में भूमि सुधार के 30 वर्षों के बाद भी काफी असमानता है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि गांवों में जमींदारी व्यवस्था में भूमि सुधार के

30 वर्षों के बाद भी काफी असमानता है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि प्रधान मंत्री ने मुख्य मन्त्रियों से भूमि सुधारों के संबंध में रिपोर्ट मांगी है। निःसंदेह, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं होगा। इस तथ्य से कि इस तरह की रिपोर्ट वर्ष 1986 में मांगी गई है यह ज्ञात होता है कि वर्तमान स्थिति क्या है। अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी की पुस्तकों में पहले ही ये आंकड़े दिए गए हैं। इस बारे में किसी सबूत की आवश्यकता नहीं है। भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किया जाना हैं परन्तु कार्यक्रम को लागू कौन करेगा? किसके फायदे के लिए कार्यक्रम लागू किया जायेगा? वे लोग जिन्हें भूमि सुधारों से हानि होगी—ये वे लोग हैं जो सत्तारुढ़ दल से सम्बन्धित हैं। जब तक सत्तारूढ़ दल अपना वर्तमान स्वरूप बनाए रखता है, इसकी कोई आशा नहीं है। भूमि सुधारों की कोई उम्मीद नहीं है, निर्धन ग्रामीणों के लिए कोई उम्मीद नहीं है, उनकी क्रय शक्ति बढ़ाने की कोई उम्मीद नहीं है तथा उनको कभी पेटभर भोजन मिलेगा इसकी कोई उम्मीद नहीं है और इस बात की भी कोई आशा नहीं है कि देश के उद्योग कभी फलीभूत होंगे क्योंकि उनके पास क्रय शक्ति नहीं है।

हमारे उद्योग रुग्ण क्यों होते जा रहे हैं? एक कारण यह है कि और यहां तक कि श्रीमान विश्वनाथ प्रताप सिंह की भी एक संस्था भारतीय रिजर्व बैंक ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें कहा गया है कि आधे उद्योग तो वित्तीय संस्थाओं की बिलम्बकारिता और लापरवाही के कारण शुरू में ही रुग्ण हो जाते हैं तथा आधे इस कारण रुग्ण होते हैं कि उनके लिए कोई मण्डी नहीं है क्योंकि धन एवं आय के इतने अधिक असमान वितरण के कारण लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है। अतः यह बिलकुल भी आश्चर्य की बात नहीं है कि उद्योगों की क्षमता अधिक होगी तथा वे अपने माल को बेचने में कभी भी सक्षम नहीं होंगे। आज भारत में यह हालत है।

जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं वह वित्तीय नीति के विषय में हैं। हमारी वित्तीय नीति क्या है? अपेक्षाकृत हमें इसका अध्ययन वित्तीय सुविधाओं के सदर्भ में करना चाहिए। केवल ये ही सुविधाएं हैं जो उन कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से दी गई हैं जिनके लाभ के लिए आज अर्थव्यवस्था तथा सरकार चलाई जा रही है—कई लोगों की कीमत पर मुट्ठी भर लोगों को समृद्ध बनाना। यह सरकार की नीति है और रही है और इस नीति पर अब बल दिया जा रहा है। इन धनी लोगों की बढ़ी-चढ़ी मांगें जो दिन प्रतिदिन धनी होते जा रहे हैं, विलासिता संबंधी वस्तुओं की बढ़ी-चढ़ी मांगें—सरकार की उदारता की नीति एवं आधुनिकीकरण की नीति द्वारा इस तरह की मांगें ही पूरी की जा रही हैं। यह इस मामले का मर्म है तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक द्वारा प्रेरित आर्थिक नीति यह है कि भारत को उन लोगों का अवश्य संतुष्ट करना चाहिए जिनके सहारे आज सरकार चल रही है। और यदि उनका संतुष्ट कर दिया जाता है वे देख सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था उसी लीक पर आगे बढ़ेगी जिस पर लेटिन अमरीका की अर्थव्यवस्थाएं आगे बढ़ी हैं।

आज लोग खुशी से यह बात कह रहे हैं कि हम ऋण के चक्कर में नहीं फंसे हैं। परन्तु क्या वे इस बात को महसूस करते हैं कि इस ऋण के चक्कर से हमें किसने बचाया है। जिसने हमें बचाया है वह सरकार का आर्थिक प्रदर्शन नहीं है ना ही हमारे उद्योगपतियों द्वारा किया गया कार्य है जो बहुत दयनीय है जिसने हमें बचाया है वह हमारा तेल के क्षेत्र में समृद्धि है, जिसके कारण

काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा की बचत हुई है जिसकी बचत के बारे में हमने कभी भी आशा नहीं की। यही कारण है कि हमारे आयात उस सीमा तक नहीं पहुंचे जिस तथा अन्यथा में पहुंच जाने चाहिए थे। ऐसी बात नहीं हो सकती थी यदि हम उसी दर पर तेल का आयात करते रहते अथवा उतनी ही मात्रा में तेल का आयात करते रहते जितनी मात्रा में "बाम्बे-हाई" तथा अन्य सभी स्थानों से तेल मिलने से पहले करते थे। परन्तु यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। हमारी तेल सम्बन्धी आवश्यकतायें धीरे-धीरे बढ़ रही हैं परन्तु हमारा उत्पादन उसी दर से नहीं बढ़ रहा है तथा नहीं बढ़ सकता है। यह सम्भव नहीं है। अतः हमें अपनी खपत में कमी करनी चाहिए। इस वर्ष बजट से पहले जब सरकार ने तेल की कीमतें बढ़ाईं, उन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं, सभी चीजों की कीमतें बढ़ा दी हैं तथा उनमें से शायद अधिकतम आय की आशा तेल तथा तेल उत्पाद में हुई वृद्धि से की गई थी। यह तेल ही है जिसने आज हमें थामे रखा है। परन्तु वास्तव में कोई भी यह बात नहीं जानता कि यह हमें कब तक थामे रखेगा। परन्तु यही वह चीज है जिसने इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का बनाये रखा है अन्यथा हमारा भी वही हश्र होता जो लेटिन अमरीका के देशों का हुआ है। दूसरी चीज भी जो कम हो रही है वह खाड़ी देशों से प्राप्त प्रेषण है। हम एन० आर० आई० के बारे में काफी बातें करते हैं और 1983 से एन० आर० आई० के निवेशों और जमा का प्रयोग में लाने के लिए एक के बाद एक छूट देकर लगातार योजनायें बनाई जा रही हैं। आज उन गरीबों, दयनीय लोगों, जो भारत के विभिन्न राज्यों केरल व अन्य राज्यों से, मध्य-पूर्वी देशों में जाते हैं, जो अपना खून बहाते हैं एक दयनीय ढंग से जीवन यापन करते हैं तथा किसी तरह कुछ पैसा बचाकर इसे अपने देश में भेजते हैं, की तुलना में एन० आर० आई० के निवेश व जमा कितने हैं ? उन लोगों को भारत में आने के बाद यहां कोई नौकरी नही मिलती ये लोग हैं जिनके द्वारा प्रेषित धन लगभग 2000 करोड़ रुपए है जबकि इन सभी वर्षों में एन० आर० आई० की योजनाओं से भारत को 500 करोड़ रुपए से अधिक नहीं मिला है।

गरीबी दूर करने सम्बन्धी कार्यक्रमों में इतना अधिक पैसा खर्च करने के लिए लोगों ने सरकार की बहुत प्रशंसा की है। गरीबी निवारक कार्यक्रम सातवें दशक के प्रारम्भ में शुरू हुआ। गरीबी पर प्रत्यक्ष आक्रमण करने के लिए स्वयं को तैयार करने में 15 वर्ष लगे और फिर भी हम कहां हैं ? छठी योजना में हमने इन कार्यक्रमों द्वारा हमने ठीक-ठीक कितना प्राप्त किया है ? क्या वित्त मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि इन गरीबी निवारक कार्यक्रमों द्वारा कितने प्रतिशत लोगों को गरीबी के स्तर से ऊपर लाया गया है ?

एक माननीय सदस्य : 38 प्रतिशत।

श्री अमल दत्त : 38 प्रतिशत लोग इन कार्यक्रमों के कारण गरीबी के स्तर से ऊपर नहीं आये हैं। आंकड़े काफी बढ़ा-चढ़ा कर दिए गए हैं (**व्यवधान**) मैं यह नहीं कहता कि वे योजनाएं बुरी हैं। योजनाएं बहुत अच्छी हैं, सोच विचार करके बनाई गई हैं, परन्तु कार्यान्वयन ठीक ढंग से नहीं किया गया। वे सोच विचार करके लागू की गई, इससे तात्पर्य यह है कि सैद्धान्तिक रूप से वे बहुत अच्छी हैं परन्तु जब आधार स्तर पर इनके क्रियान्वयन की बात आती है तो कोई उपयुक्त क्रियान्वयन माध्यम नहीं है, कोई उपयुक्त समन्वयकारी संस्था नहीं है। यह पाया गया है कि छठी योजना में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 160 लाख लोगों, जिन्हें

लाभान्वित किया जाना था, में से 30 प्रतिशत लोगों ने पशु खरीदे इसका अर्थ है कि "मेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में व्यय किए जाने वाले पैसे से 50 लाख लोगों ने पशु खरीदे। खरीदने के लिए इतने अधिक पशु नहीं हो सकते थे। ऐसा हुआ है कि वही पशु दस बार से भी अधिक के लिए खरीदा गया और बेचा गया और फिर खरीदा गया। यह हुआ है। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे कई उदाहरण हैं। कई कमियां हैं जिनको दूर किया जा सकता था। परन्तु यदि आप ऋण मेले के सिद्धान्त पर चलेंगे तो इस तरह की कमियों के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं होगा। किसी तरह के अनुबन्ध भी नहीं हैं। आप एक ही व्यक्ति को उत्पादक ठेकेदार और उपभोक्ता भी बना रहे हैं। यह उसके वश की बात नहीं है। आपका उसे निवेश सप्लाई करने पड़ेंगे। आपको यह देखना होगा कि माल की बिक्री हो रही है। इस तरह की कोई विचारणा नहीं है। गरीबी निरोधक कार्यक्रम केवल अस्थाई तौर पर ही लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाते हैं। इस बारे में मेरा कोई मतभेद नहीं है। परन्तु इससे स्थाई समाधान होने वाला नहीं है। इससे लोगों को अस्थाई तौर पर गरीबी रेखा से ऊपर उठकर, फिर नीचे जाना है। जो कारण उद्योगों के साथ हो रहा है वही इनके साथ भी होने वाला है।

सरकार मुख्य रूप से निजी क्षेत्र पर निर्भर करती है। क्यों? क्योंकि यह वह रामबाण है जो हमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक द्वारा दिया गया है। इससे भी अधिक उन्हें केवल, ऐश्वर्य प्रधान वस्तुएं बनाने के लिए आबकारी एवं सीमाशुल्क में छूट देकर आयात सम्बन्धी उदारवादी नीतियों द्वारा ही प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है परन्तु उन्हें ऐसी जगह भी रखा गया है जहां से वे सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य का संचालन कर सकते हैं। श्रीमान रतन टाटा को एक कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया है जो सार्वजनिक क्षेत्र का संचालन करेगी। मैं यह नहीं कह रहा कि सार्वजनिक क्षेत्र दोषरहित हैं। सार्वजनिक क्षेत्र भी बहुत दोषी हैं परन्तु मुख्य दोष और जिम्मेदारी सरकार को वहन करनी चाहिए। आज के समाचार पत्र में एक खबर है जिससे ज्ञात होता है। कि मैं प्रो० के० के० तिवारी का शुक्रिया करता हूं—मेरे विचार में वे यहां नहीं हैं—40 करोड़ रुपए की अनियमितताओं के लिए एक राष्ट्रीयकृत संस्था के अध्यक्ष को निलम्बित करके उन्होंने बहुत अच्छी कार्यवाही की है। इस कार्यवाही के लिए हम सरकार से तीन साल से कह रहे हैं। उन्होंने तीन साल बाद उस दिन और अन्तिम समय में कार्यवाही की है जब उस अध्यक्ष ने त्यागपत्र दे दिया था और कार्यालय छोड़ कर जाने वाला था। फिर भी मैं श्री तिवारी जी को अन्तिम समय में अध्यक्ष को निलम्बित करने की साहसिक कार्यवाही के लिए बधाई देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपा करके अपना भाषण समाप्त कीजिये। अब और समय नहीं है।

श्री अमल दत्त : गरीबी निवारण का मर्म रोजगार देने में निहित है। बेरोजगारी की स्थिति क्या है। सरकार के पास वास्तविक बेरोजगारी के आंकड़े नहीं हैं। केवल जो आंकड़े उपलब्ध हैं वे रोजगार कार्यालयों से मिल रहे हैं। 1980 में बेरोजगारी के आंकड़े 1.7 करोड़ की सीमा में थे। 1985 में ये आंकड़े 2.6 करोड़ हो गये। ये केवल पंजीकृत आंकड़े हैं। गांवों में लोग पंजीकरण के लिए नहीं जाते और पंजीकरण की परवाह नहीं करते। वहां पंजीकरण कार्यालय भी नहीं हैं। यदि आप वास्तविक रोजगार स्थिति पर ध्यान दें, अल्प रोजगार सहित मैं कहता हूं कि भारत में आधी से भी अधिक कार्यशील जनसंख्या बेरोजगार है। यदि स्थिति यह है

तो सरकार की उपलब्धि की कसौटी क्या है ? यदि वे रोजगार नहीं दे सकते तो वे क्या करने की सोच रहे हैं ? समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में वे कितने लोगों को लाभ पहुंचायेंगे । 150 लाख या 160 लाख लोग हो सकते हैं । कुल जितने लोगों को लाभ पहुंचाया जाना है, वे लगभग 100 लाख से 150 लाख के लगभग होने चाहिएं । क्या किया जा सकता है ? जो किया जा सकता है वह यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में, जहां 80 प्रतिशत भारत की जनसंख्या रहती है और अधिक स्रोत उपलब्ध कराना है । ग्रामीण क्षेत्र में कितना पैसा खर्च किया जा रहा है और शहरी क्षेत्र में कितना पैसा खर्च किया जा रहा है ? कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । इस सत्र में मैंने एक प्रश्न पूछा है कि प्रत्येक विभाग दिल्ली में कितना पैसा खर्च कर रहा है और बाहर वे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं । इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया इसका जवाब नहीं दिया जा सकता क्योंकि सरकार कहती है कि यह आंकड़े नहीं रखती है । हम यह कहते आये हैं कि दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों की कीमत पर समृद्ध बनती जा रही है । परन्तु उनके पास कोई आंकड़े नहीं हैं—कम से कम वे ऐसा कहते हैं । स्थिति यह है कि कई लोगों की कीमत पर कुछ लोग फल-फूल रहे हैं; केन्द्र आस-पास के क्षेत्रों की कीमत पर खुशहाल बनता जा रहा है तथा गरीब लोग और भी गरीब बनते जा रहे हैं ।

जब आप दिल्ली आते हैं तब आपको इस्पात या क्रोम के दर्शन होते हैं । फिर आप कहते हैं कि आर्थिक विकास शुरू हो गया है और हम 21वीं सदी में जा रहे हैं । कितने लोग 21वीं सदी में पदार्पण कर रहे हैं जो अभी तक भूखे मर रहे हैं ? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है, कृपा करके इसका उत्तर दीजिए ।

श्री ब्रजमोहन महन्ती (पुरी) : मैंने श्रीमती गीता मुखर्जी और अमल बाबू द्वारा उठाये गए मुद्दों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है । वे इस वाद-विवाद को राजनैतिक वाद-विवाद बनाना चाहते हैं । अमल बाबू को सुनते हुए मुझे वह समस्या समझ में आ रही थी जिससे भारत का साम्यवादी कुलीन वर्ग पीड़ित हैं, वे मध्यम वर्ग तथा समाज के निम्नतम स्तर के लोगों से कभी भी घुल मिल नहीं सके हैं । जो कुछ भी 15 या 20 वर्ष पहले कहा जाता था वही अब भी कहा जाता है ।

मैं उनके अन्तिम सवाल का उत्तर दूंगा । उन्होंने कहा है कि गैर निवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश के परिणाम अच्छे नहीं रहे हैं । मैं केवल इतना ही कहूंगा कि इनकी भारतीय बैंक में जमा राशि में 46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । 3818 करोड़ रुपए की जमा पूंजी मार्च, 1985 में थी । इस वर्ष 31 मार्च तक यह बढ़कर 5605 करोड़ रुपए हो गई है । इसलिए, स्वभावतः वे निराश लगते हैं । मैं चाहूंगा कि वे निराश न हों क्योंकि गैर निवासी भारतीयों का भारतीय अर्थ-व्यवस्था में योगदान काफी उत्साहपूर्ण रहा है । अब मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासोन्मुखता और क्षमता के बारे में जिक्र करना चाहता हूं । मैं यहां उद्धृत करना चाहूंगा :

> "भारतीय निधि के लिए यद्यपि प्रविष्टियां 15 अगस्त, 1986 तक खुली हैं, अंशदान 900 लाख डालर तक पहुंच गया है जबकि मूल लक्ष्य 600 लाख डालर का था । चूंकि 25 प्रतिशत से अतिरिक्त अंशदान राशि को सुरक्षित रखा जा सकता है, इसका अर्थ हुआ कि 750 लाख डालर भारतीय निधि के जरिए इकट्ठे किए जायेंगे, जोकि भारतीय अर्थव्यवस्था में अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं के विश्वास का द्योतक है ।"

अब मैं श्रीमती गीता मुखर्जी द्वारा उठाए गए मुद्दे पर आता हूं, वह निराश थीं और उन्होंने मूल्यवृद्धि का जिक्र किया था। (व्यवधान) मैं उनका ध्यान चाहूंगा। जहां तक मूल्यवृद्धि का संबंध है, जून, 1985 तक 8.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि जून, 1986 को यह घटकर 3.8 प्रतिशत रह गई। क्या इसे सफलता का मानदंड नहीं माना जायेगा ? क्या विश्व में कोई अन्य लोकतांत्रिक देश है जहां कीमतें इतनी स्थिर हैं ? कल मैंने एक समाचार पढ़ा है। वोदका, जोकि एक विलास की वस्तु नहीं है, की कीमत सोवियत संघ में बढ़ गई है।

प्रो० मधु दण्डवते : आप वोदका की कीमत का जिक्र क्यों करना चाहते हैं ?

श्री बृजमोहन महन्ती : क्योंकि वह बढ़ती कीमतों के रुख को दर्शायेगा। सोवियत संघ और चीन में मूल्यवृद्धि हुई है। हाल ही में मैंने पोलैंड का दौरा किया और स्वयं अपनी आंखों से मूल्यवृद्धि को वहां देखा। इसके बारे में हम सैद्धान्तिक न हों। स्थिति की वास्तविकता का जायजा लिया जाना चाहिए।

सोवियत संघ, चीन और पोलैंड की अर्थव्यवस्थाएं अन्तर्राष्ट्रीय दबाव से अछूती नहीं हैं। चीन में यह दबाव कितना है ? चीन द्वारा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को निमन्त्रित किया जाता है क्योंकि उन्हें नवीनतम आधुनिक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। जब श्री अमल दत्त बोल रहे थे तो मैंने जानने की कोशिश की कि क्या उन्होंने किसी वैकल्पिक दिशा का उल्लेख किया है ? मुझे ऐसा कुछ न मिला।

मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं क्योंकि प्रगति की दिशा ठीक है। हो सकता है कुछ क्षेत्रों में हमें असफलता मिली हो और कुछ अन्य क्षेत्रों में हम सफल हुए हों। मैं नहीं कहता कि यह सही प्रबन्ध व्यवस्था है। यहां-वहां कुछ कमजोरियां हैं, परन्तु बात वही है, कि क्या दिशा ठीक है या नहीं।

अब मैं दूसरे पहलू पर आता हूं। दो बातों पर विचार किया जाना चाहिए। भारत में कौन नहीं जानता कि हम पर अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर दबाव डाला जा रहा है, और यह अस्थिरता पैदा करने का एक प्रयत्न है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना के कृषि से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को लिखा था तब किसने इसका विरोध किया था ? यह विरोध कहां से आया था ? यह कौन नहीं जानता है ? कल मैंने समाचार पत्रों में आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा विश्व बैंक के साथ 1500 लाख डालर के ऋण के लिए हुई बातचीत के बारे में एक रिपोर्ट देखी है। विश्व बैंक ने शर्त रखी है कि यदि पेट्रोलियम के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को कार्य करने की अनुमति दी जाती है, तो केवल तभी वे ऋण देंगे। भारत सरकार ने इस शर्त का विरोध किया है।

महोदय, आज सार्वजनिक क्षेत्र को बदनाम करने की साजिश चल रही है। सार्वजनिक क्षेत्र पर विभिन्न आरोप लगाये जा रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि सार्वजनिक क्षेत्र कतिपय कमजोरियों से स्वतन्त्र हैं, परन्तु हमें याद रखना चाहिए कि वे बहुत प्रगति कर रहे हैं······
6.00 म० प०.

उपाध्यक्ष महोदय : अब 6 बज गए हैं। संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहती हैं।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती……

प्रो० मधु दण्डवते : हम यह वाद-विवाद कल जारी रखेंगे।

श्रीमती शीला दीक्षित : क्या मैं एक शब्द कह सकती हूं ?

प्रो० मधु दण्डवते : आप एक शब्द कह सकती हैं परन्तु बाकी कल कहें।

एक माननीय सदस्य : कल।

श्रीमती शीला दीक्षित : मैंने हरेक को सुन लिया है। परन्तु उसके बावजूद मैं प्रस्ताव करना चाहती हूं कि सभा की आज की बैठक 8 म० प० तक बढ़ा दी जाये या सभा प्रतिष्ठित वक्ताओं को सुनने तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दी जाये। मन्त्री कल उत्तर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सभा इस पर सहमत है। वे सभी वक्ता जो इसमें भाग लेने के इच्छुक हों आज ऐसा कर सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : हम कल चर्चा करेंगे ताकि जो कुछ आर्थिक परिवर्धन कल हों, उनकी भी हम चर्चा कर सकें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : कल वित्त मंत्री कुछ और रियायतों के साथ आगे आयेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यही कारण है कि वित्त मंत्री सारा वाद-विवाद आज सुनना चाहते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं सुझाव दूंगा कि इसके लिए सदस्यों को अपने मर्जी के अनुसार मतदान करने दीजिए। हमारे विचार को ही बहुमत मिलेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : यहां तक कि प्रो० रंगा भी चाहते हैं कि इसे कल जारी रखा जाए।

श्रीमती शीला दीक्षित : यदि हम आज 7.30 म० प० या 8 म० प० तक नहीं बैठते हैं तो हमें यह कल करना पड़ेगा। आपको विभिन्न कारणों की वजह से देर तक बैठना होगा।

श्री अमल दत्त : हम कल देर तक बैठेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हम सभा की कार्यवाही 8 म० प० तक बढ़ा सकते हैं। सभी वक्ताओं को आज बोलने दें और वित्त मंत्री कल उत्तर देंगे।

श्रीमती शीला दीक्षित : हमारी कल की कार्यवाही का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। सदस्य उस पर भी बोलेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप कल संविधानिक संशोधन विधेयक ला रहे हैं ?

श्रीमती शीला दीक्षित : हां। मैं सुझाव दूंगी कि सभा की बैठक आज 7 म० प० तक बढ़ाई जाए।

कई माननीय सदस्य : हां, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा आज 7 म० प० तक बैठेगी। मैं सदस्यों से आग्रह करूंगा कि

वे संक्षिप्त रूप में कहें। यदि वे सब पांच मिनट से अधिक लेंगे तो हमें देर तक बैठना पड़ेगा। श्री महन्ती अब आप बोलें।

मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि संक्षिप्त रूप में कहें और प्रत्येक पांच मिनट से अधिक न लें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमें दोनों तरह से हानि पहुंचाई जा रही है। पहले सभा का समय बढ़ाया जा रहा है, और दूसरी बात यह है कि हमारा बोलने का समय कम किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने इसे केवल एक घण्टे के लिए बढ़ाया है।

श्रीमती शीला दीक्षित : मैं श्री जयपाल की बात को ठीक करना चाहती हूं। यह केवल हम हैं, जिन्हें दोनों तरफ से परेशानी हो रही है, आपको नहीं। आप तो अपना हिस्सा ले ही रहे हैं और बचा के भी रखना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : हां श्री महन्ती। कृपया संक्षेप में कहें।

श्री बृजमोहन महन्ती : 1980 में मैंने जब राऊरकेला इस्पात संयंत्र की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट देखी तो पता लगा कि जो प्रौद्योगिकी हमने स्वीकार की है कि वह पुरानी है और 20 वर्ष पीछे है। मैं सरकार को और मंत्री को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने पुरानी प्रौद्योगिकी को बदलकर आधुनिकतम प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल करने का फैसला किया है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था अन्तर्राष्ट्रीय जगत में प्रतियोगिता कर पायेगी।

मैं अमल बाबू का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने सभा का ध्यान गरीबी उन्मूलन और भूमि सुधार कार्यक्रमों की तरफ दिलाया।

वे कहते हैं कि जब तक सत्तारूढ़ दल के स्वरूप में परिवर्तन नहीं आता है तब तक भूमि सुधार कार्यक्रम को प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। खैर, इस देश में सभी जगह अकेले एक ही दल की सरकार नहीं है। विभिन्न राज्यों में भिन्न दल हैं। कांग्रेस (आई) जोकि एक बहुत सक्रिय दल है समय-समय पर देश की आवश्यकता के अनुरूप स्वयं परिवर्तित हो रही है। जहां तक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का सम्बन्ध है कांग्रेस (आई) ने गरीबी उन्मूलन के लिए जो कदम उठाये हैं उनका स्वागत किया जाना चाहिए। भारत की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए यह कोई छोटा काम नहीं है। भारत में जनसंख्या में वृद्धि कितनी है ? जहां तक संयुक्त राज्य अमरीका या सोवियत संघ का सम्बन्ध है वे केवल स्थिर जनसंख्या से ही जूझ रहे हैं न कि ऐसी जनसंख्या से जो हर वर्ष बढ़ती जाती है। यही कारण है कि इस तथ्य पर भी विचार किया जाना चाहिए। फिर भी सरकार की उपलब्धियां इतनी कम नहीं हो सकती हैं। भारत में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनता की संख्या 48 प्रतिशत से घटकर 37 प्रतिशत तक रह गई है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। मैं इस बात से सहमत हूं कि जहां तक कार्यक्रमों के कार्यान्यिवन का संबंध है, इसमें बहुत बड़ा अन्तराल है। कुछ राज्यों में, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त धन को कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह खर्च नहीं किया जाता है। मैं उन राज्यों का नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन प्रत्येक का पता है कि ऐसे राज्य कौन-कौन से हैं। हम भारत सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि वह अधिक ध्यानपूर्वक

निगरानी रखे। किन्तु क्या हमारी संघीय व्यवस्था में ध्यानपूर्वक निगरानी करना संभव है ? यह एक नियंत्रित समाज में संभव हो सकता है किन्तु हमारे समाज में नहीं। सभी सीमाओं के होते हुए भारत सरकार ने उचित दृष्टिकोण अपनाना है इसीलिए मैं उसको बधाई देता हूं और मुझे आशा है कि सम्पूर्ण सभा सरकार की सराहना करेगी।

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : हमारी सरकार द्वारा यह नई आर्थिक नीति लागू करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे देश में एक नया आर्थिक वातावरण आर्थिक प्रतिस्पर्धा की एक नई चेतना और पुराने नियन्त्रणों तथा प्रतिबंधक विनियमों से मुक्ति पाने की स्थिति उभरी है। भारत सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं जो हमारे देश के आर्थिक विकास को प्रेरित कर सकते हैं। दीर्घकालीन वित्तीय नीति ऐसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है। इसने कर दरों में स्थिरता प्रदान की है और यह उद्योगपतियों को आर्थिक विकास के लिए पर्याप्त निवेश करने के लिए भी सक्षम बनायेगी। विरोध पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमें स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में जो उपलब्ध करना चाहिए था वह हम अपनी विशाल जनसंख्या के कारण नहीं कर पाये हैं। निस्सन्देह, भारत संसार में सबसे घनी आबादी वाला दूसरा देश है और हमारी जनसंख्या की वृद्धि दर को सीमित करने के लिए भारत एक ऐसा देश है जिसने 1950 के दशक में परिवार नियोजन को एक सरकारी कार्यक्रम के रूप में अपनाया था। हालांकि यह कार्यक्रम हमारी जनता पर थोपा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने इसे ऐच्छिक रूप से लेना चाहिए। जब हमारे यहां इतनी विशाल जनसंख्या है, तो स्वभावतः हमारे सामने शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी समस्याएं होंगी। हमारी सरकार शिक्षा नीति को बदलने के लिए गम्भीरता से विचार कर रही है।

हमारी शिशु मृत्यु दर प्रति हजार 130 है। और अब हमारा लक्ष्य इसे घटाकर प्रति हजार 60 करने का है। जहां तक मनुष्यों की औसत आयु का संबंध है, पहले यह 30 साल थी और अब यह बढ़कर 52 साल हो गई है। अतः हम इस दिशा में चल रहे हैं।

हमारी आर्थिक नीति बहुत अधिक विकासोन्मुख है और सामाजिक न्याय प्राप्त करने का हमारा विशेष लक्ष्य भी है। हम जानते हैं कि हम सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर ही निर्भर नहीं रह सकते क्योंकि हमारी एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसलिए, निजी क्षेत्र को भी कई रियायतें दी गई हैं। हमारे वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए हमारे माननीय वित्त मंत्री ने कई विभिन्न उपाय किए हैं—जैसे आयकर तथा निगम कर की दरों में कमी करना, सम्पदा शुल्क को समाप्त करना इत्यादि। केन्द्रीय कर राजस्व आय 1985-86 में 24 प्रतिशत बढ़ गई है जो एक कीर्तिमान है। और आयकर की वसूली तो 45 प्रतिशत तक बढ़ गई है। इस तरह से हमारी सरकार विकासात्मक कार्यों के लिए उपलब्ध धन को बढ़ाने जा रही है।

यह आलोचना की गई थी कि आयकर की दर में कटौती तथा सम्पदा शुल्क के समाप्त करने से कुल राजस्व आय में कमी आयेगी। जबकि यह गलत सिद्ध हुआ है। असलियत में, ऊंची कर दर ने कर चोरी को काफी बढ़ावा दिया और अब कर में कटौती के कारण कर राजस्व की वसूली में कटौती हुई है।

हमारी अर्थव्यवस्था विकासोन्मुख है। हम जानते हैं कि इसके विकास के लिए कई उपाय किए गए हैं। 1986-87 वर्ष के प्रथम तीन महीनों के दौरान औद्योगिक उत्पादन की विकास दर 7.7 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ गई है। अप्रैल-जून में हमारा ऊर्जा उत्पादन 10 प्रतिशत तक,

कोयला उत्पादन 8 प्रतिशत तक, कच्चा तेल का उत्पादन 7 प्रतिशत तक तथा रेल भाड़ा यातायात 11 प्रतिशत तक बढ़ गया है। कोयले में 1986-87 के प्रथम तीन महीनों में, 1985 वर्ष के जनवरी से मार्च तक की तुलना में 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। हम जानते हैं कि यहां एक सार्वजनिक क्षेत्र है और उसमें कुछ कमियां भी हैं क्योंकि हमने देखा है कि इसमें पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं होता है। जब हम 80 प्रतिशत क्षमता के उपयोग की प्राप्ति करेंगे तो हमारी सेवाएं और वस्तुएं दुगुनी हो जायेंगी। बढ़े हुए औद्योगिक विकास को प्राप्त करने के लिए भी, हमारी सरकार ने औद्योगिक लाइसेन्स के मामले में कुछ उपाय किए हैं और उसे उदार बनाया जा रहा है। लाइसेन्स प्रणाली ने काफी काले धन तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। इसी कारण सरकार ने औद्योगिक लाइसेन्स प्रणाली को उदार बनाया है। आगे लघु क्षेत्र तथा लघु उद्योगों में भी कदम उठाये गये हैं, अर्थात् लघु उद्योगों के विकास, बिस्तार और आधुनिकीकरण के लिए पुनः वित्त प्रबन्ध सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में एक विशेष कोष का निर्माण करना। तत्पश्चात् उत्पाद-शुल्क में विभिन्न रियायतें भी दी गई हैं ताकि औद्योगिक विकास को प्राप्त किया जा सके।

कृषि क्षेत्र में हम जानते हैं कि खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता है और हमारे पास 2.5 करोड़ टन खाद्यान्नों का का भण्डार है। और हमारा खाद्यान्नों का उत्पादन 15 करोड़ टन तक पहुंच गया है। 1950 में हम 5 करोड़ टन का उत्पादन कर रहे थे और अब यह 15 करोड़ टन तक पहुंच गया है। योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि अनाजों का प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति उपभोग 225 ग्राम होना चाहिए किन्तु आजकल एक अनुमान के अनुसार प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति अनाजों का उपभोग लगभग 175 ग्राम है। प्रति व्यक्ति उपभोग बढ़ाने के लिए यह सच्चाई है कि हमारे लोगों के पास क्रय शक्ति होनी चाहिए और उसके लिए हमारी सरकार आगे बढ़ रही है क्योंकि इसने गरीबी उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रम प्रारम्भ कर रखे हैं। इस वर्ष गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय योजना आबंटन में 65 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसलिए जब हम स्वास्थ्य क्षेत्र तथा दूसरे क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार भी इस बात के लिए बहुत इच्छुक है कि पोषाहार कार्यक्रम के क्षेत्र का विस्तार कर उसमें छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा जच्चा माताओं, को शामिल किया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य तथा पोषाहार की सुविधाएं देने के लिए हमारी आई० सी० डी० एस० परियोजनाएं भी उसको अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं।

मैं अब आयात की उदारवादी नीति पर आता हूं। आयात की उदार नीति के बारे में पहले भी बहुत कुछ कहा जा चुका है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हमें आयात की उदार नीति पर जोर नहीं देना चाहिए और ऐसा हम कर भी रहे हैं, क्योंकि हमने कच्चे तेल का आयात बन्द कर दिया है।

व्यापार घाटे को कम करने के दृष्टिकोण से हमने हाल ही में तीव्र विसासगामी उपाय किये हैं और निर्यात, हमारे उत्पादी आधार में विविधता लाने, हमारे उत्पादी यन्त्रों को आधुनिक बनाने, हमारी औद्योगिक नीतियों में संशोधन और समय-समय पर उनका पुनरीक्षण करने इत्यादि के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। निःसन्देह हम कह सकते हैं कि हमारे यहां बड़े औद्योगिक घराने हैं और हमें यह पता लगाना चाहिए कि निर्यात में उनका क्या योगदान है क्योंकि हमारे उद्योग ऐसे होने चाहिए कि उनको प्रोत्साहन मिले। एम० आर० टी० पी० को भी प्रोत्साहन

दिया जाना चाहिए। उनकी सीमा भी बढ़ा दी गई है, उनका निर्यात में योगदान होना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारे सामने काफी कठिनाइयां हैं जैसे दूसरे देशों से प्रतिस्पर्धा। विकसित देश करों के अवरोध भी खड़े कर रहे हैं। मशीनरी, पूंजीगत वस्तुएं, उर्वरक और परिवहन के उपकरण इनका आयात घरेलू उत्पादन के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मक होता जा रहा है।

हमारा विदेशी मुद्रा भण्डार में 1984-85 में 319 करोड़ रुपए बढ़ने के बजाए 1985-86 के दौरान 204 करोड़ रुपए कम हो गया। यह सच्चाई है कि हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति इतनी खराब नहीं है और यह बहुत प्रभावशाली प्रतीत होता है क्योंकि यह 19-20 प्रतिशत तक नियन्त्रणीय है और इसकी अनुमति नियन्त्रित प्रणाली के तहत दी गई है। इस प्रकार भारतीय साख दर ऊंची है और विदेशी मुद्रा का वर्तमान 65,000 करोड़ रुपए का स्तर एक दशक पहले के स्तर से 10 गुणा ऊंचा है।

हालांकि हम बहुत अधिक निर्यात नहीं कर रहे हैं, फिर भी तकनीकी हस्तांतरण की वजह से हम आयात करते हैं और यह हमें करना पड़ेगा, और इसी दौरान हम एक कठिनाई में हैं, हम अपने आयात को पूर्णतया बन्द नहीं कर सकते हम ऐसा नहीं कह सकते।

इसके अतिरिक्त कीमत स्थिति के बारे में पहले ही काफी कहा जा चुका है।

निःसन्देह आजकल हम एक सुदृढ़ स्थिति में हैं। इस तरफ से माननीय सदस्य पहले ही अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं और विशेषकर जहां तक खाद्य तेलों का संबंध है, हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं और हम आत्मनिर्भर होने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर हम पिछले 6 वर्षों के दौरान तुलना करते हैं तो हम पायेंगे कि थोक मूल्य सूचकांक में अधिक बढ़ोतरी नहीं हुई है। मैं कह सकता हूं कि मूल्य स्थिति खराब नहीं है। हमें प्राथमिक क्षेत्र तथा इसके आधारभूत भाग को सुदृढ़ बनाना चाहिए। ऊर्जा की तरह आधारभूत संरचना अति आवश्यक है। कुछ राज्यों में ऊर्जा की बहुत कमी है। सरकार को इस आधारभूत संरचना पर ध्यान देना चाहिए और उन राज्यों को ऊर्जा प्रदान करनी चाहिए जहां इसकी बहुत कमी है। सरकार को उन्हें और अधिक धन प्रदान करना चाहिए ताकि वे समृद्ध हो सकें।

इन शब्दों के साथ, मुझे अवश्य कहना चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था विकासोन्मुख है और हमने सामाजिक न्याय को लक्ष्य बनाया हुआ है और इसके लिए हमें अपने माननीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहिए।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय वित्त मंत्री का तीन बातों पर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

प्रथम, लघु उद्योगों के प्रति हमारा दृष्टिकोण बड़ा सम्मानजनक है किंतु सही आंकड़ा क्या है? हमारे संसाधनों पर इतने अधिक बोझा डालने से हमें फायदे में क्या मिलता है?

स्वयं सरकार द्वारा 1983 में किए गए एक सर्वेक्षण की एक टिप्पणी की एक प्रतिलिपि मेरे पास है जो बताती है कि 12 प्रतिशत लघु उद्योगों का पता ही नहीं था, और 26 प्रतिशत पूर्णतया बन्द थे। किंतु इसकी खास बात यह है कि फरवरी, 1975 में तत्कालीन उद्योग राज्य मंत्री

माननीय श्री ए० पी० शर्मा ने कहा था कि सूती वस्त्र की लघु उद्योग क्षेत्र की अधिकतर इकाईयां. नकली थीं।

मार्च में या इसके आस-पास रिजर्व बैंक द्वारा किये गए एक सर्वेक्षण ने दर्शाया कि बैंकों से सहायता पाने वाली 34.5 प्रतिशत लघु उद्योग इकाईयां कानून की प्रवचना कर रही थी।

लोक सभा की प्राक्कलन समिति की 1980-81 की 14वीं रिपोर्ट ने दर्शाया कि लघु उद्योग क्षेत्र में नकली इकाईयों के खतरनाक विकास को रोकने के लिए सख्त उपायों की जरूरत है। इसकी खास बात यह है कि लघु उद्योग क्षेत्र में इन इकाईयों का अस्तित्व ही नहीं था। इनमें से कुछ या अधिकतर हमेशा के लिए बन्द हैं। किन्तु सरकारी संस्थाओं द्वारा इनको मूल्यवान कच्चे माल की पूर्ति की जाती है।

मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान इन तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सरकारी संस्थाएं लघु उद्योग क्षेत्र की बगैर अस्तित्व या बन्द इकाईयों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही हैं। ऐसा निजी संस्थाओं द्वारा नहीं किया जाता, यह आपकी सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इनको मूल्यवान कच्चे माल की पूर्ति की जाती है। इसके काले बाजार का निर्माण हो रहा है और काला धन एक स्रोत बन रहा है।

हमारे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जैसे आई० आर० डी० पी०, एन० आर० डी० पी० सिर्फ धन को नष्ट कर रहे हैं। लोक लेखा समिति ने 1980-82 में अपनी 19वीं रिपोर्ट में कई अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, गबन, खातों में झूठे ऋणों, खाद्यान्नों का गलत उपयोग इत्यादि का उल्लेख किया है। योजना आयोग के एक सदस्य प्रो० राज कृष्ण ने कहा, "केवल बहुत कम राशि उन लोगों तक पहुंचती है जिनको यह पहुंचनी चाहिए।" राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान ने अपना प्रतिवेदन पिछले वर्ष छापा है। इस प्रतिवेदन में काले धन की उत्पत्ति के लिए गरीबी रोधी कार्यक्रमों को एक साधन माना गया है। अध्ययन प्रकट करता है कि गरीबी रोधी कार्यक्रमों के लिए 50 से 80 प्रतिशत धन बेकार जाता है

विशाल ऋण मेला : आप बैठकें आयोजित करते हैं और प्रत्येक को बड़े पैमाने पर ऋण का वितरण करते हैं चाहे वे इसके लिए कहते हैं या नहीं। आप उन्हें ऋण लेने के लिए जोर देते हैं। प्रभावशाली लोगों, बिचौलियों, राजनैतिक अवसरवादी और समाज विरोधी तत्वों के लिए मेले लाभदायक बन गए हैं।

ग्रामीण नीतियों में परिवर्तन का समय : कृषि उत्पादन में 6.2 प्रतिशत की सालाना वृद्धि होने का सरकार का दावा भ्रांति है। कृषि में वृद्धि 1979-80 के उत्पादन की तुलना पर आधारित है। उस वर्ष सख्त सूखा पड़ा था जबकि उसी वर्ष में 222 लाख टन अनाज के उत्पादन में गिरावट आई थी। यदि एक वर्ष पहले अर्थात 1978-79 को आधार वर्ष के रूप में विचार किया जाए तो वृद्धि दर केवल 2 प्रतिशत होती है जो कि जनसंख्या की वृद्धि से भी कम है। हमारे पास विश्व की कुल कृष्य भूमि का 11.6 प्रतिशत है लेकिन 1981-82 में हमारा खाद्यान्न उत्पादन विश्व उत्पादन का केवल 8.8 प्रतिशत था। उस वर्ष हमारी जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या

का 15.5 प्रतिशत थी। विश्व औसत के स्तर पर हमारे उत्पादन को 76 प्रतिशत तक बढ़ाना होगा।

एक अध्ययन बताता है कि 21 में से 12 राज्यों—अब हमारे पास 22 राज्य हैं—में हरित क्रांति का प्रायः कोई प्रभाव नहीं हुआ है। सिचाई के प्रमुख और मझोले कार्यों जिनकी लागत बहुत ऊंची है, ने वांछित परिणामों को नहीं दिया है। गांवों में अभी भी साक्षरता की दर 30 प्रतिशत से कम है। शिशु मृत्यु दर प्रति हजार पर 135 है। इससे पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। राष्ट्र किस प्रकार से आगे बढ़ने का दावा कर सकता है जबकि दो तिहाई जनसंख्या आज क्रय शक्ति के विशेष शब्दों में गरीब है।

कोई पूछ सकता है कि भारत के छोटे किसान अतिरिक्त उत्पादक क्यों नहीं होते हैं जैसा कि जापान और दक्षिण कोरिया में है। भारत में एक औसत परिवार के 5 सदस्य एक वर्ष में 8.5 क्विंटल से अधिक अनाज का उपभोग नहीं करते हैं। दुर्लभ राष्ट्रीय साधनों के वितरण में ग्रामीण लोगों को पूरा हिस्सा नहीं मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की मांग यदि पर्याप्त रूप से मिलती है तो ग्रामीण भारत का नक्शा दस वर्षों के भीतर बदला जा सकता है। ऊंचे दावों को करने के बावजूद किसानों को देश में कुल बिजली की खपत की तुलना में केवल 1/6 हिस्सा बिजली सप्लाई उपलब्ध की जाती है। खाद्यान्न के उत्पादन के लिए आप किसानों को केवल बिजली का 1/6 भाग दे रहे हैं जो कि राष्ट्र के जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है जबकि आप नगरों और शहरों में बिजली का बड़ा भाग दे रहे हैं ताकि वहां के निवासी विलासिता का जीवन व्यतीत कर सकें।

शिक्षा के मामले में भी ग्रामीण वालों की ओर सरकार का रवैया बहुत अनुचित है। सरकारी प्रकाशन 'शिक्षा की चुनौतियां' के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा पर प्रति व्यक्ति व्यय शहरी क्षेत्रों में व्यय के एक चौथाई की अपेक्षा अधिक नहीं है। 40 प्रतिशत प्राथमिक स्कूलों की छतें नहीं हैं। 39.72 प्रतिशत के पास ब्लेक बोर्ड नहीं हैं। 59.50 प्रतिशत के पास पीने के पानी की सुविधाएं नहीं हैं, 35 प्रतिशत के पास केवल एक अध्यापक है जो तीन से चार कक्षाओं को देखता है। सरकार द्वारा अधिकतर आर्थिक नीतियों की पुनरीक्षा की जा रही है लेकिन यह प्रयास तब तक निर्थरक होगा जब तक कि ग्रामीण नीतियों में जिन पर देश के 76 प्रतिशत लोग आश्रित हैं, परिवर्तन नहीं किया जाना। वांछित परिणामों को प्राप्त करने में जिस नीति पर बल दिया गया है वह असफल हुई है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण और तीव्र विकास के लिए नीति में परिवर्तन लाना आवश्यक है।

व्यक्तियों के बीच ही नहीं बल्कि लोगों के समूहों के बीच भी आम रुतबे, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को दूर किया जाना चाहिए।

यदि सरकार दिल से कृषि उत्पादन को दुगना करना चाहती है और केवल जीवत रहने के लिए ही उत्पादन नहीं करना चाहती तो 20वीं शताब्दी के अन्त तक कृषि और ग्रामीण विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार और वित्तीय सस्थाओं द्वारा 40 प्रतिशत ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए। खाद्यान्न को लाने ले जाने पर लगे सभी प्रतिबन्ध हटाए जाएं ताकि उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को लाभ हो सके।

हमारी सबसे अच्छी सुरक्षा पर्याप्त सुरक्षित भण्डार बनाए रखने में नहीं है बल्कि मांग स्तर से कम से कम 25 प्रतिशत अधिक स्तर पर उत्पादन बनाए रखने में है।

खाद्यान्न के स्वतन्त्र रूप से लाने ले जाना चाहिए ताकि लोग अपनी मर्जी से अनाज ले सकें और घटिया अनाज को लेने के लिए फुसलाहट न करें जिसे सरकार अपने गोदामों से सप्लाई कर रही है।

सीमांत किसानों की सभी भूमि की चकबन्दी की जाए और गांव भूमि के एक खंड में रखी जाए जिसे उनके मालिकों द्वारा अलग से सिंचाई करने के लिए रखी जाए। अतः भूमि को लेने कोई प्रश्न नहीं है। इसे समेकित किया जाना चाहिए और सिंचाई सुविधाएं, बेहतर उत्पादन के लिए आधुनिक तकनीकी, पीसाई प्रक्रिया, विपणन, स्टोर आदि सहित सभी सुविधाओं की खंड में व्यवस्था होनी चाहिए जहां ये सीमांत किसान रहते हैं। यदि सरकार से उन्हें ये सुविधाएं मिलती हैं तो हम केवल तभी अपने ग्रामीण भारत को स्वतन्त्र रूप में देख सकते हैं। यदि सरकार वास्तव में चाहती है कि भारत में सभी लोगों को उनकी प्राथमिक आवश्यकताएं मिलनी चाहिए तो उन्हें खाना, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल की व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम अपनी आजादी के 40 वें वर्ष में बढ़ रहे हैं। लोगों की आशाएं बढ़ रही हैं और वे और अधिक प्रतीक्षा नहीं करेंगे। माननीय मंत्री बहुत सक्रिय हैं। इसलिए यह समय है कि उन्हें सभी कार्यक्रमों को लेना चाहिए और उन्हें कमियों को देखना चाहिए तथा उन्हें हटाने की कोशिश करनी चाहिए व उन्हें फिर से सक्रिय करना चाहिए। केवल तभी अल्प अवधि के समय में भारतीय लोगों की मूल आवश्यकतायें पूरी की जा सकती हैं।

[हिन्दी]

श्री डाल चन्द्र जैन (दमोह) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजकोषीय नीति के सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहूंगा कि आदरणीय वित्त मंत्री महोदय ने हमारे प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व से जो नीति निर्धारित की है, वह बहुमुखी विकास की ओर जाने वाली एवं खास तौर से हमारे देश के कमजोर वर्ग और गरीबों को ऊपर उठाने की है। इसके ततीजे भी हमारे सामने आने लगे हैं।

विरोध पक्ष से जो हमारे भाई हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि तस्वीर के जो दो पहलू होते हैं, उसके दोनों पहलुओं को देख कर ही उजले पक्ष की बात को मानना चाहिए। उसके बाद जो कमी हो, उसको बताना चाहिए।

हमारी सरकार की जो बहुमुखी विकास की नीति है, उसमें उनका कर्त्तव्य है कि वह हमें सहयोग दें। आलोचना की जगह आलोचना करें। हम आलोचना के लिए उनको नहीं रोकना चाहते हैं। हमारे देश की अधिकांश आबादी गांवों में रहती है और उनकी उन्नति के लिए हमारे शासन ने जो कार्य किए हैं मैं थोड़ा सा उनकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

जहां एक हजार तक की आबादी है उनको मुख्य सड़क से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जहां स्कूल नहीं हैं वहां स्कूल खोले जा रहे हैं। यह बात ठीक है कि वहां स्कूलों को जो पूरी तरह की सुविधाएं होनी चाहिए वे सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। लेकिन वे सुविधाएं भी प्राप्त

होंगी। बिजली पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। जहां कल्पना भी नहीं की जा सकती थी वहां बिजली हम देखते हैं। आप विचार करें कि हम एक बहुत इन्टीरियर के, बहुत अन्दर के गांवों में भी जाएंगे तो वहां रेडियो रखने वाले और रेडियो सुनने वाले, यहां तक कि किसान भी हमको वहां मिलने आएंगे और उनमें बहुत से स्नातक भी मिल जाएंगे। यह सब हमारे शासन की उपलब्धि है।

चालू वर्ष में जो गरीब या कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लगभग 15 लाख परिवारों को सहायता दी गई है। उसमें लगभग 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के परिवार हैं। निश्चित रूप से उनकी उन्नति हुई है। यह वहां जाकर देखा जा सकता है।

उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत 230 से 428 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह सब गरीब, किसान और मजदूर एवं पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने के लिए किया गया है। सवा सौ करोड़ रुपए का प्रावधान अनुसूचित जाति और जन-जाति के लिए मकान बनाने के लिए किया गया है। इससे लगभग 2 लाख मकान प्रतिवर्ष बनाने का लक्ष्य शासन ने रखा हुआ है। यहां तक कि जो रिक्शा चालक हैं, फेरी वाले हैं, नाई और धोबी हैं उनके लिए सुलभ ऋण की व्यवस्था करने के लिए शासन ने बैंकों को आदेश दिए हुए हैं।

गरीब परिवारों के लिए दुर्घटना बीमा योजना भी लागू की गई है। यह करीब सौ जिलों में लागू की गई है। इसको बढ़ाकर सारे भारतवर्ष में लागू किया जाय। कृषकों को खाद एवं उन्नत किस्म का बीज देने की व्यवस्था की गई है और इससे निश्चित रूप से हमारे कृषकों की हालत सुधरी है, हमारा उत्पादन बढ़ा है और आज जो हमारे पास खाद्यान्न है उसका लगभग 25 लाख टन का स्टाक है। इतना स्टाक हमारे पास पहले कभी नहीं रहा है। इसमें एक खास बात यह है कि किसानों से हमने समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न लिया है जिससे उनको अपना उत्पादन कम मूल्य पर न बेचना पड़े। इसीलिए सरकार ने इतना बड़ा स्टाक किसानों से खरीदा है।

जहां टैक्स का रेट कम किया है वहां फिगर बताते हैं कि टैक्स की वसूली करीब-करीब दुगुनी हुई है। यह एक बहुत अच्छी परम्परा है। एक ओर जहां टैक्स बचाने वालों के ऊपर छापे मारे गए वहां दूसरी ओर अधिकारियों के ऊपर भी छापे मारे गए। इससे देश के वातावरण में सुधार हुआ है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा कि यह कार्यक्रम बराबर चालू रहे जिससे जो इस तरह के लोग हैं वे फिर न पनप सकें और यह जो एक बीमारी है वह बीमारी आगे न हो सके।

हमारे देश में इस वर्ष नशीली और तस्करी का सामान जितना पकड़ा गया उतना पहले कभी नहीं पकड़ा गया। इसके लिए जिन अफसरों ने यह कार्यवाही की है बराबर उनके कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए और जो अधिकारी अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करते हैं, निश्चित रूप से उनके ऊपर कठोर कार्यवाही होनी चाहिए ताकि वे भी हमारे देश की उन्नति और तरक्की में भागीदार बन सकें। वे भी हमारे देश के नागरिक हैं इसलिए उनके सम्बन्ध में मुझे सरकार से यह कहना है।

कभी-कभी प्राकृतिक प्रकोप की वजह से उत्पादन कम हो जाता है जिससे कीमतें बढ़ती हैं लेकिन यह अल्पकालिक बात होती है। जैसे कि आलू की कीमत बढ़ी, शक्कर की कीमत बढ़ी या

तेल की कीमतें बढ़ीं। चूंकि गुजरात में सूखे की स्थिति रही इसलिए तिलहन का उत्पादन कम हुआ अतः तेल की कीमतें बढ़ीं। उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति रही जिसकी वजह से आलू का कम उत्पादन हुआ। लेकिन उपभोक्ताओं के लिए सरकार ने चीनी और तेल का बाहर से आयात किया जिसके कारण देश का आयात-निर्यात सन्तुलन भी बिगड़ गया लेकिन यह स्थिति अल्पकालिक है। हमारी सरकार ने इस बात को भी ध्यान में रखा है कि उपभोक्ताओं के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं वह उनको मिलती रहें।

अब अन्त में मैं विरोध पक्ष के सन्दर्भ में, दो मित्रों के बीच में जो बात हुई वह बता देना चाहूंगा। दो मित्र आपस में बातचीत कर रहे थे। एक ने कहा कि कोई मेरे इस सवाल का जवाब दे दे कि दो और दो कितने होते हैं तो मैं उसको इनाम दूंगा। दूसरे मित्र ने कहा यह तो कोई भी बता देगा कि दो और दो चार होते हैं। पहले मित्र ने कहा बता तो देगा लेकिन जब मैं उसको मानूं तब न। इस प्रकार के हमारे विरोधी पक्ष के मित्र भी हैं। जो भी हमारे देश में उन्नति, तरक्की होती है उसकी वे कभी चर्चा ही नहीं करते, हमेशा आलोचना की नीति ही उनकी रही है। उनको यह नीति त्यागनी चाहिए और सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए।

इन शब्दों के साथ में इन नीतियों को चलाने के लिए अपने नेताओं को बधाई और धन्यवाद देता हूं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जो आज आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक स्थिति पर चर्चा हो रही है, खासकर पिछले वित्त मंत्री द्वारा जो फिस्कल पालिसी प्रस्तुत की गई थी उसको ध्यान में रखते हुए, उस सम्बन्ध में मैं समझता हूं हमारे विरोध पक्ष के लोग शायद कम ही बोले हैं। उन्होंने एक अच्छा मौका निकाला कि इसके बहाने हम कुछ राजनीतिक लाभ उठाएं। लेकिन मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि खासकर 1980 में जनता शासन के बाद जब हमारी पार्टी शासन में पुनः आई तो उस समय आपको याद होगा जनता शासन की जर्जरित अर्थव्यवस्था के कारण हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 17 परसेन्ट नीचे चला गया था और औद्योगिक उत्पादन माइनस 1.4 परसेन्ट नीचे था। 1977 में जब हम शासन छोड़कर गए थे उस समय 10 प्रतिशत की गति से औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा था, फारेन एक्सचेंज की पोजीशन भी बहुत अच्छी थी, बड़ी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था थी लेकिन ढ़ाई साल के जनता शासन के बाद क्या हुआ ? उस समय इंफ्लेशन 21.4 परसेन्ट था जनता शासन काल में। लेकिन आज हमारी नई नीतियों के कारण देश में 25 मिलियन टन गल्ले का भंडार है। साथ ही सिक्स्थ प्लान में जो औद्योगिक लक्ष्य हमने रखा था उसको भी प्राप्त कर लिया। जहां तक कृषि उत्पादन का सम्बन्ध है, आपको याद होगा 1982 में देश में भयंकर सूखा पड़ा था जिससे 5 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। 31 परसेन्ट एग्रीकल्चरल लैण्ड प्रभावित हुई थी लेकिन इन सारी कमियों के बावजूद हमने अप्रत्याशित उपलब्धि हासिल की, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, और मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में आपको कहीं भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जिस तरह से हमने देश में कृषि की समस्या को हल किया है। सूखे के बावजूद, बाढ़ के बावजूद, साइक्लोन और पाले के बावजूद हमने जो अचीवमेन्ट किया है वह अपने आप में अप्रत्याशित है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने यहां पर जो बात कही है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। आपने देखा कि किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ है। मैं कह रहा था कि 1978-79 में मूल्यों की स्थिति 21.4 प्रतिशत थी, उसको हमारे वित्त मंत्री जी ने आश्चर्यजनक स्थिति में ला दिया है। आज वह

3.8 प्रतिशत हो गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारी उपलब्धि को नहीं देखते हैं, आपको थोड़ा चश्मा लगाना पड़ेगा। रियैलिटी की धरती पर आना पड़ेगा। हमने राजस्व को बढ़ाने का काफी प्रयास किया है।

श्री सी० माधव रेड्डी : चश्मे की जरूरत हमें नहीं है, आपको है।

श्री राम प्यारे पनिका : माधव रेड्डी जी हमने जो रिवैन्यू कलेक्शन में जो एक अनोखी उपलब्धि की है, उसकी भी तो चर्चा करनी चाहिए थी। पर्सनल टैक्स की लिमिट को बढ़ा दिया है। हमें विश्वास है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो हमने टार्गेट रखा है, अर्निंग का, वह कई प्रतिशत आगे बढ़ जाएगा। यह एक बड़ी उपलब्धि है। खास कर की-सैक्टर में, इन्फ्रास्ट्रक्चर के सैक्टर में, चाहे कोल हो, बिजली हो, सीमेंट हो, ट्रांसपोर्ट हो, आयल हो, इन सबमें हमने एक आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की है। अभी-अभी अमल दत्ता साहब ने कहा है कि हमारे बैलेंस आफ पेमेंट में कमी आई है। यह कमी क्यों आई है? यह कमी इसलिए आई कि हमने आयल पैदा किया है और इसके लिए आपको बधाई देनी चाहिए। उसके लिए हम केन्द्रीय सरकार को बधाई देते हैं।

यहां पर मंहगाई की काफी चर्चा हुई है। आप इसकी गहराई में नहीं जाते हैं। आपने कह दिया कि आलू महंगा हो गया, तेल की कीमत बढ़ गई। जब सरकार कठोर रास्ता अपनाने जाती है, बैलेंस-आफ-पेमेंट को ठीक करने की कोशिश करती है, तो इसके लिए निश्चित तौर पर हमें इम्पोर्ट पॉलिसी में परिवर्तन करना होगा। आयल के साथ-साथ शुगर के रिजल्ट अच्छे आए हैं। 75 प्रतिशत इम्पोर्ट हमने कम कर दिया। पिछले साल शुगर की क्या हालत थी। किसानों को इन्सैन्टिव देने के लिए और उनको बढ़ाने के लिए, उनके उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से कई प्रयत्न हो रहे हैं। खाली यह नहीं है कि इम्पोर्ट बन्द कर दिया। आप देखें कि पिछले दो-तीन सालों से हमारी शुगर की स्थिति ठीक हुई है और निश्चित तौर से जो दूसरी कामोडिटीज हैं, उनमें उत्तरोत्तर सुधार होगा। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जैसा हमारी बहन ने कहा, हम वैसी बातें नहीं करते हैं। हमको कुछ कदम उठाना पड़ेगा। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने किसी भी स्तर पर अपने तथ्यों को नहीं छिपाया है। जहां कहीं कमी है, तो कहा है कि कमी है। जब हम कहते हैं कि इस क्षेत्र में कमी है, तो जिन क्षेत्रों में हमने उपलब्धि हासिल की है, तो उन क्षेत्रों की उपलब्धि के बारे में भी हमको कहना चाहिए।

वित्त मंत्री जी शायद न बताना चाहें, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं अपने वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी डिमाण्ड भेजी गई, चाहे गेहूं हो, चावल हो, शुगर हो, एडिबल आयल है, सरकार ने उसके एगेंस्ट जो भी एलाट किया है, किसी भी राज्य ने उसको पूरा-पूरा नहीं उठाया है। कुछ राज्यों ने तो कृत्रिम अभाव पैदा करने के लिए उन चीजों को नहीं उठाया है। यह इसलिए कि कुछ पूंजीपतियों को इससे फायदा पहुंचे। इस स्थिति में भी सारे का सारा आरोप केन्द्र पर डाल दिया जाता है। जब हम बात करेंगे तो स्टेट और केन्द्र का मामला उठाएंगे...(व्यवधान)...माधव रेड्डी जी आप बड़े ग्रुप के लीडर हैं। आप अपने आंध्र प्रदेश में देखिए, क्या हो रहा है। केन्द्र आपको चावल 1.50 रु० में दे रहा है, उसको क्यों महंगा बेच रहे हैं। आप उसको दो रुपए में बेच रहे हैं।...(व्यवधान)...बिजली, जिस रेट पर हमारे साठे साहब वहां की गवर्नमेंट को दे रहे हैं, उससे अधिक पैसे में वहां की सरकार

कर्नाटक सरकार को यह बिजली दे रही है और इस तरह से पैसा कमा रही है। ये अपने आपको नहीं देखते कि क्या कर रहे हैं। अब स्थिति यह है कि बिजली के बारे में जो गाइडलाइन्स हमारे साठे साहब भेजते हैं, उनको आप लोग मानते नहीं हैं और जब बिजली के बारे में कठोर कदम उठाने लगते हैं, तो स्टेट और सैन्टर के सम्बन्ध आड़े आने लगते हैं। एक चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि बिजली के उत्पादन की जिस तरह की मोनीटरिंग होती थी, वह अब नहीं होने पा रही है। इसमें आप हमें सहयोग दें। यह सही है कि कोयले और तेल की कुछ कमी है। मैं माननीय साठे जी से यह कहना चाहता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने लिखा है कि जो आपका सिस्टम मोनिटरिंग का चल रहा है, उसमें दिक्कत हो रही है। अभी रेलवे विभाग के एक प्रेस नोट को मैंने देखा। उसमें यह था कि एडीकेट कोयला न मिलने के कारण ढुलाई के जो टार्गेट्स रखे थे, उनमें कमी हो रही है। सी० आई० एल० से जब इसके बारे में कहा गया, तो सी० आई० एल० कहता है कि रेलवे के पास रैक्स ही नहीं दिये हैं और समय से रैक्स जाते हैं और पिटहैड्स पर जो कोयला पड़ा हुआ है, उसको उठाते नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि इसमें काआर्डीनेशन की कमी है। इसलिए मैं माननीय साठे जी से कहता हूं कि मोनीटरिंग का सिस्टम ठीक रखें ताकि काआर्डीनेशन के अभाव में कठिनाई न हो। एक सब-कमेटी मोनिटरिंग के लिए बनी थी, जिसमें वित्त मंत्री, साठे साहब और रेलवे मंत्री थी। पुनः इसको ठीक से काम करना है क्योंकि जब तक बिजली उत्पादन ठीक से नहीं होगा, कृषि और औद्योगिक उत्पादन नहीं हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी दृढ़ है।

एक बात और कहना चाहता हूं। कुछ हमारे साथियों ने भी कहा आज प्राइवेट सैक्टर, ज्वाइन्ट सैक्टर, काआपरेटिव सैक्टर और पब्लिक सैक्टर के कोई अलग-अलग अर्थ नहीं हैं क्योंकि इनमें सारा पैसा सरकार का लगा है। आज प्राइवेट सैक्टर में 90 प्रतिशत पैसा गवर्नमेंट एक्स-चैकर का और फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स का लगा हुआ है। मैं यह भी आपसे कहना चाहता हूं कि जो लिबरल पालिसी सरकार ने बनाई है, इससे हमारे अर्थव्यवस्था में निश्चित तौर पर बढ़ावा आया है। यह कहना कि इस पालिसी के कारण हमारे देश में इम्पोर्ट्स ज्यादा हो गई हैं, मैं इसको सही नहीं मानता हूं। यदि आज नई टेक्नोलोजी लाना है, उद्योगों को माड्र्नाइजेशन करना है और दुनिया में कम्पीटीशन करना है, तो हमें ऐसी चीजें बनानी पड़ेंगी, जिनकी मार्केट वेल्यू ज्यादा हो। आज हमारे सामने एक अपरिहार्य परिस्थिति है कि कुछ सामान हमें बाहर से मंगाना ही पड़ेगा लेकिन हमारा यह कर्त्तव्य है और आज हमारा प्राइवेट सैक्टर जो इम्पोर्ट के लिए हमसे ज्यादा साधन लेता है, उस पर निश्चित तौर पर यह शर्त लगानी पड़ेगी कि वह एक्सपोर्ट करने वाली चीजों का उत्पादन करे। ऐसा न हो कि ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वह ऐसी चीजों का उत्पादन करे, जिनमें मुनाफा ज्यादा हो और वह विलासिता वाली ही चीजें बनाए, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ेगा। इसलिए मेरी निश्चित मांग है कि जब आप प्राइवेट सैक्टर को लाइसेंस दें, तो उससे यह लिखित आश्वासन लें कि वह एक्सपोर्ट करने वाली चीजें ही बनाएगा और यदि वह उसका प्लान न करे, तो बाद में सजा देने की ताकत सरकार में होनी चाहिए।

एक चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि जो गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम हम चला रहे हैं, उनसे गरीबी की रेखा के नीचे वाले लोगों की संख्या 48 प्रतिशत से घटकर 37 प्रतिशत हो गई है। हमारे अमल दत्ता साहब बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन आज जब वे बोल रहे थे, तो ऐसा

लगता था जैसे कि आगामी चुनावों के लिए पूर्वाभ्यास कर रहे हों। उनका भाषण तथ्यों पर आधारित नहीं था। यह कहना कि 50 प्रतिशत गरीबी हो गई और यह नहीं हुआ और वह नहीं हुआ, ठीक नहीं है। आप 37 प्रतिशत की फिगर को चैलेन्ज नहीं दे सकते। मानीटरिंग का हमारे राजीव जी ने एक सिस्टम निकाला है। वे प्राइवेट एजेन्सी से मानिटरिंग करा रहे हैं। उसको भी आप कह देंगे कि गलत है। जब ऐसी बात है तो किस पर आप विश्वास करेंगे। आप अपने यहां किस तरह से कार्यक्रम चला रहे हैं। हमारे राजीव जी और सरकार ने यह सोचा कि यह बात सही है कि 30 वर्षों से जो लैंड रिफार्म्स शुरू किए थे, उनमें कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं। इसमें चाहे इधर के कुछ लोग हों और चाहे उधर के कुछ लोग हों, उनकी नीयत साफ नहीं है। हमने जो नियम बनाए हैं, उनमें आपका सहयोग मांग रहे हैं। सारी विरोधी पार्टियों से यह आह्वान किया है कि सब लोग मिलकर ऐसी पालिसी बनाएं जिससे लैंड रिफार्म्स ठीक से इम्पली-मेंट हों। यह आलोचना करना कि लैंड रिफार्म्स के कार्यक्रमों में कुछ हुआ ही नहीं, यह सही नहीं है। हमारे देश के नेता और हमारे प्रधान मंत्री जी और हमारी सरकार यह महसूस करती है कि जहां कमियां हैं, उनको दूर किया जाए। जब हम अपनी कमजोरी बताते हैं तो आप उसको आधार मानकर हमारी आलोचना करने लगते हैं। इस तरह आलोचना से काम चलने वाला नहीं है। आप व्यावहारिक जगत् में आकर हमारी आलोचना कीजिए।

मैं आपको बताता हूं कि दुनिया के जितने भी बड़े-बड़े देश हैं उन्होंने हमारी नीतियों की प्रशंसा की है। मैं अपनी सरकार को इसके लिए पुन: बधाई देता हूं और अपने विरोधी दल के भाइयों से कहता हूं कि आप जिस उद्देश्य से यह चर्चा लाए हैं उसी को सामने रखें। मैंने माना कि हमारे में कुछ गलतियां हो सकती हैं लेकिन हमारा ध्यान अपने देश के अच्छे भविष्य की ओर लगा हुआ है। हमने किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है। जिस चीज को हम करना चाहते हैं उसको हमने आपके सामने रखा है।

लेकिन कठिनाई यह है कि एक तरफ तो आप कहते हैं हमारे देश में इंडस्ट्रीज बढ़ें लेकिन जब हम इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए कोई फिस्कल स्टेप्स लेते हैं तो आप उसके खिलाफ बोलने लगते हैं, उसको कंट्राडिक्ट करते हैं। इस तरह से हिन्दुस्तान की जनता आपकी बातों में आने वाली नहीं है। अगर आपका यही रवैया रहा तो मुझे अफसोस है कि 1990 के चुनाव में एक-एक पार्टी से आपका एक-एक ही उम्मीदवार चुन कर आ सकेगा।

[अनुवाद]

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नालगोंडा) : हमारे देश का वर्तमान समाजवाद लखपतियों को करोड़पति बना रहा है और गरीब को और गरीब। भारत में सबको दो जून का भोजन उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। यह हमारी नीति है। यह वर्तमान स्थिति है।

अभी-अभी कई सदस्यों ने कहा कि हम 21वीं शदी की ओर प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में हम कांग्रेस नेताओं के गत्यात्मक नेतृत्व में प्रयास कर रहे है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा है? हमारी अर्थव्यवस्था कहां है? भारत मुख्यतया: दो भागों में विभाजित है; शहरी लोग और ग्रामीण लोग। एक ऊपर की ओर बढ़ रहा है। दूसरा नीचे की ओर जा रहा है। दिन प्रति-दिन शहरी अर्थव्यवस्था का सुधार हो रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधोगामी है। इसे रोकना

होगा। वित्त मंत्री, मैं नहीं जानता कि वह ग्रामीण क्षेत्र से संबधित हैं। तो भी आप इससे सहमत हैं तथा सभी सहमत हैं कि शहर वासी स्वतन्त्रता का लाभ उठा रहे हैं जबकि गांववासी नहीं। इसका लाभ गांववासियों को भी पहुंचाना है। कुछ कार्य तो किया गया है लेकिन गांववासी उतने से सन्तुष्ट नहीं हैं। इस पर आपको ध्यान देना होगा।

वर्तमान आर्थिक स्थिति क्या है? विदेशी ऋण की क्या स्थिति है? यह 40,000 करोड़ रुपए है। लेकिन 40 प्रतिशत अर्थव्यवस्था का नियंत्रण काले धन द्वारा हो रहा है। यह नीति किसकी है? क्या यह कांग्रेस सरकार की नीति नहीं है? दिन प्रति बढ़ रहे इस काले धन के लिए कौन जिम्मेवार है? मैं वित्त मंत्री जी की सराहना करता हूं। उन्होंने काले धन को नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। गत वर्ष, उन्होंने प्रवर्तन अधिनियम के अन्तर्गत कुछ छापे डलवाये। मैं नहीं जानता कि अचानक किसने उनको रोक लिया। मैं अखबारों की कोई बात नहीं कह रहा हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अभी हाल में एक छापा डाला गया।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : मैं नहीं जानता कि वित्त मंत्री जो बड़े नेताओं के दबाव में हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : छापे डाले गए और 52 करोड़ रुपए वसूल हुए। अभी हाल में यह बात अखबारों में छपी।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : यह वर्तमान स्थिति है। हमें अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति पर विचार करना है। ऊर्जा में वृद्धि की जानी चाहिए। मैं नहीं जानता कि योजनाकार ऊर्जा के सम्बन्ध में कोई कार्य कर रहे हैं। किसी भी देश के विकास में ऊर्जा तथा शिक्षा का संयुक्त महत्व है। तभी देश विकास कर सकेगा। हम कहां हैं? हमारी स्थिति क्या है? स्वतन्त्रता के 39 वर्ष बीत जाने के बाद भी ग्रामीण लोगों को ऊर्जा नहीं प्राप्त हो रही है। 70% लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं। कृषि में भी उन्हें सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं प्राप्त है। अधिकांश सिंचाई शुष्क भूमि सिंचाई है। हमें और अधिक धन देना होगा। ये प्राथमिकता क्षेत्र हैं जिसे मजबूत किया जाना चाहिए।

7.00 म० प०

कुछ दिनों पहले हमने विद्युत् संशोधन विधेयक पर बहस की। बिजली की चोरी 20 प्रतिशत है। इसे रोकना होगा।

आप कृषि के लिए ऋण देते हैं। अनेक राष्ट्रीयकृत बैंक किसानों को ऋण दे रहे हैं। दुर्भाग्य से गत वर्ष मेरे निर्वाचन क्षेत्र में फसल ऋण दिया गया। मेरा पूरा निर्वाचन क्षेत्र सूखे की पकड़ है। मैं बैंकिंग मंत्री से मिला लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई है। यह स्थिति है। मैंने मंत्री जी से कुछ मध्यावधि और अल्पावधि ऋण देने की बात कही जिससे कुछ परिणाम सामने आये। वहां पानी कहां है, आप अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऋण दे रहे हैं। यह स्थिति है, मैं इसे आपके ध्यान में इसलिए ला रहा हूं कि आप इस मामले की तहकीकात करें।

अभी-अभी मेरे प्रेस मित्र ने कहा कि हम आत्म-निर्भरता की स्थिति में पहुंच गए हैं। हां,

हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्म निर्भर हो गए हैं। 1984-85 के दौरान यह 151 मिलियन टन था। इस वर्ष इसका उत्पादन 146 मिलियन टन है।

श्री पीयूष तिरकी : वह गोदामों में भरा है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : कृषि क्षेत्र के लिए प्राथमिकता कहां है? कृषि को उचित प्रधानता नहीं दी गई है। यदि किसान अधिक उत्पादन करते हैं, तो उसे कौन खरीदेगा? बिक्री कहां है? विपणन सुविधाएं कहां हैं? विपणन की कोई सुविधाएं नहीं हैं। दिल्ली में एक नया बाजार है जहां प्रतिदिन करोड़ों रुपयों का व्यापार होता है। दिल्ली तक में नियन्त्रित बाजार नहीं है, अन्य स्थानों की बात ही क्या। लोगों को खरीदने और पैसा बनाने दिया जा रहा है। इस प्रकार की आज स्थिति है। लक्ष्य के अनुसार इस वर्ष चाहे 151 या 160 मिलियन टन उत्पादन हो जावे लेकिन कोई निर्यात नहीं होगा। आपने केवल 1 मिलियन टन धान तथा 2 मिलयन टन गेहूं का निर्यात किया है। आप कृषि पर आधारित उत्पादों का निर्यात नहीं कर रहे हैं। बहुत से कृषि-आधारित उत्पादों को हाथ में लेना पड़ेगा। केवल तभी किसानों को लाभ पहुंच सकेगा। हम पहले किसानों से संपूर्ण भण्डार खरीदें और तब इसका वितरण करे। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए।

बहुत सी चीजें हैं। हम विदेशी बाजारों का अध्ययन करें कि क्या हम वहां प्रतियोगिता कर सकते हैं। हम उद्योगपतियों को करोड़ों रुपये का ऋण दे रहे हैं। जैसाकि माधव रेड्डी ने कहा कि वे सभी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं और यहीं बेच रहे हैं। इस प्रकार आप विदेशी विनियम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। यह बड़ी बात है। आपने अनेकों गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किये हैं। कितने लोग वास्तव में इससे लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं? आप भैंस दे रहे हैं बीज दे रहे हैं तथा ऐसे ऋण दे रहे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के लिए लाभप्रद नहीं हैं। सूखा योजना के अन्तर्गत आपने पोषाहार कार्यक्रम शुरू किया है। जबकि वे लोग खाद्यान्नों के अभाव में मर रहे हैं आप पोषाहार कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं तथा अण्डे सप्लाई कर रहे हैं। जबकि वे लोग भूखों मर रहे हैं और काम चाहते हैं, आप उन्हें यह सब प्रदान कर रहे हैं चाहे इसकी उन्हें आवश्यकता हो या न हो। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये निर्देश वातानुकूलित कक्षों के बैठे अप्राधिकरियो की ओर से दिये जा रहे हैं। आप राज्यों को उदारतापूर्वक क्यों दे रहे है? आप राज्यों को 30 करोड़ या 40 करोड़ रुपये प्रदान कर रहे हैं, आप राज्यों को स्वय अपनी योजनाएं बनाने दें तथा धन खर्च करने दें। इस तरह समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम या अन्य किसी भी कार्यक्रम की धनराशि से केवल 30 प्रतिशत लोग लाभ उठा पा रहे हैं। शेष 70 प्रतिशत लोग इसका लाभ नहीं पा रहे हैं।

एक या दो बातों के संबंध में मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा। 2 रुपए किलो चावल के बारे में बहुत से लोगों में चर्चा है। मेरे मित्र ने कहा कि 1.50 रुपए प्रति किलो गेहूं का मूल्य निर्धारित किया गया है लेकिन गेहूं 1.50 रुपए प्रति किलो नहीं दिया जा रहा है। कबीलाई क्षेत्रों में धान का मूल्य 1.95 रुपए प्रति कि० ग्रा० रखा गया है। जबकि हम 2 प्रति किलोग्राम की योजना के अन्तर्गत 20 लाख टन दे रहे हैं। आप केवल कबीलाई क्षेत्रों को ही दे रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : 2 रुपए में से केन्द्र द्वारा दी जा रही सहायता राशि क्या है?

श्री एम० रघुमा रेड्डी : केवल 10 लाख टन केन्द्र की सबसिडी है और शेष राज्यों की।

जिनमें आय 6000 रुपए से कम है, हम 20 लाख टन प्रदान कर रहे हैं। हम केवल आय सीमा को ध्यान में रख रहे हैं चाहे यह आदिवासी या गैर आदिवासी क्षेत्र हो, संपन्न या पिछड़ा है, हम 2 रुपए प्रति किलो चावल सप्लाई कर रहे हैं। चावल ही नहीं हम आधे दर पर कपड़ा भी दे रहे हैं।

इस प्रकार की अनेक योजनाएं हैं। यदि माननीय मंत्री स्वयं देखना चाहते हैं तो वह वहां जायें और 1983 के बाद कुछ गांवों का विकास देखें। कुछ विवादास्पद मंत्री वहां गए, उन्होंने विवादजनक भाषण दिए और वापस लौट आए। यदि आप वास्तव में 1983 के बाद आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हुए विकास का अध्ययन करना चाहते हैं आप आयें और खुले हृदय से अध्ययन करें। इस बात को मस्तिष्क में न रखें कि तेलगु देशम वहां शासन कर रही है। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह या माननीय वसंत साठे भी आप लोग अध्ययन के लिए आन्ध्र आएं, केवल तभी पता लगाया जा सकेगा कि वास्तव में क्या हो रहा है और क्यों लोग नन्द भूरि तारक या तेलगु देशम के दिवाने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : महोदय, क्या बैठक स्थगित करें ?

श्री सी० माधव रेड्डी : आपने समय केवल एक घंटा बढ़ाया था। हम कल इस पर चर्चा करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : ठीक है, हमें अब सभा को स्थगित करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

7.08 म० प०

तत्पश्चात, लोक सभा मंगलवार, 5 अगस्त, 1986/14 श्रावण, 1908 (शक) के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, दिल्ली-53